कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा)

मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्रशासन की नियम पुस्तक

खण्ड–दो

द्वितीय संस्करण

आमुख

1. वर्ष 2001 में मध्य प्रदेश राज्य के दो अलग–अलग राज्यों मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ में पुर्नगठन, मार्च 2012 में कार्यालय के पुर्नगठन एवं 5वें, 6वें और 7वें केन्द्र वेतन आयोग के पश्चात इस कार्यालय द्वारा जारी प्रशासन की नियम पुस्तक का यह दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण वर्ष 1993 में प्रस्तुत किया गया था। यह नियम पुस्तक महालेखाकार के स्थाई आदेशों के नियम पुस्तक की कंडिका 38 के प्रावधानों के अन्तर्गत संकलित की गई है तथा इसमें समय–समय पर निर्गमित किए गए संशोधनों एवं आदेशों के अंतर्गत किए गए आवश्यक समस्त परिवर्तनों को समाविष्ट किया गया है। इस नियम पुस्तक का अभिप्राय इस कार्यालय के कर्मचारियों को उनके दैनंदिन कार्य में मार्गदर्शन करना है।

2. इस नियम पुस्तक में निहित निर्देश अधिकृत संहिताओं व नियमों आदि में निहित सामान्य नियमों और आदेशों के पूरक हैं तथा इन्हें उनका अधिक्रमण अथवा पुनस्थापन नहीं समझा जाना चाहिए। इस नियम पुस्तक का उद्धरण या सन्दर्भ इस कार्यालय के बाहर किए जाने वाले किसी पत्राचार में प्राधिकार के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।

3. इस कार्यालय के समस्त कर्मचारियों से ऐसी अपेक्षा की जाती है, कि वे इस संहिता में दी गई प्रक्रिया तथा अनुदेशों से परिचित हो तथा इन अनुदेशों का पालन न करने के लिए उन्हें केवल इस कारण क्षमा नहीं किया जाएगा और न यह स्वीकृत किया जाएगा कि उनको इसकी जानकारी नहीं थी।

4. समय–समय पर जारी की जाने वाली संशोधन पर्चियों को संबंधित कर्मचारी द्वारा नियम पुस्तक की प्रतियों में तत्परता से लगाया जाना चाहिए जिससे कि यह नियम पुस्तक के अनुसार अधतन रह सके तथा जिस उद्देश्य के लिए नियम पुस्तक बनाई गई है, वह पूरा हो सके।

5. आवधिक रूप से संशोधन पर्चियां जारी करके नियम–पुस्तक को अधतन रखने का उत्तरदायित्व कार्यालय स्थापना अनुभाग–11 का है। इस नियम पुस्तक में पाई गई किसी प्रकार की चूक या अशुद्धि आवश्यक कार्रवाई के लिए तत्परता से इस अनुभाग की जानकारी में लाई जानी चाहिए।

6. प्रधान महालेखाकार के आदेशों के सिवाय इस नियम पुस्तक में दी गई प्रक्रिया से हटकर कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सुधार के लिए दिए जाने वाले सुझावों का सदैव स्वागत है।

03.12.2021 डी. साहू

ग्वालियरः प्रधान महालेखाकार

प्रशासन की नियम पुस्तक खण्ड–II

अध्याय–VII

कंडिका क.	नियुक्ति और पदोन्नति	पृष्ठ क.
7.1.1(i)(अ)	मल्टी टास्किंग स्टाफ (एम.टी.एस.) के पदों के लिए भर्ती।	148
7.1.1(i)(ब)	न्यूनतम योग्यता की अनिवार्यता तथा प्रभाव।	150
7.1.1(i)(स)	नये मल्टी टास्किंग स्टाफ के नियुक्ति के सम्बन्ध में सेवा के विनियमन के लिये कुछ स्पष्टीकरण।	150
7.1.1(i)(द)	सम्मिलित ग्रेड (समूह–घ) का पदनाम बदलकर मल्टी टास्किंग स्टाफ करना।	151
7.1.1(i)(य)	मल्टी टास्किंग स्टाफ की लिपिक ग्रेड पर पदोन्नति।	152
7.1.1(ii)(अ)	भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग (लेखा एवं हकदारी कार्यालय में लिपिक तथा लेखापरीक्षा कार्यालय में लिपिक) भर्ती नियम, 2014।	153
7.1.1(iii)(क)	भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखाा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में 'लेखापरीक्षक' के पद के लिए भर्ती नियम।	156
7.1.1(iii)(ख)	लेखापरीक्षक पद पर पदोन्नति के लिए अधीनस्थ लेखा/लेखापरीक्षा सेवा के लिए योग्यता	159
7.1.1(iv)(क)	भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में भर्ती स्टाफ कार चालक, 'डिस्पेच राइडर', स्टाफ कार चालक विशेष ग्रेड पदों पर भर्ती नियम।	159
7.1.1(iv)(ख)	भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में ''स्टाफ कार चालक विशेष वर्ग'' पद के लिए भर्ती नियम।	165
7.1.1(v)	भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में वरिष्ठ अनुवादक के पद के लिए भर्ती नियम।	167
7.1.1(vi)	भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में कनिष्ठ अनुवादक पद के लिए भर्ती नियम।	171
7.1.1(vii)	भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में हिन्दी अधिकारी पद के लिए भर्ती नियम।	173
7.1.1(viii)(अ)(i)	भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में आशुलिपिक के पद के लिए भर्ती नियम।	175
7.1.1(viii)(अ)(ii)	पुनः आशुलिपिक तथा निजी सहायक के पदनाम बदले गए है।	176
7.1.1(viii)(ब)	भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में आशुलिपिक वर्ग–2 के पद के लिए भर्ती नियम।	176
7.1.1(viii)(स)(i)	आशुलिपिक और निजी सहायक पदों के बीच अनुपात।	179
7.1.1(viii)(स)(ii)	पदोन्नति का विनिमयन।	180
7.1.1(ix)	भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में पर्यवेक्षक (लेखापरीक्षा) पद के लिए भर्ती नियम।	182

7.1.1(x)	भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में समूह 'ग' (इलेक्ट्रोनिक डेटा प्रोसेसिंग) पद के लिए भर्ती नियम।	185
7.1.1(xi)	भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में 'सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी' पद के लिए भर्ती नियम।	191
7.1.1(xii)	भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में ''लेखापरीक्षा अधिकारी'' पद के लिए भर्ती नियम।	195
7.1.1(xiii)	भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में ''लेखापरीक्षा अधिकारी (वाणिज्य)'' के पद के लिए भर्ती नियम।	198
7.1.1(xiv)	भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में ''वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी'' के पद के लिए भर्ती नियम।	202
7.1.1(xv)	भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में ''वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (वाणिज्य)'' के पद के लिए भर्ती नियम।	205
7.1.1(xvi)	भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में ''वरिष्ठ लेखा परीक्षक'' भर्ती नियम।	208
7.1.2	कर्मचारी चयन आयोग।	210
अनुलग्नक 'क'	भर्ती के लिए प्रत्याशियों हेतु मांगपत्र भेजने के लिए प्रपत्र।	213
7.2	नियुक्ति हेतु पात्रता।	215
7.2.2	बहु विवाह।	215
7.2.3	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमाएं।	215
7.2.4	छंटनी किए गए कर्मचारियों के मामले में आयु की छूट।	215
7.2.5	समूह 'ग' तथा 'घ' पद के लिए विभागीय अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट/रियायत।	217
7.2.6	आयु में छूट/रियायत।	217
7.2.7	भर्ती नियमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य विशिष्ट श्रेणी प्रावधानों के लिए आयु सीमा में छूट/रियायत।	218
7.2.8	कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित लिपिक वर्गीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए स्टाफ कार चालक के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट/रियायत।	218
7.3	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं।	218
7.3.1	(i) लेखापरीक्षक (ii) लिपिक (iii) आशुलिपिक (iv) समूह 'घ'	218
7.3.2	डिग्री, डिप्लोमा इत्यादि की मान्यता।	219
7.3.3	कुछ और परीक्षाओं की मान्यता।	219
7.3.4	केंद्र सरकार के अन्तर्गत भर्ती के लिए सामान्य शैक्षिक योग्यताओं की मान्यता।	219
7.4.1	पद आधारित आरक्षण रोस्टर।	220
अनुलग्नक–I	व्याख्यात्मक टिप्पणियां–पद पर आधारित रोस्टर बनाने तथा उन्हें क्रियान्वित करने के सिद्धांत।	222

अनुलग्नक–II	खुली स्पर्धा द्वारा अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती के पदों के संदर्भ में आरक्षण का मोडल रोस्टर	225
अनुलग्नक–II का एपेन्डिक्स	13 पदों तक संवर्ग क्षमता के लिए मोडल रोस्टर।	230
अनुलग्नक–III	पदों के संदर्भ में आरक्षण का मोडल रोस्टर।	231
अनुलग्नक–III का एपेन्डिक्स	13 पदों तक संवर्ग क्षमता के लिए मोडल रोस्टर।	236
अनुलग्नक–IV	सीधी प्रतियोगिता द्वारा के अलावा अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती के लिए पदों के संदर्भ में आरक्षण का मोडल रोस्टर।	237
अनुलग्नक–IV का एपेन्डिक्स	सीधी प्रतियोग्यता के माध्यम से के अलावा 13 पदों तक संवर्ग क्षमता के लिए सीधी भर्ती हेतु रोस्टर।	241
7.4.2	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में संशोधित प्रतिशत।	249
7.4.3	पदोन्नति संवर्ग में रोस्टर का रख रखाव।	249
7.5.1	आरक्षित पदों का भरा जाना।	249
7.5.2	एक भर्ती वर्ष में, उत्पन्न होने वाली पदोन्नति रिक्तियों, एकल रिक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों के लिए आरक्षण।	252
7.5.3	अनारक्षण एवं आरक्षण को अग्रेनीत करना।	252
अनुलग्नक	कंडिका 7.5.3 के संदर्भ में।	253
7.5.4	समूह 'ग' में भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण।	254
7.5.5	शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण।	254
अनुलग्नक–I	कंडिका 7.5.5 के संदर्भ में।	265
अनुलग्नक–II	कंडिका 7.5.5 के संदर्भ में।	268
अनुलग्नक–III	कंडिका 7.5.5 के संदर्भ में।	269
अनुलग्नक–IV	कंडिका 7.5.5 के संदर्भ में।	270
7.6.1	सक्षम अधिकारी द्वारा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन एवं जारी किया जाना।	270
7.6.2	अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संबंधित प्रत्याशियों के दावों का सत्यापन।	271
7.6.3	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्रों का जारी करना।	271
7.7.1	शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का सरकारी सेवा में नियोजन।	271
7.7.2	विकलांग व्यक्तियों की नियुक्ति– नेत्रहीनों के लिए नौकरियों का अभिज्ञान।	271
7.7.3	सीधे भर्ती होने वालों की सापेक्ष वरिष्ठता एवं अराजपत्रित संवर्गों में पदोन्नति।	271
अनुलग्नक	20–सूत्रीय नामावली (रोस्टर) की संचालन और सीधे भर्ती होने वालों के सापेक्ष पदोन्नतों की वरिष्ठता।	272
7.7.4	कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भर्ती के लिए बनाया गया रोस्टर।	273

7.8	भृत्यों के पद पर भर्ती।	273
7.8.1	भृत्यों के पद भरना।	274
7.8.2	समूह 'घ' कर्मचारी जो चौकीदार/सफाईवाला में पदोन्नत हुआ है का वेतन वरि. भृत्य के वेतन से ज्यादा नहीं होना चाहिए।	274
7.8.3	समूह 'घ' में झाडूवालों के पद धारण करने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति।	274
7.8.4	मुख्यालय कार्यालय द्वारा जारी स्पष्टीकरण।	274
7.8.5	प्राथमिक साक्षरता रखने वाले सफाई कर्मचारियों हेतु आरक्षण।	274
7.8.6	कुछ स्पष्टीकरण (हटा दिया गया है)	274
7.9	भर्ती प्रक्रिया की रियायत में समूह 'ग' एवं समूह 'घ' पदों हेतु मेधावी खिलाड़ी/व्यक्तियों की नियुक्ती।	274
7.9.1	खेलकूद कोटा व्यक्तियों की योग्यता।	274
7.9.2	उपयुक्त पद/पद जिन पर लागू है	275
7.9.3	भर्ती की सीमा	275
7.9.4	वरिष्ठता	276
7.9.5	प्रक्रिया	276
7.9.6	साक्षात्कार की तिथि	277
7.9.7	वार्षिक प्रतिवेदन	277
7.9.8	कैलेंडर वर्ष के दौरान रिक्तियों का भरा जाना	277
अनुलग्नक–क	फार्म–'क' (कंडिका 7.9.1 में संदर्भित)	278
अनुलग्नक–ख	फार्म–'ख' (कंडिका 7.9.5(ख) में संदर्भित)	279
अनुलग्नक–ग	फार्म–'ग' (कंडिका 7.9.7 में संदर्भित)	280
7.9.9	स्वास्थ्य के आधार पर सेवानिवृत्त हुए 'ग' एवं 'घ' समूह पदों में शासकीय कर्मचारियों के पुत्रों/पुत्रियों/निकट संबंधियों की नियुक्तियां।	281
7.9.10(i)	अनुकंपा नियुक्तियों पर समेकित अनुदेश।	281
अनुलग्नक	कंडिका 7.9.10 में संदर्भित	293
7.9.10(ii)	दो स्थायी शासकीय कर्मचारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित घोषणा पत्र/शपथ पत्र लेने की आवश्यकता नहीं।	297
7.9.11	अनुकंपा आधारित मामलों को प्रायोजित करना।	297
7.9.12	अनुकंपा आधारों पर चपरासी के पद पर हेतु मृत शासकीय कर्मचारी की विधवाओं की नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकताओं से छूट।	297
7.9.13	शक्तियों का प्रत्यायोजन	297
7.10.1	प्रारूप	297
7.10.2	शैक्षणिक प्रमाण पत्रों/उपाधियों/डिप्लोमा की जांच।	297
7.10.3	नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी का चरित्र का सत्यापन और पुनर्सत्यापन तथा पूर्व–वृत्त।	297
7.10.4(i)	'ग' एवं 'घ' समूह कर्मचारियों का सत्यापन।	298

7.10.4(ii)	आशुलिपिकों का सत्यापन।	298
7.10.5	विस्तृत सत्यापन हेतु अपनायी जाने वाली प्रकिया।	299
7.10.6	सरल सत्यापन हेतु प्रक्रिया।	299
7.10.7	आयु, योग्यता, जाति एवं पहचान का सत्यापन।	300
7.10.8	विज्ञापित पदों की नियुक्ति हेतु साक्षात्कार के लिये बुलाये गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को यात्रा भत्ता।	301
7.10.9	विभिन्न शासकीय विभागों में नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा ।	301
7.10.10	शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की चिकित्सा परीक्षा।	301
7.10.11	शारीरिक रू॰ से विकलांग व्यक्तियों के प्रकरणें पर चिकित्सा परीक्षण के लिए अत्यन्त सहानुभूति के साथ विचार किया जाना है।	302
7.11.1	चिकित्सा परीक्षा पश्चात पदग्रहण प्रतिवेदन।	302
7.11.2	समयावधि को बढाना।	302
7.11.3	कार्यग्रहण की अवधि का चिकित्सा औपचारिकता की अपूर्णता के अलावा अन्य कारणें से बढ़ाया जाना।	302
7.11.4	गर्भवती महिलायें।	302
7.12	अन्य पदों की नियुक्ति के विनियमन।	303
7.12.1	भर्ती के नियम	303
7.12.2	महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालयों में प्रबंधक, टंकण और चक्रमुद्रण पूल के पदों का निर्माण/सृजन।	303
7.12.3	भर्ती की पद्धति।	303
7.12.4	प्रबंन्धक (टंकण एवं चक्रमुद्रण पूल) के कार्य।	303
7.12.5	स्टाफ कार चालक के पद–भर्ती की पद्धति ।	303
7.12.6	गेस्टेनर चालक के पदों को भरना।	303
7.12.7	हिंदी भाषी क्षेत्रों में आशुलिपिक संवर्ग में रिक्तियों का भरा जाना।	304
7.12.8	सुरक्षा कर्मचारी हेतु भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती।	304
7.12.9	अभीक्षक/सहायक अभीक्षक की भर्ती।	304
अनुलग्नक	कंडिका 7.12.9 में संदर्भित।	305
7.13	नैमित्तिक मजदूरों को नियमित स्थापना में संविलयन के लिए अपनायी जाने वाली पद्धति।	305
7.13.1	नियमित स्थापना में नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट।	305
7.13.2	नैमित्तिक मजदूर को लाभ।	306
7.13.3	नैमित्तिक मजदूरों को काम में लगाना।	306
7.13.4	नैमित्तिक मजदूरों की नियुक्ति और उनका नियमितीकरण।	307
7.13.5	भृत्यों के पदों की पूर्ति पर लगे प्रतिबंध में रियायत दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्यरत नैमित्तिक कर्मचारियों का नियमितीकरण।	307

7.13.6	नैमित्तिक कामगारों का नियमितीकरण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आदि के आरक्षण हेतु सांविधिक आवश्यकता का अनुपालन।	307
7.14	रोजगार विनियम अधिनियम, 1959 और उसके अधीन निर्मित नियमों में निर्धारित प्रपत्रों ई.आर.–I, ई.आर.–II एवं एस.व्ही.–प्रविवरण की प्रस्तुति।	307
7.15	सामान्य	308
7.15.1	लेखापरीक्षा अधिकारी संवर्ग में पदोन्नति।	308
7.15.2	सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी की ग्रेड में पदोन्नति।	308
7.15.3	अनुभाग अधिकारी का सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में प्रति–पदनाम।	308
7.15.4	पदोन्नति हेतु पैनल की वैधता।	308
7.15.5(क)	कल्याण सहायक के पदों का भरा जाना।	309
7.15.5(ख)	लेखापरीक्षा कार्यालय में पर्यवेक्षक की नियुक्ति।	313
7.15.6	(क) अनुभाग अधिकारी (ख) वरिष्ठ लेखापरीक्षक (ग) लेखापरीक्षक (घ) लिपिक + अन्य पदों में पदोन्नति।	313
7.15.7	कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित आशुलिपिक गति परीक्षा में बैठने के लिए उन अभ्यर्थियों के पक्ष में अनुमति, जिन्होंने प्रोत्साहन योजना के अधीन दो/तीन अवसर लेकर पूरे कर लिए है।	313
7.15.8	आशुलिपिक–टंकण कार्य के लिए कोई आपत्ति नहीं।	313
7.15.9	लिपिकों की लेखापरीक्षक के रूप में पदोन्नति की निर्णायक तिथि।	314
7.15.10	लेखा एवं हकदारी कार्यालय से प्रतीक्षा सूची द्वारा स्थानांतरित हुए कर्मचारियों के सापेक्ष लेखापरीक्षक के पद पर पदोन्नत लिपिकों की वरिष्ठता ।	314
7.15.11	समूह 'घ' से पदोन्नत लिपिकों को टंकण जाँच परीक्षा में विशेष अवसर पदान करना।	314
7.15.12	पदावनत समूह 'घ' कर्मचारियों की पुनः पदोन्नति।	314
7.15.13	समूह 'घ' से पदोन्नत कर्मचारियों को टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट।	314
7.15.14	समूह 'घ' कर्मचारियों को पदोन्नति जाँच परीक्षाओं के लिए यात्रा भत्ता।	314
7.15.15	लिपिकों/टंककों की पदोन्नति प्रत्याशाओं में सुधार/संवर्ग का पुनरीक्षण।	314
7.15.16	समूह 'घ' कर्मचारियों –अभिलेख पृथ्क्करक (रिकार्ड सोर्टर) संवर्ग (जो अब 10.10.1984 से अभिलेखापाल के नाम से पदांकित किया गया) के पदोन्नति संबंधी प्रत्याशा।	315
7.15.17	अभिलेखापाल पद के कार्यों संबंधी विषय सूची।	315
7.15.18	प्रवरण श्रेणी अभिलेखापाल।	315
7.15.19	समूह 'घ' कर्मचारियों की समूह 'ग' संवर्ग में पदोन्नति।	315
7.15.20	समूह 'घ' संवर्ग के भीतर पदोन्नति।	315
7.16.1	कम अवधि की रिक्तियों में स्थानापन्न पदोन्नतियां।	315
7.16.2	पदोन्नति मे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण।	315
7.17.1	तदर्थ पदोन्नतियां	315
7.17.2	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की तदर्थ पदोन्नति पर विचार।	316

7.18	चयन से संबंधित विभिन्न समितियों/मंडलों में महिला सदस्यों का प्रतिनिधित्व।	316
7.19.1	उन व्यक्तियों के मामले में क्रम सूची की विधि मान्यता जो लंबे अवकाश पर रहने के कारण पदोन्नत नहीं किये जा सके।	316
7.19.2	उच्च श्रेणी में पदोन्नति के लिए इन्कार करने वाले व्यक्तियों के मामले में अपनाई जाने वाली नीति।	317
7.20	समूह 'घ' पदों में नियुक्ति श्रेणी।	317
7.21	आरक्षण के आधार पर पदोन्नति अस्वीकार करना।	317
7.22	कर्मचारियों की पदोन्नति जिन पर शास्ति आरोपित की गईं।	317
7.23	लेखापरीक्षा कार्यालयों में अनुभाग अधिकारी ग्रेड परीक्षा भाग–1 उत्तीर्ण लिपिकों की लेखापरीक्षक के रूप में पदोन्नति।	318
7.24	मैट्रिकुलेट समूह 'घ' कर्मचारियों की वरिष्ठता के आधार पर लिपिकों में पदोन्नति।	319
7.25	समूह 'घ' में पदोन्नति/शैक्षिक अर्हता में छूट/रियायत।	319
7.26	समूह 'घ' कर्मचारियों से लिपिकों/टंककों पर पदोन्नति प्रत्याशाएं/टंकण लेखन में प्रवीणता।	319
अध्याय–VIII **पदस्थापना, स्थानांतरण, पुष्टिकरण, वरीयता, प्रतिनियुक्ति, स्थायी संविलयन एवं बाह्य सेवा समनुदेशन**		
8.1	पदस्थापना एवं स्थानांतरण।	320
8.1.1(क)	पुनर्गठन के बाद समूहों, पदों एवं अनुभागों के संचालन में संशोधन।	320
8.1.1(ख)	समूह 'ख' एवं 'ग' के कर्मचारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापना की मार्गदर्शिका एवं कार्यालय की अधिकारिक वेबसाइट पर उसका प्रकटीकरण।	322
8.1.2	भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा संवर्ग।	323
8.1.3	भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा के अधिकारियों को पर्यवेक्षण कार्यभार सौंपना–महालेखाकार स्तर के अधिकारियों की शक्तियों का प्रत्यायोजन।	323
8.1.4	अल्पकालिक रिक्तियां (31 दिन या अधिक) के दौरान लेखापरीक्षा अधिकारियों को उप महालेखाकार स्तर के पदों का प्रभार सौपना।	324
8.1.5	क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुखों को हस्तांतरण टिप्पणियां सौंपना।	327
8.1.6	लेखापरीक्षा अधिकारी संवर्ग	328
8.1.7	सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	328
8.1.8	आशुलिपिक/निजी सहायक	328
8.1.9	वरिष्ठ लेखापरीक्षक/लेखापरीक्षक	328
8.1.10	लिपिक/टंकक	329
8.1.11	समूह 'घ' कर्मचारी (अब एम.टी.एस.)	329
8.1.12	सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा लेखापरीक्षकों को उसी अनुभाग में रोका जाना।	329

8.2.1	प्रवर श्रेणी लेखापालों/प्रवर श्रेणी अनुभाग अधिकारियों का लेखापरीक्षा कार्यालय में स्थानांतरण।	329
8.2.2	अकार्यात्मक चयन श्रेणी की समाप्ति।	330
8.2.3	चयन श्रेणी लेखापालों/चयन श्रेणी अनुभाग अधिकारियों के प्रकरणों का लेखापरीक्षा कार्यालय में विनियमन।	330
8.3	कर्मचारियों का एक पक्षीय/पारस्परिक स्थानांतरण।	331
8.3.1(क)	भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग मे समूह 'ख' एवं 'ग' संवर्ग में पारस्परिक स्थानांतरण।	331
8.3.1(ख)	सभी मामलों में एक पक्षीय स्थानांतरण	333
8.3.2	लेखा एवं हकदारी कार्यालयों से लेखापरीक्षा कार्यालयों में एकपक्षीय स्थानांतरण।	333
8.3.3	अनुभाग अधिकारियों तथा अनुभाग अधिकारी स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण लेखापरीक्षकों का अन्य कार्यालयों में स्थानांतरण संबंधी दायित्व।	333
8.3.4	स्वैच्छिक स्थानांतरण।	333
8.4	पुष्टीकरण	333
8.4.1	पुष्टीकरण प्रक्रिया–स्थायी पद की उपलब्धता से पुष्टिकरण की असम्बद्धता।	333
8.4.2	महालेखाकार के आदेश से पदोन्नति/पुष्टिकरण के लिए विभागीय पदोन्नति समिति का गठन।	336
8.4.3	सरकारी कर्मचारियों का गलत पुष्टिकरण।	337
8.4.4	कार्यपालक अथवा प्रशासनिक निर्देशों के उल्लंघन के कारण गलत पुष्टिकरण।	338
8.4.5	संख्योत्तर पद का सृजन।	338
8.5	वरीयता	339
8.5.1	सामान्य	339
8.5.2	अनुभाग अधिकारी के संवर्ग में पदोन्नति हेतु अनुभाग अधिकारी स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण लिपिकों/लेखापरीक्षकों की वरीयता।	339
8.5.3	सीधी भर्ती किए गए लेखापरीक्षकों, लिपिकों तथा आशुलिपिकों इत्यादि की वरीयता।	341
8.5.4	लिपिकीय संवर्ग से पदोन्नत हुए लेखापरीक्षकों की वरीयता।	341
8.5.5	वरीयता सह–योग्यता के आधार पर, पदोन्नति द्वारा भरे गये पदों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण।	342
8.5.6	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों की वरीयता।	344
8.5.7	आरक्षित रिक्तियों का अनारक्षण।	344
8.6	प्रतिनियुक्ति	344
8.6.1	प्रतिनियुक्ति के लिए बाह्य पदों हेतु कर्मचारियों के आवेदन पत्रों का अग्रेषण।	344
8.6.2	अतिरिक्त अनुभाग अधिकारियों/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों तथा अनुभाग अधिकारी स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण लेखापरीक्षकों का अन्य कार्यालयों में स्थानांतरण।	345

8.6.3	भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में, कमी वाले कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति अनुभाग अधिकारी स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण कर्मचारियों के संबंध में मूलभूत नियम 22–ग के उपबन्ध 1(3) के अंतर्गत निर्धारित शर्तों में छूट/रियायत।	345
8.6.4	भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के अंतर्गत कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति के कार्यकाल में वृद्धि	346
8.6.5	भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति पर भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के समूह 'ख' एवं 'ग' अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति विशेष वेतन प्रदान करना।	346
8.6.6	केंद्र सरकार के कर्मचारियों का केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/स्वायत निकायों के विश्वविधालयों/संघ शासित प्रशासन, स्थानीय निकायों आदि में तथा उक्त निकायों से केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा पर स्थानांतरण, वेतन का विनियमन, प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता, प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा की अवधि तथा अन्य निबंधन एवं शर्तों के संबंध में।	346
8.6.7	प्रतिनियुक्ति (कर्तव्य) भत्ता।	356
8.6.8	प्रतिनियुक्ति की पंजी संधारित करना।	356
8.6.9	प्रतिनियुक्ति के समय आहरण किये गये वेतन पर निगरानी रखना।	357
8.6.10	प्रतिनियुक्ति पर सरकारी कर्मचारियों को बोनस।	357
8.6.11	''तत्निम्नवर्ती नियम'' के अंतर्गत औपचारिक पदोन्नति।	357
8.6.12	प्रतिनियुक्ति से लोटने के बाद विभाग में कम से कम दो वर्ष का सेवाकाल पूरा होना चाहिए।	357
8.6.13	प्रतिनियुक्ति हेतु चयन हो जाने के बाद इन्कार करने पर दूसरी प्रतिनियुक्ति पर विचार नहीं किया जाना।	357
8.7	स्थायी संविलयन	357
8.7.1	विभिन्न निकायों/निगमों आदि में स्थायी संविलयन के प्रकरणों की प्रकिया करना।	358
8.7.2	राज्य सरकार के अंतर्गत, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा स्वशासी निकायों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों का स्थायी संविलयन होने पर आनुपालिक सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करना।	359
8.7.3	स्थायी रूप से संविलयन किये गए, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को आनुपातिक सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान के प्रकरण में समतुल्यता।	359
8.8	विदेश नियुक्ति।	360
8.8.1	एशिया, अफ्रिका तथा लेटिन अमेरिका में सेवा के लिए पैनल तैयार करना।	360

अध्याय–VII
नियुक्ति और पदोन्नति

7.1.1 (i)(अ) मल्टी टास्किंग स्टाफ (एम.टी.एस.) के पदों के लिये भर्ती–

भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के उपबंध (5) में प्रदत्त शक्ति के आधार पर राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से सलाह मशवरा करने के बाद और भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम 1988 व भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग (अभिलेख रखरखाव) नियम 1985 का संदर्भ लेते हुये भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में मल्टी टास्किंग स्टाफ के पदों पर नियुक्ति के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है–

1. लघु शीर्षक तथा प्रारम्भः–

1.(1) ये नियम भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग के मल्टी टास्किंग स्टाफ भर्ती नियम 2011 कहे जा सकते है।

(2) ये नियम अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से प्रभावशील होगें।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मानः–

पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतनमान अनुबंधित नियम के कालम (2) से (4) में संलग्न अनुसूची के समान ही होगें।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा तथा अर्हताएं आदि :–

भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, योग्यताऐं तथा पदों से सम्बन्धित अन्य मामले अनुसूची के कालम 5 से लेकर 14 तक में निर्दिष्ट किये गये होगें।

4. अयोग्यताऐं– कोई भी व्यक्ति

(अ) जिसने ऐसे व्यक्ति से शादी की हो अथवा विवाह का अनुबंध किया हो जिसका पति/पत्नी जीवित हो ।

(ब) जिसने अपने पति/पत्नी जीवित हो, फिर भी किसी से शादी कर ली हो या विवाह का अनुबंध कर लिया हो तो वह व्यक्ति इस पद के अयोग्य माना जायेगा।

बशर्ते कि नियंत्रक एंव महालेखापरीक्षक सहमत हो कि उस व्यक्ति एवं शादी करने वाली दूसरी पार्टी के लिए, एवं ऐसा करने के लिए अन्य वजह होने के कारण ऐसा विवाह पर्सनल लॉ के अंतर्गत स्वीकार्य है। तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकते है।

-

5. शिथिल करने की शक्ति :–

यदि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक सहमत हो कि यदि आवश्यक हो अथवा ऐसा करना व्यवहारिक हो तो वह आदेश देकर एवं लिखित रूप में दर्ज करने वाले कारणों के लिए तो वह किसी भी वर्ग के व्यक्ति को इस नियमों के संदर्भ में छूट दे सकते है।

6. बचत :–

इस संबंध में भारत सरकार के द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशानुसार भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग में रोजगार हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, पूर्व सैनिक तथा अन्य किसी विशेष वर्ग के व्यक्ति को दिये जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट तथा अन्य छूट को यह नियम प्रभावित नहीं करेगा।

अनुसूची

1	पद का नाम	मल्टी टास्किंग स्टाफ (गैर – तकनीकि)
2	पदों की संख्या	5717* (2011) * कार्यभार पर निर्भर फेर बदल की शर्त पर।
3	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित लिपिक वर्गीय।
4	वेतनमान	पे बैन्ड –1(रू. 5200 – 20200) + ग्रेड पे रू. 1800
5	क्या प्रवरण पद है अथवा अप्रवरण पद है।	लागू नहीं
6	क्या के.सि.से.(पेन्शन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत सेवा मे जोडे गये वर्षों का लाभ स्वीकार्य है।	लागू नहीं
7	सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा	18 एवं 25 वर्ष के बीच टिप्पणी–आयु सीमा निर्धारित करने के लिये निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने केलिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य का लद्दाक संभाग, लाहौल एवं स्पिति जिले, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले का उपसंभाग पांगी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह अथवा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए यह अंतिम तारीख निर्धारित नहीं हैं) रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती के प्रकरण में, रोजगार कार्यालय द्वारा नाम देने की तिथि को ही अभ्यर्थी की आयु सीमा के लिए अंतिम तिथि मान्य होगी।
8	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएँ	किसी मान्यता प्राप्त स्कूल/बोर्ड से मैट्रिक अथवा उसके समकक्ष।
9	क्या सीधी भर्ती के लिये निर्धारित आयु	लागू नहीं

-

	तथा शैक्षणिक योग्यताऐं पदोन्नतों के लिए लागू होगी	
10	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो	दो वर्ष
11	भर्ती की पद्वति –सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा, अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तर द्वारा, और विभिन्न पद्वतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	सीधी भर्ती द्वारा
12	पदोन्नत/ प्रतिनियुक्ति/समामेलन वर्गो द्वारा भर्ती के मामले में, कौन सी पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण से भर्ती की जानी है।	लागू नहीं
13	यदि विभागीय पदोन्नति समिति अस्तित्व में है, तो इसकी संरचना क्या है।	विभागीय पदोन्नति समिति में सम्मिलित है– 1. वरिष्ठ उप महालेखाकार अथवा उप महालेखाकार अथवा प्रशासनिक समूह समकक्ष दर्जे का कोई अधिकारी।
14	वे परिस्थितियाँ, जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना है।	लागू नहीं

(प्राधिकारः– जी.एस.आर. 230 वित्त मत्रालय, व्यय विभाग नई दिल्ली 9 अगस्त 2011 द्वारा भारत का राजपत्र अगस्त 13, 2011/SRAVANA 22, 1933 (भाग –।।, उप भाग – 3 (1) द्वारा सी.ए. जी. ई–मेल क्र. 334 ए आई.एस.विग/24–2014 दिनाँक– 13 मार्च 2015)

7.1.1 (i)(ब) – **न्यूनतम योग्यता की अनिवार्यता एवं प्रभाव** :–

1. नव नियुक्त मल्टी टास्किंग स्टाफ जो हाईस्कूल पास नहीं है उसको अपनी नियुक्ति के दो वर्ष के अन्दर न्यूनतम योग्यता हाईस्कूल प्राप्त करनी होगी।

2. यदि नव नियुक्ति मल्टी टास्किंग स्टाफ भी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी नही हुई तो वे पे बैन्ड 4440–7440 के अंतर्गत किसी भी वेतनमान के योग्य नहीं होगें।

(प्राधिकारः– नि.एवं.म.ले.प. परिपत्र सं. 37 स्टाफ/2012 क्र. 820 स्टाफ (APP-II) 72-2012/ Vol-II दिनांक 20 सितंबर 2012)

7.1.1 (i)(स) – **नये मल्टी टास्किंग स्टाफ की नियुक्ति के संबंध में सेवा के विनिमयमन के लिये कुछ स्पष्टीकरण** :–

(i) परिणाम के प्रकाशन की दिनाँक से उन्हें वेतनमान–1 के अंतर्गत ग्रेड पे रू. 1800 के लिये अनुमति दी जा सकती है।

(ii) नव नियुक्त मल्टी टास्किंग स्टाफ जिसने हाईस्कूल की परीक्षा साक्षात्कार तथा नियुक्ति के मध्य में पास की हो उन्हें भी नियुक्ति की दिनांक से वेतनमान–1 ग्रेड पे रू. 1800 के लिये अनुमति

-

मिल जाती है। बशर्ते कि उन्होने हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण की हो।

(iii) सभी गैर हाईस्कूल पास मल्टी टास्किंग स्टाफ हाईस्कूल की परीक्षा पास करने के बाद ही वेतन वृद्वि के लाभार्थी होगे एवं नियमित वेतनमान – 1में ग्रेड पे रू. 1800 में रखे जायेगें। आगे जब तक वे वेतन – 1 में ग्रेड पे रू. 1800 में नही आते तब तक वे किसी भी नियमित अवकाश के हकदार नहीं होगें। केवल केद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम 1972 के नियम 33(3) के अन्तर्गत आने वाले अवकाश को छोडकर जो कि निम्न है–

(अ) चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर एक साल में एक महीने के बराबर अवकाश रहेगा जिसमें आधा वेतन मिलेगा।

(ब) नियम–32 के अंतर्गत आने वाला असाधारण अवकाश।

(iv) बहु कौशल प्रशिक्षणः– नव नियुक्त मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिये जिनकी शैक्षणिक योग्यता हाईस्कूल है तथा ज्यादातर वो जिन्होने दो साल के अन्दर हाईस्कूल पास नहीं की हो, उनके लिये जरूरी नहीं है। यदि वे ऐसा करने में विफल होते है तो सेवा से निष्कासित कर दिये जायेगें।

(v) नई पेंशन स्कीम गैर हाईस्कूल पास मल्टी टास्किंग स्टाफ को हाईस्कूल परीक्षा करने और ग्रेड पे रू. 1800 में आने की दिनाँक से प्रभाव में आयेगी।

(प्राधिकारः– नि.एवं.म.ले.प. परिपत्र क्र. 8–स्टाफ (नियुक्ति–I) 25–2010/के.डब्लू. दिनाँक 10 जनवरी 2012)

7.1.1 (i)(द):– **सम्मिलित ग्रेड (समूह–घ) का पदनाम बदलकर मल्टी टास्किंग स्टाफ करनाः**–

छठें वेतन आयोग की अनुशंसा पर समूह " घ " के पद जैसे–सफाई वाला, पानी वाला, चौकीदार, माली, फरास, चपरासी, वरिष्ठ चपरासी, दफतरी, कनिष्ठ गेस्टेनर चालक इत्यादि को पदोन्नत करके उन्हें वेतन मान–1 (रू. 5200–20200) में ग्रेड पे रू. 1800 में सम्मिलित कर दिया गया हैं। अभिलेख संग्राहक (समूह 'ग' पद) जो कि समूह (घ) से पदोन्नत होकर बनते हैं उनको भी समान ग्रेड पे 1800 रू. में सम्मिलित कर दिया गया। ये सभी पद समूह (ग) के गैर–राजपत्रित पद है।

छठवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुये तथा डी.ओ.पी.टी. के दिशा निर्देशों को घ्यान में रखते हुये सम्मिलित समूह को मल्टी टास्किंग स्टाफ का पदनाम दिया गया है।

मल्टी टास्किंग स्टाफ के कर्त्तव्यः–

1. अनुभाग/इकाई की सामान्य सफाई तथा देख– रेख।

2. भवन/कार्यालय की सफाई का कार्य।

3. कमरों की सफाई।

4. बिल्डिंग की सफाई।

-

5. देख–रेख सम्बंधी कार्य।

6. कमरों को खोलना और बन्द करना।

7. पार्क, लॉन व गमलों के पौधों की देख–रेख।

8. फर्नीचर इत्यादि की सफाई।

9. कार्यालय के अन्दर नत्थी व अन्य कागजात इधर–उधर ले जाना।

10. कार्यालय के बाहर डाक ले जाना।

11. अनुभाग के अभिलेखों का भौतिक रख रखाव।

12. अनुभाग/विभाग के अभिलेखों, नत्थियों व पंजियों को सिलना या जिल्द बनाना।

13. फोटो कॉपी करना, फैक्स भेजना इत्यादि।
14. अनुभाग/विभाग में अन्य गैर लिपिकीय कार्य।

15. कम्पयूटर पर कार्य सहित कार्यालय के दैनिक कार्य जैसे डायरी, पत्र भेजना, इत्यादि।

16. कार्यालय के उपकरणों का रख–रखाव। ऐसे उपकरणों को चलाने के लिये आवश्यक सहायता प्रदान करना।

17. वाहनों को चलाना, यदि उचित ड्राईविंग लाइसेंस हो तो।

18. उच्च अधिकारियों द्वारा प्रदत्त कोई दूसरे काम।

(प्राधिकारः– नि.एवं.म.ले.प. परिपत्र क्र. 18– NGE/2010, No. 717-NGE(App) 25-2010 दिनॉक 28 जून 2010)

7.1.1 (i)(य) **मल्टी टास्किंग स्टाफ की लिपिक ग्रेड पर पदोन्नतिः–**

1. जो दसवीं पास मल्टी टास्किंग स्टाफ तीन वर्ष की लगातार सेवा पूरा करते हुये अन्य वर्तमान भर्ती नियमों की आवश्यकताओं को भी पूरा करता है तो ऐसे कर्मचारियों द्वारा 5 प्रतिशत (वरीयता सह योग्यता के आधार पर) पद भरे जा सकते है।

2. 10 प्रतिशत (परीक्षा) कोटे में पदोन्नति के लिये शैक्षणिक योग्यता, बारहवीं या उसके समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्व विधालय से होनी चाहिए। दसवीं पास मल्टी टास्किंग स्टाफ सम्बन्ध में जो पहले ही विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित हुये है तथा कुछ पेपर में छूट प्राप्त की है, तो इस प्रकार से प्राप्त छूट का लाभ उनके भविष्य में परीक्षा में सम्मिलित होने के समय बढ़ाया जा सकता है जब वे बारहवीं तक शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर लेते है।

-

(प्राधिकारः– नि.एवं. म.ले.प. परिपत्र क्र. 878– स्टाफ(App-I) 15–2010 दिनाँक 21.10.2011)

7.1.1 (ii)(अ) **भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग (लेखा एवं हकदारी कार्यालय में लिपिक तथा लेखापरीक्षा कार्यालय में लिपिक) भर्ती नियम, 2014:** –

राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के परंतुक (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुये तथा भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग, लिपिक भर्ती नियम 1988 के नियमों को रखने अथवा हटाये जाने को देखते हुए उनका अधिक्रमण करते हुए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से परामर्श के बाद भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिक के पद हेतु भर्ती की पद्वति को विनियमित करने हेतु एतद द्वारा निम्नांकित नियम बनाते है, नामतः

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं आरम्भ् –

(1). ये नियम भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग (लेखा एवं हकदारी कार्यालयों में लिपिक तथा लेखापरीक्षा कार्यालयों में लिपिक) भर्ती नियम – 2014 कहलायेगें।

(2). ये कर्यालयीन राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आवेदन :– ये नियम उन पदों पर लागू होंगे जो स्तम्भ (1) में संलग्न नियमों में दर्शाए गये है।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमानः– पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण एवं उनसे सम्बद्व वेतनमान वैसे ही होंगे जैसा कि इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 तक में निर्दिष्ट किये गये है।

4. भर्ती की पद्वति, आयु सीमा, योग्यताऐं इत्यादिः–
भर्ती की पद्वति, आयु सीमा, योग्यताऐं तथा कथित पदो से संबंधित अन्य विषय वैसे ही होंगे जैसे कि कथित अनुसूचित के कॉलम (5) से (13) तक में निर्दिष्ट किये गये है1

5. अयोग्यताऐं– वह व्यक्ति

(क) किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा जिसने विवाह का अनुबंध किया हो जिसका एक जीवित पति/पत्नी हो, अथवा

(ख) जिसका एक जीवित पति/पत्नी हो और किसी व्यक्ति से विवाह अथवा विवाह का अनुबन्ध कर चुका हो–कथित पद पर नियुक्ति हेतु पात्र नही होगा।

परंतु यदि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक इस बात से संतुष्ट हो कि इस प्रकार विवाह उस व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष के लिये लागू होने वाले व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमति योग्य है, और यह कि ऐसा करने के लिये अन्य आधार भी है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रभाव से छूट दे सकते है।

-

6. शिथिल करने हेतु शक्तिः— जब भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की यह धारणा हो कि ऐसा करना युक्ति संगत अथवा आवश्यक है, तो वह व्यक्तियों के किसी भी वर्ग अथवा श्रेणी से सम्बन्धित इन नियमों के लिये आदेश द्वारा ऐसा कर सकते है।

7. **बचावः**— इन नियमों में से कुछ भी, भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में नियुक्त व्यक्तियों को लागू होने वाले सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, भूतपूर्व सैनिको तथा व्यक्तियों के अन्य विशिष्ट वर्गो के लिये उपलब्ध कराये जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में शिथिलता एवं अन्य रियायतो को प्रभावित नहीं करेगा।

अनुसूची

1	पद का नाम	लिपिक (लेखापरीक्षा कार्यालय में)
2	पदों की संख्या	2833* (2014)* कार्यभार पर निर्भर फेर बदल की शर्त पर।
3	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित लिपिक वर्गीय।
4	पे बैंड एवं ग्रेड वेतन	पे बैंड –1 रूपयें(रू. 5200 – 20200) + ग्रेड पे रू. 1900
5	क्या प्रवरण पद है अथवा अप्रवरण पद है।	अप्रवरण
6	सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा	18 एवं 27 वर्ष के बीच (केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशानुसार सरकारी कर्मचारी को 40 वर्ष तक आयु सीमा मे छूट)टिप्पणी– आयु सीमा निर्धारित करने के लिये निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित की जायेगी। (यदि भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नहीं होती तो आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख प्रतिवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख होगी।
7	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएँ	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविधालय से बारहवीं अथवा इसके समकक्ष। 2. कंप्यूटर पर 35 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी में टकंण गति तथा 30 शब्द प्रति मिनट हिन्दी में। (35 शब्द प्रति मिनट तथा 30 शब्द प्रति मिनट क्रमशः 10500 तथा 9000 बटन प्रति घण्टे दबाने के बराबर होते है। औसतन 5 बटन प्रति शब्द दबाना।)
8	क्या सीधी भर्ती के लिये निर्धारित आयु तथा शैक्षषिक योग्यताऐं, पदोन्नत व्यक्तियों के लिये लागू होगे।	हाँ, जैसा कि कालम (10) में इगिंत है।
9	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो	दो वर्ष
10	भर्ती की पद्वति –सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा, अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तर	(i) 85% कर्मचारी चयन आयोग के सीधी भर्ती द्वारा। (ii) 10% पद समूह "ग" के वेतनमान 1800 के स्टाफ द्वारा

-

	द्वारा, और विभिन्न पद्वतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	भरे जायेगें जो 12वीं या सतकक्ष योग्यता प्राप्त कर चुके हो तथा उसी ग्रेड में लगातार तीन वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हो तथा विभागीय अर्हता परीक्षा द्वारा। इस परीक्षा के लिये अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 50 वर्ष) होगी। टिप्ण्णी– यदि कलॉज (2) में उपलब्ध रिक्तियों से ज्यादा कर्मचारी परीक्षा में पास होते है। ऐसे ज्यादा पास होने वाले कर्मचारी आगे वाले वर्षो में रिक्त पदों के लिये विचारधीन होगे। ताकि पहले परीक्षा पास करने वाले कमचारियो पर बाद में परीक्षा पास करने वाले कर्मचारियों से पहले विचार हो सकें। (iii) 5% रिक्तियाँ वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर वेतनमान रू.1800 में आने वाले समूह "ग" के कर्मचारियों द्वारा भरी जायेगीं जो बारहवीं या समकक्ष योग्यता प्राप्त कर चुका हो तथा इस ग्रेड में लगातार तीन वर्ष की सेवा पूरी कर चुका हो।
11	पदोन्नत/प्रतिनियुक्ति/ समामेलन वर्गो द्वारा भर्ती के मामले में, कौन सी पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतर से भर्ती की जानी है।	पदोन्नति : (i) 10% पद समूह "ग" के वेतनमान रू. वेतनमान रू.1800 के स्टाफ द्वारा भरे जायेगें जो 12वीं या समकक्ष योग्यता प्राप्त कर चुके हो तथा उसी ग्रेड़ में लगातार 3 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हों तथा विभागीय परीक्षा द्वारा इस परीक्षा के लिये अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष (अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिये 50 वर्ष) होगी। टिप्पणी – यदि क्लॉज (1) में उपलब्ध रिक्तियों से ज्यादा कर्मचारी परीक्षा में पास होते है। ऐसे ज्यादा पास होने वाले कर्मचारी आगे आने वाले वर्षों में रिक्त पदों के लिए विचारधीन होगें। ताकि पहले परीक्षा पास करने वाले कर्मचारियों पर बाद में परीक्षा पास करने वाले से पहले विचार हो सकें। (ii) 5% रिक्तियाँ वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर वेतनमान रू. 1800 में आने वाले समूह "ग" के कर्मचारियों द्वारा भरी जायेंगी प्राप्त कर जो 12वीं या समकक्ष योग्यता प्राप्त कर चुका हो तथा उस ग्रेड में लगातार तीन वर्ष की सेवा पूरी कर चुका हो।
12	यदि विभागीय पदोन्नति सीमित अस्तित्व में है, तो इसकी संरचना क्या है।	समूह "ग" विभागीय पदोन्नति समिति में सम्मिलित है। 1. प्रशासन के प्रभारी, वरिष्ठ उप महालेखाकार अथवा उप महालेखाकार अथवा समकक्ष दर्जे का कोई अधिकारी। (अध्यक्ष) 2. जिस कार्यालय में पदोन्नतियाँ विचारधीन है उसके अतिरिक्त अन्य किसी कार्यालय के कोई अन्य वरिष्ठ उप महालेखाकार अथवा उप महालेखाकार अथवा समकक्ष दर्जे

-

		का कोई अधिकारी। (सदस्य) 3. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी (सदस्य)।
13	वे परिस्थितियाँ, जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना है।	लागू नही

लिपिक के लिये टंकण परीक्षा पास करना अनिवार्य है। लिपिक (कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीधे भर्ती लिपिक को छोड़कर) जो टंकण परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होते है उन्हें कोई भी वेतन वृद्वि नही मिलेगी और ना ही वो लेखापरीक्षक/लेखापाल के पद पर पदोन्नति के पात्र होगें। इसके अलावा लिपिक जो कि टंकण परीक्षा पास नही करते हैं वे विभागीय परीक्षाऐं, जैसे SAS, DEA इत्यादि जिन्हें पास करने पर पदोन्नति मिलती है, में बैठने के पात्र भी नहीं होगें।

इसलिए लिपिक जिन्होंने कम्प्यूटर पर टंकण (कौशल) परीक्षा पास कर ली है अथवा जिन्हें निर्धारित प्रक्रिया द्वारा उस परीक्षा में छूट प्राप्त हैं, केवल वे ही वेतन वृद्धि, पुष्टिकरण, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति के एवं SAS, DEA जैसी विभागीय परीक्षाए, जिनके पास करने पर पदोन्नति मिलती हैं, के हकदार होंगे।

(प्राधिकारः– जी.एस.आर. 114 वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग नई दिल्ली 3 जून 2014, भारत का राजपत्र जनू 7, 2014/JYAISTHA 17,1936(भाग–II–सेक्शन. 3(i))देखें नि.म.ले.प. सरकुलर न. 37–स्टाफ (APP-I) 2014 वाइड न. 961 – स्टाफ (App-I)/15–2010 दिनाँक 14.10.2014)

7.1.1(iii)(क) **भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में "लेखापरीक्षक" के पद के लिये भर्ती नियमः–**

1.(1) ये नियम भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग (लेखापरीक्षक) भर्ती (संशोधन) नियम, 2000 कहलाऐंगें।

(2) ये नियम कार्यालीन राजपत्र में प्रकाशन की दिनाँक से प्रभाव में आयेगें।

2. भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग (लेखापरीक्षक) भर्ती नियम 1988 की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रभाव में रहेगी, नामत :–

अनुसूची

1	पद का नाम	लेखापरीक्षक
2	पदों की संख्या	3586(2000) कार्यभार पर निर्भर फेर बदल की शर्त पर।
3	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित मंत्रालयीन
4	वेतनमान	वेतनमान–1 – रूपयें (रू. 5200 – 20200) + ग्रेड पे रू. 2800(छठें वेतन आयोग के अनुसार)
5	क्या प्रवरण पद है अथवा	अप्रवरण

-

	अप्रवरण पद है।	
6	क्या के.सि.से.(पेन्शन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत सेवा मे जोडे गये वर्षों का लाभ स्वीकार्य है।	नहीं।
7	सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा	18 एवं 27 वर्ष के बीच टिप्पणी–आयु सीमा निर्धारित करने के लिये निर्णायक तारीख वही होगी, जो भर्ती करने वाले प्राधिकारी द्वारा विज्ञापित की जायेगी।
8	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएँ	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय से स्नातक की डिग्री।
9	क्या सीधी भर्ती के लिये निर्धारित आयु तथा शैक्षणिक योग्यताऐं, पदोन्नत व्यक्तियों के लिये लागू होगे।	लागू नहीं
10	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष
11	भर्ती की पद्वति –सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा, अथवा प्रतिनियुक्ति/समामेलन द्वारा, और विभिन्न पद्वतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	50% पदोन्नति के द्वारा, जिसके असफल होने पर सीधी भर्ती तथा 50% सीधी भर्ती द्वारा
12	पदोन्नत/ प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतर वर्गो द्वारा भर्ती के मामले में, कौन सी पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/स्थानांतर से भर्ती की जानी है।	पदोन्नति –(क) 40% रिक्तियाँ लिपिक की वरिष्ठता के आधार पर भरी जायेंगी जो कि उसी ग्रेड में लगातार पाँच साल की सेवा पूरी कर चुका हों। बशर्ते कि उसे अयोग्यता के आधार पर निरस्त न किया जाए। (ख) 10% रिक्तियाँ निम्नलिखित कर्मचारियों की पदोन्नति से भरी जायेंगी। (i) अनुभाग अधिकारी ग्रेड परीक्षा के प्रथम भाग को उत्तीर्ण करने पर लिपिक द्वारा। (ii) ऐसे स्नातक लिपिक द्वारा जो उस ग्रेड में लगातार तीन साल की सेवा पूरी कर चुके हो तथा लेखापरीक्षक के लिये विभागीय परीक्षा पास कर चुके हो। (iii) स्नातकीय समूह 'घ' (अब एम.टी.एस.) कर्मचारियों द्वारा जो उस ग्रेड में लगातार तीन साल की सेवा पूरी कर चुका हो तथा लेखा परीक्षक के लिये विभागीय परीक्षा पास कर चुका हो। (परीक्षा पास करने वाले कर्मचारियो का क्रम उनकी वरिष्ठता के आधार पर होगा। जो कर्मचारी पहले परीक्षा पास करेगा उसका क्रम बाद में परीक्षा पास करने वाले कर्मचारी से पहले होगा। समूह (घ) के कर्मचारी समान बैच के लिपिक से नीचे रखे जायेगें।) टिप्पणी–1. सीधे भर्ती नवनियुक्त तथा वरिष्ठता के आधार

-

		पर पदोन्नत किये गये लिपिक को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा दिये गये अवसरों में विभागीय परीक्षा पास करनी अनिवार्य है। इसमें फेल होने पर नवनियुक्त सेवामुक्त होकर दिये जायेगें एवं वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नत वाले, लिपिक श्रेणी में पदावनत हो जायेंगे। (2) जो रिक्तियाँ प्रतिनियुक्ति पर, लंबी बीमारी पर, अध्ययन अवकाश पर या किसी अन्य परिस्थिति में एक या एक से अधिक वर्ष के लिये खाली होती है तथा जिनको सीधी भर्ती द्वारा भरा जाता है, उन्हें प्रतिनियुक्ति के आधार पर भी भरा जा सकता है। (क) विभाग के अन्य कार्यालय के लेखापाल या लेखापरीक्षक द्वारा । या (ख) विभाग के अन्य कार्यालय के लिपिक जो कि पॉच साल की लगातार सेवा पूरी कर चुका हो तथा लेखापाल या लेखापरीक्षक के लिये विभागीय परीक्षा पास कर चुका हो, या (ग) केद्र सरकार के किसी अन्य लेखा विभाग में समान पद धारण किये कोई कर्मचारी। (प्रतिनियुक्ति का समय, केद्र सरकार के किसी अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति के तुरन्त बाद किसी अन्य पद पर प्रतिनियुक्ति के समय को मिलाकर तीन वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। प्रतिनियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा प्रतिवेदन प्राप्ति की आखिरी तारीख पर 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।) (3) यदि किसी अधिकारी पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति के लिये विचार किया जाता है तो – (क) उससे वरिष्ठ जितने भी कर्मचारी है उन पर विचार किया जायेगा। हालांकि उन्होनें प्रदायक संवर्ग में प्रोन्नति के लिये आवश्यक अर्हता प्राप्त न की हो बशर्ते कि उन्होने सेवा के लिये आवश्यक अर्हता की आधी सेवा या दो वर्ष जो भी कम हो, की सेवा पूरी कर ली हो। 4. चूँकि लेखापरीक्षक संवर्ग व प्रदायम संवर्ग पूरे विभाग के लिये केद्रक नही है तो विभाग के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रत्येंक संवर्ग के लियें ये नियम लागू हैं। वर्ग (क), (ख)(ii) एवं (ख)(iii) में दिये गये सेवा के लिये आवश्यक वर्ष सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय के संगत प्रदायक संवर्ग में होने चाहिए।
13	यदि विभागीय पदोन्नति समिति अस्तित्व में है, तो इसकी संरचना क्या है।	विभागीय पदोन्नति समिति में सम्मिलित है। 1. प्रशासन के प्रभारी, वरिष्ठ उप महालेखाकार अथवा उप महालेखाकार अथवा समकक्ष दर्जे का कोई अधिकारी । 2. जिस कार्यालय में पदोन्नतियाँ विचारधीन है उसके अतिरिक्त अन्य किसी कार्यालय के कोई अन्य वरिष्ठ उप महालेखाकार अथवा उप महालेखाकार अथवा समकक्ष दर्जे का कोई अधिकारी।

-

		3. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी। (टिप्पणी– (1) व (2) में से जो भी वरिष्ठ होगा वो अध्यक्ष होगा।)
14	वे परिस्थितियाँ, जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना है।	लागू नहीं

(प्राधिकारः– जी.एस.आर. 84 दिनाँक 24 फरवरी 2000 vide नि.म.ले.प. परिपत्र संख्या NGE/25/2000 न.72 NGE (App)/40–99 दिनाँक 31.05.2000 भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग (लेखा परीक्षक) भर्ती (संशोधन) नियम 2008, भारतीय राजपत्र के भाग–II अनुभाग 3(1)दिनाँक 20.09.2008 में प्रकाशित अंग्रेजी संस्करण vide वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) अधिसूचना न.G.S.R. 174 दिनाँक 17 अगस्त 2008 vide नि.म.ले.प. सरकूलर न. NGE/06/2009 न. 62-NGE(APP.)34-2008 दिनाँक 23.01.2009)

7.1.1(iii)(ख) लेखापरीक्षक पद पर पदोन्नति के लिये अधीनस्थ लेखा/लेखापरीक्षा सेवा के लिये योग्यताः–

अधीनस्थ लेखापरीक्षा सेवा समूह–1 को पास करने वाले लिपिक ही लेखापरीक्षक पद पर पदोन्नति के योग्य होगें।

(प्राधिकारः– नि.म.ले.प. ई–मेल न. 152 स्टाफ (App- I)32–2005 दिनाँक 25.02.2011)

7.1.1(iv)(क) **भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयो में भर्ती स्टाफ कार चालक, 'Dispatch rider', स्टाफ कार चालक विशेष ग्रेड पदों पर भर्ती नियमः–**

भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के उपबंध क्रमांक (5) द्वारा निहित शाक्तियों का उपयोग करते हुये, राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से परामर्श के बाद भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में (स्टाफ कार चालक व Dispatch rider) भर्ती नियम 1988 को विनियमित करने के लिये निम्नांकित नियम बनाते है।

1.(1) ये नियम भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग (स्टाफ कार चालक व Dispatch rider) भर्ती (संशोधन) नियम, 2000 कहलायेंगे।

(2) ये नियम कार्यालीन राजपत्र में प्रकाशन की दिनाँक से लागू होगें।

2. भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग (स्टाफ कार चालक व Dispatch rider) भर्ती नियम 1988 निम्नलिखित नियमों से स्थानांतरित होगें, नामतः–

-

अनुसूची

1	पद का नाम	**Dispatch rider**
2	पदों की संख्या	04(2000) कार्यभर पर निर्भर फेर बदल की शर्त पर।
3	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह (ग) अराजपत्रित मन्त्रालयीन
4	वेतनमान	वेतनमान –1 रूपयें(रू. 5200 – 20200) + ग्रेड पे रू. 1900(छठें वेतन आयोग के अनुसार)
5	क्या प्रवरण पद है अथवा अप्रवरण पद है।	लागू नही
6	क्या के.सि.से.(पेन्शन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत सेवा मे जोड़े गये वर्षो का लाभ स्वीकार्य है।	नहीं ।
7	सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा	25 वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशानुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये आयु में 35 वर्ष तक छूट) टिप्पणी– आयु सीमा निर्धारित करने के लिये निर्णायक तारीख वही होगी, जो भारत में आवेदक से आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख होगी। (अण्डमान निकोबार व लक्षदीप द्वीप समूह को छोडकर)। यदि भर्ती रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती है तो आयु सीमा निर्धारित करने के लिये निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय नाम जमा करने के लिये कहता है।
8	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएँ	**आवश्यक** 1. मोटर साइकिल या ऑटो रिक्शा के लिये वैध चालक अनुज्ञप्ति (ड्राइविंग लाइसेंस) का होना। 2. मोटर साइकिल व ऑटो रिक्शा की कियाविधि के बारे जानकारी (वाहनों में छोटी–मोटी त्रुटि को सुधारना आना चाहिए।) 3. मोटर साईकिल या ऑटो रिक्शा चलाने का कम से कम दो साल का अनुभव। 4. यातायात के नियमों के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। 5. अग्रेजी, हिंदी या उस क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा, जिसमें वह संस्था स्थित है, को पढने के योग्य होना चाहिए। **वांछनीयः–** 1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 8वीं पास। 2. होमगार्ड/नागरिक सुरक्षा स्वय सेवक में तीन साल की सेवा पूर्ण कर चुका हो। **टिप्पणीः** यदि चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर ऐसा लगता है कि रिक्तियों को भरने के लिये आवश्यक अनुभव के साथ पर्याप्त प्रत्याशी नहीं है तो अनुसूचित जाति या

-

		अनुसूचित जनजाति के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी के द्वारा अनुभव से संबंधित योग्यता में छूट दी जा सकती है।
9	क्या सीधी भर्ती के लिये निर्धारित आयु तथा शैक्षणिक योग्यताऐं, पदोन्नत व्यक्तियों के लिये लागू होगे।	लागू नही
10	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो	दो वर्ष
11	भर्ती की पद्वति –सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा, अथवा प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा, और विभिन्न पद्वतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	समामेलन द्वारा, उससे पूर्ति न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा/पुनः रोजगार द्वारा एवं उससे भी पूर्ति न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।
12	पदोन्नत/ प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तर वर्गो द्वारा भर्ती के मामले में, कौन सी पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/समामेलन से भर्ती की जानी है।	समावेशनः– संस्था में समूह "घ" के उन कर्मचारियों में योग्यता आकने के लिये ड्राइविंग टेस्ट के आधार पर (जिसने पद भरे जाने है।) जिनके पास ऑटो रिक्शा/ मोटर साईकिल के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस है। भूतपूर्व सैनिकों के लियें प्रतिनियुक्ति/पुनर्रोजगारः– सेना के जवान जो कि एक वर्ष के अंदर सेवानिवृत्त या स्थानांतरित होने वाले है तथा जिनको कालम(8) में दियें अनुसार आवश्यक योग्यता व अनुभव प्राप्त है तो उन्हें सेना से मुक्ति के दिनाँक तक प्रतिनियुक्ति पर रखा जा सकता है। इसके बाद उन्हें केद्र सरकार के किसी संस्था या विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त वाले पद पर प्रतिनियुक्ति पर रखा जा सकता है। (तीन वर्ष से अधिक नही।)
13	यदि विभागीय पदोन्नति समिति अस्तित्व में है, तो इसकी संरचना क्या है।	विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचार के लियें) में सम्मिलित है। 1. प्रशासन के प्रभारी, वरिष्ठ उप महालेखाकार अथवा उप महालेखाकार अथवा समकक्ष दर्जे का कोई अधिकारी । 2. जिस कार्यालय में पुष्टीकरण विचाराधीन है उसके अतिरिक्त अन्य किसी कार्यालय के कोई अन्य वरिष्ठ उप महालेखाकार अथवा उप महालेखाकार अथवा समकक्ष दर्जे का कोई अधिकारी। 3. लेखापरीक्षा अधिकारी।
14	वे परिस्थितियाँ, जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना है।	लागू नही

-

अनुसूची

1	पद का नाम	स्टाफ कार चालक (सामान्य वर्ग)
2	पदों की संख्या	39 (2002) कार्यभार पर निर्भर फेर बदल की शर्त पर।
3	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित मंत्रालयीन
4	वेतनमान	वेतनमान –1 रूपयें (रू. 5200 – 20200) + ग्रेड पे रू. 1900 (छठें वेतन आयोग के अनुसार)
5	क्या चयन योग्यता के आधार पर या वरीयता के आधार पर है या अप्रवरण पद है।	लागू नही
6	क्या के.सि.से.(पेन्शन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत सेवा मे जोड़े गये वर्षों का लाभ स्वीकार्य है।	नहीं ।
7	सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा	25 वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशानुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये आयु में 35 वर्ष तक छूट) टिप्पणी– आयु सीमा निर्धारित करने के लिये निर्णायक तारीख वही होगी, जो भारत में आवेदक से आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख होगी। (अण्डमान निकोबार व लक्षदीप द्वीप समूह को छोडकर)। यदि भर्ती रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती है तो आयु सीमा निर्धारित करने के लिये निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय नाम जमा करने के लिये कहता है।
8	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएँ	**आवश्यक** 1. मोटर साइकिल या ऑटो रिक्शा के लिये वैध चालक अनुज्ञप्ति (ड्राइविंग लाइसेंस) का होना। 2. मोटर साइकिल व ऑटो रिक्शा की क्रियाविधि के बारे जानकारी (वाहनों में छोटी–मोटी त्रुटि को सुधारना आना चाहिए।) 3. मोटर साईकिल या ऑटो रिक्शा चलाने का कम से कम दो साल का अनुभव। 4. यातायात के नियमों के बारे में पूरा जानकार होना चाहिए। 5. अंग्रेजी, हिंदी या उस क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा, जिसमें वह संस्था स्थित है, को पढने के योग्य होना चाहिए। **वांछनीयः–** 1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 8वीं पास। 2. होमगार्ड/नागरिक सुरक्षा स्वंय सेवक के रूप में तीन साल की सेवा पूर्ण कर चुका हो। **टिप्पणीः** यदि चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर ऐसा लगता है कि रिक्तियों को भरने के लिये आवश्यक अनुभव

-

		के साथ पर्याप्त प्रत्याशी नहीं है तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी के द्वारा अनुभव से सम्बन्धित योग्यता में छूट दी जा सकती है।
9	क्या सीधी भर्ती के लिये निर्धारित आयु तथा शैक्षणिक योग्यताऐं, पदोन्नत व्यक्तियों के लिये लागू होगे।	लागू नही
10	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो	दो वर्ष
11	भर्ती की पद्वति –सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा, अथवा प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा, और विभिन्न पद्वतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	समामेलन द्वारा, उससे पूर्ति न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा/पुनः रोजगार द्वारा एवं उससे भी पूर्ति न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।
12	पदोन्नत/प्रतिनियुक्ति/ समामेलन वर्गो द्वारा भर्ती के मामले में, कौन सी पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/समामेलन से भर्ती की जानी है।	समावेशनः– संस्था में समूह "घ" के उन कर्मचारियों में योग्यता आँकने के लिये ड्राइविंग टेस्ट के आधार पर (जितने पद भरे जाने है।) जिनके पास ऑटो रिक्शा/मोटर साईकिल के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस है। भूतपूर्व सैनिकों के लियें प्रतिनियुक्ति/पुनर्रोजगारः– सेना के जवान जो कि सेवानिवृत्त हो चुके है या स्थानांतरित हुये है तथा जिनको कालम(8) में दियें अनुसार आवश्यक योग्यता व अनुभव प्राप्त है तो उन्हें सेना से मुक्ति की दिनाँक तक प्रतिनियुक्ति पर रखा जा सकता है। इसके बाद उन्हें केंद्र सरकार के किसी संस्था या विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पहले वाले पद पर प्रतिनियुक्ति का समय तीन वर्ष से अधिक नहीं होगा।
13	यदि विभागीय पदोन्नति समिति अस्तित्व में है, तो इसकी संरचना क्या है।	विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचार के लियें) में सम्मिलित है। 1. प्रशासन के प्रभारी, वरिष्ठ उप महालेखाकार अथवा उप महालेखाकार अथवा समकक्ष दर्जे का कोई अधिकारी । 2. जिस कार्यालय में पुष्टीकरण विचाराधीन है उसके अतिरिक्त अन्य किसी कार्यालय के कोई अन्य वरिष्ठ उप महालेखाकार अथवा उप महालेखाकार अथवा समकक्ष दर्जे का कोई अधिकारी। 3. लेखापरीक्षा अधिकारी। टिप्पणी– (1) या (2) में से जो वरिष्ठ है वह अध्यक्ष होगा।
14	वे परिस्थितियाँ, जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना है।	लागू नही

अनुसूची

1	पद का नाम	स्टाफ कार चालक वर्ग –2 स्टाफ कार चालक वर्ग - 2
2	पदों की संख्या	38* *(2002) कार्यभार पर निर्भर फेर बदल की शर्त पर। 44* *(2002) कार्यभार पर निर्भर फेर बदल की शर्त पर।
3	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित मत्रालीन। सामान्य केंद्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित मत्रालीन।
4	वेतनमान	वेतनमान –1 रूपयें (रू. 5200 – 20200) + ग्रेड पे रू. 2400 (छठें वेतन आयोग के अनुसार) वेतनमान –1 रूपयें (रू. 5200 – 20200) + ग्रेड पे रू. 2800 (छठें वेतन आयोग के अनुसार)
5	क्या चयन योग्यता के आधार पर या वरीयता के आधार पर है या अप्रवरण पद है।	लागू नहीं
6	क्या के.सि.से.(पेन्शन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत सेवा मे जोडे गये वर्षो का लाभ स्वीकार्य है।	लागू नहीं
7	सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा	लागू नहीं
8	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएँ	लागू नहीं
9	क्या सीधी भर्ती के लिये निर्धारित आयु तथा शैक्षणिक योग्यताऐं, पदोन्नत व्यक्तियों के लिये लागू होगे।	लागू नहीं
10	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो	लागू नहीं
11	भर्ती की पद्वति –सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा, अथवा प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा, और विभिन्न पद्वतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति द्वारा पदोन्नति द्वारा
12	पदोन्नत/ प्रतिनियुक्ति/ समावेशन वर्गो द्वारा भर्ती	पदोन्नतिः उपयुक्त स्तर की ट्रेड परीक्षा पास करने पर तथा इस वर्ग में लगातार नौ वर्ष की सेवा पूरी करने पर स्टाफ

-

	के मामले में, कौन सी पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समामेलन से भर्ती की जानी है।	कार चालक सामान्य वर्ग पर पदोन्नति। पदोन्नतिः उपरोक्त
13	यदि विभागीय पदोन्नति समिति अस्तित्व में है, तो इसकी संरचना क्या है।	विभागीय पदोन्नति समिति में सम्मिलित है। 1. सहायक नियंत्रक महालेखाकार (एन)– अध्यक्ष 2. वरिष्ठ उप महालेखाकार / उप महालेखाकार के दर्जे का कोई अधिकारी (भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग को छोडकर) सदस्य 3.वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के दर्जे का कोई अधिकारी (सदस्य)
14	वे परिस्थितियाँ, जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना है।	लागू नहीं

(प्राधिकारः– G.S.R. 449 वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली 31 अक्टूबर, 2000 vide भारत का राजपत्र नवम्बर 18, 2000 / KARTIKA 27,1922 [भाग–II अनुभाग 3(1)] vide नि.म.ले.प. ई–मेल न. 334–आई.एस.विग / 24–2014 दिनॉक 13 मार्च 2015 और G.S.R.100 वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली 15 फरवरी, 2002 vide भारत का राजपत्र 30 मार्च 2002 / CHAITRA 9,1924 [भाग–II, अनुभाग 3(i))

7.1.1(iv)(ख) **भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में "स्टाफ कार चालक विशेष वर्ग " पद के लिये भर्ती नियमः–**

G.S.R.100 - राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से परामर्श के बाद भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में (स्टाफ कार चालक व डिस्पैच राइडर) भर्ती नियम 1988 को और संशोधित के लिये निम्नांकित नियम बनातें हैं। नामतः–

1.(1) ये नियम भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग (स्टाफ कार चालक व डिस्पैच राइडर) भर्ती (संशोधन) नियम 2002 कहलायेगें।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग (स्टाफ कार चालक व सवार हरकारा) भर्ती नियम 1988 की अनुसूची के स्तम्भ (2) में –

(अ) स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी) के पदों से संबंधित "57 (2000)" के स्थान पर "39 (2002)" प्रविष्टि की जाएगी।

-

(ब) स्टाफ कार चालक श्रेणी–II के पद से संबंधित ''26(2000)'' के स्थान पर '' 38 (2002)'' प्रविष्टि रखी जाएगी।

(स) स्टाफ कार चालक श्रेणी–I के पद से संबंधित ''20 (2000)'' के स्थान पर ''44 (2002)'' प्रविष्टि की जाएगी।

3. स्टाफ कार चालक श्रेणी–I के पद से संबंधित क्रम सं 4 और प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रमांक व प्रविष्टियॉ अंतः स्थापित की जाएगी। नामतः–

अनुसूची

1	पद का नाम	स्टाफ कार चालक विशेष श्रेणी
2	पदों की संख्या	6* (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय।
4	वेतनमान	वेतनमान –2 रूपयें (रू. 9300 – 34800) + ग्रेड पे रू. 4200 (छठें वेतन आयोग के अनुसार)
5	चयन सह वरिष्ठता योग्यता अथवा के आधार पर चयन अथवा अप्रवरण पद।	लगू नहीं होता
6	सीधी भर्ती किए जाने व्यक्तियों के लिये आयु सीमा	लागू नहीं होता
7	क्या के.सि.से.(पेन्शन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत सेवा मे जोडे गये वर्षों का लाभ स्वीकार्य है।	लागू नहीं होता
8	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएँ	लागू नहीं होता
9	क्या सीधी भर्ती के लिये निर्धारित आयु तथा शैक्षणिक योग्यताऐं, पदोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं।	लागू नहीं होता
10	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो	लागू नहीं होता
11	भर्ती की पद्वति –सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा, अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा, और विभिन्न पद्वतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति द्वारा
12	पदोन्नति /प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां	पदोन्नति – ऐसे स्टाफ कार चालक श्रेणी –1 जिन्होने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है ।

-

	जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाऐगा।	
13	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	विभागीय पदोन्नति समिति जिनमें निम्नांकित होंगे :– 1. सहायक नियंत्रक महालेखाकार – अध्यक्ष 2. भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के किसी अन्य कार्यालय से वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार के दर्जे का कोई अधिकारी– सदस्य 3.वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के दर्जे का कोई अधिकारी –सदस्य
14	वे परिस्थितियाँ, जिनमें भर्तीयाँ करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जायेगा।	लागू नहीं होता

(प्राधिकारः – G.S.R. 100 वित्त मंत्रालय व्यय विभाग, नई दिल्ली 15 फरवरी 2002,vide भारत का राजपत्र मार्च 30, 2002/चैत्र 9, 1924 [भाग–II अनुभाग –3(i)] vide नि.म.ले.प. ई.मेल न. 334– आई.एस.विग/24–2014 दिनांक 13 मार्च 2015)

7.1.1(v) भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में वरिष्ठ अनुवादक के पद के लिये भर्ती नियमः–

राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुये और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से परामर्श के बाद भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में वरिष्ठ अनुवादक के पद पर भर्ती की पद्वति का विनियमन करने के लिए निम्नांकित नियम बनाते है – नामतः–

1. संक्षिप्त नाम एवं आरम्भ –

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग (वरिष्ठ अनुवादक) भर्ती नियम 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगें।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमानः– उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वैसे ही होगें जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम (2) से कालम (4) में निर्दिष्ट किये गयें है।

3. भर्ती की पद्वति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताऐं इत्यादिः– उक्त पदों पर भर्ती की पद्वति, आयु सीमा, योग्यताऐं तथा उनसे सम्बन्धित अन्य विषय वैसे ही होगें जो उक्त अनुसूची के कालम (5) से कालम (14) में निर्दिष्ट किये गये है।

4. अपात्रताः– वह व्यक्ति, –

(अ) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसका पति/पत्नी जीवित है, या

(ब) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

-

परंतु यदि केंद्रीय्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि इस प्रकार का विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के अन्य पक्ष का लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमति योग्य है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार है तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रभाव से छूट दे सकेगी।

5. छूट देने की शक्तिः– जहां भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की यह धारणा है कि ऐसा करना युक्ति संगत अथवा आवश्यक है, तो वह व्यक्तियों के किसी भी वर्ग अथवा श्रेंणी से संबंधित इन नियमों के लिये आदेश द्वारा तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों में छूट दे सकते है।

6. बचावः– इन नियमों की कोई बात, आरक्षण, आयु सीमा में शिथिलता एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका करेगासे कुछ भी, को लागू होने वाले सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशानुसार, भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में नियुक्त व्यक्तियों पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्वे सैनिकों तथा अन्य विशिष्ट वर्गो के व्यक्तियों के उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

1	पद का नाम	**वरिष्ठ अनुवादक**
2	पदों की संख्या	30* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3	वर्गीकरण	साधारण केंद्रीय सेवा समूह "ख" अराजपत्रित अनुसचिवीय।
4	वेतनमान	वेतनमान –II रूपयें (रू. 9300 – 34800) + ग्रेड पे रू. 4600 (छठें वेतन आयोग के अनुसार)
5	चयन अथवा अचयन पद है।	अचयन
6	सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशानुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये आयु में 05 वर्ष तक छूट) टिप्पणी– आयु सीमा निर्धारित करने के लिये निर्णायक तारीख वही होगी, जो भारत में आवेदक से आवेदन प्राप्त करने की नियत की गई अन्तिम तारीख होगी ना की वह तारीख जो (असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मनीपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर का लद्दाक संभाग, लाहौल व स्पीटी जिला, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले का उपसंभाग पान्गी, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह व लक्ष्यदीप के अभ्यिर्थियों के लिए विहित की गई है।)
7	सेवा में जोडे गए वर्षो का लाभ के.सि.से.(पेन्शन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत स्वीकार्य है या नहीं।	लागू नहीं होता

-

8	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिये शैक्षणिक और अन्य योग्यताएँ।	आवश्यकः– (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय से हिंदी/अंग्रेजी में परास्नातक की डिग्री अंग्रेजी/हिंदी आवश्यक/चयनित विषय के साथ या डिग्री स्तर पर जो भी परीक्षा का माध्यम हों। **या** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी/अंग्रेजी माध्यम में हिंदी/अंग्रेजी को छोडकर किसी अन्य विषय में परास्नातक की डिग्री तथा हिंदी/अंग्रेजी, आवश्यक/चयनित विषय हो या डिग्री स्तर पर परीक्षा का जो भी माध्यम है। **या** हिंदी/अंग्रेजी छोडकर किसी अन्य विषय में हिंदी और अग्रेजी आवश्यक/ चयनित विषय के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से परास्नातक की डिग्री या इन दोनों में से कोई परीक्षा के माध्यम के रूप में और दूसरा डिग्री स्तर पर एक आवश्यक/चयनित विषय के रूप में होना चाहिए। और (ii) हिंदी से अंग्रेजी और इसके विलोमत ? अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा/प्रमाण पत्र पाठयक्रम या भारत सरकार के उपक्रम केंद्र/राज्य सरकार के कार्यालयों में हिंदी से अंग्रेजी और इसके विलोमतः अनुवाद कार्य में दो साल का अनुभव। **टिप्पणी 1**:– यदि अभ्यर्थी सुशिक्षित है तो कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेक से योग्यता में छूट दी जा सकती हैं। **टिप्पणी 2**:– यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है तो कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेक से अनुभव से संबंधित योग्यता में छूट का प्रावधान है यदि चयन के किसी भी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी को यह लगता है कि इन संप्रदायों के अभ्यर्थी, उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए आवश्यक अनुभव के साथ पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं।
9	क्या सीधी भर्ती के लिये निर्धारित आयु तथा शैक्षणिक योग्यताऐं, पदोन्नत व्यक्तियों के लिये लागू होगे।	लागू नहीं होता
10	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो	सीधी भर्ती व पदोन्नतों के लिये दो वर्ष
11	भर्ती की पद्वति –सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा, अथवा प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा, और विभिन्न पद्वतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति द्वारा, उसके द्वारा पूर्ति न होने पर प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा, दोनों से भी पूर्ति न होने पर सीधी भर्ती द्वारा

-

12	पदोन्नत / प्रतिनियुक्ति / समावेशन वर्गो द्वारा भर्ती के मामले में, कौन सी पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन से भर्ती की जानी है।	**पदोन्नतिः** तीन वर्ष लगातार सेवा करने पर कनिष्ठ अनुवादक की पदोन्नति वेतनमान रू. 5000–150–8000 में। **टिप्पणीः** जहाँ कनिष्ठ, जो कि अपनी अर्हता सेवा पूरी कर चुके है, वे पदोन्नति के लिये विचाराधीन है, उनमें वरिष्ठों पर भी विचार किया जायेगा बशर्ते कि उनकी आवश्यक योग्यता या अर्हता सेवा की आधी आवश्यक योग्यता या अर्हता सेवा या दो वर्ष जो भी कम हो, मे कमी न रह गयी हो तथा अपने कनिष्ठों के साथ, जो कि पहले की ही योग्यता या अर्हता सेवा पूरी कर चुके है, अगले उच्च वर्ग में प्रोन्नति के लिये अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर चुका हो। **प्रतिनियुक्ति** – **(अ)** केंद्र सरकार के अधिकारी – (i) नियमित तौर पर मूल संवर्ग या विभाग में समान पद धारण किये हुये या (ii) नियुक्ति के पश्चात नियमित तौर पर मूल संवर्ग या विभाग में वेतनमान 5000–150–8000 रू. या समान वेतनमान पर लगातार तीन वर्ष की सेवा, और **(ब)** स्तम्भ 8 में निर्धारित सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक योग्यता और अनुभव प्राप्त करना। प्रदायक / फीडन श्रेणी में विभागीय अधिकारी जिनकी पदोन्नति होने वाली है, उन्हें प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए मान्य नहीं किया जाऐगा साथ ही, जो प्रतिनियुक्ति पर ही हैं उन्हें पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए मान्य नहीं किया जायेगा। (प्रतिनियुक्ति की अवधि इस नियुक्ति से तुरन्त पहले, केंद्र सरकार के किसी विभाग / संस्था में बाह्यसंवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि को शामिल करके सामान्तः 3 वर्ष से अधिक नही होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु प्रतिवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।)
13	यदि विभागीय पदोन्नति समिति अस्तित्व में है, तो इसकी संरचना क्या है।	विभागीय पदोन्नति समिति में सम्मिलित है। 1. प्रधान महालेखाकार / महालेखाकार या सम्बन्धित कार्यालय से समकक्ष दर्जे का कोई अधिकारी। (**अध्यक्ष**) 2. वरिष्ठ उप महालेखाकार / उप महालेखाकार या प्रशासनिक वर्ग के समकक्ष दर्जे का कोई अधिकारी (**सदस्य**) 3.अन्य वरिष्ठ उप महालेखाकार / उप महालेखाकार या समकक्ष दर्जे का कोई अधिकारी (जिस कार्यालय मे प्रोन्नति विचाराधीन है उसके अतिरिक्त अन्य किसी कार्यालय से) – **सदस्य**
14	वे परिस्थितियाँ, जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना है।	जब किसी भर्ती नियम के प्रावधान में संशोधन / छूट देनी हो तो संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

-

(प्राधिकारः– G.S.R. 294 वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग नई दिल्ली 24 अगस्त,2004,vide भारत का राजपत्र सितम्बर 4,2004/BHADRA 13/1926 [भाग II– अनुभाग –3(i)] vide नि.म.ले. प. परिपत्र संख्या NGE/43/2005 No.393-NGE (App) /61- 98 दिनांक 20.06.2005, नि.म.ले. प. का आदेश क्रमांक 959 – 6 PC/ GE-II / 93-2009 दिनांक 4 अगस्त 2009)

7.1.1 (vi) **भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में कनिष्ठ अनुवादक पद के लिये भर्ती नियमः–**

भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के पद क्रमांक (5) द्वारा निहित शक्तियों का उपयोग करते हुये, राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से परामर्श के बाद भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में कनिष्ठ अनुवादक के पद हेतु भर्ती की पद्वति को विनियमित करने हेतु एतद द्वारा निम्नांकित नियम बनाते है, अर्थातः–

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं आरम्भः–

(1) ये नियम भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग (कनिष्ठ अनुवादक) भर्ती नियम 2000 कहलायेगें।
(2) ये कार्यालयीन राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभाव में आयेगें।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमानः– कथित पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण एवं उनसें सम्बद्व वेतनमान वैसे ही होगे जैसा कि इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 तक में निर्दिष्ट किये गयें है।

3. भर्ती की पद्वति, आयु सीमा, योग्यताऐं इत्यादिः– भर्ती की पद्वति आयु सीमा, योग्यताऐं तथा कथित पदों से सम्बन्धित अन्य विषय वैसे ही होगें जैसा कि कथित अनुसूची के कालम 5 से 14 तक में निर्विष्ट किये गयें है।

4. अयोग्यताऐं – कोई भी व्यक्ति

(क) किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा जिसने विवाह का अनुबंध किया हो जिसका एक जीवित पति/पत्नी हो, अथवा
(ख) जो एक व्यक्ति पति/पत्नी रखता हो और किसी व्यक्ति से विवाह अथवा विवाह का अनुबंध कर चुका हो कथित पद पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक इस बात से संतुष्ट हो कि इस प्रकार विवाह उस व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष के लिये लागू होने वाले व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमति योग्य है। और यह कि ऐसा करने के लिये अन्य आधार भी है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रभाव से छूट दे सकते है।

5. शिथिल करने हेतु शक्तिः– जब भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की यह धारणा हो कि ऐसा करना युक्ति संगत अथवा आवश्यक है तो वह आदेश द्वारा और लिखित में दर्ज करने के कारणों से किसी भी वर्ग अथवा श्रेणी के व्यक्तियों के लिए इन नियमों के प्रावधानों में शिथिलता दे सकते हैं।

-

6. बचाव:– इन नियमों में से कुछ भी, भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में नियुक्त व्यक्तियों को लागू होने वाले सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा व्यक्तियों के अन्य विशिष्ट वर्गो के लिये उपलब्ध कराये जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में शिथिलता एवं अन्य रियायतों को प्रभावित नही करेगा।

अनुसूची

1	पद का नाम	**कनिष्ठ अनुवादक**
2	पदों की संख्या	103* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अनुसचिवीय
4	वेतनमान	वेतनमान–I रूपयें (रू. 9300 – 34800) + ग्रेड पे रू. 4200
5	प्रवरण पद है या अप्रवरण पद है।	अप्रवरण
6	क्या के.सि.से.(पेन्शन) नियम 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा मे जोडे गये वर्षो का लाभ स्वीकार्य है।	लागू नहीं होता
7	सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा	30 वर्ष से अधिक नहीं।
8	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएँ	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी/ अग्रेंजी में परास्नातक की डिग्री अंग्रेजी/हिंदी, आवश्यक/चयनित विषय के साथ या डिग्री स्तर पर जो भी परीक्षा का माध्यम हों। **या** हिंदी/अंग्रेजी छोडकर मुख्य विषय के साथ स्नातक की डिग्री (जो आवश्यक और चयनित शब्द को समाहित करता है।)
9	क्या सीधी भर्ती के लिये निर्धारित आयु तथा शैक्षणिक योग्यताऐं, पदोन्नत व्यक्तियों के लिये लागू होगे।	लागू नहीं होता
10	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो	सीधी भर्ती के लिये दो वर्ष
11	भर्ती की पद्वति –सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा, अथवा प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा, और विभिन्न पद्वतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा, दोनों से पूर्ति न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।
12	पदोन्नत/प्रतिनियुक्ति/समावेशन वर्गो द्वारा भर्ती के मामले में, कौन सी पदोन्नति/	प्रतिनियुक्ति/समावेशनः–भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग के अधिकारियों में से उनसे पूर्ति न होने पर उसी स्टेशन के केन्द्र शासित कार्यालयों से और इन दोनों से

	प्रतिनियुक्ति/समामेलन से भर्ती की जानी है।	भी पूर्ति न होने पर अन्य स्टेशन के केन्द्र शासित कार्यालयों से। (अ) (i) नियमित आधार पर समान पद धारण किये हुये। या (ii) 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ रू. 4000–6000 वेतनमान के पद पर या (iii) 13 वर्ष की नियमित सेवा के साथ रू. 3050– 4590 वेतनमान के पद पर। (ब) स्तम्भ 8 में दी गयी शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताओं को धारण किये हुए (प्रतिनियुक्ति की अवधि, इस नियुक्ति के तुरन्त पहले केद्र सरकार के किसी विभाग/संस्था में अन्य संवर्ग में प्रतिनियुक्ति की अवधि को मिलाकर तीन वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए। प्रतिनियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा प्रतिवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष ह्रोगी।)
13	यदि विभागीय पदोन्नति समिति अस्तित्व में है, तो इसकी संरचना क्या है ?	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पुष्टिकरण हेतु) में सम्मिलित है (ii) वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार या प्रशासनिक वर्ग का समकक्ष के दर्जे का कोई अधिकारी (ii) अन्य वरिष्ठ उप महालेखाकार/ उप महालेखाकार या भारतीय लेखापरीक्षा व लेखा विभाग के किसी अन्य कार्यालय का समकक्ष दर्जे का कोई अधिकारी (iii) एक वरिष्ठ लेखा अधिकारी/ वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ लेखा अधिकारी/ लेखापरीक्षा अधिकारी।
14	वे परिस्थितियाँ, जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना है।	लागू नहीं होता

(प्राधिकारः– G.S.R. 328 वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग नई दिल्ली 10 अगस्त,2000,vide भारत का राजपत्र अगस्त 26,2000/BHADRA 4, 1922 [भाग II–अनुभाग–3(i)] vide नि.म.ले.प. का ई.मेल न. 334– आई.एस.विग/24–2014 दिनांक 13.03.2015 और नि.म.ले.प. आदेश संख्या 959 – 6 PC/ GE-II / 93-2009 दिनांक 4 अगस्त 2009)

7.1.1(vii):– **भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में 'हिंदी अधिकारी' पद के लिये भर्ती नियमः–**

अनुसूची

1	पद का नाम	**हिंदी अधिकारी**
2	वर्गीकरण	समूह "ब" राजपत्रित/गैर–अनुसचिवीय।
3	वेतनमान	वेतनमान–II रूपयें (रू. 9300 – 34800) + ग्रेड पे रू. 4800 (6वें वेतन आयोग के अनुसार)
4	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक	**आवश्यकः**

-

	एवं अन्य योग्यताएँ	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में परास्नातक तथा डिग्री स्तर पर/अंग्रेजी एक विषय के रूप में, अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय से हिंदी/अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में, हिंदी/अंग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर हिंदी विषय के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में परास्नातक या समकक्ष डिग्री या डिग्री स्तर पर अंग्रेजी विषय तथा हिंदी माध्यम के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में परास्नातक या समकक्ष डिग्री या डिग्री स्तर पर हिंदी विषय तथा अंग्रेजी माध्यम के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय से परास्नातक या समकक्ष डिग्री (ii) हिंदी में परिभाषिक कार्य का 5 वर्ष का अनुभव और या अग्रेजी से हिंदी या हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य प्राथमिक रूप से तकनीकीय या वैज्ञानिक साहित्य और वित्त, बजट या प्राशासानिक मामलो से संबंधित। या हिंदी में पत्रकारिता, लेख, खोज या पढाने का पाँच वर्ष का अनुभव। वांछितः– (i) संस्कृत या एक आधुनिक भारतीय भाषा का ज्ञान। (ii) प्रशासनिक अनुभव (iii) टिप्पणन व मसौदा लेखन के लिए कार्यशाला अथवा हिंदी कक्षा संचालन करने का अनुभव
5	भर्ती की पद्धति	विभाग में उपलब्ध कनिष्ठ अनुवादक के 8 वर्ष तथा वरिष्ठ अनुवादक के 3 वर्ष की लगातार सेवा के बाद पदोन्नति द्वारा। इससे पूर्ती न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा या सीधी भर्ती द्वारा (संध लोक आयोग के माध्यम से जरूरत के अनुसार)
6	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण	केन्द्र/राज्य सरकार के अधिकारी– अ.(i) समान पद धारण किये हुए या (ii) वेतनमान रू. 1640–2900 (चौथे वेतन आयोग) या छठवें वेतन आयोग में समान वेतनमान और ग्रेड पे में तीन वर्ष की सेवा। (iii) वेतनमान रू. 1400–2300 (चौथे वेतन आयोग) या छठवें वेतन आयोग में समान वेतनमान और ग्रेड पे में 8 वर्ष की सेवा। (ब) सीधी भर्ती के लिये वर्णित शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव धारण करना।

-

7	परिवीक्षा की अवधि	सीधी भर्ती या पदोन्नति के मामले में दो साल।
8	विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना	महालेखाकार और महालेखाकार के समान रैंक वाले दो अन्य अधिकारियों के संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा नामित किया जाना। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, इस नियुक्ति के तुरन्त पहले केद्र सरकार के किसी विभाग/संस्था में अन्य संवर्ग में प्रतिनियुक्ति की अवधि को मिलाकर तीन वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए। प्रतिनियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा प्रतिवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष होगी।)
9	सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा	35 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्र सरकार द्वारा जारी किये गयें निर्देशानुसार सरकारी कर्मचारी के लिये 5 वर्ष की छूट) अन्य छूट इस विषय पर भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य आदेशानुसार।

(प्राधिकारः– नि.म.ले.प. आदेश सं. 672–N.III/21-91-भाग.II दिनांक 06.5.1991 और सं. 959– 6PC/GE-II/93-2009 दिनांक 4 अगस्त 2009).

7.1.1(viii)(अ)(i) **भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में आशुलिपिक के पद के लिये भर्ती नियमः–**

छठवें केंद्रीय वेतन आयोग के लागू होने पर आशुलिपिक वर्ग–II (रू. 5000–150–8000) तथा आशुलिपिक वर्ग–I (5500–175–9000) के पहले से संशोधित स्केल विलीन कर दिये गये और उनके स्थान पर एक समान वेतनमान–2 ग्रेड पे रू. 4200 कर दिया गया। पूर्वोक्त पदों को विलय करने के कारण ये पद निम्नलिखित पदनाम कर दिये गये

क्र.	संवर्ग	पांचवें वेतन आयोग के बाद वर्गीकरण	छठवाँ वेतन आयोग लगने के बाद वेतनमान		छठवें वेतन आयोग के बाद वर्गीकरण	संवर्ग का प्रस्तावित नया नाम
			वेतनमान	ग्रेड पे. (रू.)		
1	आशुलिपिक वर्ग–III	समूह 'ग'	वेतनमान–I (5200–20200)	2400	समूह 'ग'	आशुलिपिक
2	आशुलिपिक वर्ग–II	समूह 'ग'	वेतनमान–II (9300–34800)	4200	समूह 'ब' अराजपत्रित	निजी सहायक
3	आशुलिपिक वर्ग–I निजी सहायक	समूह 'ग'	वेतनमान–II (9300–34800)	4200	समूह 'ब' अराजपत्रित	निजी सहायक
4	व्यक्तिगत सहायक	समूह 'ब' राजपत्रित	वेतनमान–II (9300–34800)	4600	समूह 'ब' राजपत्रित	व्यक्तिगत सहायक
5	वरिष्ठ व्यक्तिगत सहायक	समूह 'ब' राजपत्रित	वेतनमान–II (9300–34800)	4800 (चार वर्ष की सेवा के बाद रू. 5400)	समूह 'ब' राजपत्रित	वरिष्ठ व्यक्तिगत सहायक

(प्राधिकारः–नि.म.ले.प. आदेश सं. 228–6 PC/GE-II/73-2009 दिनांक 09/02/2010)

-

(ii) **पुनः आशुलिपिक तथा निजी सहायक के पद निम्नलिखित रूप से पदनामित किये गये**

क	मौजूदा पदनाम	संशोधित पदनाम	वर्गीकरण	वेतनमान एवं ग्रेड वेतन
1	आशुलिपिक	आशुलिपिक वर्ग–II	समूह 'ग'	वेतनमान–1 (रू. 5200 – 20200) ग्रेड पे रू. 2400
2	निजी सहायक	आशुलिपिक वर्ग–I	समूह 'ब' अराजपत्रित	वेतनमान–2 (रू. 9300 – 34800) ग्रेड पे. रू. 4200

(प्राधिकारः– नि.म.ले.प. परिपत्र सं. 43 – स्टाफ (App-I) 2015 सं. 935 स्टाफ (App-I) 01–2012 दिनांक 16.11.2015)

7.1.1(viii)(ब) **भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में आशुलिपिक वर्ग–II के पद के लिये भर्ती नियमः–**

राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के पद खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से परामर्श के बाद भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग (**आशुलिपिक**) भर्ती नियम 1988 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में आशुलिपिक ग्रेड–2 के पद पर भर्ती की पद्वति को विनियमित करने हेतु निम्नाकिंत नियम बनाते है। अर्थात –

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं आरम्भः–

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग (आशुलिपिक वर्ग–II) भर्ती नियम 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होनाः– ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट पद को लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन या वेतनमानः– पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, फिर वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन या वेतनमान होगें। जो उक्त अनुसूचि के कॉलम (2) से कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्वति, आयु सीमा और योग्यताऐं इत्यादिः– भर्ती की पद्वति, आयु सीमा, योग्यताऐं तथा उनसे संबंधित अन्य विषय वे होगें जो उक्त अनुसूची के कालम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. अयोग्यताऐं– वह व्यक्ति–

(अ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

(ब) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है– उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक इस बात से संतुष्ट हों कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के अन्य पक्षकार को लागू व्यक्तिगत विधि के अन्तर्गत अनुज्ञेय है। और यह कि ऐसा करने के लिये अन्य आधार है– तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रर्वतन से छूट दे सकेगा।

6. शिथिल करने की शक्तिः– जहां भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की यह राय है कि ऐसा करना समीचीन है अथवा आवश्यक है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के उपबंध को किसी वर्ग अथवा प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत्, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा।

7. बचावः– इन नियमों की ऐसी कोई बात जो भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में नियुक्त व्यक्तियों पर लागू होती हो, आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

1	पद का नाम	आशुलिपिक वर्ग–II
2	पदों की संख्या	445*(2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित मंत्रालयीन।
4	वेतनमान	वेतनमान–1 रूपयें (रू. 5200 – 20200) + ग्रेड पे रू. 2400
5	प्रवरण पद है या अप्रवरण पद है।	लागू नहीं होता
6	सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा	18 और 27 वर्ष के बीच (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार सरकारी कर्मचारी के लिये आयु में 40 वर्ष तक छूट) **टिप्पणीः** आयु सीमा निर्धारित करने के लिये निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा रखी जायेगी।
7	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएँ	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से बारहवीं या समकक्ष परीक्षा पास। (ii) **कौशल परीक्षा मानक आलेख**– 10 मिनट @ 80 शब्द प्रति मिनट **प्रतिलेखनः** कम्प्यूटर में 50 मिनिट (अंग्रेजी), 65 मिनिट (हिंदी)
8	क्या सीधी भर्ती के लिये निर्धारित आयु तथा शैक्षणिक योग्यताऐं, पदोन्नत व्यक्तियों के लिये लागू होगे।	लागू नहीं होता

-

9	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो	दो वर्ष
10	भर्ती की पद्वति –सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा, अथवा प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा, और विभिन्न पद्वतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	**सीधी भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा।** टिप्पणी– जो रिक्तियाँ प्रतिनियुक्ति पर स्थानातरण द्वारा या लम्बी छूटटी या अध्ययन अवकाश या किसी अन्य परिस्थितिवंश एक या एक से अधिक वर्ष के लिये खाली होती है तो वे रिक्तियॉ भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के अन्य कार्यालयों के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा या केंद्रीय मंत्रालय में समान पद धारण किये हुये अधिकारियों द्वारा जो कि स्तम्भ (7) में निधार्रित शैक्षणिक योग्यतायें रखता हो, भरी जाऐंगी।
11	पदोन्नत/प्रतिनियुक्ति/ समावेशन वर्गो द्वारा भर्ती के मामले में, कौन सी पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तर से भर्ती की जानी है।	लागू नहीं होता
12	यदि विभागीय पदोन्नति समिति अस्तित्व में है, तो इसकी संरचना क्या है।	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पुष्टीकरण के लिये) में सम्मिलित है (i) वरिष्ठ उप महालेखाकार या निदेशक या उप महालेखाकार या उप निदेशक या प्रशासनिक समूह का समकक्ष दर्जे का कोई अधिकारी – अध्यक्ष (ii) वरिष्ठ उप महालेखाकार या निदेशक या उप महालेखाकार या उप निदेशक या समकक्ष दर्जे का कोई अधिकारी (जिस कार्यालय में पुष्टिकरण विचाराधीन है, उसे छोड़कर किसी अन्य कार्यालय से) – सदस्य (iii) वरिष्ठ लेखा अधिकारी/वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखा अधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी या समकक्ष दर्जे का कोई अधिकारी – सदस्य
13	वे परिस्थितियाँ, जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना है।	लागू नहीं होता

(प्राधिकारः– G.S.R.11 वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग नई दिल्ली, 8 जनवरी 2016 vide भारत का राजपत्र जनवरी 16, 2016/पौष 26,1937 (भाग–II अनुभाग 3(i) vide नि.म.ले.प. का परिपत्र सं. 07– स्टाफ (App-1)/2016 सं. 113– स्टाफ (App-1) 37–2011 दिनांक 25.01.2016)

-

7.1.1(viii)(स)(i) **आशुलिपिक और निजी सहायक पदों के बीच का अनुपातः**

छठवें केंद्रीय वेतन आयोग की अधिसूचना से पहले आशुलिपिक वर्ग–I, वर्ग–II और वर्ग–III के बीच क्रमशः 20% : 40% : 40% का अनुपात था। छठवें केंद्रीय वेतन आयोग में आशुलिपिक वर्ग II व वर्ग I को विलय कर दिया गया तथा इसको निजी सहायक के रूप में पुनः नामित किया गया है।

आशुलिपिक (भूतपूर्व आशुलिपिक वर्ग III) और निजी सहायक संवर्ग 50% : 50% के अनुपात में है। यदि अनुपात में संशोधन के कारण निजी सहायक वर्ग में, कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, स्वीकृत संख्या से ज्यादा हो जाती है तो अतिरिक्त कर्मचारी, अधिसंख्या पद सृजन कर समायोजित कर लिये जायेंगे जब तक कि स्थिति स्थिर न हो तथा अनुपात 50 प्रतिशत : 50 प्रतिशत प्राप्त हो। किन्तु, आशुलिपिक और निजी सहायक के सम्मिलित संवर्ग में अतिरिक्त पदों के सृजन के कारण कुल स्वीकृत पदों में बढोत्तरी परिकल्पित नहीं है। किसी कार्यालय संवर्ग में आशुलिपिक व निजी सहायक के पद के आबंटन का एक उदाहरण नीचे दिया गया हैः–

आशुलिपिक वर्ग–II (भूतपूर्व आशुलिपिक) और आशुलिपिक वर्ग–I (भूतपूर्व निजी सहायक) के बीच पदों का आवंटनः–

कुल पदों की संख्या	आशुलिपिक	निजी सहायक
1	1	––
2	1	1
3	2	1
4	2	2
5	3	2
6	3	3
7	4	3
8	4	4
9	5	4
10	5	5
11	6	5
12	6	6
13	7	6
14	7	7
15	8	7
16	8	8
17	9	8
18	9	9
19	10	9
20	10	10
21	11	10
22	11	11
23	12	11
24	12	12
25	13	12

-

26	13	13
27	14	13
28	14	14
29	15	14
30	15	15

7.1.1(viii)(स)(ii) **पदोन्नति का विनिमयनः–**

ऊपर दिये गये पदों के लिये पदोन्नति नीचे दिये गये दिशा– निर्देशों के द्वारा विनियमित होगीः–

(अ) आशुलिपिक वर्ग–II (भूतपूर्व आशुलिपिक) से आशुलिपिक वर्ग–I (भूतपूर्व निजी सहायक) –

आशुलिपिक वर्ग–II से आशुलिपिक वर्ग–I (भूतपूर्व निजी सहायक) की पदोन्नति के लिये आशुलिपिक वर्ग–II संवर्ग ग्रेड वेतन 2400 में 10 वर्ष की नियमित सेवा आवश्यक है। **पदोन्नति चयन के आधार पर होगी**।

पदोन्नत्ति के लिये न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से जिसे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गयी सेवा को छठवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित, अनुरूप ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गयी सेवा समझी जाएगी।

जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी योग्यता या पात्रता सेवा पूरी कर चुकें हैं, पदोन्नति का विचार किया जा रहा है, वहॉ उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जायेगा बशर्ते कि वे अपनी आवश्यक योग्यता सेवा, जो कि योग्यता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, पूरी कर चुके हो तथा अपने कनिष्ठों के साथ जोकि पहले ही अपनी योग्यता सेवा पूरी कर चुकें है, के साथ उच्च वर्ग पर पदोन्नति के लिये परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर चुके हो।

विभागीय पदोन्नति समिति संरचनाः –

समूह 'ब' विभागीय पदोन्नत समिति की संरचना निम्नानुसार होगीः–

(i) महानिदेशक/प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार/प्रधान निदेशक या समकक्ष दर्जे के अधिकारी की रैंक का संवर्ग नियंत्रण अधिकारी – अध्यक्ष

(ii) वरिष्ठ उप महालेखाकार/निदेशक/उप महालेखाकार/उप निदेशक या प्रशासनिक समूह के अधिकारी की रैंक का कोई अधिकारी – सदस्य

(iii) वरिष्ठ उप महालेखाकार/निदेशक/उप महालेखाकार/उप निदेशक या (उस कार्यालय के अतिरिक्त किसी कार्यालय का, जिसमें पदोन्नति विचाराधीन है) समकक्ष अधिकारी की रैंक का कोई अधिकारी – सदस्य

-

(ब) आशुलिपिक वर्ग–I (भूतपूर्व निजी सहायक) से निजी सचिवः–

निजी सहायक पद से निजी सचिव पद पर पदोन्नति के लिये निजी सहायक वेतनमान – 2 ग्रेड पे रू. 4200 पर पाँच वर्ष की निरन्तर सेवा योग्यता है। **पदोन्नति चयन के आधार पर होगी।**

पदोन्नति के लिये निम्नतम योग्यता सेवा की गणना के उद्देश्य से 1 जनवरी 2016 से पहले किसी अधिकारी द्वारा सेवा प्रतिपादित की जाये या उस दिनांक से जब से 6 वें केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुंशसा पर संशोधित वेतनमान बढ़ा है तो 6वें केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा पर आधारित सम्बन्धित वेतनमान पर सेवा पर विचार किया जायेंगा।

अधिकारी, जो 1 जनवरी 2006 को पूर्व संशोधित वेतनमान रू. 5500–9000 पर निरंतर रूप से पद धारण किये हुये थे वे ऐसे अधिकारियों से वरिष्ठ होगें जो पूर्व संशोधित वेतनमान रू. 5000–8000 पर पद धारण किये हुये है।

जहॉ कनिष्ठ, जो कि अपनी योग्यता या पात्रता सेवा पूरी कर चुकें है, पदोन्नति के विचारयोग्य है, वहीं उनमें वरिष्ठों पर भी विचार किया जायेगा बशर्ते कि वे अपनी आवश्यक योग्यता सेवा जो कि योग्यता सेवा की आधी या दो वर्ष, जो भी कम हो, पूरी कर चुकें हो, तथा अपने कनिष्ठों के साथ जो कि पहले ही अपनी योग्यता सेवा पूरी कर चुके हों, के साथ उच्चतर श्रेणी पर पदोन्नति के लिये परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर चुकें है।

(ग) निजी सचिव से वरिष्ठ निजी सचिवः–

निजी सचिव से वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर पदोन्नति के लिए योग्यता मानदण्ड निजी सचिव वर्ग में वेतनमान–2 तथा ग्रेड वेतन 4600 के साथ दो वर्ष की निरन्तर सेवा या निजी सहायक वर्ग में ग्रेड पे रू. 4200 के साथ निरन्तर 6 वर्ष की सेवा होगी। **पदोन्नति चयन के आधार पर होगी।**

पदोन्नति के लिये न्यूनतम योग्यता सेवा की संगणना के लिए 1 जनवरी 2006 से किसी अधिकारी द्वारा सेवा प्रतिपादित की जाये या उस दिनाँक से जब से 6 वें केंद्रीय वेतन आयोग की अनुंशसा पर संशोधित वेतनमान बढ़ा है तो 6 वें केंद्रीय वेतन आयोग की अनुंशसा पर आधारित वेतन बढ़ा है तो 6 वें केंद्रीय वेतन आयोग की अनुंशसा पर आधारित सम्बन्धित वेतनमान पर सेवा पर विचार किया जायेगा।

जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी योग्यता या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, पदोन्नति का विचार किया जा रहा है वहॉ उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा। बशर्ते उनके द्वारा की गयी ऐसी योग्यता सेवा, अपेक्षित योग्यता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने अपने एसे कनिष्ठों सहित, जिन्होने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पुरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नत्ति के लिए अपनी परिविक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

एक कार्यालय में दोनों पदों में से (व्यक्तिगत सहायक या वरिष्ठ व्यक्तिगत सहायक) एक पद समान समय पर कार्यात्मक/क्रियान्वित रहेगा। दूसरे शब्दों में किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय में

-

व्यक्तिगत सचिव से वरिष्ठ व्यक्तिगत सचिव के पद पर पदोन्नति की स्थिति में व्यक्तिगत सचिव का पद वरि. निजी सचिव के पद पर नियुक्ति होने तक गैर कार्यात्मक/गैर क्रियाशील रहेगा।

निजी सचिव तथा वरिष्ठ निजी सचिव के पद के लिये विभागीय पदोन्नति समिति की संरचनाः–

(i) महानिदेशक/प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार/प्रधान निदेशक या समकक्ष दर्जे के किसी अधिकारी की रैंक का संवर्ग नियंत्रित अधिकारी।

(ii) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा नामंकित किये गये महानिदेशक/प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार/प्रधान निदेशक या समकक्ष दर्जे के रैंक के दो अन्य अधिकारी।

(ऊपर दिये अधिकारियों मे से सबसे वरिष्ठ 'अध्यक्ष' होगा।)

(प्राधिकारः– नि.म.ले.प. परिपत्र क्र. 36 – स्टाफ (App -1)/16–2010 सं. 980– स्टाफ (App -1)16-2010 दिनांक 07.12.2011 एव परिपत्र क्र.43 स्टाफ (App -1)2015 सं. 935 स्टाफ (App -1)/01–2012 दिनांक 16.11.2015)

(घ) आशुलिपिक पद पर भर्ती सम्बन्धित –

(i) आशुलिपिक पद पर भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से होगी।

(ii) आशुलिपिक पद पर भर्ती के लिये सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी।

(प्राधिकारः– नि.म.ले.प. परिपत्र क्र. 35 स्टाफ (App -1)/2012 न. 919– स्टाफ (App -1)/37–2011 दिनांक 20.09.2012)

7.1.1.(ix) **भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में पर्यवेक्षक (लेखापरीक्षा) पद के लिये भर्ती नियमः–**

राष्ट्रपति, भारत के संविधान क अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से परामर्श के बाद भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में पर्यवेक्षक (लेखापरीक्षा) के पद पर भर्ती की पद्वति का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते है: अर्थात:-

1.(1) ये नियम भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग पर्यवेक्षक (लेखापरीक्षा) भर्ती नियम 2001 कहलायेगें।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को पवृत्त होंगें।

2. भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में पर्यवेक्षक (लेखापरीक्षा) भर्ती नियम 1990 की अनुसूची के लिये प्रतिस्थापित किया जायेगा। नामतः–

-

अनुसूची

1	पद का नाम	**पर्यवेक्षक (लेखापरीक्षा)**
2	पदों की संख्या	138* (2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ब' अराजपत्रित मंत्रालयीन।
4	वेतनमान	वेतनमान–1 रूपयें (रू. 9300 – 34800) + ग्रेड पे रू. 4800
5	प्रवरण पद है या अप्रवरण पद है।	वरिष्ठता के आधार पर
6	सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा	लागू नहीं होता
7	क्या के.सि.से.(पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत सेवा मे जोड़े गये वर्षों का लाभ स्वीकार्य है।	लागू नहीं होता
8	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएँ	लागू नहीं होता
9	क्या सीधी भर्ती के लिये निर्धारित आयु तथा शैक्षणिक योग्यताऐं, पदोन्नत व्यक्तियों के लिये लागू होगे।	लागू नहीं होता
10	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो	दो वर्ष
11	**भर्ती की पद्वति** –सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा, अथवा प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा, और विभिन्न पद्वतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति द्वारा, उसके द्वारा पूर्ति न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा
12	पदोन्नत/ प्रतिनियुक्ति/ समावेशन वर्गो द्वारा भर्ती के मामले में, कौन सी पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तर से भर्ती की जानी है।	**पदोन्नति**– वरिष्ठ लेखापरीक्षक वर्ग में निरंतर 3 वर्ष की सेवा के बाद। **टिप्पणीः** जहाँ कनिष्ठ, जो कि अपनी योग्यता सेवा पूरी कर चुके है, पदोन्नति के विचारयोग्य है, उनमें वरिष्ठों पर भी विचार किया जायेगा, बशर्ते कि वे अपनी आवश्यक योग्यता सेवा, जो कि योग्यता सेवा की आधी या दो वर्ष, जो भी कम हो, पूरी कर चुके हो तथा उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठों के साथ जो कि पहले ही अपनी योग्यता सेवा पूरी कर चुके हैं, के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में पदोन्नति के लिये परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर चुके हो। **प्रतिनियुक्तिः** भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग के अन्य लेखापरीक्षा कार्यालयों के अधिकारी –

-

		(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित रूप से समान पद धारण किये हुये, या (ii) वेतनमान रू. 5000–150–8000 पर नियमित रूप से तीन वर्ष तक वरिष्ठ लेखापरीक्षक का पद धारण करने के बाद। (ब) स्तम्भ (8) में सीधी भर्ती के लिये निर्धारित शैक्षणिक योग्यता व अनुभव लिए हुए। फीडर संवर्ग के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की कतार में है वह प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के विचार योग्य नहीं होग। ठीक वैसे ही प्रतिनियुक्ति वाला पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के विचार योग्य नहीं होगा। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, केंद्र सरकार के किसी अन्य संस्था/विभाग में इस नियुक्ति से पहले अन्य संवर्ग में धारण पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि को मिलाकर सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा प्रतिवेदन प्राप्त करने की दिनाँक को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।) **टिप्पणी**: चूंकि पर्यवेक्षक (लेखापरीक्षा) संवर्ग तथा वरिष्ठ लेखापरीक्षक संवर्ग पूरी विभाग के लिये केंद्रित नहीं है। ये नियम विभाग के सभी लेखापरीक्षा कार्यालयों में सभी संवर्ग के लिये लागू होगें।
13	यदि विभागीय पदोन्नति समिति अस्तित्व में है, तो इसकी संरचना क्या है।	समूह 'ब' विभागीय पदोन्नति समिति 1. प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार के दर्जे का संवर्ग नियंत्रक अधिकारी – **अध्यक्ष** 2. वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार या प्रशासनिक समूह के अधिकारी के दर्जे का अधिकारी – **सदस्य** 3. अध्यक्ष द्वारा नामित वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार के दर्जे का अधिकारी/ (जिस कार्यालय में पदोन्नति विचाराधीन है, उससे अलग किसी अन्य कार्यालय से) – **सदस्य**
14	वे परिस्थितियाँ, जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना है।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं हैं।

-

(प्राधिकारः– G.S.R. 552 वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग नई दिल्ली, 10 अगस्त 2000 vide भारत का राजपत्र, सितम्बर 21, 2001/अश्विन्य 14, 1923 (भाग – ।। अनुभाग 3(1) vide नि.म. ले.प. पत्र सं. 334– आई.एस.विग./24–2014 दिनांक 13 मार्च 2015 और नि.म.ले.प. पत्र सं. 1359– 6पी.सी./GE–II/135-2008 दिनांक 1 अक्टूबर 2008 (बिन्दू सं. 23 अनुलग्नक "A" में संदर्भित क्षेत्रीय कार्यालयों के स्पष्टीकरण पर जवाब) vide fax -315 दिनांक 6.10.2008)

7.1.1(x) **भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में समूह "ग" (इलैक्ट्रोनिक डेटा प्रोसैसिंग) पद के लिये भर्ती नियमः–**

भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के पद क्रमांक (5) द्वारा निहित शक्तियों का उपयोग करते हुये (चूकिं भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के अधिक्रमण से पहले समूह "ग" इलैक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसैसिंग पद डेटा ऐन्ट्री आपरेटर तथा कन्सोल आपरेटर से सम्बन्धित थे) राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से परामर्श के बाद भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में समूह "ग" में डेटा ऐन्ट्री आपरेटर के वर्ग (अ) तथा डेटा ऐन्ट्री आपरेटर वर्ग (ब) के पद हेतु भर्ती की पद्धति को विनियमित करने हेतु एतद निम्नांकित नियम बनाते है नामतः–

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं आरम्भ – (1) ये नियम भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग (समूह "ग" इलैक्ट्रोनिक डेटा प्रोसैसिंग पद) भर्ती नियम 2016 कहलायेंगें।

(2) ये कार्यलयीन राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभाव में आयेगें।

2. लागू होनाः– ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पद को लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमानः– पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतनमान वो जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताऐं इत्यादिः– भर्ती की पद्वति, आयु सीमा, योग्यताऐं तथा कथित पदों से सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (14इदह) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. अयोग्यताऐं – वह व्यक्ति, –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नि जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नि के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है– उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

-

परंतु यदि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक इस बात से सतुंष्ट हो कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष के लिये लागू होने वाले व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमति योग्य है, और यह कि ऐसा करने के लिये अन्य आधार भी है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

6. शिथिल करने कि शक्तिः— जहॉ भारत के नियंत्रक एंव महालेखापरीक्षक की यह राय है कि ऐसा करना समीचीन वहॉ उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखाबद्ध करके इन नियमों के उपबद्ध को किसी वर्ग अथवा श्रेणी के व्यक्तियों की बावत्, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा।

7. बचावः— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूठ और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में नियुक्त व्यक्तियों पर सरकार द्वारा इस संबंध में समय— समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिको तथा अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियो के लिये उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

1	पद का नाम	**डेटा ऐन्ट्री आपरेटर वर्ग 'अ'**
2	पदों की संख्या	2938* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' गैर – राजपत्रित, गैर मंत्रालयीन।
4	वेतनमान	वेतनमान–1 रूपयें (रू. 5200 – 20200) + ग्रेड पे रू. 2400
5	प्रवरण पद है या अप्रवरण पद है।	लागू नहीं।
6	सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा	18 व 27 वर्ष के बीच (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार सरकारी कर्मचारी को 40 वर्ष तक आयु में छूट) **टिप्पणीः** आयु सीमा निर्धारित करने के लिये निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित की जायेगी।
7	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएँ	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या समकक्ष से गणित विषय के साथ विज्ञान से बारहवी पास (ii) कम्प्यूटर पर डेटा ऐन्ट्री करने के लिये एक घण्टे में 15000 बटन दबाना।
8	क्या सीधी भर्ती के लिये निर्धारित आयु तथा शैक्षणिक योग्यताऐं, पदोन्नत व्यक्तियों के लिये लागू होगे।	लागू नहीं।
9	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो	दो वर्ष
10	भर्ती की पद्वति –सीधी भर्ती	कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती द्वारा।

-

	द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा, अथवा प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा, और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	**टिप्पणीः** जो रिक्तियाँ प्रतिनियुक्ति पर लम्बी, बीमारी पर , अध्ययन अवकाश पर या किसी अन्य परिस्थिति में एक या एक से अधिक वर्ष के लिये खाली होती है उन्हें भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग या किसी अन्य केन्द्रीय मत्रालय में कालम (7) में इंगित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता तथा निरन्तर रूप से समान पद धारण किये हुये अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के द्वारा भरी जा सकती है।
11	पदोन्नत/ प्रतिनियुक्ति/ समावेशन वर्गो द्वारा भर्ती के मामले में, कौन सी पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/स्थानांतर से भर्ती की जानी है।	लागू नहीं।
12	यदि विभागीय पदोन्नति समिति अस्तित्व में है, तो इसकी संरचना क्या है।	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति की सरंचना है– (i) वरिष्ठ उप महालेखाकार या निदेशक या उप महालेखाकार या उप निदेशक या प्रशासनिक समूह के दर्जे का अधिकारी – अध्यक्ष (ii) वरिष्ठ उप महालेखाकार या निदेशक या उप महालेखाकार या उप निदेशक या समान दर्जे का अधिकारी (उस कार्यालय को छोड़कर, जिसमें पुष्टीकरण विचाराधीन है)– सदस्य (iii) वरिष्ठ लेखा अधिकारी या वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी या लेखा अधिकारी या लेखापरीक्षा अधिकारी या समान दर्जे का अधिकारी – सदस्य
13	वे परिस्थितियाँ, जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना है।	लागू नहीं।

अनुसूची

1	पद का नाम	**डेटा ऐन्ट्री आपरेटर वर्ग 'ब'**
2	पदों की संख्या	507* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' गैर – राजपत्रित, मंत्रालयीन।
4	वेतनमान	वेतनमान – 1 रूपयें (रू. 5200 – 20200) + ग्रेड पे रू. 2800
5	प्रवरण पद है या अप्रवरण	लागू नहीं।

-

	पद है।	
6	सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा	18 व 27 वर्ष के बीच (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार सरकारी कर्मचारी को 40 वर्ष तक आयु में छूट) टिप्पणी– आयु सीमा निर्धारित करने के लिये निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित की जायेगी।
7	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएँ	(i) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन या DOEACC -A स्तर पर एक साल का डिप्लोमा के साथ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से गणित विषय के साथ विज्ञान मे बारहवीं और किसी मान्यता प्राप्त संस्था या स्वतत्र संस्था या सरकारी कार्यालय में EDP कार्य का दो वर्ष का अनुभव। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन/ इन्फोरमेशन टैक्नोलॉजी/कम्प्यूटर साइंस में स्नातक की डिग्री। (ii) कम्प्यूटर पर डेटा ऐन्ट्री कार्य के लिये एक घण्टें में कम से कम 15000 बटन दबाना। **टिप्पणी 1**– यदि कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम अधिकारी को लगता है कि अभ्यर्थी सुयोग्य है तो शैक्षणिक योग्यता में छूट दी जा सकती है। **टिप्पणी 2**–यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्ध रखता है तो कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम अधिकारी द्वारा अपने विवेक से सम्बन्धित योग्यता में छूट दी जाती है यदि प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम अधिकारी को यह लगता है कि इस श्रेणी से सम्बन्धित पर्याप्त अभ्यर्थी आवश्यक अनुभव के साथ उपलब्ध नहीं है।
8	क्या सीधी भर्ती के लिये निर्धारित आयु तथा शैक्षणिक योग्यताऐं, पदोन्नत व्यक्तियों के लिये लागू होगे।	लागू नहीं।
9	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो	दो वर्ष
10	भर्ती की पद्वति –सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा, अथवा प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा, और विभिन्न पद्वतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रतिनियुक्ति न होने पर पदोन्नति द्वारा व दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा
11	पदोन्नत/प्रतिनियुक्ति/	**पदोन्नति** – डेटा ऐन्ट्री आपरेटर वर्ग A वेतनमान 1 में

-

	समावेशन वर्गो द्वारा भर्ती के मामले में, कौन सी पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण से भर्ती बावत्।	ग्रेड पे रू. 2400 के साथ इस ग्रेड में लगातार 5 वर्ष की नियमित सेवा तथा समय – समय पर विभाग द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण में 2 सप्ताह सफलता पूर्वक पूरे किये हों। **टिप्पणी 1:** जहाँ कनिष्ठ, जोकि अपनी योग्यता सेवा पूरी कर चुके है, पदोन्नति के विचार योग्य है; वहीं उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जायेगा जो कि योग्यता सेवा भी आधी या दो वर्ष, जो भी कम हो, पूरी कर चुके हो तथा अपने कनिष्ठों के साथ जो कि पहले ही अपनी योग्यता सेवा पूरी कर चुके है, के साथ उच्चवर्ग पर पदोन्नति के लिये परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर चुके हो। **टिप्पणी 2:** पदोन्नति के लिये निम्नतम योग्यता सेवा की गणना के लिये 1 जनवरी 2016 से पहले किसी अधिकारी द्वारा सेवा प्रतिपादित की जाये या उस दिनांक से जब से 6 वें केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा पर संशोधित वेतन बढ़ा है तो 6 वें केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा पर आधारित सम्बन्धित वेतनमान पर सेवा पर विचार किया जायेगा। **प्रतिनियुक्ति** – केंद्र सरकार के अधिकारी – (क)(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित रूप से समान पद धारण किये हुये। या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतनमान – 1 रू. 5200–20200 तथा ग्रेड पे 2400 के साथ नियुक्ति के बाद निरंतर रूप से 5 वर्ष की सेवा। और (ख) स्तम्भ (7) में सीधी भर्ती के लिये निर्धारित शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव। **टिप्पणी–1:** फीडर संवर्ग में विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी कतार में है, वो प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के विचार योग्य नहीं होगें। समान रूप से प्रतिनियुक्ति पर आने वाले पदोन्नति पर नियुक्ति के विचार योग्य नहीं होगें। **टिप्पणी–2:** केंद्र सरकार के किसी समान या अलग विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले की प्रतिनियुक्ति की अवधि को मिलाकर इस प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत् 3 वर्ष से अधिक नही हो सकती। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति प्रतिवेदन प्राप्त करने की अंतिम दिनांक को 56 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। **टिप्पणी–3:** प्रतिनियुक्ति या समावेशन पर नियुक्ति के लिये 1 जनवरी 2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा सेवा

-

		प्रतिपादित की जाये या उस दिनांक से जब से 6 वें केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुंशसा पर संशोधित वेतन बढ़ा है तो वह सेवा तत्स्थानी ग्रेड वेतन में दी गई सेवा या जहाँ एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान में एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमान का एक वेतन में विलयन हुआ है के अलावा वेतन आयोग की अनुशंसा पर आधारित वेतनमान में दी गई सेवा समझी जाएगी और जहाँ यह लाभ केवल उन पदों के लिए होंगी जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य ग्रेड प्रतिस्थापन है।
12	यदि विभागीय पदोन्नति समिति अस्तित्व में है, तो इसकी संरचना–	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के लिये) में सम्मिलित है– (i) वरिष्ठ उप महालेखाकार या निदेशक या उप महालेखाकार या उप निदेशक या प्रशासनिक समूह के दर्जे का कोई अधिकारी – अध्यक्ष (ii) वरिष्ठ उप महालेखाकार या निदेशक या उप महालेखाकार या उप निदेशक या समान दर्जे का कोई अधिकारी (जिसमें पुष्टीकरण विचाराधीन है उस कार्यालय को छोडकर किसी अन्य कार्यालय से) सदस्य (iii) वरिष्ठ लेखा अधिकारी या वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी या लेखा अधिकारी या लेखापरीक्षा अधिकारी या समान दर्जे का कोई अधिकारी – सदस्य **समूह 'ग' विभागीय पुष्टीकरण समिति (सीधी भर्ती के पुष्टीकरण के लिये) में सम्मिलित है–** (i) वरिष्ठ उप महालेखाकार या निर्देशक या उप महालेखाकार या उप निदेशक या प्रशासनिक समूह का समान दर्जे का कोई अधिकारी – अध्यक्ष (ii) वरिष्ठ उप महालेखाकार या निदेशक या उप महालेखाकार या उप निदेशक या समान दर्जे का कोई अधिकारी (जिस कार्यालय में पुष्टीकरण विचारधीन है उसे छोडकर किसी अन्य कार्यालय में – सदस्य) (iii) वरिष्ठ लेखा अधिकारी या वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी या लेखा अधिकारी या लेखापरीक्षा अधिकारी या समकक्ष दर्जे का कोई अन्य अधिकारी – सदस्य।
13	वे परिस्थितियाँ, जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना है।	लागू नहीं होता।

-

(प्राधिकारः– G.S.R. 12 वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग नई दिल्ली, 13 जनवरी 2016 vide भारत का राजपत्र, जनवरी 16,2016 / पौष 26, 1937, (भाग–II अनुभाग 3(i) vide नि.म.ले.प. परिपत्र सं. 8 स्टाफ (App-1)/2016 सं. 132 स्टाफ (App-1) 11– 2014 दिनांक 27.01.2016)

7.1.1.(xi) **भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में 'सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी' पद के लिये भर्ती नियमः–**

राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा सेक्षन ऑफिसर (लेखापरीक्षा) भर्ती नियम, 1988 अनुभाग अधिकारी (वाणिज्यिक लेखापरीक्षा) भर्ती नियम 1988 सहायक लेखा अधिकारी तथा सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी भर्ती नियम 2001, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (वाणिज्यिक) भर्ती नियम 2001 का प्रयोग करते हुए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से परामर्श के बाद भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में सहायक लेखा अधिकारी तथा सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के पद हेतु भर्ती की पद्वति को विनियमित करते हुये निम्नांकित नियम बनाते है। नामतः–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं आरम्भः**– (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग (लेखा अधिकारी तथा सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी) भर्ती नियम 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से प्रभाव में आयेंगे।

2. लागू होना :–ये नियम, इन नियमों से उपबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, और वेतनमानः– पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, और वेतनमान वे होगें जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्वति, आयु सीमा और अर्हताएँ इत्यादिः– भर्ती की पद्वति, आयु सीमा, योग्यताएँ तथा उनसे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. अयोग्यताऐं– वह व्यक्तिः–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नि जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नि के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक इस बात से सहमत हो कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के अन्य पक्षकार को लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुज्ञेय है। और यह कि ऐसा करने के लिये अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

6. **शिथिल करने की शक्ति**– जहॉ भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की यह राय है कि ऐसा करना समीचीन है अथवा आवश्यक है, वहॉ वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके

-

इन नियमों के उपबंध को वर्ग अथवा प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत्, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा।

7. **व्यावृत्तिः**– इन नियमों में/की कोई ऐसी बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय – समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना उपेक्षित है।

अनुसूची

1	पद का नाम	**सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी**
2	पदों की संख्या	9483* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह "ब" राजपत्रित, गैर – मंत्रालयीन।
4	वेतनमान	वेतनमान – 2 (रू. 9300 – 34800) + ग्रेड पे रू. 4800
5	प्रवरण पद है या अप्रवरण पद है।	प्रवरण
6	सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा	तीस वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देश/आदेशानुसार सरकारी कर्मचारी को पाँच वर्ष तक की छूट) **टिप्पणीः** आयु सीमा निर्धारण की निर्णायक तारीख भारत में प्रतिवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख होगी (उन लोगों को छोडकर जो लोग असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मनीपुर, नागांलैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर का लददाख संभाग, लाहौल और सपीटी जिला, हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले के वान्मी सम्भाग, अण्डमान और निकोबार या लक्ष्यदीप में रहते हैं।)
7	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएँ	**आवश्यक** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय से बी.बी.ए.(वित्त) या सी.ए. या. आई. सी. डब्लू. ए. की स्नातक डिग्री। **टिप्पणी 1**– यदि संघ लोक सेवा आयोग को लगता है कि अभ्यर्थी सुयोग्य है तो शैक्षणिक योग्यता में छूट दी जा सकती है। **टिप्पणी 2** – चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग को लगता है कि रिक्त पदों को भरने के लिये आवश्यक अनुभव के साथ प्रचुर मात्रा मे अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता में छूट दी जा

-

		सकती है।
8	क्या सीधी भर्ती के लिये निर्धारित आयु तथा शैक्षणिक योग्यताऐं, पदोन्नत व्यक्तियों के लिये लागू होगे।	लागू नहीं।
9	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो	पदोन्नत और सीधी भर्ती के लिये दो वर्ष **टिप्पणी** – समूह (ब) पदोन्नत के लिये कोई परिवीक्षा अवधि नहीं।
10	भर्ती की पद्वति –सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा, अथवा प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा, और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति द्वारा, उससे न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा या समावेशन द्वारा और इन दोनों के द्वारा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पणी 1**– सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा द्वारा होगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा करायी जायेगी। **टिप्पणी 2** – सीधे भर्ती दो वर्ष की परिवीक्षा के लिये सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किये जायेगें। इस परिवीक्षा की अवधि के दौरान उनको सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर स्थायी नियुक्ति के लिये "अधीनस्थ लेखापरीक्षा सेवा" परीक्षा पास करनी होगी।
11	पदोन्नत/ प्रतिनियुक्ति/ समावेशन वर्गो द्वारा भर्ती के मामले में, कौन सी पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण से भर्ती की जानी है।	**पदोन्नतिः** विभागीय अभ्यर्थी जो कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कराये गये एस.ए.एस. परीक्षा में पास हुये है। **प्रतिनियुक्ति समावेशनः** (I) सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी या भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के किसी लेखापरीक्षा कार्यालय के अधीनस्थ लेखापरीक्षा सेवा परीक्षा पास किये हुये अधिकारी। इनमें द्वारा न होने पर। (II) सहायक लेखा अधिकारी या भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के किसी लेखा कार्यालय के अधीनस्थ लेखा अधिकारी सेवा परीक्षा पास किये हुये अधिकारी। इन दोनों के द्वारा न होने पर। (III) केंद्र सरकार के किसी भी लेखा या लेखापरीक्षा संस्था में किसी भी समकक्ष परीक्षा में पास स्टाफ। विभाग के फीडर संवर्ग में वे अधिकारी जो पदोन्नति की कतार में है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के विचार योग्य नहीं

-

		होगें। समान रूप से ही, प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारी पदोन्नति पर नियुक्ति के विचार योग्य नहीं होगें। केंद्र सरकार के किसी समान या अलग विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले की प्रतिनियुक्ति की अवधि को मिलाकर इस प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्तः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगीं। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति प्रतिवेदन प्राप्त करने की दिनांक को 56 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। **टिप्पणीः** प्रतिनियुक्ति या समावेशन पर नियुक्ति के लिये 1 जनवरी 2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा सेवा प्रतिपादित की जाये या उस दिनांक से जब से 6 वें केंद्रीय वेतन आयोग की अनुंशसा पर संशोधित वेतन बढ़ा है तो वह सेवा तत्स्थानी ग्रेड वेतन में दी गई सेवा या जहाँ एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान में एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमान का एक वेतन में विलयन हुआ है के अलावा वेतन आयोग की अनुशंसा पर आधारित वेतनमान में दी गई सेवा समझी जाएगी और जहाँ यह लाभ केवल उन पदों के लिए होंगी जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य ग्रेड प्रतिस्थापन है।
12	यदि विभागीय पदोन्नति समिति अस्तित्व में है, तो इसकी संरचना–	**पदोन्नति और पुष्टीकरण के लिये समूह (ब) की विभागीय पदोन्नति समिति की सरंचनाः–** 1. महानिदेशक या प्रधान महालेखाकार या महालेखाकार या प्रधान निदेशक के दर्जे का संवर्ग नियंत्रण अधिकारी। 2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नामित महानिदेशक या प्रधान महालेखाकार या महालेखाकार या प्रधान निदेशक के दर्जे के दो अन्य अधिकारी। (इनमें से वरिष्ठतम अधिकारी अध्यक्ष होगा।)
13	वे परिस्थितियाँ, जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना है।	सीधी भर्ती करते समय तथा किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति या समावेशन करने के लिये आयोग से परामर्श लेना आवश्यक है।

टिप्पणीः (1) अनुभाग अधिकारी (लेखापरीक्षा/लेखा) के लिये मुख्य नियम भारत के राजपत्र, भाग–II अनुभाग 3(i) दिनांक 19.3.1988 G.S.R. 172 और 173 दिनांक 12.02.1988 पेज पर 742–750 छपवाये गये थे। और शुद्धिपत्र दिनांक 15.6.1988 भारत के राजपत्र भाग–II अनुभाग 3 (i) दिनांक 2.07.1988 पेज पर 1993– 1994 vide G.S.R. 535 और 536,

(2) प्रथम संशोधन भारत के राजपत्र भाग–II, अनुभाग 3 (i) दिनांक 3.12.1994 G.S.R. 595 और 596 दिनांक 15.11.1994 पृष्ठ 2011-14 पर प्रकाशित हुआ था।

-

(3) द्वितीय संशोधन भारत के राजपत्र भाग–II अनुभाग 3 (i) दिनांक 10.8.2002 G.S.R. 305 और 306 दिनांक 24–7–2002 पृष्ठ 1632– 1643 और शुद्धिपत्र vide G.S.R. सं. 108 दिनांक 25.2. 2003 पेज 601 पर प्रकाशित हुयी थी।

(4) तीसरा संशोधन भारत के राजपत्र भाग–II अनुभाग 3 (i) Vide G.S.R. सं.117 और 118 दिनांक 22.8.2009 पेज 438–439 पर प्रकाशित हुयी थी।

(5) सहायक लेखा अधिकारी/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (वाणिज्यिक) के लिये नियम भारत के राजपत्र भाग–II, अनुभाग 3 (i) G.S.R. सं. 554 दिनांक 21.9.2001 और G.S.R. 556 दिनांक 21. 9.2001 को प्रकाशित हुये।

(प्राधिकारः– G.S.R. 18 वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग नई दिल्ली 10 जनवरी 2013 Vide भारत का राजपत्र जनवरी 12, 2013/पौस 22 1934 (भाग–II अनुभाग 3(i)) Vide नि.म.ले.प. ई.मेल. सं. 334– आई.एस.विग/24– 2014 दिनांक 13 मार्च 2015)

7.1.1(xii) **भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में "लेखापरीक्षा अधिकारी " पद के लिये भर्ती नियमः**– राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से परामर्श के बाद भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में (लेखा अधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी) समूह (ब) भर्ती की पद्वति को विनियमित करने हेतु निम्नांकित नियम बनाते हैं। नामतः–

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं आरम्भः–

(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग (लेखा अधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी) समूह "ब" भर्ती नियम (संशोधित) 2005 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभाव में आयेंगें।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान – पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्वति, आयु सीमा, अर्हताएँ इत्यादिः– भर्ती की पद्वति आयु सीमा, योग्यताओं से सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताऐं– वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नि जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नि के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।

-

बशर्ते कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के अन्य पक्षकारों को लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुज्ञेय है और यह कि ऐसा करने के लिये अन्य आधार है तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

5. **शिथिल करने की शक्तिः**– जहाँ भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की यह राय है कि ऐसा करना समीचीन है अथवा आवश्यक है, वहॉ वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के उपबन्ध को वर्ग अथवा प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत्, आदेश द्वारा तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों को शिथिल कर सकेगा।

6. **व्यावृत्तिः**– इन नियमों में/की कोई ऐसी बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय – समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

1	पद का नाम	लेखापरीक्षा अधिकारी
2	पदों की संख्या	9483* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "ब" राजपत्रित, गैर – मंत्रालयीन।
4	वेतनमान	रू. 7500 – 250–12000 (पॉचवें वेतन आयोग) वेतनमान – 1 (रू. 9300 – 34800) + ग्रेड पे रू. 5400 6वें वेतन आयोगानुसार
5	चयन	33 – 1/3 प्रतिशत पद मैरिट के आधार पर चयन 66 – 2/3 प्रतिशत पद बिना चयन किए हुए **टिप्पणीः** यदि भारत के नियंत्रक एंव महालेखापरीक्षक का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक है तो वह लिखित आदेशानुसार यह घोषणा कर सकते है कि पूर्व – संवर्ग पद 10 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगें। ऐसे पूर्व– संवर्ग पद पर नियुक्ति स्तम्भ 12 के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति के आधार पर होगी या किसी केद्र सरकार में वेतनमान रू. 6500– 10500 (पॉचवा वेतन आयोग) पर समान पद धारण किये हुये तथा लगातार 3 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले अधिकारी द्वारा या वेतनमान रू. 5500– 9000 (पॉचवा वेतन आयोग) पर लगातार 7 वर्ष की सेवा या भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सुनिश्चित योग्यता तथा अनुभव प्राप्त किये हुये अधिकारियों द्वारा इन पदों पर नियुक्ति होती है।
6	सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा	लागू नहीं होता।
7	क्या के.सि.से.(पेन्शन) नियम 1972 के नियम 30 के	लागू नहीं होता।

-

	अंतर्गत सेवा मे जोडे गये वर्षों का लाभ स्वीकार्य है।	
8	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएँ	लागू नहीं होता।
9	क्या सीधी भर्ती के लिये निर्धारित आयु तथा शैक्षणिक योग्यताऐं, पदोन्नत व्यक्तियों के लिये लागू होगे।	लागू नहीं होता।
10	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो	लागू नहीं होता।
11	भर्ती की पद्वति –सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा, अथवा प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा, और विभिन्न पद्वतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति के द्वारा व इसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा
12	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ समावेशन वर्गो द्वारा भर्ती के मामले में, कौन सी पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण से भर्ती की जानी है।	**पदोन्नति** – सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी और अनुभाग अधिकारी के पद पर 6 वर्ष की सेवा के बाद। **टिप्पणीः** जहाँ कनिष्ठ, जो कि अपनी योग्यता सेवा पूरी कर चुकें है, पदोन्नति के विचार योग्य हैं वही उनमें वरिष्ठों पर भी विचार किया जायेगा। बशर्ते कि वे अपनी आवश्यक योग्यता सेवा जो कि योग्यता सेवा की आधी या दो वर्ष, जो भी कम हो, पूरी कर चुके हो तथा अपने कनिष्ठों के साथ जो कि पहले ही अपनी योग्यता सेवा पूरी कर चुकें हो, के साथ उच्चवर्ग पर पदोन्नति के लिये परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर चुकें हैं। **प्रतिनियुक्तिः**– भारत सरकार के अंतर्गत समान कार्यालय में संवर्ग नियंत्रित कार्यालय का कोई अधिकारी। क.(i) लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखा अधिकारी के समान पद धारण किये हुयें। (ii) सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी/सहायक लेखा अधिकारी सहायक लेखा अधिकारी और अनुभाग अधिकारी (लेखापरीक्षा)/अनुभाग अधिकारी के पद पर संयुक्त रूप से लगातार 6 वर्ष की सेवा। फीडर संवर्ग में विभाग के वे अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी कतार में हैं वों प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के विचार योग्य नहीं होगें। समान रूप से प्रतिनियुक्ति पर आने वाले पदोन्नति पर नियुक्ति के विचार योग्य नहीं होगें। (केंद्र सरकार के किसी समान या अलग विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले की प्रतिनियुक्ति की अवधि को मिलाकर इस प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से

-

		अधिक नहीं हो सकती। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति आवेदन प्राप्त करने की दिनांक को 56 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती।)
13	यदि विभागीय पदोन्नति समिति अस्तित्व में है, तो इसकी संरचना क्या है।	**समूह 'ब' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार के लिये)** 1. प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार की रैंक का संवर्ग नियंत्रण अधिकारी। 2. भारत के नियंत्रक एंव महालेखापरीक्षक द्वारा महानिदेशक/प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार के दर्जे के नामित दो अन्य अधिकारी। (इनमें से वरिष्ठतम अध्यक्ष होगा।)
14	वे परिस्थितियाँ, जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना है।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

(प्राधिकारः— G.S.R. 270 वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग नई दिल्ली, 29 जुलाई 2005 vide भारत का राजपत्र अगस्त 13, 2005/ श्रावण 22 1927 (भाग—II अनुभाग 3(i) और G.S.R. 553 वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग नई दिल्ली, 21 सितंबर 2001 vide भारत का राजपत्र अक्टूबर 06, 2001/आश्विन 14 1923 (भाग—II अनुभाग 3(i) vide नि.म.ले.प. ई.मेल. सं. 334— आई.एस.विग/24— 2014 दिनांक 13 मार्च 2015)

7.1.1(xiii) भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में "लेखापरीक्षा अधिकारी (वाणिज्य)" के पद के लिये भर्ती नियमः—

भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के पद व्रमांक (5) द्वारा निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से परामर्श के बाद भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में लेखापरीक्षा अधिकारी (वाणिज्यि)) समूह "ब" के पद हेतु भर्ती की पद्वति को विनियमित करते हुये एतद द्वारा निम्नांकित नियम बनाते हैं। नामतः—

1. संक्षिप्त शीर्षक एंव आरम्भ —

(i) ये नियम भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग (लेखापरीक्षा अधिकारी (वाणिज्यि) समूह "ब" भर्ती नियम (संशोधित) 2005 कहलायेगें।

(ii) ये कार्यालयीन राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभाव में आयेगें।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमानः– कथित पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण एवं उनसे सम्बद्ध वेतनमान वैसे ही होगें जैसा कि इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम (2) से (4) तक में निर्दिष्ट किये गये हैं।

3. भर्ती की पद्वति, आयु सीमा तथा योग्यताऐं– भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, योग्यताऐं तथा कथित पदों से सम्बन्धित अन्य विषय वैसे ही होगें जैसा कि कथित अनुसूची के कॉलम (5) से (14) तक में निर्दिष्ट किये गये हैं।

4. अयोग्यताऐं– कोई भी व्यक्ति –

(क) किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा जिसने विवाह का अनुबन्ध किया हो जिसका एक जीवित पति/पत्नी हो अथवा

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी रखता हो और किसी व्यक्ति से विवाह अथवा विवाह का अनुबन्ध कर चुका हो, कथित पद पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।

बर्शते कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक इस बात से संतुष्ट हो कि इस प्रकार विवाह उस व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष के लिये लागू होने वाले व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमति योग्य है। और यह कि ऐसा करने के लिये अन्य आधार भी हैं तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रभाव से छूट दे सकते हैं।

5. शिथिल करने हेतु शक्तिः– जब भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की यह धारणा हो कि ऐसा करना युक्ति संगत अथवा आवश्यक है तो वह व्यक्तियों के किसी भी वर्ग या श्रेणी से सम्बन्धित इन नियमों के लिये आदेश द्वारा तथा ऐसा करने के कारणों को लिखित में दर्ज करके इन नियमों में छूट दे सकते हैं।

6. बचावः– इन नियमों में से कुछ भी, भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में नियुक्त व्यक्तियों को लागू होने वाले सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशानुसार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथ व्यक्तियों के अन्य विशिष्ट वर्गो के लिये उपलब्ध कराये जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में शिथिलता एवं अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगें।

अनुसूची

1	पद का नाम	**लेखापरीक्षा अधिकारी (वाणिज्यि)**
2	पदों की संख्या	600* (2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ब' राजपत्रित, गैर – मंत्रालीन।
4	वेतनमान	रू. 7500 – 250–12000 (पॉचवें वेतन आयोग) वेतनमान–1 (रू. 9300 – 34800) + ग्रेड पे रू. 5400 6वें वेतन आयोगानुसार

-

5	चयन	33 – $^{1}/_{3}$ प्रतिशत पद मैरिट के आधार पर चयन 66 – $^{2}/_{3}$ प्रतिशत पद बिना चयन किए हुए **टिप्पणीः** यदि भारत के नियंत्रक एंव महालेखापरीक्षक का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक है तो वह लिखित आदेशानुसार यह घोषणा कर सकते है कि पूर्व–संवर्ग पद 10 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगें। ऐसे पूर्व–संवर्ग पद पर नियुक्ति स्तम्भ 12 के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति के द्वारा होगी या किसी केंद्र सरकार में वेतनमान रू. 6500– 10500 (पॉचवा वेतन आयोग) पर समान पद धारण किये हुये तथा लगातार 3 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले अधिकारी द्वारा या वेतनमान रू. 5500–9000 (पॉचवा वेतन आयोग) पर लगातार 7 वर्ष की सेवा या भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सुनिश्चित योग्यता तथा अनुभव प्राप्त किये हुये अधिकारियों द्वारा इन पदों पर नियुक्ति होती है।
6	सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा	लागू नहीं होता।
7	क्या के.सि.से.(पेन्शन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत सेवा मे जोडे गये वर्षों का लाभ स्वीकार्य है।	लागू नहीं होता।
8	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएँ	लागू नहीं होता।
9	क्या सीधी भर्ती के लिये निर्धारित आयु तथा शैक्षणिक योग्यताऐं, पदोन्नत व्यक्तियों के लिये लागू होगे।	लागू नहीं होता।
10	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो	निरंक
11	**भर्ती की पद्वतिः** सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा, अथवा प्रतिनियुक्ति/समामेलन द्वारा, और विभिन्न पद्वतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति के द्वारा व इसके द्वारा पूर्ति न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा
12	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ समावेशन वर्गो द्वारा भर्ती के मामले में, कौन सी पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/समामेलन से भर्ती की जानी है।	**पदोन्नतिः** सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी और अनुभाग अधिकारी के पद पर 6 वर्ष की संयुक्त सेवा के बाद सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी। **टिप्पणीः** जहाँ कनिष्ठ, जो कि अपनी योग्यता सेवा पूरी कर चुकें है, पदोन्नति के विचार योग्य हैं वही उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जायेगा। बशर्ते कि वे अपनी आवश्यक योग्यता सेवा जो कि योग्यता सेवा की आधी या दो वर्ष, जो भी कम हो, पूरी कर चुके हो तथा अपने कनिष्ठों के साथ जो कि पहले ही अपनी योग्यता सेवा पूरी कर चुके हो, के

-

		साथ उच्चवर्ग पर पदोन्नति के लिये परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर चुके हैं। **प्रतिनियुक्तिः:** भारत सरकार के अंतर्गत समान कार्यालय या विभाग में संवर्ग नियंत्रण कार्यालय का कोई अधिकारी। क.(i) लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखा अधिकारी के समान पद धारण किये हुयें। (ii) सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी/सहायक लेखा अधिकारी के पद पर लगातार 6 वर्ष की संयुक्त सेवा के साथ सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी/सहायक लेखा अधिकारी और अनुभाग अधिकारी (लेखापरीक्षा)/अनुभाग अधिकारी। फीडर संवर्ग में विभाग के वे अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी कतार में हैं वो प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के विचार योग्य नहीं होगें। समान रूप से, प्रतिनियुक्ति पर आने वाले पदोन्नति पर नियुक्ति के विचार योग्य नहीं होगें। (केंद्र सरकार के किसी समान या अलग विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले की प्रतिनियुक्ति की अवधि को मिलाकर इस प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति आवेदन प्राप्त करने की दिनांक को 56 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती।)
13	यदि विभागीय पदोन्नति समिति अस्तित्व में है, तो इसकी संरचना क्या है।	**समूह 'ब' विभागीय पदोन्नत समिति में (पदोन्नति पर विचार के लियें)** 1. प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार की रैंक का संवर्ग नियत्रण अधिकारी 2. भारत के नियंत्रक एंव महालेखापरीक्षक द्वारा महानिदेशक/प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार के दर्जे के नामित कोई दो अधिकारी। (इनमें से वरिष्ठतम अध्यक्ष होगा।)
14	वे परिस्थितियाँ, जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना है।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

(प्राधिकारः— G.S.R. 271 वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग नई दिल्ली, 29 जुलाई 2005 vide भारत का राजपत्र अगस्त 13, 2005/श्रावण 22 1927 (भाग—II अनुभाग 3(i)) और G.S.R. 555 वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग नई दिल्ली, 21 सितंबर 2001 vide भारत का राजपत्र अक्टूबर 06,

-

2001/आश्विन 14, 1923 (भाग–II अनुभाग 3(i)) vide नि.म.ले.प. ई.मेल. सं. 334– आई.एस. डब्ल्यू/24– 2014 दिनांक 13 मार्च 2015)

7.1.1(xiv) **भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में 'वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी' के पद के लिये भर्ती नियमः–**

भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के पद क्रमांक (5) द्वारा निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से परामर्श के बाद भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में 'वरिष्ठ लेखा अधिकारी/वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी' पद के लिये भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुये एतद द्वारा निम्नांकित नियम बनाते है। नामतः–

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं आरम्भः–
(1) ये नियम भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में (वरिष्ठ लेखा अधिकारी/वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी) समूह 'ब' भर्ती नियम 2002 कहलायेंगें।

(2) ये कार्यालयीन राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभाव में आयेगें।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमानः– कथित पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण एवं उससे सम्बद्ध वेतनमान वैसें ही होंगें जैसा कि इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम (2) से (4) तक में निर्दिष्ट किये गये हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, योग्यताऐं इत्यादः– भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, योग्यताऐं तथा कथित पदों से संबंधित अन्य विषय वैसे ही होंगें जैसा कि कथित अनुसूची के कालम (5) से (14) तक में निर्दिष्ट किये गयें है।

4. अयोग्यताऐं– कोई भी व्यक्ति –

(क) किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा जिसने विवाह का अनुबन्ध किया हो जिसका एक जीवित पति/पत्नी हो अथवा
(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी रखता हो और किसी व्यक्ति से विवाह अथवा विवाह का अनुबन्ध कर चुका हो, कथित पद पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।

बर्शते कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक इस बात से संतुष्ट हो कि इस प्रकार विवाह उस व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष के लिये लागू होने वाले व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमति योग्य है। और यह कि ऐसा कने के लिये अन्य आधार भी हैं तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रभाव से छूट दे सकते हैं।

5. शिथिल करने हेतु शक्तिः– जब भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की यह धारणा हो कि ऐसा करना युक्ति संगत अथवा आवश्यक है तो वह व्यक्तियों के किसी भी वर्ग या श्रेणी से सम्बन्धित इन नियमों के लिये आदेश द्वारा तथा ऐसा करने के कारणों को लिखित में दर्ज करके इन नियमों में छूट दे सकते हैं।

6. बचावः– इन नियमों में से कुछ भी, भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में नियुक्त व्यक्तियों को लागू होने वाले संबंध में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशानुसार,

-

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथ व्यक्तियों के अन्य विशिष्ट वर्गो के लिये उपलब्ध कराये जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में शिथिलता एवं अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेंगें।

अनुसूची

1	पद का नाम	**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी**
2	पदों की संख्या	2512* (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ब' राजपत्रित, गैर–मंत्रालयीन।
4	वेतनमान	रू. 8000–275–13500 (पॉचवें वेतन आयोग) वेतनमान–1 (रू. 15600–39100) + ग्रेड पे रू. 5400 6वें वेतन आयोगानुसार
5	क्या प्रवरण पद है या अप्रवरण पद	अप्रवरण पद
6	सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा	लागू नहीं है।
7	क्या के.सि.से.(पेन्शन) नियम 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत सेवा मे जोड़े गये वर्षों का लाभ स्वीकार्य है।	लागू नहीं है।
8	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएँ	लागू नहीं होता।
9	क्या सीधी भर्ती के लिये निर्धारित आयु तथा शैक्षणिक योग्यताएं, पदोन्नत व्यक्तियों के लिये लागू होगे।	लागू नहीं है।
10	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो	निरंक
11	**भर्ती की पद्धति**: सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा, अथवा प्रतिनियुक्ति/समामेलन द्वारा, और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति के द्वारा व इसके द्वारा पूर्ति न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा
12	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ समामेलन वर्गो द्वारा भर्ती के मामले में, कौन सी पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/समामेलन से	पदोन्नति – लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर लगातार 2 वर्ष की सेवा। टिप्पणी– जहाँ कनिष्ठ, जो कि अपनी योग्यता सेवा पूरी कर चुकें है, पदोन्नति के विचार योग्य हैं वही उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जायेगा। बशर्ते कि वे अपनी आवश्यक

-

	भर्ती की जानी है।	योग्यता सेवा जो कि योग्यता सेवा की आधी या दो वर्ष, जो भी कम हो, पूरी कर चुके हो तथा अपने कनिष्ठों के साथ जो कि पहले ही अपनी योग्यता सेवा पूरी कर चुकें हो, के साथ उच्च वर्ग पर पदोन्नति के लिये परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर चुकें हों। प्रतिनियुक्तिः– केन्द्र सरकार के अन्तर्गत आने वाले अधिकारी। क.(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित रूप से समान पद धारण किये हुये। या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में रु. 7500–12000 वेतनमान ग्रेड में या समकक्ष नियुक्ति के पश्चात नियमित रूप से दो वर्ष की सेवा की हो। या (iii) मूल संवर्ग या विभाग में रु. 7450–11500 वेतनमान ग्रेड में या समकक्ष नियुक्ति के पश्चात नियमित रूप से तीन वर्ष की सेवा की हो। या (iv) मूल संवर्ग या विभागों में रु. 6500–10500 वेतनमान में या समकक्ष नियुक्ति के पश्चात नियमित रूप से पांच वर्ष की सेवा की हो। और (ख) किसी विभाग या संस्था के वित्त/बजट/लेखा विभाग में 5 वर्ष का अनुभव रखता हो। फीडर श्रेणी में विभाग के वे अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी कतार में हैं वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त के विचार योग्य नहीं होगें। समान रूप से प्रतिनियुक्ति पर आने वाले पदोन्नति पर नियुक्ति के विचार योग्य नहीं होंगें। (केंद्र सरकार के किसी समान या अलग विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले की प्रतिनियुक्ति की अवधि को मिलाकर इस प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति प्रतिवेदन प्राप्त करने की दिनांक को 56 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती।)
13	यदि विभागीय पदोन्नति समिति अस्तित्व में है, तो इसकी संरचना क्या है।	स्मूह 'ब' विभागीय पदोन्नत समिति में सम्मिलित है (पदोन्नति पर विचार के लियें) 1. प्रधान महालेखाकार/ महालेखाकार की रैंक का संवर्ग नियंत्रित अधिकारी

-

		2. महानिदेशक/ प्रधान महालेखाकार/ महालेखाकार के दर्जे के नियंत्रक एंव महालेखापरीक्षक द्वारा नामित कोई दो अधिकारी। (इनमें से वरिष्ठ अध्यक्ष होगा।)

(प्राधिकारः– G.S.R. 234 वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग नई दिल्ली 10 जून 2002 vide भारत का राजपत्र जून 29, 2002/आषाढ 8, 1924 (भाग–II अनुभाग 3(i)) vide नि.म.ले.प. ई.मेल. सं. 334–आई.एस.डब्ल्यु/24– 2014 दिनांक 13 मार्च 2015)

7.1.1(xv) **भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में "वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (वाणिज्यि)" के पद के लिये भर्ती नियमः–**

भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के पद व्रमांक (5) द्वारा निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से परामर्श के बाद भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (वाणिज्यि) की भर्ती की पद्वति को विनियमित करते हुये एतद द्वारा निम्नांकित नियम बनाते है। नामतः–

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं आरम्भः–
(1) ये नियम भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में (वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (वाणिज्य)) समूह "ब" भर्ती नियम (संशोधित) 2002 कहलायेगें।

(2) ये कार्यालयीन राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभाव में आयेगें।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमानः– कथित पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण एवं उससे सम्बद्व वेतनमान वैसें ही होगें जैसा कि इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम (2) से (4) तक में निर्दिष्ट किये गये हैं।

3. भर्ती की पद्वति, आयु सीमा, योग्यताऐं इत्यादः– भर्ती की पद्वति, आयु सीमा, योग्यताऐं तथा कथित पदों से सम्बन्धित अन्य विषय वैसे ही होगें जैसा कि कथित अनुसूची के कालम (5) से (14) तक में निर्दिष्ट किये गयें है।

4. अयोग्यताऐं– कोई भी व्यक्ति –

(क) किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा जिसने विवाह का अनुबन्ध किया हो जिसका एक जीवित पति/पत्नी हो अथवा

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी रखता हो और किसी व्यक्ति से विवाह अथवा विवाह का अनुबन्ध कर चुका हो, कथित पद पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।

बर्शते कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक इस बात से संतुष्ट हो कि इस प्रकार विवाह उस व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष के लिये लागू होने वाले व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमति योग्य है। और यह कि ऐसा करने के लिये अन्य आधार भी हैं तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रभाव से छूट दे सकते हैं।

-

5. **शिथिल करने हेतु शक्तिः**– जब भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की यह धारणा हो कि ऐसा करना युक्ति संगत अथवा आवश्यक है तो वह व्यक्तियों के किसी भी वर्ग या श्रेणी से सम्बन्धित इन नियमों के लिये आदेश द्वारा तथा ऐसा करने के कारणों को लिखित में दर्ज करके इन नियमों में छूट दे सकते हैं।

6. बचावः– इन नियमों में से कुछ भी, भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में नियुक्त व्यक्तियों को लागू होने वाले सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा समय– समय पर जारी किये गये आदेशानुसार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथ व्यक्तियों के अन्य विशिष्ट वर्गो के लिये उपलब्ध कराये जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में शिथिलता एवं अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेंगे।

अनुसूची

1	पद का नाम	**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (वाणिज्य)**
2	पदों की संख्या	500* (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह "ब" राजपत्रित, गैर – मंत्रालयीन।
4	वेतनमान	रू. 8000–275–13500 (पॉचवें वेतन आयोग) वेतनमान–1 (रू. 15600–39100) + ग्रेड पे रू. 5400 6वें वेतन आयोगानुसार
5	क्या प्रवरण पद है या अप्रवरण पद	अप्रवरण पद
6	सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा	लागू नहीं है।
7	क्या के.सि.से.(पेन्शन) नियम 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा मे जोडे गये वर्षों का लाभ स्वीकार्य है।	लागू नहीं है।
8	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएँ	लागू नहीं है।
9	क्या सीधी भर्ती के लिये निर्धारित आयु तथा शैक्षणिक योग्यताऐं, पदोन्नत व्यक्तियों के लिये लागू होगे।	लागू नहीं है।
10	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो	निरंक
11	भर्ती की पद्धति –सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा, अथवा प्रतिनियुक्ति/समामेलन द्वारा, और विभिन्न	पदोन्नति के द्वारा व इसके द्वारा पूर्ति न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

-

	पद्वतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	
12	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ समावेशन वर्गो द्वारा भर्ती के मामले में, कौन सी पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/समामेलन से भर्ती की जानी है।	पदोन्नति – लेखापरीक्षा अधिकारी(वाणिज्यि) के पद पर लगातार 2 वर्ष नियमित सेवा। टिप्पणी– जहाँ कनिष्ठ, जो कि अपनी योग्यता सेवा पूरी कर चुकें है, पदोन्नति के विचार योग्य हैं वही उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जायेगा। बशर्ते कि वे अपनी आवश्यक योग्यता सेवा जो कि योग्यता सेवा की आधी या दो वर्ष, जो भी कम हो, पूरी कर चुके हो तथा अपने कनिष्ठों के साथ जोकि पहले ही अपनी योग्यता सेवा पूरी कर चुके हों, के साथ उच्चवर्ग पर पदोन्नति के लिये परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर चुके हों। प्रतिनियुक्तः– केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले अधिकारी। क.(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित रूप से समान पद धारण किये हुये। (ii) मूल संवर्ग या विभाग में समकक्ष या नियमित रूप से वेतनमान रू. 7500– 12000 पर दो वर्ष की सेवा। (iii) मूल संवर्ग या विभाग में समकक्ष या नियमित रूप से वेतनमान रू. 7450 – 11500 पर तीन वर्ष की सेवा। (iv) मूल संवर्ग या विभागों में समकक्ष या नियमित रूप से वेतनमान रू. 6500– 10500 पर पॉच वर्ष की सेवा और (ख) किसी विभाग या संस्था के वित्त/बजट/लेखा विभाग में 5 वर्ष का अनुभव। फीडर संवर्ग में विभाग के वे अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी कतार में हैं वों प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त के विचार योग्य नहीं होगें। समान रूप से प्रतिनियुक्ति पर आने वाले पदोन्नति पर नियुक्ति के विचार योग्य नहीं होगें। (केंद्र सरकार के किसी समान या अलग विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले की प्रतिनियुक्ति की अवधि को मिलाकर इस प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति आवेदन प्राप्त करने की दिनांक को 56 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती।)

-

13	यदि विभागीय पदोन्नति समिति अस्तित्व में है, तो इसकी संरचना क्या है।	समूह 'ब' विभागीय पदोन्नत समिति में (पदोन्नति पर विचार के लियें) 1. प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार की रैंक का संवर्ग नियंत्रण अधिकारी 2. भारत के नियंत्रक एंव महालेखापरीक्षक द्वारा महानिदेशक/प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार के दर्जे के नामित कोई दो अधिकारी। (इनमें से वरिष्ठतम अध्यक्ष होगा।)
14	वे परिस्थितियाँ, जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना है।	संघ लोक सेवा आयों से परामर्श आवश्यक नहीं है।

(प्राधिकार :–G.S.R. 235 वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग नई दिल्ली, 10 जून 2002 vide भारत का राजपत्र जून 29, 2002/आषाण 8, 1924 (भाग–II अनुभाग 3(i)) vide नि.म.ले.प. ई.मेल. सं. 334–आई.एस.डब्ल्यू/24– 2014 दिनांक 13 मार्च 2015)

7.1.1(xvi) **भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में 'वरिष्ठ लेखापरीक्षक' भर्ती नियमः–**

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं आरम्भः–
ये नियम भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में (वरिष्ठ लेखापरीक्षक) भर्ती नियम 1985 कहलायेंगे।
2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान – कथित पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, और वेतनमान वैसे हीं होंगे जो उक्त सूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएँ इत्यादिः– भर्ती की पद्धति आयु सीमा, योग्यताऐं तथा कथित पदों से सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताऐं– वह व्यक्ति –

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा जिसने विवाह का अनुबंध किया हो जिसका एक जीवित पति/पत्नी हो, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नि के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

बशर्ते कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति तथा विवाह के अन्य पक्षकारों को लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमति योग्य है। और

-

यह कि ऐसा करने के लिये अन्य आधार भी है तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

5. शिथिल करने की शक्तिः– जहाँ भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की यह राय है कि ऐसा करना समीचीन है वहॉ उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के उपबन्ध को वर्ग अथवा प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत्, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा।

6. व्यावृत्तिः– इन नियमों में/की कोई ऐसी बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय – समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

(प्राधिकार :– नि.म.ले.प. पत्र क्रमांक संख्या 209 – एन – 2/41–84, दिनांक 11 अप्रैल 1986)

अनुसूची

1	पद का नाम	वरिष्ठ लेखापरीक्षक
2	पदों की संख्या	–––
3	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' सचिवीय, अराजपत्रित
4	वेतनमान	रू. 1400–40–1600–50–2300–EB–60–2600
5	क्या प्रवरण पद है या अप्रवरण पद	अप्रवरण पद
6	सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा	लागू नहीं होता।
7	क्या के.सि.से.(पेन्शन) नियम 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा मे जोडे गये वर्षों का लाभ स्वीकार्य है।	लागू नहीं होता।
8	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं	लागू नहीं होता।
9	क्या सीधी भर्ती के लिये निर्धारित आयु तथा शैक्षणिक योग्यताऐं, पदोन्नत व्यक्तियों के लिये लागू होगे।	लागू नहीं होता।
10	परिवीक्षा की अवधि, यदि हो	दो वर्ष
11	भर्ती की पद्धति –सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा, अथवा प्रतिनियुक्ति/समामेलन	पदोन्नति के द्वारा व इसके द्वारा पूर्ति न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा

-

	द्वारा, और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	
12	पदोन्नत/ प्रतिनियुक्ति/ समावेशन वर्गो द्वारा भर्ती के मामले में, कौन सी पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/समामेलन से भर्ती की जानी है।	पदोन्नति – लेखापरीक्षक के पद पर वेतनमान रू. 1200 – 1800 पर तीन वर्ष की नियमित सेवा तथा विभागीय परीक्षा पास करने पर। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरणः– (i) किसी अन्य लेखापरीक्षा कार्यालय से वरिष्ठ लेखापरीक्षक या (ii) किसी अन्य लेखापरीक्षा कार्यालय से लेखापरीक्षक के पद पर 3 वर्ष की नियमित सेवा तथा विभागीय परीक्षा पास करने के बाद (प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)
13	यदि विभागीय पदोन्नति समिति अस्तित्व में है, तो इसकी संरचना क्या है।	समूह "ग" विभागीय पदोन्नत समिति में सम्मिलित । (i) वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार या समान दर्जे का प्रशासनिक समूह का कोई अधिकारी। (ii) समान दर्जे का कोई वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार अधिकारी (iii) एक वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी टिप्पणी – उपर्युक्त (i), (ii) में से वरिष्ठ अधिकारी अध्यक्ष होगा।
14	वे परिस्थितियाँ, जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना है।	लागू नहीं होता।

7.1.2. कर्मचारी चयन आयोगः–

(i) **अवस्थितिः**– वर्तमान में आयोग के सात क्षेत्रीय कार्यालय तथा एक उप क्षेत्रीय निदेशक का कार्यालय रायपुर (मध्य प्रदेश) में है। रायपुर मध्य प्रदेश में स्थित नियंत्रक परीक्षाएं (के.रा.) कर्मचारी चयन आयोग, इस क्षेत्र के लिये स्टाफ की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हैं।

(ii) **भर्ती परीक्षा एवं क्रम सूचीः**–

विभिन्न संवर्गों में भर्ती के लिये आयोग, सामान्यतः प्रतिवर्ष जुलाई – अगस्त के दौरान परीक्षा आयोजित करेगा और वर्ष के अन्त तक परिणामों की घोषणा की जा सकती है। इस प्रकार, आगामी वर्ष की जनवरी– फरवरी में, भर्ती के लिये क्रम सूची उपलब्ध हो जायेगी। भारतीय लेखापरीक्षा एवं

-

लेखा विभाग सहित विभिन्न संगठनों के लिये क्रम सूचियाँ सामान्य होंगी, जिनकी आवश्यकताऐं आयोग द्वारा पूरी की जाती हैं।

(iii) **कार्यालय में रिक्तियों को भरने की पद्धतिः–**

(क) इस आशय से कि अधिक प्रवीणता वाले व्यक्ति संगठनों द्वारा समान रूप से बॉटे जायें, जहाँ तक सम्भव हो आयोग द्वारा भर्ती परीक्षा के परिणाम की घोषणा किये जाने के तुरंत बाद, एक वर्ष की अपनी अधिकाँश आवश्यकताओं का परिमाण बना लिया जाए।

इसलिये इस कार्यालय में प्रतिवर्ष जुलाई से दिसंबर तक के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को आगामी वर्ष की जनवरी में अर्थात परिणाम घोषित होने के तुरन्त बाद भर दिया जाए

(ख) जनवरी में भरी जाने वाली प्रस्तावित रिक्तियों के लिये माँग पत्र निर्धारित प्रपत्र (क) में पिछले वर्ष के दिसंबर के अन्त तक उप क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी चयन आयोग, रायपुर (म.प्र.) को भेजना होता है।

जनवरी से मार्च तक के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को अप्रैल में भरा जायें और अप्रैल से जून तक उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को जुलाई में भरा जाए तथा उनके लिये माँग, पिछले माह अर्थात मार्च तथा जून के अन्त तक कर्मचारी चयन आयोग को भेज दिया जाये। माँग पत्र का समय पर प्रेषण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

टिप्पणी– आयोग को भेजे जाने वाले माँग पत्र में सामान्य एवं आरक्षित वर्ग दोनों के अंतर्गत आवश्यकताऐं स्पष्ट रूप से दर्शायी जानी चाहिए। यदि कोई माँग नहीं हो तो आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय को 'निरंक' माँग पत्र भेजा जाना चाहिए।

(iv) **अनुशंसित व्यक्तियों की सूची–**

आयोग का रायपुर (म0प्र0) स्थित क्षेत्रीय कार्यालय प्रत्येक प्रत्याशी के मूल दस्तावेज जिनमें प्रत्याशी द्वारा आयोग को प्रस्तुत किये गये आवेदन तथा विभिन्न प्रमाण पत्रों की प्रतियाँ सम्मिलित हो, अनुशंसा किये गये व्यक्तियों की सूची नियुक्ति हेतु आयोग को भेजेगा। तब महालेखाकार (लेखापरीक्षा)–I प्रत्याशियों की आयु, शैक्षणिक योग्यता, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलाँग इत्यादि के रूप में उनके दावे से सम्बन्धित मूल प्रमाण पत्रों की जाँच करने, नियुक्ति प्रस्ताव जारी करने, चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन, चिकित्सा परीक्षण इत्यादि, प्रचलित पद्वति के अनुसार करने के लिये आगामी कार्यवाही करेगा।

(v) **अपूरित रिक्तियाँ**– यदि कुछ प्रत्याशी, उनको भेजे गये नियुक्ति प्रस्तावों को महत्व नहीं देते हैं और इस प्रकार रिक्तियाँ अपूरित रह जाती है, तो ये रिक्तियाँ अगली तिमाही में भेजी जाने वाली मॉग में सम्मिलित कर ली जायें। ऐसे प्रत्याशी जिनको दिये गये नियुक्ति प्रस्तावों को महत्व नहीं दिया है उनकी भी एक सूची आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय को भेजी जायें।

(vi) **पूर्व अनुमानित रिक्तियों की सूचनाः**– महालेखाकार (लेखापरीक्षा–I) सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी दोनों के लिये पूर्वानुमानित रिक्तियों की संख्या जो आगामी कैलेण्डर वर्ष में भरी जायेंगी, ऐसी सूची प्रति वर्ष जनवरी माह में, निर्धारित प्रपत्र (अनुलग्नक 'क') में नई दिल्ली स्थित आयोग को सूचित करेगा, जिसको सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय को पृष्ठांकित किया जायेगा, ताकि कर्मचारी चयन आयोग रिक्तियाँ विज्ञापित करने के पहले क्षेत्रानुसार आवश्यकताओं का उचित निर्धारण करने में

-

समर्थ हो सकें। महालेखाकार (लेखापरीक्षा–I) को, पूर्वानुमानित रिक्तियाँ सूचित करने से पूर्व आयोग से किसी निर्देश की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है।

(vii) **आरक्षित वर्ग**–

(क) सामान्यतः आयोग, विभिन्न कार्यालयों द्वारा उसे सूचित की गयी आवश्यकताओं को पूरी करने हेतु आरक्षित वर्ग व्यक्तियों की पर्याप्त संख्या सूचीबद्ध करेगा। यदि प्रत्याशियों द्वारा नियुक्ति प्रस्तावों को महत्व न दिये जाने के कारण किसी तिमाही में कोई आरक्षित वर्ग की रिक्तियाँ अपूरित रह जाती है, तो व्यक्तियों के आरक्षित वर्ग के अगले नामों के लिये एक नया मॉग पत्र क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को भेजा जाएं तथा यही प्रक्रिया दुहरायी जाए।

(ख) **अनारक्षण** – यदि क्षेत्रीय कार्यालय के पास क्रम सूची में कोई व्यक्ति नहीं बचे हो तो उसके लिये जैसी प्रणाली हो उसका पालन करते हुये नि.म.ले.प. के कार्यालय के हवाले से कार्मिक विभाग से रिक्तियों को अनारक्षित करा लिया जाए।

(viii) **आयु में शिथिलताः**– नियुक्त किये गये, व्यक्तियो के प्रकरण जहाँ कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उस परीक्षा में जिसमें वे सफल हुये हैं, से संबंधित सूचना में निर्धारित निर्णायक तारीख को वे आयु सीमा के अंतर्गत थे, आयु में शिथिलता महालेखाकार द्वारा दी जा सकती है। यह मान लेना चाहिए कि निर्णायक तारीख को प्रत्याशी आयु सीमा के अन्तर्गत थे।

(ix) **खेल नियतांश (कोटा) इत्यादिः**–

खेल कोटा के विरूद्ध तथा अनुकम्पा के आधार पर नियक्तियाँ, प्रचलित आदेशों के अनुसार किया जाना जारी रहेगा।

(प्राधिकारः– नि.म.ले.प. का पत्र क्रमांक 533 – एन.जी.ई.–III/51– एन.जी.ई.–II/75–II, दिनांक 23.2.1979)

-

अनुलग्नक 'क'
(कंडिका 7.1.2.(iii)(ख) में संदर्भित)

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग

भर्ती के लिये प्रत्याशियों हेतु माँगपत्र भेजने के लिये प्रपत्र

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ..... के दौरान आयोजित की गयी लेखापरीक्षक/लिपिक/आशुलिपिक परीक्षा से ..... अवधि के लिये भरी जाने वाली, लेखापरीक्षकों/आशुलिपिकों की रिक्तियाँ

1. पदों का नामः–
(आशुलिपिकों के मामले में, वेतनमान तथा भर्ती नियमों के अनुसार अपेक्षित आशुलिपिक में न्यूनतम गति दर्शायी जाए)
2. कार्यालय का नामः–
3. कार्यालय का पूरा पताः–
4. राज्य/संघ शासित क्षेत्र, जिसमें स्थित हैं–
5. परिक्षेत्र जिसमें स्थित है (पूर्व पृष्ठ पर अंकित 8 परिक्षेत्रों में से)–
6. भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्याः–
   (क) सामान्य वर्ग प्रत्याशी–
   (ख) अनुसूचित जाति प्रत्याशी–
   (ग) अनुसूचित जनजाति प्रत्याशी–
   (घ) भूतपूर्व सैनिकः–
   (ड़) अन्य कोई वर्ग जिसके लिये
   आरक्षण किया गया हो।
7. अभिकथनः–
   (क) इन वर्गों में परीक्षा से प्रत्याशियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न होने की स्थिति में क्या आरक्षित रिक्तियाँ स्वतः ही अनारक्षित समझी जा सकती हैं, अथवा
   (ख) क्या आरक्षित रिक्तियाँ केवल अनारक्षण आदेश प्राप्त करने के बाद ही अनारक्षित समझी जा सकती हैं –
8. उन विभागीय प्रत्याशियों के नाम तथा अनुक्रमांक जो 35 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में शिथिलता सहित परीक्षा में सम्मिलित हुये थे –
   (यह जानकारी केवल लेखापरीक्षकों/लिपिकों के मामले में ही दी जायें।)

स्थानः–

दिनांकः–

हस्ताक्षरः– .....
पदनामः– .....
कार्यालय मुहरः–.....

-

प्रोफार्मा 'क'

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग

लेखापरीक्षकों/लिपिकों/आशुलिपिकों के संबंध में, पूर्वानुमानित रिक्तियाँ दर्शाने वाला प्रपत्र जो प्रतिवर्ष जनवरी में भेजा जाना है। एवं रिक्तियाँ आगामी वर्ष में भरी जाना है।

(वर्ष जिसके लिये रिक्तियाँ पूर्वानुमानित हैं)

1. पदों का नामः–
(आशुलिपिकों के मामले में, वेतनमान तथा भर्ती नियमों के अनुसार अपेक्षित आशुलिपि में न्यूनतम गति दर्शायी जाये)
2. कार्यालय का नामः–
3. कार्यालय का पूरा पताः–
4. राज्य / संघ शासित क्षेत्र, जिसमें स्थित हैं–
5. परिक्षेत्र जिसमें स्थित है–(पूर्व पृष्ठ पर अंकित 8 परिक्षेत्रों में से)
6. भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्याः–
   (क) सामान्य वर्ग प्रत्याशी–
   (ख) अनुसूचित जाति प्रत्याशी–
   (ग) अनुसूचित जनजाति प्रत्याशी–
   (घ) भूतपूर्व सैनिकः–
   (ड़) अन्य कोई वर्ग जिसके लिये
   आरक्षण किया गया हो –

7. अभिकथनः–
   (क) इन वर्गों में परीक्षा से प्रत्याशियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न होने की स्थिति में क्या आरक्षित रिक्तियाँ स्वतः ही अनारक्षित समझी जा सकती है अथवा –
   (ख) क्या आरक्षित रिक्तियाँ केवल अनारक्षण आदेश प्राप्त करने के बाद ही अनारक्षित समझी जा सकती है –
8. उन विभागीय प्रत्याशियों के नाम तथा अनुक्रमांक जो 35 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में शिथिलता सहित परीक्षा में सम्मिलित हुये थे –

(यह जानकारी केवल लेखापरीक्षकों/ लिपिकों के मामले में ही दी जायें।)

9. वर्ष में आयोजित होने वाली परीक्षा से भरी जाने वाली संभावित रिक्तियों की कुल लगभग संख्या।

स्थानः–

हस्ताक्षरः– .....
दिनांकः– पदनामः– .....
कार्यालय मुहरः–.....

-

7.2. नियुक्ति हेतु पात्रता –

लेखापरीक्षा कार्यालय में नियुक्ति हेतु प्रत्याशी को होना चाहिएः–

(क) भारत का नागरिक, अथवा
(ख) नेपाल की प्रजा, अथवा
(ग) भूटान की प्रजा, अथवा
(घ) तिब्बती शरणार्थी , जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत में आया हो, अथवा
(ड़) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा केन्या के पूर्वी अफ्रीका देशों उगाण्डा और तन्जानियाँ, जाम्बिया, मालेण्ड, जेर एवं इथोपिया से प्रवासित हुआ हो–

परंतु यह कि वर्ग (ख) (ग) (घ) एवं (ड़) से सम्बन्धित व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाणपत्र दिया गया हो।

वह प्रत्याशी जिसके मामले में पात्रता प्रमाणपत्र आवश्यक हैं, भर्ती अधिकारी द्वारा संचालित परीक्षा अथवा साक्षात्कार में शामिल हो सकता है और वह अंतिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है, बशर्ते की भारत सरकार द्वारा अन्ततः उसे आवश्यक प्रमाणपत्र दे दिया जाए।

(प्राधिकारः– नि.म.ले.प. का पृष्ठांकन क्रमांक 601 एन.जी.ई.–II/51–75–III/दिनांक 20 मई 1977 एवं नि.म.ले.प. के स्थायी आदेशों की नियम पुस्तक (प्रशासन) खण्ड–1 की कंडिका 274 तथा 275)

7.2.2. बहु विवाहः–

कोई भी व्यक्ति

(क) जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ है, अथवा जो जीवित पति/पत्नी के होते हुये विवाह कर लेता है, जहाँ इस प्रकार का विवाह ऐसे पति/पत्नी के जीवनकाल के दौरान घटित होने के कारण प्रभावहीन हो, वह सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, और –

(ख) कोई भी महिला, जिसके विवाह के समय उसके पति की एक जीवित पत्नी होने के कारण उसका विवाह प्रभावहीन हो गया हो, अथवा जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जो इस विवाह के समय एक जीवित पत्नी रखता हो, वह सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगी, परन्तु यह कि केन्द्र सरकार यदि इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे आदेश देने के लिये विशिष्ट आधार हैं तो, वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रभाव से मुक्त रख सकती हैं।

(प्राधिकारः– नि.म.ले.प. के स्थायी आदेशों की नियम पुस्तक (प्रशासन) खण्ड–I की कंडिका 276)

7.2.3. सीधी भर्ती के लिये आयु सीमाएं–

कृपया इस मैनुअल का पैरां 7.1.1. देखें।

7.2.4. छंटनी किये गये कर्मचारियों के मामले में आयु की छूट :–

छँटनी किये गये कर्मचारियों, वस्तुतः विस्थापित व्यक्तियों, विस्थापित स्वर्णकारों, भूतपूर्व सैनिकों, अंधे, बहरे तथा अस्थि विकलॉग व्यक्तियों, केन्या उगाण्डा इत्यादि के पूर्वी अफ्रीकन देशों में सरकारी सेवा में नियुक्त भारतीय मूल के व्यक्तियों, जो कि संवैधानिक परिवर्तन के कारण भारत में अप्रवासी

-

हुए हों तथा बर्मा एवं श्रीलंका से स्वदेश को लौटे हुए व्यक्ति जो क्रमशः 01/06/1963 तथा 01/11/1964 को या उसके बाद अप्रवासी हुए हों और पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से 01/01/1964 को या उसके बाद विस्थापित हुए व्यक्तियों के मामले में ऊपरी सीमा नीचे दर्शायी गयी सीमा तक शिथिलनीय है :–

(क) छँटनी किये गये केंद्र सरकार के कर्मचारी :–

(i) आयु सीमा में शिथिलता के लिये, छँटनी किये गये केंद्र सरकार के कर्मचारी की परिभाषा उस व्यक्ति के रूप में की गयी है जो भारत सरकार के अन्तर्गत कम से कम छः माह की लगातार अवधि के लिये नियुक्त किया गया हो तथा जो मितव्ययिता इकाई की अनुशंसाओं के परिणाम स्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य कटौती के कारण छँटनी किया गया हो अथवा आधिक्य के रूप में घोषित किया गया हो।

(ii) इन व्यक्तियों के प्रवेश की आयु, को उनकी वास्तविक आयु से उनके द्वारा की गयी पूर्व सेवा की अवधि घटाकर निकाला जाना चाहिए और इसके परिणाम स्वरूप निकलने वाली आयु यदि निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष अधिक से ज्यादा नहीं होती है तो उन्हें अधिकतम आयु के सम्बन्ध में कथित पद पर नियुक्ति हेतु शर्ते पूरी किया हुआ समझा जाना चाहिए।

(प्राधिकार :–नि.म.ले.प. का पृ. 5809–एन.जी.ई.–III/72–59, दिनांक 11/01/1960 तथा क्रमांक 1211–एन.जी.ई. II/72– 64, दिनांक 04/02/1964)

(iii) छँटनी किये गये केंद्र सरकार के कर्मचारी को भर्ती करने के पहले उससे उसके पूर्व नियोजक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को कहा जाना चाहिए। इस प्रकार का प्रमाणपत्र, छँटनी किये गये कर्मचारी को सदैव दिया जाना चाहिए।

(iv) निदेशक जनगणना संचालन के छँटनी किये गये कर्मचारी अथवा आधिक्य अमले की भर्ती के लिये ऊपरी आयु सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

(प्राधिकारः– नि.म.ले.प. का पत्र क्रमांक 158 –एन.जी.ई. II/51–71/II, दिनांक 21 जनवरी 1972 तथा पत्र क्र. 32 एन.जी.ई. II/51–71, दिनांक 5 जनवरी 1972)

(v) लिपिकों के पद हेतु विचार के लिये छॅटनी किये गये जनगणना कर्मचारियों के सभी मामलों में लिपिकों की नियुक्ति से पहले अपेक्षित योग्यता के रूप में टंकण में प्रवीणता भी लागू होगी।

(प्राधिकार :–नि.म.ले.प. का पत्र क्रमांक 1982–एन.जी.ई. II/87–74, दिनांक 13 अगस्त 1974 तथा क्रमांक 2540–एन.जी.ई. II/51/71/VI दिनांक 17 अक्टूबर 1974)

(ख) विस्थापित व्यक्तिः–

विस्थापित व्यक्ति का अर्थ होगा, एक ऐसा व्यक्ति जो मूलतः पूर्वी पाकिस्तान (अब बांगलादेश) में समाहित किसी प्रदेश में निवास करता हो किन्तु नागरिक उपद्रवों के कारण अथवा भारत के विभाजन के कारण निम्न मामलों में प्रवासित हुआ है :–

(i) कामिल्ला (अब पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा) के नोआखाती जिले से अक्टूबर 1946 में या उसके बाद प्रवासित हुए लोगों के प्रकरण में।

-

(ii) पूर्वी पाकिस्तान में किसी भी क्षेत्र से 1 जून 1947 को या उसके बाद, वर्तमान भारतीय संघ में शामिल किसी राज्य में, स्थायी निवास करने के इरादे से इन राज्यों में प्रवासित हुए लोगों के प्रकरण में।
(प्राधिकारः– नि.म.ले.प. का पत्र क्रमांक 48 – आर.एस./28– 56, दिनांक 13 जुलाई 1956)

(iii) अनुदत्त आयु तथा शुल्क रियायतः–

(क) तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से विस्थापित व्यक्तियों
(ख) बर्मा एंव श्रीलंका से स्वेदश को लौटे हुये भारतीय मूल के व्यक्तियों और
(ग) पूर्वी अफ्रीकन देशों तथा वियतनाम से स्वदेश लौटे हुये व्यक्तियों ।

ये वर्ष दर वर्ष के आधार पर बढ़ा दी जाती है और उपरोक्त वर्गों के व्यक्तियो को लागू होने वाली रियायतों की एक सूची, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 15012/4/78– स्था. (डी) दिनांक 3 नवम्बर 1981 के अन्तर्गत दी जाती हैं।

(प्राधिकार :–नि.म.ले.प. का परिपत्र क्र. 3591–एन.जी.ई. III/73– एन.जी.ई. II/78–दिनांक 4 सितंबर 1981)

7.2.5. **समूह 'ग' तथा 'घ' पद के लिये विभागीय अभ्यर्थियों के लिये ऊपरी आयु सीमा में छूट/रियायतः–**

समूह 'ग' पदों के लिये खुली स्पर्धा हेतु विभागीय अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के मामले में 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मामले में 45 वर्ष तक आयु सीमा में छूट के हकदार होंगे।

यह छूट सामान्य शर्त के अधीन होगी कि समूह 'ग' पदों पर सीधी भर्ती समान या सहयोगी संवर्गों और यह संबंध कि पदों हेतु प्राप्त सेवा अन्य श्रेणी के पदों के कर्तव्यों का भी कुशलतापूर्वक निर्वहन करने में उपयोगी सिद्ध होगी। यह छूट समान परिस्थितियों में समूह 'घ' के पदों पर भी लागू होगी।

विभागीय उम्मीदवारों के मामले में समूह 'ग' तथा 'घ' पद पर नियुक्ति के लिये 40/45 वर्ष तक आयु छूट केवल उनके लिये उपलब्ध होगी जिन्होंने सरकार के अंतर्गत कम से कम 3 वर्ष की सेवा प्रदान की है।

(प्राधिकारः– जी.आई. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, ओ.एम.न. 15012/1/88–स्था. (डी) दिनांक 20/05/1988 और दिनांक 30/01/1990)

7.2.6. **आयु में छूट/रियायतः–**

समूह 'ग' एवं 'घ' पदों में नियुक्ति हेतु विधवाएं तथा अपने पति से अलग हुई महिलाएं–

(क) कर्मचारी चयन आयोग तथा रोजगार कार्यालय के माध्यम से भरे गये, केंद्र सरकार के अंतर्गत समूह 'ग' एवं 'घ' पदों पर नियुक्ति के लिए, विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं तथा उन महिलाओं के मामले में, जो अपने पति से वैधानिक रूप से अलग हो गयी हैं, जिसने पुनर्विवाह नहीं किया है, संबंधित भर्ती के उद्देश्य हेतु ऊपरी आयु सीमा 35 वर्ष की आयु तक शिथिल की जाएगी।

-

(प्राधिकारः—नि.म.ले.प. का पत्र व्रमांक 443—एन.जी.ई.—I/51—एन.जी.ई.—III/79—III, दिनांक 05/02/1980)

(ख) जो महिला, नि.म.ले.प. का पत्र क्रमांक 443—एन.जी.ई.— I/51—एन.जी.ई.— III/79, दिनांक 05/02/1980 के साथ पठित, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) का. ज्ञा. दिनांक 19.1.1980 के संदर्भ में आयु में शिथिलता का दावा करती है, उसके तलाक अथवा वैधानिक अलगाव, जैसा भी प्रकरण हो सिद्ध करने के लिए उपयुक्त न्यायालय के निर्णय/डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(प्राधिकारः— नि.म.ले.प. का परिपत्र क्रमांक 2384 क्रमांक 3/83, दिनांक 3.10.1983)

7.2.7. **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य विशिष्ट श्रेणी के लिये आयु सीमा में छूट/रियायत — भर्ती नियम में प्रावधान :—**

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य विशिष्ट श्रेणी के व्यक्तियों के लिये आयु सीमा में शिथिलता के सम्बन्ध में सरकारी नीति के क्रियान्वयन हेतु भर्ती नियमों में आगे से निम्नांकित बचाव उपबंध सम्मिलित कर लिया जाए।

''भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में, समय—समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विशेष श्रेणी के व्यक्तियों को प्रदान किये जाने वाली अन्य रियायतों के व्यक्तियों के लिये प्रदान किये जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में शिथिलता तथा अन्य रियायतों पर इन नियमों में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा''।

(प्राधिकार :—भारत सरकार, ग्रह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, का.ज्ञा. क्र. 36011/9/76 स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 7.3.1978 और नि.म.ले.प. का पृष्ठांकन क्रमांक 802— एन. जी.ई. II/6578—II, दिनांक 22—4—1978)।

7.2.8. कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित लिपिक वर्गीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए स्टाफ कार चालक के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट/रियायत :—

जो स्टाफ कार चालक लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक रूप से योग्य हैं, उन्हें 35 वर्ष तक आयु में शिथिलता के साथ ऐसा करने दिया जा सकता है। यह रियायत केवल तभी स्वीकार्य है, जबकि कर्मचारी ने विभाग में कम से कम 3 वर्ष की निरन्तर नियमित सेवा पूरी कर ली हो।

(प्राधिकार :—भारत सरकार, गृह मंत्रालय का .ज्ञा. क्रमांक 22011/15/81 स्था. (डी) दिनांक 4—7—1983)

7.3. **न्यूनतम शैक्षणिक योग्याताएं—**

7.3.1 (i) **लेखापरीक्षक (सीधी भर्ती) —**

कृपया इस मैनुअल का पैरा 7.1.1(iii) देखें।

(ii) लिपिक (सीधी भर्ती)

कृपया इस मैनुअल का पैरा 7.1.1(ii) देखें।

(iii) आशुलिपिक (सीधी भर्ती)

कृपया इस मैनुअल का पैरा 7.1.1.(viii) देखें।

(iv) समूह ''घ'' कर्मचारीः—

कृपया इस मैनुअल का पैरा 7.1.1.(i) देखें।

7.3.2. **डिग्री, डिप्लोमा इत्यादि की मान्यता :–**

(i) भारत में स्थित विश्वविधालयों द्वारा, जो कि भारत मे केंद्र/राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा संस्थापित है, तथा संसद के अधिनिमय द्वारा स्थापित अन्य शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा प्रदान की गयी डिग्री/डिप्लोमा के मामले में, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा इन डिग्रियों/डिप्लोमाओं को मान्यता देने के औपचारिक आदेश जारी किये जाने की आवश्यकता नहीं हैं।

(ii) इसी प्रकार सम्बन्धित केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा समुचित रूप से स्थापित एवं मान्यता प्राप्त माध्यमिक एवं इन्टरमीडिएट शिक्षा मण्डल द्वारा प्रदान किये गये किसी प्रमाण पत्र अथवा डिप्लोमा को औपचारिक मान्यता देने हेतु आदेशों की आवश्यकता नहीं है।

(iii) तथापि, यदि ऐसा कोई संदेह हो कि कोई विशिष्ट विश्वविद्यालय को विधानमण्डल के अधिनियम द्वारा संस्थापित हैं, अथवा नहीं है, या उस डिग्री अथवा डिप्लोमा को समकक्ष रूप से विशिष्ट डिग्री अथवा डिप्लोमा का महत्व दिया जाना चाहिए, उसका स्पष्टीकरण करने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय को संदर्भित किया जायेगा। यदि कोई संदेह हो तो सम्बन्धित शिक्षा मण्डल तदनुसार स्पष्टीकरण कर सकता है।

(प्राधिकार :–नि.म.ले.प. का पत्र क्रमांक 1745–एन.जी.ई.–III/290– 61 दिनांक 12.7.1962)

7.3.3. **भारत सरकार द्वारा निम्नांकित परीक्षाओं को भी मान्यता दी गयी है।**

परीक्षा का नाम	**समकक्ष**
1. नवीन उत्तर मध्यमा (अंग्रेजी सहित)	– हाई स्कूल परीक्षा
2. नवीन शास्त्री (अंग्रेजी सहित)	– इण्टरमीडिएट कला परीक्षा अथवा त्रिवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण
3. नवीन आचार्य (शास्त्री स्तर पर अंग्रेजी सहित)	– बी .ए. डिग्री

भारत सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से उपरोक्त परीक्षाओं को, सामान्य शिक्षण स्थापना में विभिन्न शैक्षणिक योग्यताओं के लिये मान्यता दी है।

(प्राधिकारः– भारत सरकार, केबिनेट सचिवालय, (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) का .ज्ञा. क्रमांक 6/5/72–स्था. (डी) दिनांक 30.9.1975)

7.3.4. **केंद्र सरकार के अंतर्गत भर्ती के उद्देश्य से सामान्य शैक्षिक योग्यताओं की मान्यता :–**

भारत सरकार ने निम्नलिखित योग्यताओं को, नियोजन के उद्देश्य से, समकक्ष रूप में मान्यता देने का निर्णय किया है :–

-

(i) संयुक्त राज्य अमेरिका में दिये गये 12 वर्षीय हाईस्कूल डिप्लोमा को नियोजन के उद्देश्य से, विद्या सम्बन्धी एवं व्यावसायिक शिक्षा में उच्चतर माध्यमिक प्रमाणपत्र के समकक्ष।

(प्राधिकार :–भारत सरकार, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, का.ज्ञा. क्रमांक 14021/1/77–स्था. (डी) दिनांक 28.1.1987)

(ii) संयुक्त राज्य सोवियत रूस से माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र को, नियोजन के उद्देश्य से, भारत में उच्च्तर माध्यमिक विद्यालय त्याग प्रमाणपत्र (11 वर्षीय विद्यालयीन शिक्षा के बाद) के समकक्ष रूप में नियोजन हेतु मान्यता।

(प्राधिकार :–भारत सरकार, गृह मंत्रालय, कार्मिक एंव प्रशासनिक सुधार विभाग, का .ज्ञा. क्रमांक 14021/1/77–स्था. (डी) दिनांक 30.5.1978, जो नि.म.ले.प के पत्र व्रमांक 1455–एन.जी.ई. II/51–78–II, दिनांक 17–6–1978 के अंतर्गत प्राप्त हुआ।)

(iii) महाराष्ट्र राज्य में सातवीं कक्षा उत्तीर्ण मिडिल स्कूल शिक्षा पूरी होने के समान निरूपित है। मिडिल स्कूल का स्तर कक्षा 5 से 7 तक तथा हाई स्कूल का स्तर कक्षा 8 से 10 तक है। जो प्रत्याशी महाराष्ट्र में मान्यता प्राप्त सरकारी विधालय से कक्षा 7 उत्तीर्ण कर चुका है, वह केंद्र सरकार के अन्तर्गत नियोजन के उद्देश्य से मिडिल स्कूल उत्तीर्ण समझा जाएगा।

(प्राधिकार :–भारत सरकार, गृह मंत्रालय, कार्मिक एंव प्रशिक्षण लोक शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय, का .ज्ञा. व्रमांक 14036/2/85–स्था. (डी) दिनांक 14–10–1985, जो नि.म.ले.प के पृष्ठांकन व्रमांक 3778–एन. 3/31–85, दिनांक 14–11–1985 के अंतर्गत प्राप्त हुआ।)

7.4.1. **पद आधारित आरक्षण रोस्टर :–**

मौजूदा 200 बिंदु, 40 बिंदु और 120 बिंदु वाले रिक्ति आधारित रोस्टर को पद आधारित रोस्टर से प्रतिस्थापित किया जायेगा। सभी मंत्रालयों/विभागों और सम्बन्धित अधिकारियों से अनुरोध किया जाता है कि वे इस कार्यालय ज्ञापन के **अनुलग्नक–I** में दी गयी व्याख्यात्मक टिप्पणी में विस्तार पूर्वक दिये गये सिद्वांतों और **अनुलग्नक II, III और IV** के रूप में संलग्न नमूना रोस्टरों में दिये गयें उदाहरणों के आधार पर संबंधित रोस्टर तैयार करें। इसी प्रकार, संबंधित प्राधिकारी, समूह "ग" और "घ" पदों में स्थानीय भर्ती के सम्बन्ध में मौजूदा 100 बिंदु वाले रोस्टर प्रतिस्थापित करने के लिये इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर रोस्टर तैयार करें।

1. व्याख्यात्मक टिप्पणियों में रोस्टर तैयार करने के लिये विस्तार से प्रतिपादित सिद्धान्तों को नीचे संक्षेप में दोहराया गया है :–

(क) चूँकि अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण पदोन्नति में लागू नहीं होता, अतः सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के लिये अलग–अलग रोस्टर बनाया जाना चाहिए।

(ख) रोस्टर में बिंदुओं की संख्या, संवर्ग में पदों की संख्या के बराबर होंगी। यदि भविष्य में कभी संवर्ग की पद संख्या में किसी प्रकार की वृद्वि अथवा कमी होती है तो रोस्टर को भी इसी के अनुरूप बढ़ाया/घटाया जाएगा।

-

(ग) रोस्टर बनाये जाने के प्रयोजन हेतु, संवर्ग का अभिप्राय, एक विशिष्ट वर्ग से होगा तथा इसमें लागू भर्ती–नियमों के अनुसार भर्ती की एक विशिष्ट रीति से भरे जाने वाले पदों की संख्या शामिल होगी। अतः यदि 200 पदों के किसी संवर्ग में जहाँ भर्ती नियमों में, सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिये 50 : 50 का अनुपात निर्धारित किया जाता है, तो सम्बन्धित मॉडल रोस्टरों के अनुरूप, प्रत्येक 100–100 बिंदु वाले दो रोस्टर बनाए जायेगें अर्थात एक रोस्टर सीधी भर्ती के लिये और एक रोस्टर पदोन्नति (जब पदोन्नति में आरक्षण लागू होता हो) के लियें।

(घ) चूँकि आरक्षण, स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण में लागू नहीं होता है। जहाँ भर्ती नियमों में, इस पद्वति से भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता निर्धारित होती है तो वहाँ रोस्टर तैयार करते समय ऐसे पदों को, शामिल नहीं किया जायेगा।

(ड़) 13 पदों वाले छोटे संवर्ग का रोस्टर तैयार करने की निर्धारित पद्वति में, सभी तीन वर्गों के लिये आरक्षण की अनुमति नहीं है। ऐसे मामलों में, प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा, इस विभाग के दिनांक 28.1.1952. के कार्यालय ज्ञापन सं. 42/21/49–एन.जी.एस. के अनुसार तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण से सम्बन्धित पुस्तिका (अंग्रेजी संस्करण) के पृष्ठ 70 से 74 पर पुनः दोहराये गये तदनुरूपी आदेशों के अनुसार भिन्न– भिन्न संवर्गों में पदों के ग्रुप बनाए जाने के सम्बन्ध में विचार किया जाये तथा इस प्रकार के पदों के ग्रुप बनाए जाने के सम्बन्ध में सामान्य रोस्टर तैयार किया जाये। यदि ऐसा ग्रुप बनाया जाना सम्भव न हो तो 13 पदों तक की संवर्ग पद संख्या के सम्बन्ध में संलग्न रोस्टर (अनुलग्नक II, III और III परिशिष्ट) का अनुपालन किया जाये। इन रोस्टरों के परिचालन किये जाने सम्बन्धी सिद्धान्तों का व्याख्यात्मक टिप्पणियों में उल्लेख किया गया हैं।

2. रोस्टरों के प्रारम्भिक परिचालन के चरण पर, मौजूदा नियुक्तियों को रोस्टर में समायोजित किया जाना आवश्यक होगा। इससे, संवर्ग में संबधित वर्गो में अधिकता/कमी, यदि कोई हो तो उसकी भी पहचान किये जाने मे मदद मिलेगी। ऐसा, सबसे पहली नियुक्ति से आरम्भ करके तथा "अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडे वर्ग/सामान्य द्वारा प्रयुक्त" जैसा भी मामला हो, मॉडल रोस्टरों में प्रत्येक बिन्दु के लिये उपयुक्त रूप से चिन्हित करके किया जाये। जैसा कि नमूना रोस्टर में संलग्न व्याख्यात्मक टिप्पणियों में उल्लिखित किया गया हैं। जहाँ तक सीधी भर्ती का सम्बन्ध है इस प्रकार का समायोजन करते समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के उन उम्मीदवारों की नियुक्तियाँ जो योग्यता के आधार पर थीं (और न कि आरक्षण के कारण) ऐसी नियुक्तियों की गणना आरक्षण के लिये नहीं गिनी जायेगी। अन्य शब्दों में, उन्हें सामान्य वर्ग की नियुक्तियों के समान माना जाना हैं।

3. अधिकता, यदि कोई हो तो उसे भविष्य में होने वाली नियुक्तियों से समायोजित किया जायेगा तथा मौजूदा नियुक्तियों में परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे रोस्टर तैयार करने के संबंध में त्वरित कार्यवाही करें तथा उक्त दिशा निर्देशों के अनुसार इन्हें लागू करें।

5. इस विषय पर मौजूदा आदेश, यहाँ बताई गयी सीमा तक संशोधित समझे जायें।

6. ये आदेश, इनके जारी होने की तारीख से लागू होगें। तथापि, जहाँ चयन पहले ही किये जा चुके है वहाँ कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नही है ऐसे मामलों में आवश्यक समायोजन

-

भविष्य में किया जायें। अन्य मामलों में, संशोधित रोस्टर लागू हो जाने तक भर्ती रोक दी जाये तथा प्रभावित भर्ती इन अनुदेशों के अनुसार की जायें।

का.ज्ञा. 36012/2/96 – स्था. (आरक्षण) दिनांक 02.07.1997 का अनुलग्नक–I

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँः–

पद पर आधारित रोस्टर बनाने तथा उन्हें क्रियान्वित करने के सिद्धांत।

1. जैसा कि अभी तक ये रोस्टर, विभिन्न श्रेणियों के लिये आरक्षित कोटे के सम्बन्ध में केवल उनकी हकदारी तय करने के सिलसिले में सहायता करते है। इन रोस्टरों से वरिष्ठता तय नहीं की जाती।

2. मॉडल रोस्टर, दो मूल सिद्धांत ध्यान में रखते हुये तैयार किये गये हैं। इन सिद्वांतों के अनुसार, हकदार श्रेणियों के लिये आरक्षण, उनके लिये आरक्षण की निर्धारित प्रतिशतता के भीतर ही किया जाना चाहिये तथा किसी भी स्थिति में कुल आरक्षण, संवर्ग के पदों की संख्या के 50% से अधिक नहीं होना चाहिये।

3. सीधी भर्ती के तथा ऐसी पदोन्नतियाँ जिनमें आरक्षण लागू हो, के संबंध में अलग–अलग रोस्टर रखे जाने चाहियें।

4. प्रत्येक रोस्टर में बिंदुओं की संख्या, किसी भी सवंर्ग में पदों की संख्या के समान होनी चाहिए।

5. रोस्टर तैयार करने के उद्देश्य से जब सामान्यतः संवर्ग का अर्थ, किसी ग्रेड विशेष में पदों की संख्या से लगाया जाता है तब इसमें प्रयोज्य भर्ती– नियमों के अनुसार भर्ती की किसी पद्वति विशेष से भरे जाने के लिये अपेक्षित पद समाविष्ट होने चाहिए। उदाहरण के तौर पर, 200 पद समाविष्ट किये हुये किसी भी ऐसे संवर्ग, जिसके भर्ती नियमों में सीधी भर्ती तथा पदोन्नतियों का 50 : 50 का अनुपात निर्धारित किया गया हों, से सम्बन्धित भर्ती के रोस्टर में 100 बिंदु होगें तथा पदोन्नति से सम्बन्धित रोस्टर में भी 100 बिंदु, इस प्रकार उपर्युक्त दोनों रोस्टरों में कुल मिलाकर 200 बिन्दु होगें।

6. जैसा कि मॉडल रोस्टर में दर्शाया गया है, रोस्टर बनाने की प्रक्रिया में विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के लिये आरक्षण की निर्धारित प्रतिशतता से प्रत्येक पद का गुणा किया जाना अपेक्षित है। ऐसा बिंदु, जहाँ किसी समुदाय का गुणज किसी पूरी संख्या या अंक में आ जायें अथवा वह उस संख्या से आगें बढ़ जाये, तो विभिन्न आरक्षित श्रेणियों को निष्पक्षता से उपयुक्त बिंदु प्रदान करने पर ध्यान देते हुये उसे उस समुदाय के लिये आरक्षित किया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार, इस रोस्टर के अनुलग्नक–II में दर्शाए गये बिंदु संख्या 15 पर अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति, दोनों हकदार हो जाते है। चूंकि पहले का आरक्षित बिंदु अन्य पिछडे वर्गों को मिला है, बिंदु संख्या 15 अनुसूचित जाति के लिये तथा बिंदु संख्या 16 अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षित किया गया है।

7. जहाँ कहीं भर्ती नियमों में कुछ प्रतिशत पद स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा भरे जाने हेतु निर्धारित किये गयें हो, वहाँ आरक्षण लागू नहीं होगा। अतः ऐसे रोस्टर बनाते समय पदों का, ऐसे मामलों से सम्बन्धित तदनुरूपी अनुपात रोस्टर में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

-

8. यह देखा जायेगा कि रोस्टर के अंत में, न्यायालयों द्वारा निर्धारित 50% की सीमा का उल्लघंन किये बिना आरक्षित श्रेणियों को उनके लिये आरक्षित किये जाने के लिये अपेक्षित पदों की संख्या तक, आरक्षण मुहैया करवाने के क्रम में निपीड़न की (दबाव डालने की) प्रक्रिया अपनाई गयी है। रोस्टर बनाते समय, संवर्ग – नियंत्रक प्राधिकारियों को भी इसी प्रकार, रोस्टर के अन्तिम बिन्दुओं के संबंध में निपीड़न की (दबाव डालने की) प्रक्रिया अपनानी चाहिए। फिर भी निपीड़न की यह प्रक्रिया वहाँ नहीं अपनाई जानी चाहिए जहाँ इससे 50% तक के आरक्षण के नियम का उल्लघंन हों।

9. जब कभी संवर्ग के पदों की संख्या में बढोंत्तरी अथवा कमी हो, तब उसी के अनुसार रोस्टर विस्तृत अथवा संकुचित किया जाना अपेक्षित हैं। यह तब भी लागू होगा जब कभी भर्ती – नियमों में कोई ऐसा परिवर्तन हो जिससे किसी भर्ती विशेष के माध्यम से भरे जाने वाले पदों का अनुपात प्रभावित हो जायें/रहा हो।

10. यह रोस्टर परिस्थापन के सिद्वांत पर परिचालित किया जाना हैं न कि चालू खाते की भाँति, जैसा कि अब तक किया जाता रहा हैं। दूसरें शब्दों में वे बिंदु जिन पर विभिन्न श्रेणियों के लिये आरक्षण लागू होता हैं, रोस्टर अनुसार निर्धारित किये जाते है और उन बिंदुओं पर नियुक्त व्यक्तियों के सेवानिवृत आदि हो जाने के परिणामस्वरूप हुई रिक्तियो को उन्ही श्रेणियों के व्यक्तियों की नियुक्ति करके ही भरा जायेगा।

11. रोस्टर परिचालित करते समय ऐसे समुदायों के व्यक्तियों, जिनको आरक्षण दिया गया हैं, किंतु उनकी नियुक्ति अपनी योग्यता के आधार पर हुई हैं आरक्षण के आधार पर नहीं, को आरक्षित बिंदुओं पर न दर्शाया जायें। वे अनारक्षित बिन्दुओं पर रखे जायेगें।

12. छोटे संवर्ग (13 पद तक) के सम्बन्ध में सभी पदों को उसी तरीके से चिन्हित किया जायेगा जैसा कि पद– आधारित मॉडल रोस्टरों में किया जाता है। इन पदों पर आरम्भिक भर्ती उसी श्रेणी में से की जायेगी जिसके लिये यह पद चिन्हित हैं। पदाधिकारियों का प्रतिस्थापन्न चक्रानुक्रम द्वारा किया जाये जैसा कि यथा लागू संवर्ग संख्या के सामने क्षैतिज रूप से दर्शाया गया है। संबंधित रोस्टर के परिचालन के समय यह सुनिश्चित किये जाने पर ध्यान देना होगा कि किसी भी अवसर आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों की कुल प्रतिशतता 50%; से अधिक न हो। यदि किसी समय ऐसी स्थिति आती है तो चक्रानुक्रम के परिणामस्वरूप होने वाले संबंधित आरक्षित बिंदु को छोड़ दिया जायेगा।

आरंभिक परिचालन :–

1. रोस्टर के आरम्भिक परिचालन के समय, रोस्टर में प्रत्येक श्रेणी अर्थात अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य श्रेणी के लिये चिन्हित बिंदुओं की तुलना में किसी संवर्ग में विभिन्न श्रेणियों से सम्बन्धित पदाधिकारियों का वास्तविक प्रतिनिधित्व निर्धारित करना आवश्यक होगा। ऐसा सबसे पहले नियुक्त व्यक्ति से प्रारम्भ करते हुये, रोस्टर के प्रत्येक बिंदु पर हुई नियुक्तियों को आलेखित करके किया जा सकता हैं। इस प्रकार यदि संवर्ग में सबसे पहली नियुक्ति अनुसूचित जाति के उम्मीदवार की हुयी हो तो रोस्टर के बिंदु संख्या–1 के सामने यह अभियुक्ति 'अनुसूचित जाति के उम्मीदवार द्वारा भरी गयी ' कर दी जायेगी। यदि अगली नियुक्ति सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार से की जाती हैं तो बिंदु संख्या–2 के सामने यह अभियुक्ति "सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार द्वारा भरी गयी " लिखी जायेगी और इसी प्रकार संबंधित रोस्टर में सभी रिक्तियों का समायोजन होने तक सभी बिंदुओं के सामने अभियुक्ति की जायेगी। ऐसे समायोजन

करते समय सीधी भर्ती में अपनी योग्यता के आधार पर चुने जाने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग के उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी में उम्मीदवार जैसा ही माना जाएगा।

2. ऊपर बताऐ गये समायोजन के पूरा करने के पश्चात संवर्ग में विभिन्न श्रेणियों के उम्मीदवारों के प्रतिनिधित्व की वास्तविक प्रतिशतता निर्धारित करने के लिये हिसाब लगाया जायेगा। यदि किसी आरक्षित श्रेणी का प्रतिनिधित्व निर्धारित सीमा से अधिक है या यदि आरक्षित श्रेणियों का कुल प्रतिनिधित्व 50% से बढ़ जाता है तो इसे भविष्य में की जाने वाली भर्ती में समायोजित किया जायेगा। ऐसी श्रेणियाँ जिनमें अधिक भर्ती हुयी हैं, के कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति आदि से उदभूत रिक्तियों को उस श्रेणी के उम्मीदवार द्वारा भरा जायेगा, जिसें संबंधित रोस्टर बिंदु के सामने दर्शाया गया हैं।

3. चूंकि भर्ती अधिकांशतः रिक्ति आधारित होती है अतः ऐसा हो सकता है कि संवर्ग में पदोन्नति वाले तथा सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों की वास्तविक संख्या संबंधित आरक्षण रोस्टर में चिन्हित पदों की संख्या से मेल न खाती हों। किसी संवर्ग में आरक्षित श्रेणी के प्रतिनिधित्व की गणना, के उददेश्य से, पदोन्नति वाले और सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या को हिसाब में लेना चाहिए। तथापि लक्ष्य ये होना चाहिए कि जहाँ तक सम्भव हो शीघ्रातिशीघ्र भर्ती के निर्धारित प्रतिशतता के अनुसार प्रतिनिधित्व में संशोधन किया जायें।

-

अनुलग्नक– II, कार्यालय ज्ञापन दिनांक 02.07.1997

सीधी भर्ती के लिए

उद्देश्यः– किसी भी समय में प्रत्येक आरक्षित श्रेणी का प्रतिनिधित्व उसके लिए निर्धारित आरक्षण से अधिक नहीं होना चाहिए।

मुक्त प्रतियोगिता द्वारा अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती के लिए पदों के संदर्भ सहित आरक्षण का आदर्श रोस्टर।

पद का स. क्र	पात्रता का अंश/भाग			पद जिसके लिए पद निर्धारित होने चाहिए।
	अ.जा. 15%	अ.ज.जा. 7.5%	अ.पि.व. 27%	
1.	0.15	0.075	0.27	अनारक्षित
2.	0.30	0.15	0.54	अनारक्षित
3.	0.45	0.225	0.81	अनारक्षित
4.	0.6	0.3	1.08	अन्य पिछड़ा वर्ग-1
5.	0.75	0.375	1.35	अनारक्षित
6.	0.90	0.45	1.62	अनारक्षित
7.	1.05	0.525	1.89	अनुसूचित जाति-1
8.	1.2	0.6	2.16	अन्य पिछड़ा वर्ग -2
9.	1.35	0.675	2.43	अनारक्षित
10.	1.5	0.75	2.7	अनारक्षित
11.	1.65	0.825	2.97	अनारक्षित
12.	1.8	0.9	3.24	अन्य पिछड़ा वर्ग -3
13.	1.95	0.975	3.51	अनारक्षित
14.	2.1	1.05	3.78	अनुसूचित जनजाति-1
15.	2.25	1.125	4.05	अनुसूचित जाति -2
16.	2.40	1.2	4.32	अन्य पिछड़ा वर्ग -4
17.	2.55	1.275	4.59	अनारक्षित
18.	2.70	1.35	4.86	अनारक्षित
19.	2.85	1.425	5.13	अन्य पिछड़ा वर्ग -5
20.	3.00	1.5	5.4	अनुसूचित जाति -3
21.	3.15	1.575	5.67	अनारक्षित
22.	3.30	1.65	5.94	अनारक्षित
23.	3.45	1.725	6.21	अन्य पिछड़ा वर्ग -6
24.	3.60	1.8	0.48	अनारक्षित
25.	3.75	1.875	6.75	अनारक्षित
26.	3.90	1.95	7.02	अन्य पिछड़ा वर्ग -7
27.	4.05	2.025	7.29	अनुसूचित जाति -4
28.	4.20	2.1	7.56	अनुसूचित जनजाति -2
29.	4.35	2.175	7.83	अनारक्षित
30.	4.50	2.25	8.10	अन्य पिछड़ा वर्ग -8

-

31.	4.65	2.325	8.37	अनारक्षित
32.	4.80	2.4	8.64	अनारक्षित
33.	4.95	2.475	8.91	अनारक्षित
34.	5.10	2.55	9.18	अन्य पिछड़ा वर्ग -9
35.	5.25	2.625	9.54	अनुसूचित जाति -5
36.	5.40	2.7	9.72	अनारक्षित
37.	5.55	2.775	9.99	अनारक्षित
38.	5.70	2.85	10.26	अन्य पिछड़ा वर्ग -10
39	5.85	2.925	10.53	अनारक्षित
40.	6.00	3	10.8	अनुसूचित जनजाति -3
41.	6.15	3.075	11.07	अनुसूचित जाति -6
42.	6.30	3.15	11.35	अन्य पिछड़ा वर्ग -11
43.	6.45	3.225	11.61	अनारक्षित
44.	6.60	3.3	11.88	अनारक्षित
45.	6.75	3.375	12.15	अन्य पिछड़ा वर्ग -12
46.	6.90	3.45	12.63	अनारक्षित
47.	7.05	3.525	12.62	अनुसूचित जाति -7
48.	7.20	3.6	12.96	अनारक्षित
49.	7.35	3.675	13.23	अन्य पिछड़ा वर्ग -13
50.	7.50	3.75	13.5	अनारक्षित
51.	7.65	3.025	13.77	अनारक्षित
52.	7.80	3.9	14.04	अन्य पिछड़ा वर्ग -14
53.	7.95	3.975	14.31	अनारक्षित
54.	8.10	4.05	14.58	अनुसूचित जाति -8
55.	8.25	4.125	14.85	अनुसूचित जनजाति -4
56.	8.40	4.2	15.12	अन्य पिछड़ा वर्ग -15
57.	8.55	4.275	15.39	अनारक्षित
58.	8.70	4.35	15.65	अनारक्षित
59.	8.85	4.425	15.93	अनारक्षित
60.	9.00	4.5	16.2	अन्य पिछड़ा वर्ग -16
61.	9.15	4.575	16.47	अनुसूचित जाति -9
62.	9.30	4.65	16.74	अनारक्षित
63.	9.45	4.725	17.01	अन्य पिछड़ा वर्ग -17
64.	9.60	4.8	17.28	अनारक्षित
65.	9.75	4.875	17.55	अनारक्षित
66.	9.90	4.95	17.82	अनारक्षित
67.	10.05	5.025	18.09	अन्य पिछड़ा वर्ग -18
68.	10.20	5.1	18.36	अनुसूचित जाति -10
69.	10.35	5.175	18.63	अनुसूचित जनजाति -5
70.	10.50	5.25	10.9	अनारक्षित
71.	10.65	5.325	19.17	अन्य पिछड़ा वर्ग -19
72.	10.80	5.4	19.44	अनारक्षित
73.	10.95	5.475	19.71	अनारक्षित

-

74.	11.10	5.55	19.98	अनुसूचित जाति -11
75.	11.25	5.625	20.25	अन्य पिछड़ा वर्ग -20
76.	11.40	5.7	20.52	अनारक्षित
77.	11.55	5.775	20.79	अनारक्षित
78.	11.70	5.85	21.06	अन्य पिछड़ा वर्ग -21
79.	11.85	5.925	21.33	अनारक्षित
80.	12.00	6	21.6	अनुसूचित जनजाति -6
81.	12.15	6.075	21.87	अनुसूचित जाति -12
82.	12.30	6.15	22.14	अन्य पिछड़ा वर्ग -22
83.	12.45	6.225	22.41	अनारक्षित
84.	12.60	6.3	22.68	अनारक्षित
85.	12.75	6.375	22.95	अनारक्षित
86.	12.90	6.45	23.22	अन्य पिछड़ा वर्ग -23
87.	13.05	6.525	23.49	अनुसूचित जाति -13
88.	13.20	6.6	23.76	अनारक्षित
89.	13.35	6.675	24.03	अन्य पिछड़ा वर्ग -24
90.	13.50	6.75	24.3	अनारक्षित
91.	13.65	6.025	24.57	अनारक्षित
92.	13.80	6.9	24.84	अनारक्षित
93.	13.95	6.975	25.11	अन्य पिछड़ा वर्ग -25
94.	14.10	7.05	25.38	अनुसूचित जाति -14
95.	14.25	7.125	25.65	अनुसूचित जनजाति -7
96.	14.40	7.2	25.92	अनारक्षित
97.	14.55	7.275	26.19	अन्य पिछड़ा वर्ग -26
98.	14.70	7.35	26.46	अनारक्षित
99.	14.85	7.425	26.73	अनुसूचित जाति -15*
100.	15.00	7.5	27	अन्य पिछड़ा वर्ग -27*
101.	15.15	7.575	27.27	अनारक्षित
102.	15.30	7.65	27.54	अनारक्षित
103.	15.45	7.725	27.81	अनारक्षित
104.	15.60	7.80	28.08	अन्य पिछड़ा वर्ग -28
105.	15.75	7.875	28.35	अनारक्षित
106.	15.90	7.95	28.62	अनारक्षित
107.	16.5	8.025	28.89	अनुसूचित जाति -16
108.	16.2	8.10	29.16	अनुसूचित जनजाति -8
109.	16.35	8.175	29.43	अन्य पिछड़ा वर्ग -29
110.	16.50	8.25	29.70	अनारक्षित
111.	16.65	8.325	29.97	अनारक्षित
112.	16.80	8.40	30.24	अन्य पिछड़ा वर्ग -30
113.	16.95	8.475	30.51	अनारक्षित
114.	17.10	8.55	30.78	अनुसूचित जाति -17
115.	17.25	8.625	31.05	अन्य पिछड़ा वर्ग -31
116.	17.40	8.70	31.32	अनारक्षित

-

117.	17.55	8.775	31.59	अनारक्षित
118.	17.70	8.85	31.86	अनारक्षित
119.	17.85	8.925	32.13	अन्य पिछड़ा वर्ग -32
120.	18	9	32.40	अनुसूचित जनजाति -9
121.	18.15	9.075	32.67	अनुसूचित जाति -18
122.	18.30	9.15	32.94	अनारक्षित
123.	18.45	9.225	33.21	अन्य पिछड़ा वर्ग -33
124.	18.60	9.30	33.48	अनारक्षित
125.	18.75	9.375	33.75	अनारक्षित
126.	18.90	9.45	34.02	अन्य पिछड़ा वर्ग -34
127.	19.05	9.525	34.29	अनुसूचित जाति -19
128.	19.20	9.60	34.56	अनारक्षित
129.	19.35	9.675	34.83	अनारक्षित
130.	19.50	9.75	35.10	अन्य पिछड़ा वर्ग -35
131.	19.65	9.825	35.37	अनारक्षित
132.	19.80	9.90	35.64	अनारक्षित
133.	19.95	9.975	35.91	अनारक्षित
134.	20.10	10.05	36.18	अन्य पिछड़ा वर्ग -36
135.	20.25	10.125	36.45	अनुसूचित जाति -20
136.	20.40	10.20	36.72	अनुसूचित जनजाति -10
137.	20.55	10.275	36.99	अनारक्षित
138.	20.70	10.35	37.26	अन्य पिछड़ा वर्ग -37
139.	20.85	10.425	37.53	अनारक्षित
140.	21	10.50	37.80	अनुसूचित जाति -21
141.	21.15	10.575	38.07	अन्य पिछड़ा वर्ग -38
142.	21.30	10.65	38.34	अनारक्षित
143.	21.45	10.725	38.61	अनारक्षित
144.	21.60	10.80	38.88	अनारक्षित
145.	21.75	10.875	39.15	अन्य पिछड़ा वर्ग -39
146.	21.90	10.95	39.42	अनारक्षित
147.	22.05	11.025	39.69	अनुसूचित जाति -22
148.	22.20	11.10	39.96	अनुसूचित जनजाति -11
149.	22.35	11.175	40.23	अन्य पिछड़ा वर्ग -40
150.	22.50	11.25	40.50	अनारक्षित
151.	22.65	11.325	40.77	अनारक्षित
152.	22.80	11.40	41.04	अन्य पिछड़ा वर्ग -41
153.	22.95	11.475	41.31	अनारक्षित
154.	23.10	11.55	41.58	अनुसूचित जाति -23
155.	23.25	11.625	41.85	अनारक्षित
156.	23.40	11.70	42.12	अन्य पिछड़ा वर्ग -42
157.	23.55	11.775	42.39	अनारक्षित
158.	23.70	11.85	42.66	अनारक्षित
159.	23.85	11.925	42.93	अनारक्षित

-

160.	24	12	43.20	अनुसूचित जनजाति -12
161.	24.15	12.075	43.47	अन्य पिछड़ा वर्ग -43
162.	24.30	12.15	43.74	अनुसूचित जाति -24
163.	24.45	12.225	44.01	अन्य पिछड़ा वर्ग -44
164.	24.60	12.30	44.28	अनारक्षित
165.	24.75	12.375	44.55	अनारक्षित
166.	24.90	12.45	44.82	अनारक्षित
167.	25.05	12.525	45.09	अन्य पिछड़ा वर्ग -45
168.	25.20	12.60	45.36	अनुसूचित जाति -25
169.	25.35	12.675	45.63	अनारक्षित
170.	25.50	12.75	45.90	अनारक्षित
171.	25.65	12.825	46.17	अन्य पिछड़ा वर्ग -46
172.	25.80	12.90	46.44	अनारक्षित
173.	25.95	12.975	46.71	अनारक्षित
174.	26.10	13.05	46.98	अनुसूचित जाति -26
175.	26.25	13.125	47.25	अनुसूचित जनजाति -13
176.	26.40	13.20	47.52	अन्य पिछड़ा वर्ग -47
177.	26.55	13.275	47.79	अनारक्षित
178.	26.70	13.35	48.06	अन्य पिछड़ा वर्ग -48
179.	26.85	13.425	48.33	अनारक्षित
180.	27	13.50	48.60	अनुसूचित जाति -27
181.	27.15	13.575	48.87	अनारक्षित
182.	27.30	13.65	49.14	अन्य पिछड़ा वर्ग -49
183.	27.45	13.725	49.41	अनारक्षित
184.	27.60	13.80	49.68	अनारक्षित
185.	27.75	13.875	49.95	अनारक्षित
186.	27.90	13.95	50.22	अन्य पिछड़ा वर्ग -50
187.	28.05	14.025	50.49	अनुसूचित जाति -28
188.	28.20	14.10	50.76	अनुसूचित जनजाति -14
189.	28.35	14.175	51.03	अन्य पिछड़ा वर्ग -51
190	28.50	14.25	51.30	अनारक्षित
191.	28.65	14.325	51.57	अनारक्षित
192.	28.80	14.40	51.84	अनारक्षित
193.	28.95	14.475	52.11	अन्य पिछड़ा वर्ग -52
194.	29.10	14.55	52.38	अनुसूचित जाति -29
195.	29.25	14.625	52.65	अनारक्षित
196.	29.40	14.70	52.92	अनारक्षित
197.	29.55	14.775	53.19	अन्य पिछड़ा वर्ग -53
198.	29.70	14.85	53.46	अनुसूचित जनजाति -15*
199.	29.85	14.925	53.73	अनुसूचित जाति -30*
200.	30	15	54	अन्य पिछड़ा वर्ग -54*

* * 50% के नियम का उल्लंघन किए बिना अपेक्षित पदों की संख्या को आवंटित करना।

-

कार्यालय ज्ञापन दिनांक 02.07.1997 के अनुलग्नक–II का परिशिष्ट

मुक्त प्रतियोगिता द्वारा अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती

13 पदों तक संवर्ग क्षमता के लिए आदर्श रोस्टर

प्रतिस्थापन संख्या

संवर्ग क्षमता	आरंभिक भर्ती	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	11th	12th	13th
1.	UR	UR	UR	OBC	UR	UR	SC	OBC	UR	UR	UR	OBC	UR	ST
2.	UR	UR	OBC	UR	UR	SC	OBC	UR	UR	UR	OBC	UR	ST	
3.	UR	OBC	UR	UR	SC	OBC	UR	UR	UR	OBC	UR	ST		
4.	OBC	UR	UR	SC	OBC	UR	UR	UR	OBC	UR	ST			
5.	UR	UR	SC	OBC	UR	UR	UR	OBC	UR	ST				
6.	UR	SC	OBC	UR	UR	UR	OBC	UR	ST					
7.	SC	OBC	UR	UR	UR	OBC	UR	ST						
8.	OBC	UR	UR	UR	OBC	UR	ST							
9.	UR	UR	UR	OBC	UR	ST								
10.	UR	UR	OBC	UR	ST									
11.	UR	OBC	UR	ST										
12.	OBC	UR	ST											
13.	UR	ST												

टिप्पणीः1. 2 से 13 पदों के संवर्ग के लिए, रोस्टर कॉलम संवर्ग क्षमता के अंतर्गत प्रविष्टि–1 से अंतिम पद तक पढ़ा जाना है और फिर क्षैतिज रूप से पंक्ति में अंतिम प्रविष्टि तक अर्थात जैसे– "L".

2. एक संवर्ग के सभी सभी पदों को कॉलम आरंभिक नियुक्ति के अंतर्गत दर्शाई श्रेणियों के लिए निर्धारित किया जाना हैं। हालांकि, आरंभिक नियुक्ति निर्धारित श्रेणी द्वारा की जाएगी, संवर्ग में किसी भी पद के विरुद्ध प्रतिस्थापन चक्रानुक्रम द्वारा किया जाएगा, जैसा कि क्षैतिज रूप से संवर्ग के अंतिम पद के विरुद्ध दर्शाया गया हैं।

3. इंगित आरक्षित श्रेणी संबंधित चक्रानुक्रम को छोड़ा जा सकता है यदि यह आरक्षित श्रेणी के 50% प्रतिनिधित्व से अधिक हो।

-

कार्यालय ज्ञापन दिनांक 02.07.1997 का अनुलग्नक–III

पदोन्नति के लिए

उद्देश्यः– किसी भी समय में प्रत्येक आरक्षित श्रेणी का प्रतिनिधित्व उसके लिए निर्धारित आरक्षण से अधिक नहीं होना चाहिए।

पदों के संदर्भ सहित आरक्षण का आदर्श रोस्टर

पद का स. क्र.	पात्रता का अंश/भाग SC 15%	ST 7.5%	श्रेणी जिसके लिए पद निर्धारित होना चाहिए।
1.	0.15	0.075	अनारक्षित
2.	0.30	0.15	अनारक्षित
3.	0.45	0.225	अनारक्षित
4.	0.6	0.3	अनारक्षित
5.	0.75	0.375	अनारक्षित
6.	0.90	0.45	अनारक्षित
7.	1.05	0.525	अनुसूचित जाति -1
8.	1.2	0.6	अनारक्षित
9.	1.35	0.675	अनारक्षित
10.	1.5	0.75	अनारक्षित
11.	1.65	0.825	अनारक्षित
12.	1.8	0.9	अनारक्षित
13.	1.95	0.975	अनारक्षित
14.	2.1	1.05	अनुसूचित जनजाति -1
15.	2.25	1.125	अनुसूचित जाति -2
16.	2.40	1.2	अनारक्षित
17.	2.55	1.275	अनारक्षित
18.	2.70	1.35	अनारक्षित
19.	2.85	1.425	अनारक्षित
20.	3.00	1.5	अनुसूचित जाति -3
21.	3.15	1.575	अनारक्षित
22.	3.30	1.65	अनारक्षित
23.	3.45	1.725	अनारक्षित
24.	3.60	1.8	अनारक्षित
25.	3.75	1.875	अनारक्षित
26.	3.90	1.95	अनारक्षित
27.	4.05	2.025	अनुसूचित जाति -4
28.	4.20	2.1	अनुसूचित जनजाति -2
29.	4.35	2.175	अनारक्षित
30.	4.50	2.25	अनारक्षित

-

31.	4.65	2.325	अनारक्षित
32.	4.80	2.4	अनारक्षित
33.	4.95	2.475	अनारक्षित
34.	5.10	2.55	अनारक्षित
35.	5.25	2.625	अनुसूचित जाति -5
36.	5.40	2.7	अनारक्षित
37.	5.55	2.775	अनारक्षित
38.	5.70	2.85	अनारक्षित
39	5.85	2.925	अनारक्षित
40.	6.00	3	अनुसूचित जनजाति -3
41.	6.15	3.075	अनुसूचित जाति -6
42.	6.30	3.15	अनारक्षित
43.	6.45	3.225	अनारक्षित
44.	6.60	3.3	अनारक्षित
45.	6.75	3.375	अनारक्षित
46.	6.90	3.45	अनारक्षित
47.	7.05	3.525	अनुसूचित जाति -7
48.	7.20	3.6	अनारक्षित
49.	7.35	3.675	अनारक्षित
50.	7.50	3.75	अनारक्षित
51.	7.65	3.825	अनारक्षित
52.	7.80	3.9	अनारक्षित
53.	7.95	3.975	अनारक्षित
54.	8.10	4.05	अनुसूचित जाति -8
55.	8.25	4.125	अनुसूचित जनजाति -4
56.	8.40	4.2	अनारक्षित
57.	8.55	4.275	अनारक्षित
58.	8.70	4.35	अनारक्षित
59.	8.85	4.425	अनारक्षित
60.	9.00	4.5	अनारक्षित
61.	9.15	4.575	अनुसूचित जाति -9
62.	9.30	4.65	अनारक्षित
63.	9.45	4.725	अनारक्षित
64.	9.60	4.8	अनारक्षित
65.	9.75	4.875	अनारक्षित
66.	9.90	4.95	अनारक्षित
67.	10.05	5.025	अनारक्षित
68.	10.20	5.1	अनुसूचित जाति -10
69.	10.35	5.175	अनुसूचित जनजाति -5
70.	10.50	5.25	अनारक्षित
71.	10.65	5.325	अनारक्षित
72.	10.80	5.4	अनारक्षित
73.	10.95	5.475	अनारक्षित
74.	11.10	5.55	अनुसूचित जाति -11

-

75.	11.25	5.625	अनारक्षित
76.	11.40	5.7	अनारक्षित
77.	11.55	5.775	अनारक्षित
78.	11.70	5.85	अनारक्षित
79.	11.85	5.925	अनारक्षित
80.	12.00	6	अनुसूचित जनजाति -6
81.	12.15	6.075	अनुसूचित जाति -12
82.	12.30	6.15	अनारक्षित
83.	12.45	6.225	अनारक्षित
84.	12.60	6.3	अनारक्षित
85.	12.75	6.375	अनारक्षित
86.	12.90	6.45	अनारक्षित
87.	13.05	6.525	अनुसूचित जाति -13
88.	13.20	6.6	अनारक्षित
89.	13.35	6.675	अनारक्षित
90.	13.50	6.75	अनारक्षित
91.	13.65	6.825	अनारक्षित
92.	13.80	6.9	अनारक्षित
93.	13.95	6.975	अनारक्षित
94.	14.10	7.05	अनुसूचित जाति -14
95.	14.25	7.125	अनुसूचित जनजाति -7
96.	14.40	7.2	अनारक्षित
97.	14.55	7.275	अनारक्षित
98.	14.70	7.35	अनारक्षित
99.	14.85	7.425	अनुसूचित जाति -15*
100.	15.00	7.5	अनारक्षित
101.	15.15	7.575	अनारक्षित
102.	15.30	7.65	अनारक्षित
103.	15.45	7.725	अनारक्षित
104.	15.60	7.80	अनारक्षित
105.	15.75	7.875	अनारक्षित
106.	15.90	7.95	अनारक्षित
107.	16.5	8.025	अनुसूचित जाति -16
108.	16.2	8.10	अनुसूचित जनजाति -8
109.	16.35	8.175	अनारक्षित
110.	16.50	8.25	अनारक्षित
111.	16.65	8.325	अनारक्षित
112.	16.80	8.40	अनारक्षित
113.	16.95	8.475	अनारक्षित
114.	17.10	8.55	अनुसूचित जाति -17
115.	17.25	8.625	अनारक्षित
116.	17.40	8.70	अनारक्षित
117.	17.55	8.775	अनारक्षित
118.	17.70	8.85	अनारक्षित

-

119.	17.85	8.925	अनारक्षित
120.	18	9	अनुसूचित जनजाति -9
121.	18.15	9.075	अनुसूचित जाति -18
122.	18.30	9.15	अनारक्षित
123.	18.45	9.225	अनारक्षित
124.	18.60	9.30	अनारक्षित
125.	18.75	9.375	अनारक्षित
126.	18.90	9.45	अनारक्षित
127.	19.05	9.525	अनुसूचित जाति -19
128.	19.20	9.60	अनारक्षित
129.	19.35	9.675	अनारक्षित
130.	19.50	9.75	अनारक्षित
131.	19.65	9.825	अनारक्षित
132.	19.80	9.90	अनारक्षित
133.	19.95	9.975	अनारक्षित
134.	20.10	10.05	अनारक्षित
135.	20.25	10.125	अनुसूचित जाति -20
136.	20.40	10.20	अनुसूचित जनजाति -10
137.	20.55	10.275	अनारक्षित
138.	20.70	10.35	अनारक्षित
139.	20.85	10.425	अनारक्षित
140.	21	10.50	अनुसूचित जाति -21
141.	21.15	10.575	अनारक्षित
142.	21.30	10.65	अनारक्षित
143.	21.45	10.725	अनारक्षित
144.	21.60	10.80	अनारक्षित
145.	21.75	10.875	अनारक्षित
146.	21.90	10.95	अनारक्षित
147.	22.05	11.025	अनुसूचित जाति -22
148.	22.20	11.10	अनुसूचित जनजाति -11
149.	22.35	11.175	अनारक्षित
150.	22.50	11.25	अनारक्षित
151.	22.65	11.325	अनारक्षित
152.	22.80	11.40	अनारक्षित
153.	22.95	11.475	अनारक्षित
154.	23.10	11.55	अनुसूचित जाति -23
155.	23.25	11.625	अनारक्षित
156.	23.40	11.70	अनारक्षित
157.	23.55	11.775	अनारक्षित
158.	23.70	11.85	अनारक्षित
159.	23.85	11.925	अनारक्षित
160.	24	12	अनुसूचित जनजाति -12
161.	24.15	12.075	अनारक्षित
162.	24.30	12.15	अनुसूचित जाति -24

-

163.	24.45	12.225	अनारक्षित
164.	24.60	12.30	अनारक्षित
165.	24.75	12.375	अनारक्षित
166.	24.90	12.45	अनारक्षित
167.	25.05	12.525	अनारक्षित
168.	25.20	12.60	अनुसूचित जाति -25
169.	25.35	12.675	अनारक्षित
170.	25.50	12.75	अनारक्षित
171.	25.65	12.825	अनारक्षित
172.	25.80	12.90	अनारक्षित
173.	25.95	12.975	अनारक्षित
174.	26.10	13.05	अनुसूचित जाति -26
175.	26.25	13.125	अनुसूचित जनजाति -13
176.	26.40	13.20	अनारक्षित
177.	26.55	13.275	अनारक्षित
178.	26.70	13.35	अनारक्षित
179.	26.85	13.425	अनारक्षित
180.	27	13.50	अनुसूचित जाति -27
181.	27.15	13.575	अनारक्षित
182.	27.30	13.65	अनारक्षित
183.	27.45	13.725	अनारक्षित
184.	27.60	13.80	अनारक्षित
185.	27.75	13.875	अनारक्षित
186.	27.90	13.95	अनारक्षित
187.	28.05	14.025	अनुसूचित जाति -28
188.	28.20	14.10	अनुसूचित जनजाति -14
189.	28.35	14.175	अनारक्षित
190	28.50	14.25	अनारक्षित
191.	28.65	14.325	अनारक्षित
192.	28.80	14.40	अनारक्षित
193.	28.95	14.475	अनारक्षित
194.	29.10	14.55	अनुसूचित जाति -29
195.	29.25	14.625	अनारक्षित
196.	29.40	14.70	अनारक्षित
197.	29.55	14.775	अनारक्षित
198.	29.70	14.85	अनुसूचित जनजाति-15*
199.	29.85	14.925	अनुसूचित जाति -30*
200.	30	15	अनारक्षित

* 50% के नियम का उल्लंघन किए बिना अपेक्षित पदों की संख्या को आवंटित करना।

-

कार्यालय ज्ञापन दिनांक 02.07.1997 का अनुलग्नक–III का परिशिष्ट

13 पदों तक संवर्ग क्षमता के लिए आदर्श रोस्टर

प्रतिस्थापन संख्या

संवर्ग क्षमता	आरंभिक भर्ती	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	11th	12th	13th
1.	UR	UR	UR	UR	UR	UR	SC	UR	UR	UR	UR	UR	UR	ST
2.	UR	UR	UR	UR	UR	SC	UR	UR	UR	UR	UR	UR	ST	
3.	UR	UR	UR	UR	SC	UR	UR	UR	UR	UR	UR	ST		
4.	UR	UR	UR	SC	UR	UR	UR	UR	UR	UR	ST			
5.	UR	UR	SC	UR	UR	UR	UR	UR	UR	ST				
6.	UR	SC	UR	UR	UR	UR	UR	UR	ST					
7.	SC	UR	UR	UR	UR	OBC	UR	ST						
8.	UR	UR	UR	UR	UR	UR	ST							
9.	UR	UR	UR	UR	UR	ST								
10.	UR	UR	UR	UR	ST									
11.	UR	UR	UR	ST										
12.	UR	UR	ST											
13.	UR	ST												

टिप्पणी:1. 2 से 13 पदों के संवर्ग के लिए, रोस्टर कॉलम संवर्ग क्षमता के अंतर्गत प्रविष्टि–1 से अंतिम पद तक पढ़ा जाना है और फिर क्षैतिज रूप से पंक्ति में अंतिम प्रविष्टि तक अर्थात जैसे– "L".

2. एक संवर्ग के सभी सभी पदों को कॉलम आरंभिक नियुक्ति के अंतर्गत दर्शाई श्रेणियों के लिए निर्धारित किया जाना हैं। हालांकि, आरंभिक नियुक्ति निर्धारित श्रेणी द्वारा की जाएगी, संवर्ग में किसी भी पद के विरुद्ध प्रतिस्थापन चक्रानुक्रम द्वारा किया जाएगा, जैसा कि क्षैतिज रूप से संवर्ग के अंतिम पद के विरुद्ध दर्शाया गया हैं।

3. इंगित आरक्षित श्रेणी संबंधित चक्रानुक्रम को छोड़ा जा सकता है यदि यह आरक्षित श्रेणी के 50% प्रतिनिधित्व से अधिक हो।

-

अनुलग्नक– IV, कार्यालय ज्ञापन दिनांक 02.07.1997

सीधी भर्ती के लिए

II

उद्देश्यः– किसी भी समय में प्रत्येक आरक्षित श्रेणी का प्रतिनिधित्व उसके लिए निर्धारित आरक्षण से अधिक नहीं होना चाहिए।

मुक्त प्रतियोगिता द्वारा अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती के लिए पदों के संदर्भ सहित आरक्षण का आदर्श रोस्टर।

पद का सरल क्रमांक	पात्रता का अंश/भाग			श्रेणी जिसके लिए पद निर्धारित होना चाहिए।
	एस.सी. 16.66%	एस.टी. 7.5%	ओ.बी.सी. 25.84%	
1.	0.166	0.075	0.258	अनारक्षित
2.	0.332	0.150	0.516	अनारक्षित
3.	0.498	0.225	0.774	अनारक्षित
4.	0.664	0.300	1.032	अन्य पिछड़ा वर्ग -1
5.	0.830	0.375	1.290	अनारक्षित
6.	0.996	0.450	1.548	अनारक्षित
7.	1.162	0.525	1.806	अनुसूचित जाति -1
8.	1.328	0.600	2.064	अन्य पिछड़ा वर्ग -2
9.	1.494	0.675	2.322	अनारक्षित
10.	1.660	0.750	2.580	अनारक्षित
11.	1.826	0.825	2.838	अनारक्षित
12.	1.992	0.900	3.096	अन्य पिछड़ा वर्ग -3
13.	2.158	0.975	3.354	अनुसूचित जाति -2
14.	2.324	1.050	3.612	अनुसूचित जनजाति -1
15.	2.490	1.125	3.870	अनारक्षित
16.	2.656	1.200	4.128	अन्य पिछड़ा वर्ग -4
17.	2.822	1.275	4.386	अनारक्षित
18.	2.988	1.350	4.644	अनारक्षित
19.	3.154	1.425	4.902	अनुसूचित जाति -3
20.	3.320	1.500	5.160	अन्य पिछड़ा वर्ग -5
21.	3.486	1.575	5.418	अनारक्षित
22.	3.652	1.650	5.676	अनारक्षित
23.	3.818	1.725	5.934	अनारक्षित
24.	3.984	1.800	6.192	अन्य पिछड़ा वर्ग -6
25.	4.150	1.875	6.480	अनुसूचित जाति -4
26.	4.316	1.950	6.708	अनारक्षित
27.	4.482	2.025	6.966	अनुसूचित जनजाति -2
28.	4.648	2.100	7.224	अन्य पिछड़ा वर्ग -7
29.	4.814	2.175	7.482	अनारक्षित
30.	4.980	2.250	7.740	अनारक्षित
31.	5.146	2.325	7.998	अनुसूचित जाति -5

-

32.	5.312	2.400	8.256	अन्य पिछड़ा वर्ग -8
33.	5.478	2.475	8.516	अनारक्षित
34.	5.644	2.550	8.772	अनारक्षित
35.	5.810	2.625	9.030	अन्य पिछड़ा वर्ग -9
36.	5.976	2.700	9.288	अनारक्षित
37.	6.142	2.775	9.546	अनुसूचित जाति -6
38.	6.308	2.850	9.804	अनारक्षित
39	6.474	2.925	10.062	अन्य पिछड़ा वर्ग -10
40.	6.640	3.000	10.320	अनुसूचित जनजाति -3
41.	6.806	3.075	10.578	अनारक्षित
42.	6.972	3.150	10.836	अनारक्षित
43.	7.138	3.225	11.094	अनुसूचित जाति -7
44.	7.304	3.300	11.352	अन्य पिछड़ा वर्ग -11
45.	7.470	3.375	11.610	अनारक्षित
46.	7.636	3.450	11.868	अनारक्षित
47.	7.802	3.525	12.126	अन्य पिछड़ा वर्ग -12
48.	7.968	3.600	12.384	अनारक्षित
49.	8.134	3.675	12.642	अनुसूचित जाति -8
50.	8.300	3.750	12.900	अनारक्षित
51.	8.466	3.825	13.158	अन्य पिछड़ा वर्ग -13
52.	8.632	3.900	13.416	अनारक्षित
53.	8.798	3.975	13.674	अनारक्षित
54.	8.964	4.050	13.932	अनुसूचित जनजाति -4
55.	9.130	4.125	14.190	अन्य पिछड़ा वर्ग -14
56.	9.296	4.200	14.448	अनुसूचित जाति -9
57.	9.462	4.275	14.706	अनारक्षित
58.	9.628	4.350	14.964	अनारक्षित
59.	9.794	4.425	15.222	अन्य पिछड़ा वर्ग -15
60.	9.960	4.500	15.480	अनारक्षित
61.	10.126	4.575	15.738	अनुसूचित जाति -10
62.	10.292	4.650	15.996	अनारक्षित
63.	10.458	4.725	16.254	अन्य पिछड़ा वर्ग -16
64.	10.624	4.800	16.512	अनारक्षित
65.	10.790	4.875	16.770	अनारक्षित
66.	10.956	4.950	17.028	अन्य पिछड़ा वर्ग -17
67.	11.122	5.025	17.286	अनुसूचित जाति -11
68.	11.288	5.100	17.544	अनुसूचित जनजाति -5
69.	11.454	5.175	17.802	अनारक्षित
70.	11.620	5.250	18.060	अन्य पिछड़ा वर्ग -18
71.	11.786	5.325	18.318	अनारक्षित
72.	11.952	5.400	18.576	अनारक्षित
73.	12.118	5.475	18.834	अनुसूचित जाति -12
74.	12.284	5.550	19.092	अन्य पिछड़ा वर्ग -19

-

75.	12.450	5.625	19.350	अनारक्षित
76.	12.616	5.700	19.608	अनारक्षित
77.	12.782	5.775	19.866	अनारक्षित
78.	12.948	5.850	20.124	अन्य पिछड़ा वर्ग -20
79.	13.114	5.925	20.382	अनुसूचित जाति -13
80.	13.280	6.000	20.640	अनुसूचित जनजाति -6
81.	13.446	6.075	20.898	अनारक्षित
82.	13.612	6.150	21.156	अन्य पिछड़ा वर्ग -21
83.	13.778	6.225	21.414	अनारक्षित
84.	13.944	6.300	21.672	अनारक्षित
85.	14.110	6.375	21.930	अनुसूचित जाति -14
86.	14.276	6.450	22.188	अन्य पिछड़ा वर्ग -22
87.	14.442	6.525	22.446	अनारक्षित
88.	14.608	6.600	22.704	अनारक्षित
89.	14.774	6.675	22.962	अनारक्षित
90.	14.940	6.750	23.220	अन्य पिछड़ा वर्ग -23
91.	15.106	6.825	23.478	अनुसूचित जाति -15
92.	15.272	6.900	23.736	अनारक्षित
93.	15.438	6.975	23.994	अनारक्षित
94.	15.604	7.050	24.252	अन्य पिछड़ा वर्ग -24
95.	15.770	7.125	24.510	अनुसूचित जनजाति -7
96.	15.936	7.200	24.768	अनारक्षित
97.	16.102	7.275	25.026	अनुसूचित जाति -16
98.	16.268	7.350	25.284	अन्य पिछड़ा वर्ग -25
99.	16.434	7.425	25.542	अनारक्षित
100.	16.600	7.500	25.800	अनारक्षित
101.	16.766	7.575	26.058	अन्य पिछड़ा वर्ग -26
102.	16.932	7.650	26.316	अनारक्षित
103.	17.098	7.725	26.574	अनुसूचित जाति -17
104.	17.264	7.800	26.832	अनारक्षित
105.	17.430	7.875	27.090	अन्य पिछड़ा वर्ग -27
106.	17.596	7.950	27.348	अनारक्षित
107.	17.762	8.025	27.606	अनुसूचित जनजाति -8
108.	17.928	8.100	27.864	अनारक्षित
109.	18.094	8.175	28.122	अन्य पिछड़ा वर्ग -28
110.	18.260	8.250	28.380	अनुसूचित जाति -18
111.	18.426	8.325	28.638	अनारक्षित
112.	18.592	8.400	28.896	अनारक्षित
113.	18.758	8.475	29.154	अन्य पिछड़ा वर्ग -29
114.	18.924	8.550	29.412	अनारक्षित
115.	19.090	8.625	29.670	अनुसूचित जाति -19
116.	19.256	8.700	29.928	अनारक्षित
117.	19.422	8.775	30.186	अन्य पिछड़ा वर्ग -30

-

118.	19.588	8.850	30.444	अनुसूचित जनजाति -9
119.	19.754	8.925	30.702	अनुसूचित जाति -20*
120.	19.920	9.00	30.960	अन्य पिछड़ा वर्ग -31*

* 50% के नियम का उल्लंघन किए बिना अपेक्षित पदों की संख्या को आवंटित करना।

-

कार्यालय ज्ञापन दिनांक 02.07.1997 का अनुलग्नक–IV, का परिशिष्ट

सीधी भर्ती के लिए रोस्टर अन्यथा 13 पदों तक संवर्ग क्षमता के लिए मुक्त प्रतियोगिता द्वारा

प्रतिस्थापन संख्या

संवर्ग क्षमता	आरंभिक भर्ती	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	11th	12th	13th
1.	UR	L	L	C	L	L	L	C	L	L	L	C	SC	ST
2.	UR	L	C	L	L	L	C	L	L	L	C	L	ST	
3.	UR	C	L	L	L	C	L	L	L	C	L	ST		
4.	)BC	L	L	L	C	L	L	L	C	L	ST			
5.	UR	L	L	C	L	L	L	C	L	ST				
6.	UR	L	C	L	L	L	C	L	ST					
7.	SC	C	L	L	L	C	L	ST						
8.	)BC	L	L	L	C	L	ST							
9.	UR	L	L	C	L	ST								
10.	UR	L	C	L	ST									
11.	UR	C	L	ST										
12.	)BC	L	ST											
13.	SC	ST												

टिप्पणीः1. 2 से 13 पदों के संवर्ग के लिए, रोस्टर कॉलम संवर्ग क्षमता के अंतर्गत प्रविष्टि–1 से अंतिम पद तक पढ़ा जाना है और फिर क्षैतिज रूप से पंक्ति में अंतिम प्रविष्टि तक अर्थात जैसे– "L".

2. एक संवर्ग के सभी सभी पदों को कॉलम आरंभिक नियुक्ति के अंतर्गत दर्शाई श्रेणियों के लिए निर्धारित किया जाना हैं। हालांकि, आरंभिक नियुक्ति निर्धारित श्रेणी द्वारा की जाएगी, संवर्ग में किसी भी पद के विरुद्ध प्रतिस्थापन चक्रानुक्रम द्वारा किया जाएगा, जैसा कि क्षैतिज रूप से संवर्ग के अंतिम पद के विरुद्ध दर्शाया गया हैं।

3. इंगित आरक्षित श्रेणी संबंधित चक्रानुक्रम को छोड़ा जा सकता है यदि यह आरक्षित श्रेणी के 50% प्रतिनिधित्व से अधिक हो।

-

अनुलग्नक-II

1	अनुसूचित जाति
2	अनारक्षित
3	अनुसूचित जनजाति
4	अनारक्षित
5	अन्य पिछड़ा वर्ग
6	अनारक्षित
7	अनुसूचित जाति
8	अनारक्षित
9	अन्य पिछड़ा वर्ग
10	अनारक्षित
11	अन्य पिछड़ा वर्ग
12	अनारक्षित
13	अनुसूचित जाति
14	अनारक्षित
15	अन्य पिछड़ा वर्ग
16	अनारक्षित
17	अनुसूचित जनजाति
18	अनारक्षित
19	अन्य पिछड़ा वर्ग
20	अनारक्षित
21	अनुसूचित जाति
22	अनारक्षित
23	अन्य पिछड़ा वर्ग
24	अनारक्षित
25	अन्य पिछड़ा वर्ग
26	अनारक्षित
27	अनुसूचित जाति
28	अनारक्षित
29	अन्य पिछड़ा वर्ग
30	अनारक्षित
31	अनुसूचित जनजाति
32	अनारक्षित
33	अन्य पिछड़ा वर्ग
34	अनारक्षित
35	अनुसूचित जाति
36	अनारक्षित
37	अन्य पिछड़ा वर्ग
38	अनारक्षित
39	अन्य पिछड़ा वर्ग
40	अनारक्षित
41	अनुसूचित जाति
42	अनारक्षित

-

43 अन्य पिछड़ा वर्ग
44 अनारक्षित
45 अनुसूचित जनजाति
46 अनारक्षित
47 अन्य पिछड़ा वर्ग
48 अनारक्षित
49 अनुसूचित जाति
50 अनारक्षित
51 अन्य पिछड़ा वर्ग
52 अनारक्षित
53 अनुसूचित जाति
54 अनारक्षित
55 अन्य पिछड़ा वर्ग
56 अनारक्षित
57 अनुसूचित जनजाति
58 अनारक्षित
59 अन्य पिछड़ा वर्ग
60 अनारक्षित
61 अनुसूचित जाति
62 अनारक्षित
63 अन्य पिछड़ा वर्ग
64 अनारक्षित
65 अन्य पिछड़ा वर्ग
66 अनारक्षित
67 अनुसूचित जाति
68 अनारक्षित
69 अन्य पिछड़ा वर्ग
70 अनारक्षित
71 अनुसूचित जनजाति
72 अनारक्षित
73 अन्य पिछड़ा वर्ग
74 अनारक्षित
75 अन्य पिछड़ा वर्ग
76 अनारक्षित
77 अनुसूचित जाति
78 अनारक्षित
79 अन्य पिछड़ा वर्ग
80 अनारक्षित
81 अनुसूचित जाति
82 अनारक्षित
83 अन्य पिछड़ा वर्ग
84 अनारक्षित
85 अनुसूचित जनजाति
86 अनारक्षित

-

87 अन्य पिछड़ा वर्ग
88 अनारक्षित
89 अनुसूचित जाति
90 अनारक्षित
91 अन्य पिछड़ा वर्ग
92 अनारक्षित
93 अनुसूचित जाति
94 अनारक्षित
95 अन्य पिछड़ा वर्ग
96 अनारक्षित
97 अनुसूचित जनजाति
98 अनारक्षित
99 अन्य पिछड़ा वर्ग
100 अनारक्षित
101 अनुसूचित जाति
102 अनारक्षित
103 अन्य पिछड़ा वर्ग
104 अनारक्षित
105 अन्य पिछड़ा वर्ग
106 अनारक्षित
107 अनुसूचित जाति
108 अनारक्षित
109 अन्य पिछड़ा वर्ग
110 अनारक्षित
111 अनुसूचित जनजाति
112 अनारक्षित
113 अन्य पिछड़ा वर्ग
114 अनारक्षित
115 अनुसूचित जाति
116 अनारक्षित
117 अन्य पिछड़ा वर्ग
118 अनारक्षित
119 अन्य पिछड़ा वर्ग
120 अनारक्षित
121 अनुसूचित जाति
122 अनारक्षित
123 अन्य पिछड़ा वर्ग
124 अनारक्षित
125 अनुसूचित जनजाति
126 अनारक्षित
127 अन्य पिछड़ा वर्ग
128 अनारक्षित
129 अनुसूचित जाति
130 अनारक्षित

-

131 अन्य पिछड़ा वर्ग
132 अनारक्षित
133 अनुसूचित जाति
134 अनारक्षित
135 अन्य पिछड़ा वर्ग
136 अनारक्षित
137 अनुसूचित जनजाति
138 अनारक्षित
139 अन्य पिछड़ा वर्ग
140 अनारक्षित
141 अनुसूचित जाति
142 अनारक्षित
143 अन्य पिछड़ा वर्ग
144 अनारक्षित
145 अन्य पिछड़ा वर्ग
146 अनारक्षित
147 अनुसूचित जाति
148 अनारक्षित
149 अन्य पिछड़ा वर्ग
150 अनारक्षित
151 अनुसूचित जनजाति
152 अनारक्षित
153 अन्य पिछड़ा वर्ग
154 अनारक्षित
155 अनुसूचित जाति
156 अनारक्षित
157 अन्य पिछड़ा वर्ग
158 अनारक्षित
159 अन्य पिछड़ा वर्ग
160 अनारक्षित
161 अनुसूचित जाति
162 अनारक्षित
163 अन्य पिछड़ा वर्ग
164 अनारक्षित
165 अनुसूचित जनजाति
166 अनारक्षित
167 अन्य पिछड़ा वर्ग
168 अनारक्षित
169 अनुसूचित जाति
170 अनारक्षित
171 अन्य पिछड़ा वर्ग
172 अनारक्षित
173 अनुसूचित जाति
174 अनारक्षित

-

175 अन्य पिछड़ा वर्ग
176 अनारक्षित
177 अनुसूचित जनजाति
178 अनारक्षित
179 अन्य पिछड़ा वर्ग
180 अनारक्षित
181 अनुसूचित जाति
182 अनारक्षित
183 अन्य पिछड़ा वर्ग
184 अनारक्षित
185 अन्य पिछड़ा वर्ग
186 अनारक्षित
187 अनुसूचित जाति
188 अनारक्षित
189 अन्य पिछड़ा वर्ग
190 अनारक्षित
191 अनुसूचित जनजाति
192 अनारक्षित
193 अन्य पिछड़ा वर्ग
194 अनारक्षित
195 अनुसूचित जाति
196 अनारक्षित
197 अन्य पिछड़ा वर्ग
198 अनारक्षित
199 अनारक्षित
200 अनारक्षित

-

अनुलग्नक–III

अभिमत

विषयः– आर.के. सभरवाल बनाम पंजाब राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.2.95 के आधार पर "पद–आधारित रोस्टर्स " का परिचय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का कार्यालय आदेश क्रमांक 36012/2/96–स्थापना(Res.)

मैने फाइल का अध्ययन किया है। प्रासंगिक तथ्य एवं प्रतिद्वंदी बिन्दुओं को मामले के बयान में निर्धारित किया जा चुका हैं और इसलिये पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है। समक्ष रखे गये विशेष प्रश्नों पर मेरा मत निम्न लिखित है–

प्रश्न–1 क्या आर.के. सभरवाल मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप, पुरानी रिक्ति आधारित रोस्टर को जारी रखा जा सकता है अथवा निर्णय की भावनाओं को ध्यान में रखतें हुयें पद आधारित रोस्टर को जारी रखा जायें ?

उत्तरः–1 सर्वोच्च न्यायालय ने सभरवाल मामलें (1995) 2 SCC 745 के अपने निर्णय में, सरकार को रिक्ति आधारित रोस्टर में संशोधन करने के लिये नहीं कहा है, किन्तु पैरा 10.1 में दिये गये कारणों से सरकार के पास पद– आधारित रोस्टर को जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। 50% आरक्षण की द्विस्तरीय सीमा के अन्दर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इन्दिरा साहनी मामले (1992) 2 SCC 217 में पहला वर्ष को इकाई की तरह लेता है तथा दूसरा 50% पद सभरवाल मामले वालों को, दोनों को सरकार द्वारा सम्मिलित किया जाता हैं। जहाँ इन्दिरा साहनी मामले में रिक्ति–आधारित रोस्टर 50% सीमा को ध्यान में रखते हुये एक वर्ष को इकाई की तरह लेता है, वहीं कुल पदों की संख्या की 50% आरक्षण सीमा जो कि संवर्ग को मजबूत करती है, रिक्ति–आधारित रोस्टर के द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती हैं।

संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया कानून भारतीय संघ के सभी न्यायालयों में मान्य होगा। संविधान के अनुच्छेद 144 के अनुसार, भारतीय संघ में सभी सिविल एवं न्यायिक, प्राधिकरण सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेगें। संविधान के इन्हीं प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये, सरकार पुराने रिक्ति आधारित रोस्टर को जारी नहीं रख सकती तथा सभरवाल मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के साथ इसको पंक्ति में लाना पड़ा।

प्रश्न 2 – क्या आर.के. सभरवाल मामले दिनांक 10.2.95 में सर्वोच्च न्यायालय के 5–न्यायाधीशों की बेंच द्वारा पद व रिक्तियों की विभिन्नता के मत को माना जायें या जगदीश लाल मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 3–न्यायाधीशों की बेंच के "पद और रिक्ति में कोई अन्तर नहीं " मत को माना जायें ?

उत्तरः–2 आर.के. सभरवाल के मामले में विचाराधीन विशेष प्रश्न यह था कि क्या रोस्टर जो कि वर्ष दर वर्ष चालू खाते की तरह क्रियान्वित होता रहा है, इस ढ़ंग से प्रयोग किया जा सकता है कि आरक्षण, पदों के 50% से ज्यादा होगा जो कि संवर्ग को मजबूत करेगा। इस सम्बन्ध में शब्द "पद" और " रिक्ति " अनुच्छेद 6 में भिन्नित और विचाराधीन किये गये हैं।

जगदीश लाल के मामले प्रश्न यह था कि क्या रोस्टर बिंदु के अनुसार जो आरक्षण सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को दिया गया है वह सम्बन्धित संवर्ग में आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के ऊपर

-

वरिष्ठता क्रम को प्रभावित करेगा? जो प्रश्न सभरवाल के मामले में उठा था वह प्रश्न जगदीश लाल के मामले में नहीं उठा। जगदीश लाल के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुच्छेद (5) से लिया गया है, यह दिखाता है कि सभरवाल केस का निर्णय इस केस पर कोई प्रभाव नहीं डालता। जगदीश लाल के मामले में न्यायमूर्ति के रामास्वामी ने सभरवाल के मामले से संज्ञान लेते हुये यह निर्णय लिया कि सामान्य पदों पर पदोन्नति के लिये आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा के योग्य हैं और उनके चयन के बाद रोस्टर के हिसाब से वह सामान्य पदों पर समायोजित होगें आरक्षित अभ्यर्थियों को आरक्षित अभ्यर्थियों के लिये जरूरी अंकों के हिसाब से समाहित होना चाहिए। "पद व रिक्ति " शब्दों के अर्थ के लिये जगदीश लाल केस में कोई चर्चा नहीं हुयी। सभरवाल मामले के न्याय से भिन्न न्याय के लिये कोई भी प्रयास नहीं हुआ। वास्तव में तीन न्यायाधीशों की बेंच ने सभरवाल मामले में 5 न्यायाधीशों की बेंच के निर्णय को खारिज नहीं किया। जगदीश लाल मामले में " पद व रिक्ति " को लेकर किये गये निर्णय का सामान्य एवं ढीला भाव यह नही दर्शाता कि जगदीश लाल मामले के निर्णय में "पद" और " रिक्ति " में कोई भिन्नता नहीं है।

मेरा यह मत है कि जगदीश लाल मामले में पद एवं रिक्ति के अर्थ को लेकर कोई चर्चा नहीं हुयी तो आर.के. सभरवाल मामले में 5 न्यायाधीशों की बेंच का निर्णय कानून के अनुसार इसमें बराबर या छोटी बेच के निर्णय व ऊपर होगा। किसी भी मामले में बड़ी बेंच का निर्णय छोटी बेंच के निर्णय से ऊपर रहता है। (बिक्री कर आयुक्त बनाम पाइन कैमीकल्स 1995 1 SCC 58)

प्रश्न–3 क्या अनुच्छेद 10.4. से 10.13 में वर्णित स्थिति तथा उठाये गये बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये पद आधारित रोस्टर दीर्घकालिक हैं ?

उत्तर–3 मेरे पहले दिये गये मत को ध्यान में रखते हुये सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के साथ पद–आधारित रोस्टर सुसंगत है तथा इसीलिये कानूनी रूप से दीर्घकालिक हैं।

प्रश्न–4 क्या कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) के पत्र क. दिनांक 02/07/97 में दिये हुये निर्देशों को संसद के कानून के द्वारा आर.के. सभरवाल मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय को निष्प्रभावी करने के लिये बदला जा सकता है और यदि ऐसा है तो क्या इस एक्ट को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर संविधान की 9 वीं अनुसूची में लाया जा सकता हैं?

उत्तर–4 आरक्षण के सम्बन्ध में अनुच्छेद 14 से 16 पर सामान्य विधायी शाक्ति को प्रयोग करने वाला संसद का कोई अधिनियम सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या को निष्प्रभावी नहीं कर सकता। ऐसा केवल स्वयं संविधान में, अनुच्छेद 16 में संशोधन करके ही किया जा सकता है, बशर्ते कि आरक्षण रिक्ति आधारित होना चाहिए। यदि ऐसा कोई संशोधन होता है तो इससे संविधान की मूलभूत संरचना का उल्लघंन होने के आधार पर चुनौती संभाव्य हैं। यह भी उल्लेखित है कि अनुच्छेद 16 में जोडें गये उप अनुच्छेद 4 (अ) को पहले ही सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा चुकी है तथा संविधान की बेंच के सामने लम्बित हैं।

प्रश्न–5 यदि संदर्भित आदेश की समीक्षा हेतु सांसदों की समिति गठित की जाती है और वह अनुशंसाएं करती हैं जिसके प्रभावस्वरूप मौजूदा कार्यालय ज्ञापन दिनांक 02/07/97 या तो संशोधित हो सकता हैं या परिमार्जित हो सकता हैं। क्या ये अनुशंसाएं संविधान बेंच के दिशा–निर्देशों से सीमित होगीं ?

-

उत्तर–5 जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि यदि आवश्यक हो तो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश संविधान में संशोधन करके बदला जा सकता है और न कि संसद के अधिनियम के द्वारा। सांसदों की समिति के द्वारा की गयी अनुशंसाए एक कार्यकारी आदेश के द्वारा प्रभावी होगी एवं स्वाभाविक रूप से संविधान बेंच के द्वारा न्यायिक समीक्षा से सीमित होगीं।

(प्राधिकारः– GOI, Min of PPG & P, DOPT, O.M.No. 36012/2/96 Estt. (Res) Dated 02.07.1997)

7.4.2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में संशोधित प्रतिशतः–

कृपया इस नियमावली के पैरा 7.4.1 को देखें।

7.4.3. पदोन्नति संवर्ग में रोस्टर का रख रखाव।

कृपया इस नियमावली के पैरा 7.4.1. को देखें।

7.5.1. आरक्षित पदों का भरा जाना।

पद आधारित आरक्षण लागू होने के बाद विभिन्न मंत्रालय/विभाग यह स्पष्टीकरण की मांग कर चुकें है कि क्या आरक्षण के विनिमय के सिद्धांत के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बीच अनुसूचित जनजाति के आरक्षित पद को अनुसूचित जाति के उम्मीदवार द्वारा अथवा उसके विपरीत भरा जाना संभव है जैसा कि संभव था जब रिक्ति आधारित रोस्टर प्रचलन में था।

2. पद आधारित आरक्षण का मूल सिद्धांत यह है कि किसी संवर्ग में किसी वर्ग द्वारा आरक्षण द्वारा भरे गये पद उस वर्ग के लिये निर्धारित कोटा के बराबर होने चाहिए। यदि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मध्य आरक्षण के विनिमय की अनुमति दी जाती है, आरक्षण के द्वारा नियुक्त किये गये किसी एक वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या उस वर्ग के लिये निर्धारित किये गये आरक्षण से परे चली जायेगी। यह पद आधारित आरक्षण की भावना के विरूद्ध होगा। इसलिए, पद आधारित आरक्षण की शुरूआत के बाद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मध्य आरक्षण के विनिमय द्वारा अनुसूचित जनजाति के आरक्षित पद को अनुसूचित जाति के उम्मीदवार द्वारा एवं उसके विपरीत भरे जाने की अनुमति नहीं हैं।

3. यदि आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में योग्य नहीं पाये जाते हैं तो ऐसी आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये नीचे दी गई प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना चाहिए।

अ. <u>सीधी भर्ती के संबंध में:</u>

(i) जहाँ सीधी भर्ती में उनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या मात्रा में उपलब्ध न हो, उन पदों को उन उम्मीदवारों सें न भरा जायें जो इन समुदायों में न आते हों। अन्य शब्दों में, सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पदों पर अनारक्षण प्रतिबंधित हैं।

-

(ii) यदि भर्ती के प्रथम प्रयास में आरक्षित पदों को भरने के लिये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नही हैं तो इन रिक्त पदों को भरने के लियें उसी भर्ती वर्ष में या यथासंभव अगली भर्ती से पहले संबंधित वर्ग के अंतर्गत आने वाले योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिये द्वित्तीय प्रयास किया जायें। यदि फिर भी अपेक्षित संख्या में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो पाते है तो उन पदों को जो कि नहीं भरे जा सके, को अगले भर्ती वर्ष तक रिक्त रखा जायेगा। इन रिक्त पदों को " बैकलॉग रिक्तियों के रूप में माना जायेगा।0ण

(iii) आगामी भर्ती वर्ष में जब उस वर्ष में रिक्तियों के लिये भर्ती करनी है। (जिसे कि मौजूदा रिक्ति कहा जाता है), भर्ती के लिये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग की बैकलॉग रिक्तियों की घोषणा भी की जायेगी। ऐसा करने के दौरान यह ध्यान में रखा जाये कि विशेष भर्ती वर्ष की रिक्तियाँ यानि कि चालू वर्ष की रिक्तियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की बैकलाग रिक्तियों, को एक अलग और विशिष्ट वर्ग माना जायेगा एवं अ.जा. एवं अ.ज.जा. की बैकलॉग रिक्तियों को अलग वर्ग माना जायेगा। इस प्रकार, रिक्तियों के दो विशिष्ट/वर्ग होगें। एक वर्ग में अन्य पिछड़े वर्ग की चालू रिक्तियाँ एवं बैकलॉग रिक्तियाँ होगीं एवं दूसरे वर्ग में अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जनजाति की बैकलॉग रिक्तियाँ होंगी। जबकि प्रथम वर्ग में रिक्तियों के संबंध में यह निर्देश, कि एक वर्ष में 50% से ज्यादा रिक्तियों को आरक्षित नहीं किया जा सकता, लागू होगा। सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की बैकलॉग रिक्तियों को संबंधित वर्ग के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवारों द्वारा बिना किसी प्रतिबंध के भरा जायेगा चाहे जैसे भी हो क्योंकि वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की बैकलॉग रिक्तियों के विशिष्ट वर्ग के अंतर्गत आते है।

(iv) यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित रिक्तियां भरी नहीं जाती हैं एवं बैकलॉग रिक्तियों के रूप में आगे बढ़ाई जाती हैं एवं आगामी भर्ती वर्ष में भी खाली रह जाती है तो इन्हें बैकलॉग रिक्तियाँ मानकर आगामी भर्ती वर्ष/वर्षों के लिये आगे बढ़ाया जायेगा जब तक कि ये रिक्तियाँ इनके लिये आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा भरी नहीं जाती।

(v) वर्ग 'क' सेवाओं में कुछ विरले एंव अपवादस्वरूप मामले हो सकते है जहाँ जनहित में पदों को रिक्त रखने की अनुमति नही दी जा सकती। ऐसी स्थितियों में प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग, जिसके अंतर्गत भर्ती प्रक्रिया की जा रही है, अनारक्षण के लिये उस कार्यवाही को पूर्ण न्यायिक ठहराते हुए एक प्रस्ताव बना सकता है। एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पद आरक्षित होने के मामले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग, (National Commission for Schedule Casts and Schedule Tribes) से परामर्श लेगा एवं अन्य पिछडा वर्ग के लिये आरक्षित पद के मामले में पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग से परामर्श लेगा। एवं प्रत्येक प्रस्ताव पर संबंधित आयोग की टिप्पणियाँ प्राप्त करेगा। संबधित आयोग से टिप्पणियाँ प्राप्त करने के बाद, प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग आयोग की टिप्पणियों के साथ अनारक्षण के प्रस्ताव को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय एवं मंत्रालय/विभाग जिसके अंतर्गत भर्ती की जा रही है, में शामिल सचिवों की समिति के समक्ष विचार एवं सिफारिश के लिये रखेगा। समिति की सिफारिश को अंतिम निर्णय के लिये DOPT के प्रभार में मंत्री के समक्ष रखा जाना चाहिए। अगर रिक्तियों के अनारक्षण को अनुमोदित कर लिया जाता हैं तो इन्हें अन्य समुदाय के उम्मीदवारों के द्वारा भरा जा सकता है।

-

ब. <u>पदोन्नति के मामले में:</u>

(i) पदोन्नति के मामले में, जिसमें कि समूह 'ग' से समूह 'ख' मे, समूह 'ख' के अंदर एवं समूह 'ख' से समूह 'क' के निम्नतम पद पर चयन के द्वारा पदोन्नति सम्मिलित है, यदि आरक्षित रिक्तियों पर पदोन्नति के योग्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते है तो उक्त रिक्तियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अनारक्षित किया जा सकता है एवं अन्य समुदाय के उम्मीदवारों द्वारा भरा जा सकता हैं।

(ii) यदि आरक्षित रिक्तियों पर पदोन्नति के योग्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नही हो एवं किसी कारण जैसे पद को भरने के लिये अन्य वर्ग के उम्मीदवार की अनुपलब्धता इत्यादि, के कारण उक्त रिक्तियों का अनारक्षित नहीं किया जा सकता तो रिक्तियों को भरा नही जायेगा एवं आगामी भर्ती वर्ष तक रिक्त बनी रहेंगी। इन रिक्तियों को 'बैकलॉग रिक्तियाँ' माना जायेगा।

(iii) आगामी भर्ती वर्ष में जब उस वर्ष में रिक्तियों के लिये भर्ती करनी हैं (जिसे चालू रिक्ति कहा जाता हैं) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की चालू रिक्तियों एवं बैकलॉग रिक्तियों को दो अलग वर्गों मं रखते हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की बैकलाग रिक्तियों को भी भरा जायेगा एवं जबकि चालू रिक्तियों के संबंध में यह निर्देश कि 50% से ज्यादा रिक्तियों को आरक्षित नहीं किया जा सकता लागू होगा, सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित बैकलॉग रिक्तियों को संबंधित वर्ग के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवारों द्वारा बिना किसी प्रतिबंध के भरा जायेगा चाहे जो भी हो क्योंकि वे बैकलॉग रिक्तियों के विशिष्ट वर्ग के अंतर्गत आते है।

(iv) यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित बैकलॉग रिक्तियों को आरक्षण द्वारा नहीं पूर्ण किया जा सकता एवं आगामी भर्ती वर्ष में भी अनारक्षित नहीं किया जा सकता हो तो इन बैकलॉग रिक्तियो को बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों के रूप में आगामी भर्ती वर्ष/वर्षों के लिये आगे बढाया जायेगा जब तक कि ये रिक्तियाँ, इनके लिये आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा या अनारक्षण के बाद अन्य समुदाय के उम्मीदवारों द्वारा भरी नहीं जाती।

4. किसी कैडर (cadres) में 13 से अधिक पद हो, किसी समय पर किसी श्रेणी द्वारा आरक्षण के तहत भरे गये पदों की संख्या उस श्रेणी के लिये निर्धारित किये गये आरक्षण के प्रतिशत के अनुसार निर्धारित कोटे के बराबर होनी चाहिए। जब भी पद भरे जा रहे हैं, तो सीधी भर्ती के मामले मे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के लिये एवं पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण कोटा पूरा करने के लिये प्रयास किये जाने चाहिए। जिससे कि आरक्षण द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडे वर्ग द्वारा संवर्ग में भरे गये पदों की संख्या, जैसा कि मामलो में हो सकता है, उनके लिये चिन्हित किये गये पदों की संख्या के बराबर हो। इसका अर्थ यह है कि यदि आरक्षण कोटा पूर्ण नहीं है तो जब भी संवर्ग में भर्ती करते है आरक्षण कोटे को पूर्ण करने हेतु प्रयास किये जाने चाहिए। इस प्रकार, पद आधारित आरक्षण के मामले में इस कारण से आरक्षण में चूक नही होनी चाहिए कि आरक्षित पदों को वर्षो की एक निर्धारित संख्या के लिये भरा नहीं जा सका।

5. किसी संवर्ग में 13 या उससे कम पद हो जहाँ 14 बिंदु L आकार का रोस्टर लागू होता है, यदि अनारक्षण के बाद कोई आरक्षित पद अन्य समुदाय से आने वाले उम्मीदवार के द्वारा भरा जाता है तो आरक्षण को आगामी भर्ती वर्ष के लिये आगें बढ़ाया जायेगा। इस तरह के आरक्षण को आगें ले जाने के लिये आगामी तीन भर्ती वर्षों के लिये अनुमति दी जायेगी। आरक्षण को आगे

-

बढ़ाने के तृतीय वर्ष में, रिक्तियों को संबंधित श्रेणी के लिये आरक्षित माना जायेगा, लेकिन यदि संबंधित श्रेणी के उम्मीदवार द्वारा यह आरक्षण के आगे बढाने के तृतीय वर्ष में आरक्षण द्वारा पूर्ण नही की जा सकी है तो आरक्षण चूक माना जायेगा और यह अनारक्षित रिक्ति के तहत भरा जायेगा।02ण

6. यह संभव है कि इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने से पहले अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुछ पद आरक्षण के विनिमय द्वारा अनुसूचित जाति के उम्मीदवार द्वारा अथवा इसके विपरीत भरे गये हो। इस प्रकार के मामलो को दुबारा खोलने की आवश्यकता नही है। तथापि, यदि आरक्षण द्वारा नियुक्त किये गये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मध्य आरक्षण के विनिमय द्वारा भी सम्मलित है, उनके लिये निर्धारित किये गये आरक्षण से अधिक होती है तो इन अतिरिक्त प्रतिनिधित्व को भविष्य की/में होने वाली भर्ती में समायोजित किया जा सकता है।

(प्राधिकारः– नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परिपत्र क्रमांक 12/एन.जी.ई./2004 क्र. 81– एन. जी.ई.(एप) 3–2004 के डब्लू दिनांक 5.02.2004 द्वारा प्राप्त भा.स. कार्यालय लोक शिक्षण एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का ज्ञापन क्र. 36012/17/2002 स्था. (आर.ई.एस.) दिनांक 6 नवम्बर 2003)

7.5.2. एक भर्ती वर्ष में, उत्पन्न होने वाली पदोन्नति रिक्तियों, एकल रिक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों के लिये आरक्षणः–

कृपया इस नियमावली के पैरा 7.5.1 को देखें

7.5.3. अनारक्षण एवं आरक्षण को अग्रेनीत करनाः–

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिये बना रिक्तियों के अनारक्षण की अब तक की मौजूदा स्थिति को निरंतर जारी रखा जा सकता है जब तक कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध न हो।

अतिरिक्त जानकारी जैसा कि नीचे दिये गयें अनुलग्नक में दर्शाया गया है प्रोफार्मा–2 में उनके अनारक्षण प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जा रहा है।

-

अनुलग्नक

1. संवर्ग में कुल पद

2. पदों की संख्या जिन पर आरक्षण लागू नहीं है।

3. पदों की संख्या जिन पर आरक्षण लागू है।

4. निम्नलिखित विश्लेषण के साथ 02.07.1997 तक, कॉलम 3 से बाहर भरे गये पदों की संख्याः–

वर्ग	चिन्हित	प्रतिनिधित्व	अतिरिक्त / कमी
सामान्य / अनारक्षित			
अनुसूचित जाति			
अनुसूचित जनजाति			
अन्य पिछड़ा वर्ग			

5. निम्नलिखित विश्लेषण के साथ 02 / 07 / 1997 के बाद, कॉलम 3 से बाहर भरे गये पदों की संख्या–

(i) रोस्टर में बिंदु क्रमांक

(ii) वर्ग जिसके लिये चिन्हित किया है, किसके द्वारा खाली किया गया हैं एवं किस वर्ग के द्वारा, यह भरा जा चुका हैं।

6. पद अब पद आधारित रोस्टर के अनुसार भरा जाना प्रस्तावित है–

(i) रोस्टर में पद का क्रमांक एवं वर्ग जिसके लिये चिन्हित किया है जैसे कि / यथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग
(ii) अनारक्षित / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग का आधिक्य / कमी।

7. वर्ग जिसके लिये अभी प्रस्तावित पद को भरा जाना है, को पद आधारित के अनुसार चिन्हित किया गया है।

8. 02.07.1997 पर पद आधारित रोस्टर परिवर्तन के साथ, यदि कोई हो,

(प्राधिकार :–नि.म.ले.प. का परिपत्र क्रमांक 54 / एन.जी.ई. / 1999 क्रमांक 1343–एन.जी.ई. (एप) / 3–99 के.डब्लू. दिनांक 26.10.1999 द्वारा प्राप्त भा. सर. का.लो. शि. एवं पे. मंत्रा. का. एवं प्रशि. विभाग का .ज्ञापन. व्रमांक 36020 / 45 / 97–स्था. (आर.) दिनांक 27 सितम्बर 1999)

-

7.5.4. **समूह 'ग' में भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षणः–**

(i) भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण का प्रतिशत परिवर्तनशील है तथा प्रतिवर्ष अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा विकलांग व्यक्तियों के लिये अग्रेनीत आरक्षण की प्रतिशतता के आधार पर इस प्रकार गणना की जाती है कि कुल आरक्षण एक वर्ष की तालिका में भरी जाने वाली रिक्तियों के 50% से अधिक नहीं हो। इस प्रकार, ऐसी स्थिति में जबकि अग्रेनीत, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित रिक्तियॉ, तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियॉ, एक वर्ष की तालिका में भरी जाने वाली रिक्तियों का 50% हो जाए तब भूतपूर्व सैनिकों के लिये कोई आरक्षण उपलब्ध नहीं होगा।

(ii) जबकि भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण की प्रतिशतता की गणना उपरोक्तानुसार प्रतिवर्ष की जाती है, अतः 10% अथवा 100 सूत्रीय रोस्टर में भूतपूर्व सैनिकों के लिये कोई पद निर्धारित नहीं किया जा सकता।

(प्राधिकार :–नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का पत्र क्र. 4587/एन. 3/3– 85, दिनांक 13.01. 1985)

7.5.5. **शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षणः–**

मौजूदा अनुदेशों को समेकित करने, उन्हें निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अनुरूप लाने और प्रक्रियात्मक मसलों समेत कुछ मुद्दों को स्पष्ट करने की दृष्टि से, भारत सरकार के अन्तर्गत सेवाओं और पदों में निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों (शारीरिक रूप से विक्लांग व्यक्तियों) के लिए आरक्षण के सम्बन्ध में निम्नलिखित अनुदेश जारी किए जाते हैं। ये अनुदेश, इस विषय पर अभी तक जारी सभी पूर्ववर्ती अनुदेशों का अधिक्रमण करेंगें।

2. <u>आरक्षण की मात्राः–</u>

(i) समूह 'क', 'ख', 'ग' और घ पदों पर सीधी भर्ती के मामले में तीन प्रतिशत रिक्तियाँ, निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखी जाएँगी जिसमें से प्रत्येक–एक प्रतिशत रिक्तियाँ

(1) दृष्टिहीनता अथवा कम दृष्टि,

(2) बधिरता और

(3) चलने–फिरने की निःशक्तता अथवा मस्तिष्कीय पक्षाघात (फालिज) से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए, उन निःशक्तताओं के लिए उपयुक्त पहचाने गए पदों में आरक्षित होंगी।

(ii) समूह 'घ' और 'ग' पदों में, जिनमें सीधी भर्ती का अंश यदि हो, 75% से अधिक नहीं हो, पदोन्नति के मामले में तीन प्रतिशत रिक्तियाँ, निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखी जाएँगी जिसमें से प्रत्येक–एक प्रतिशत रिक्तियाँ –

(1) दृष्टिहीनता अथवा कम दृष्टि,

(2) बधिरता और

(3) चलने–फिरने की निःशक्तता अथवा मस्तिष्कीय पक्षाघात (फालिज) से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए, उन निःशक्तताओं के लिए उपयुक्त पहचाने गए पदों में आरक्षित होंगी।

3. आरक्षण से छूटः– यदि कोई विभाग/मंत्रालय, निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण के प्रावधान से किसी प्रतिष्ठान को आंशिक अथवा पूर्णतया मुक्त रखना आवश्यक समझे तो वह ऐसे प्रस्ताव का पूर्ण औचित्य दर्शाते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को संदर्भ भेज सकता हैं। छूट प्रदान किए जाने के बारे में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्थापित अन्तर विभागीय समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

4. नौकरियों/पदों की पहचानः– सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने अपनी दिनांक 31.05.2001 की अधिसूचना सख्या 16–25/99 एन.आई.आई के माध्यम से निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियो के लिए उपयुक्त नौकरियों/पदों का तथा ऐसी सभी नौकरियों/पदों से सम्बन्धित शारीरिक आवश्यकताओं का पता लगा लिया है। कथित अधिसूचना के अनुबंध–2 में दर्शायी गई समय–समय पर यथा संशोधित नौकरियाँ/पद, निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के 3% आरक्षण को प्रभाव में लाने के लिए प्रयोग में लाई जाएँगी। तथापि, यह ध्यान रहे किः–

(क) किसी नौकरी/पद के लिए प्रयुक्त नामावली में समान कामकाज वाली अन्य तुलनीय नौकरियों/पदों के लिए प्रयुक्त शब्दावली भी शामिल होगी।

(ख) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नौकरियाँ/पदों की सूची निःशेष नहीं है। सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा पहले से ही उपयुक्त पहचानी गई नौकरियों/पदों के अतिरिक्त नौकरियों/पदों की पहचान करने का विवेकाधिकार होगा। तथापि, कोई भी मंत्रालय/विभाग/प्रतिष्ठान अपने विवेकाधिकार से उपयुक्त पहचानी गई किसी नौकरी/पद को आरक्षण के दायरे से बाहर नहीं कर सकेगा।

(ग) यदि निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पहचानी गई कोई नौकरी/पद वेतनमान में अथवा अन्यथा बदलाव के कारण एक समूह अथवा ग्रेड से किसी दूसरे समूह अथवा ग्रेड में तब्दील हो जाए तो भी वह नौकरी/पद उपयुक्त पहचाना गया बना रहेगा।

5. एक अथवा दो श्रेणियों के लिए पहचाने गए पदों में आरक्षणः

यदि कोई पद निःशक्तता की एक श्रेणी के लिए ही उपयुक्त पहचाना गया हो तो उस पद में आरक्षण उसी निःशक्तता वाले व्यक्तियों को ही दिया जाएगा। ऐसे मामलों में तीन प्रतिशत का आरक्षण कम नहीं किया जाएगा तथा उस पद में पूर्ण आरक्षण, उस निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों को दिया जाए जिस के लिए वह उपयुक्त माना गया हो। इसी तरह, किसी पद के निःशक्तता की दो श्रेणियों के लिए उपयुक्त मान्य होने की स्थिति में, जहाँ तक संभव हो, आरक्षण, निःशक्तता की उन दोनों श्रेणियों के निशक्त व्यक्तियों के बीच समान रूप से विभाजित कर दिया जाऐगा। तथापि, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रतिष्ठान में आरक्षण, विभिन्न पदों में इस तरह विभाजित किया जाए कि निःशक्तता की तीनों श्रेणियों के व्यक्तियों को यथासंभव समान प्रतिनिधित्व मिलें।

-

6. **अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्तिः–**

निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पहचाने गए पदों में, निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्ति के लिए प्रतिस्पर्द्धा करने के अधिकार से मना नहीं किया जा सकता है। इस तरह, निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते कि पद संगत श्रेणी की निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त माना गया हो।

7. **स्वयं की योग्यता पर चयनित उम्मीदवारों का समायोजनः–**

मानदंडों में बिना किसी शिथलीकरण के, अपनी ही योग्यता के आधार पर, अन्य उम्मीदवारों के साथ चुने गए निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति रिक्तियों के आरक्षित भाग में समायोजित नहीं किए जाएगें। आरक्षित रिक्तियाँ, निःशक्तता से ग्रस्त पात्र उम्मीदवारों में से अलग से भरी जाएँगी जिनमें ऐसे शारीरिक रूप से वे विकलांग उम्मीदवार सम्मिलित होंगे जो योग्यता सूची में अंतिम उम्मीदवार से योग्यता में नीचे होंगें परन्तु नियुक्ति हेतु अन्यथा, यदि आवश्यक हो तो शिथिलीकृत मानदण्डों से, उपयुक्त पाए जाऐगें। ऐसा सीधी भर्ती एवं पदोन्नति दोनों मामलों में, जहाँ भी निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण अनुमत्य हो, लागू होगा।

8. **निःशक्तताओं की परिभाषाएं:** इस कार्यालय ज्ञापन के उद्देश्य से निःशक्तता की श्रेणियों की परिभाषाएँ नीचे दी गई है–

(i)(क) **अंधेपनः** ''अंधेपन'' का अभिप्राय जब कोई निम्नलिखित परिस्थितियों से ग्रसित होः–
(i) दृष्टि का पूर्ण अभाव अथवा
(ii) बेहतर आँख में दृष्टि सुधारने वाले लेंसों के साथ दृष्टि–विमलता 6/60 अथवा 20/200 (स्नेलैन) से अधिक नहीं; अथवा

(iii) दृष्टि क्षेत्र की सीमा जिससे 20 डिग्री का कोण व्याप्त हो अथवा इससे बदतर/अधिक खराब

(ख) **कम दृष्टिः** "कम दृष्टि वाले व्यक्ति से अभिप्रेत है जिसकी दृष्टिक–क्रिया उपचार के अथवा मानक परावर्तित सुधार करवाने के बाद भी खराब हो परन्तु जो समुचित सहायक यंत्र से किसी काम की योजना बनाने अथवा उसे निष्पादित करने में दृष्टि का प्रयोग करता हो अथवा उसका प्रयोग करने में संभावनीय रूप से समर्थ हो।

(ii) **कम सुनाई देने की निःशक्तताः–** " कम सुनाई देने की निःशक्तता" से अभिप्राय बेहतर कान में बातचीत स्वरूप की श्रेणी की आवृतियों में साठ डेसिबल अथवा उससे अधिक का लोप से है।

(iii) (क) **चलने–फिरने की निःशक्तताः** " चलने–फिरने की निःशक्तता" से अभिप्राय हड्डियों, जोड़ों अथवा मांसपेशियों की निःशक्तता अथवा किसी भी तरह का प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से है जिससे अंगों के हिलने–डुलने में अत्यधिक बाधा हो।

(ख) **प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फालिज)**

" प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फालिज) " से तात्पर्य किसी व्यक्ति की गैर–विकासोन्मुख स्थितियों के समूह से है जो, जन्म से पूर्व, जन्म के आसपास अथवा शिशुकाल की आरंभिक अवधि में घटित

मस्तिष्क–आघात अथवा चोटों के परिणामस्वरूप चलने–फिरने की असामान्य नियंत्रण–भंगिमा के रूप में परिलक्षित होता हैं।

(ग) अस्थि विक्लांग व्यक्तियों के सभी मामले, "चलने–फिरने की निःशक्तता अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फालिज) " की श्रेणी के अंतर्गत आएँगें।

9. **आरक्षण के लिए निःशक्तता की मात्राः** केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं/पदों में आरक्षण के लिए पात्र होगें जो, कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता से ग्रस्त हों। जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहता हो उसे, **अनुलग्नक–I** में दिए गए प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया निःशक्तता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

10. **निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारीः** निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से गाठित मेडिकल बोर्ड, होगा। केंद्र/राज्य सरकार मेडिकल बोर्ड का गठन कर सकती है जिसमें कम से कम तीन सदस्य होंगे। इन सदस्यों में कम से कम एक सदस्य, चलने–फिरने की निःशक्तता/दृष्टिहीनता अथवा कम दृष्टि की निःशक्तता/कम सुनाई देने की निःशक्तता, जैसा भी मामला हो, का मूल्यांकन करने वाला विशेषज्ञ होना चाहिए।

11. मेडिकल बोर्ड, समुचित जाँच–पड़ताल के पश्चात स्थायी निःशक्तता के ऐसे मामलों में स्थायी निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी करेगा, जहाँ निःशक्तता की मात्रा में परिवर्तन होने की कोई गुंजाइश न हो। मेडिकल बोर्ड, ऐसे मामलों में प्रमाणपत्र की वैधता की अवधि इंगित करेगा जिनमें निःशक्तता की मात्रा में परिवर्तन होने की गुंजाइश हों। निःशक्तता प्रमाणपत्र के जारी किए जाने से तब तक इन्कार नहीं किया जाएगा जब तक आवेदक को, उसका पक्ष सुनने का अवसर न दे दिया जाए। आवेदक द्वारा अभ्यावेदन देने के पश्चात, मेडिकल बोर्ड मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अपने निर्णय की समीक्षा कर सकता है और जैसा भी उचित हो उस मामले में अपने विवेकानुसार आदेश दे सकता है।

12. निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्ति पर प्रथम नियुक्ति और पदोन्नति के समय नियोक्ता प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि उम्मीदवार, आरक्षण का लाभ प्राप्त करने का पात्र है।

13. **आरक्षण की गणनाः–** समूह 'ग' और समूह 'घ' पदों के मामले में, निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के आरक्षण की गणना, जैसा भी प्रकरण हो स्थापना में समूह 'ग' अथवा 'घ' पदों में होने वाली रिक्तियों की कुल संख्या के आधार पर की जाएगी, यद्यपि निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों की भर्ती, केवल उनके लिए उपयुक्त पहचाने गए पदों पर ही की जाएगी। किसी स्थापना में समूह 'ग' पदों पर सीधी भर्ती के मामले में, निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या का आकलन, स्थापना के अंतर्गत उपयुक्त माने गए और उपयुक्त न माने गए, दोनों तरह के समूह 'ग' पदों में एक भर्ती वर्ष में सीधी भर्ती के लिए होने वाली रिक्तियों की कुल संख्या को ध्यान में रखकर की जाएगी। यही प्रकिया समूह 'घ' पदों पर लागू होगी। इसी प्रकार समूह 'ग' और 'घ' पदों में पदोन्नति के मामले में आरक्षण का आकलन करते समय, पदोन्नति कोटे की सभी रिक्तियों को ध्यान में रखा जाएगा। चूंकि आरक्षण, पहचाने गए पदों तक ही सीमित है और आरक्षित रिक्तियों की संख्या का आकलन (पहचाने गए पदों और न पहचाने गए पदों में) कुल रिक्तियों के आधार पर किया जाता है, अतः किसी पहचाने गए पद पर आरक्षण द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्तियों की संख्या 3% से अधिक हो सकती है।

-

14. समूह 'क' पदों में निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण की गणना, स्थापना में समूह 'क' के सभी उपयुक्त पहचाने गए पदों में सीधी भर्ती कोटे मे होने वाली रिक्तियों के आधार पर किया जाएगा। गणना का यह तरीका समूह 'ख' पदों के लिए भी लागू है।

15. **आरक्षण प्रभावी करना – रोस्टरों का रखरखाव :–**

(क) निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण निर्धारित करने/लागू करने के लिए सभी स्थापनाओं को, **अनुलग्नक–II** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, 100 बिंदुओं वाला आरक्षण रोस्टर सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले समूह 'क' पदों के लिए, सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले समूह 'ख' पदों के लिए, सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले समूह 'ग' पदों के लिए, पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले समूह 'ग' पदों के लिए, सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले समूह 'घ' पदों के लिए और पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले समूह 'घ' पदों के लिए अलग–अलग एक–एक आरक्षण रोस्टर होगा।

(ख) प्रत्येक रजिस्टर में 100 बिंदुओं के चक्र होंगे और 100 बिंदुओं का प्रत्येक चक्र तीन खण्डों में विभाजित होगा जिसमें निम्नलिखित बिंदु होंगे –

प्रथम खण्ड – बिंदु क्रमांक 1 से बिंदु क्रमांक 33
द्वित्तीय खण्ड – बिंदु क्रमांक 34 से बिंदु क्रमांक 66
तृतीय खण्ड – बिंदु क्रमांक 67 से बिंदु क्रमांक 100 तक

(ग) रोस्टर के 1, 34, और 67 क्रमांक के बिंदु निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित चिन्हित किए जाएंगे जिनमें से निःशक्तता की तीनों श्रेणियों के लिए एक–एक बिंदु होगा। स्थापना प्रमुख सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निशक्तता की श्रेणियां निर्धारित करेगा जिसके लिए बिंदु क्रमांक 1, 34 और 67 आरक्षित होंगे।

(घ) स्थापना में सीधी भर्ती कोटे के अंतर्गत समूह 'ग' पदों में होने वाली सभी रिक्तियों की प्रविष्टि, संगत रोस्टर रजिस्टर में की जाएगी। यदि बिंदु क्रमांक 1 पर आने वाला पद, निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं पहचाना गया है अथवा स्थापना अध्यक्ष इसे निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति के द्वारा भरना वांछनीय नहीं समझता है अथवा इसे किसी भी कारण से निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति के द्वारा भरा जाना सम्भव नहीं है तो बिंदु क्रमांक 2 और 33 तक किसी भी बिंदु पर आने वाली किसी रिक्ति को निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति के लिए आरक्षित माना जाएगा और इसे तद्नुसार भरा जाएगा। इसी प्रकार, बिंदु क्रमांक 34 से 66 तक अथवा 67 से 100 तक, किसी भी बिंदु पर आने वाली रिक्ति को, निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति द्वारा भरा जाएगा। बिंदु क्रमांक 1, 34 और 67 को आरक्षित रखने का उद्देश्य, बिंदु 1 से 33 तक की प्रथम उपलब्ध उपयुक्त रिक्ति, बिंदु 34 से 66 तक की प्रथम उपलब्ध उपयुक्त रिक्ति और बिंदु 67 से 100 तक की प्रथम उपलब्ध उपयुक्त रिक्ति को, निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों से भरे जाने से है।

(ड़) इस बात की सम्भावना है कि बिंदु क्रमांक 1 से 33 तक कोई भी रिक्ति, निःशक्तता से ग्रस्त किसी भी श्रेणी के लिए उपयुक्त न हो। उस स्थिति में, बिंदु क्रमांक 34 से 66 तक दो रिक्तियाँ, निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के रूप में भरी जाएंगी। यदि बिंदु संख्या 34 से 66 तक की रिक्तियाँ, किसी भी श्रेणी के लिए उपयुक्त नहीं हो, तो बिंदु 67 से 100 तक के तीसरे खण्ड में से तीन रिक्तियों, आरक्षित रिक्तियों के रूप में भरी जाएंगी। अभिप्राय यह है कि

-

यदि किसी खण्ड विशेष में कोई भी रिक्ति आरक्षित नहीं की जा सकती हो तो यह अगले खण्ड में अग्रेणीत की जाएगी।

(च) रोस्टर के सभी 100 बिंदु पूरे होने के पश्चात, 100 बिंदुओं का एक नया चक्र शुरू होगा।

(छ) यदि एक वर्ष में रिक्तियों की संख्या केवल इतनी है कि उसमें केवल एक अथवा दो खण्ड ही आते हैं तो इस का विवेकाधिकार स्थापना के प्रमुख में निहित होगा कि निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों की किस श्रेणी को पहले समायोजित किया जाए तथा इस बात का निर्णय स्थापना प्रमुख द्वारा, पद के स्वरूप, सम्बन्धित ग्रेड/पद इत्यादि मे निःशक्तता से ग्रस्त विशिष्ट श्रेणी के प्रतिनिधित्व के स्तर के आधार पर किया जाएगा।

(ज) पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले समूह 'ग' पदों के लिए एक अलग रोस्टर बनाया जाएगा और निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियो को आरक्षण दिए जाने के लिए उपयुक्त वर्णित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। इसी तरह समूह 'घ' पदों के लिए भी दो अलग रोस्टर बनाए जाएगें, एक सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले पदों के लिए और दूसरा पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले पदों के लिए।

(झ) समूह 'क' और समूह 'ख' पदों मे आरक्षण का निर्धारण, केवल उपयुक्त पहचान किए गए पदों की रिक्तियों के आधार पर ही किया जाता है। स्थापना में समूह 'क' पदों और समूह 'ख' पदों के लिए अलग–अलग रोस्टरों का रखरखाव किया जाएगा। समूह 'क' और समूह 'ख' पदों के लिए रखे गए रोस्टरों में, पहचाने गए पदों में होने वाली सीधी भर्ती की सभी रिक्तियों की प्रविष्टि की जाएगी ओर ऊपर वर्णित तरीके के अनुसार ही आरक्षण लागू किया जाएगा।

16. **<u>सीधी भर्ती के मामले में आरक्षण की आपसी अदला–बदली और अग्रेणीत किया जानाः–</u>**

(क) निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों की तीनों श्रेणियों के लिए अलग–अलग आरक्षण होगा। लेकिन यदि किसी स्थापना में रिक्तियों का स्वरूप इस प्रकार हैं कि निःशक्तता की किसी विशिष्ट श्रेणी के व्यक्ति को नियोजित नहीं किया जा सकता तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुमोदन से रिक्त्तियों की, इन तीनों श्रेणियों में आपसी–बदली की जा सकती है और आरक्षण का निर्धारण किया जा सकता है और तदनुसार रिक्तियों को भरा जा सकता हैं।

(ख) यदि निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों की किसी श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्ति को, उस निःशक्तता वाले उपयुक्त व्यक्ति के उपलब्ध न होने के कारण अथवा किसी अन्य उचित कारणवश नहीं भरा जा सके तो इस प्रकार की रिक्ति भरी नहीं जाएगी और उसे अगले भर्ती वर्ष के लिए ''पिछली बकाया आरक्षित रिक्ति'' के रूप में अग्रेणीत कर दिया जाएगा।

(ग) अगले भर्ती वर्ष में " पिछली बकाया आरक्षित रिक्ति " को, निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों की उसी श्रेणी के लिए आरक्षित माना जाएगा जिसके लिए भर्ती के प्रारम्भिक वर्ष में इसे आरक्षित किया गया था। तथापि, यदि निःशक्तता से ग्रस्त कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो तो इसे निःशक्तता की तीन श्रेणियों के बीच अदला–बदला करके भरा जाएगा। यदि अगले वर्ष में भी निःशक्तता से ग्रस्त कोई उपयुक्त व्यक्ति पद को भरने के लिए उपलब्ध नहीं हो तो नियोक्ता, निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति कर के रिक्ति को भर सकता है। यदि रिक्ति, उस निःशक्तता वाली श्रेणी के व्यक्ति से भरी जाती है जिसके लिए यह आरक्षित थी अथवा अगले भर्ती वर्ष में रिक्ति की अदला–बदली द्वारा निःशक्तता की दूसरी श्रेणी के व्यक्ति के द्वारा भरी जाती है

-

तो इसे आरक्षण के द्वारा भरी हुई समझा जाएगा। यदि अगले भर्ती वर्ष में रिक्ति, निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति द्वारा भरी जाती हैं तो आरक्षण दो भर्ती वर्षों तक की आगे की अवधि के लिए अग्रेणीत हो जाएगा तथा इसके पश्चात् आरक्षण, समाप्त हो जाएगा। आगे के इन दो वर्षो में, यदि इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो आरक्षित रिक्ति को भरने की वही प्रक्रिया होगी जो पहले अनुवर्ती भर्ती वर्ष में अपनाई जाती हैं।

17. यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरक्षण समाप्त हो जाने के मामले कम से कम हों, निःशक्तता से ग्रस्त उम्मीदवारों की भर्ती की गणना, पहले पिछले वर्षों से अग्रेणीत कोटे में उनकें काल क्रमानुसार की जाए। यदि सभी रिक्तियों के लिए उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हों तो पुराने अग्रेनीत को पहले भरा जाएगा और अपेक्षाकृत बाद में अग्रेनीत आरक्षण को और आगे अग्रेनीत किया जाएगा।

18. **<u>पदोन्नति के मामले में विचारण क्षेत्र, परस्पर आदान–प्रदान और अग्रेनीत आरक्षणः–</u>**

(क) आरक्षित रिक्तियों को चयन के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भरते समय सामान्य विचारण क्षेत्र में आने वाले निःशक्त उम्मीदवारों की पदोन्नति पर विचार किया जाएगा। जहाँ, सामान्य विचारण क्षेत्र में विकलांगो की उपयुक्त श्रेणी के निःशक्त उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते, वहाँ विचारण क्षेत्र रिक्तियों की संख्या का पाँच गुना बढ़ा दिया जाए और बढ़ाए गए विचारण क्षेत्र में आने वाले निःशक्त उम्मीदवारों पर विचार किया जाए। यदि बढ़ाए गए विचारण क्षेत्र में भी उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो, तो यदि संभव हो तो आरक्षण की अदला– बदली की जा सकती है ताकि पद को निःशक्तता की अन्य श्रेणी के उम्मीदवार के द्वारा भरा जा सके। यदि आरक्षण द्वारा पद को भरा जाना संभव नहीं हो तो पद को, निःशक्त व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भरा जाए तथा आरक्षण को अगले तीन भर्ती वर्षो तक अग्रेनीत कर दिया जाए, जिसके बाद यह समाप्त हो जाएगा।

(ख) गैर–चयन के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में, निःशक्तता से ग्रस्त पात्र उम्मीदवारों को आरक्षित रिक्तियों पर पदोन्नति देने पर विचार किया जाएगा और यदि निःशक्तता की उपयुक्त श्रेणी का कोई पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होता है तो रिक्ति को निःशक्तता की अन्य श्रेणी जिसके लिए पद को उपयुक्त पहचाना गया हो, के साथ अदला–बदला जा सकता है यदि अदला–बदली करके भी आरक्षण द्वारा पद को भरा जाना संभव नहीं है तो आरक्षण को अगले तीन वर्षो तक अग्रेनीत किया जाएगा, जिसके बाद यह समाप्त हो जाएगा।

19. **<u>निःशक्त व्यक्तियों के लिए क्षैतिज आरक्षणः</u>**– पिछड़े वर्ग के नागरिकों (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों) के लिए आरक्षण को उर्ध्वाकार (सीधा) आरक्षण कहा जाता है और निःशक्त व्यक्तियों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण को क्षैतिज आरक्षण कहा जाता है। क्षैतिज आरक्षण और सीधा आरक्षण आपस में मिल जाते हैं (जिसे अंतःपाष आरक्षण कहा जाता हैं) और निःशक्त व्यक्तियों के लिए निर्धारित कोटे में से चुने गए व्यक्तियों को, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए बनाए गए रोस्टर में उनकी श्रेणी के आधार पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/सामान्य श्रेणी की उपयुक्त श्रेणी में रखा जाता है। उदाहरणतः यदि किसी दिए गए वर्ष में निःशक्त व्यक्तियों के लिए दो रिक्तियाँ आरक्षित है और नियुक्त किए गए दो निःशक्त व्यक्तियों में से एक व्यक्ति अनुसूचित जाति का है और दूसरा सामान्य श्रेणी का है तो अनुसूचित जाति के निःशक्त उम्मीदवार को, आरक्षण रोस्टर में अनुसूचित जाति के बिन्दु पर समायोजित किया जाएगा और सामान्य उम्मीदवार को संगत आरक्षण रोस्टर में अनारक्षित बिंदु पर रखा जाएगा। यदि अनुसूचित जातियों के लिए

-

आरक्षित बिन्दु पर कोई भी रिक्ति नहीं होती तो अनुसूचित जाति का निःशक्त उम्मीदवार, भविष्य में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित अगली उपलब्ध रिक्ति पर समायोजित किया जाएगा।

20. चूंकि निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों को, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए बनाए गए आरक्षण रोस्टर में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/सामान्य श्रेणी में उपयुक्त श्रेणी में रखा जाना होता है अतः निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित कोटे के अंतर्गत पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपने आवेदनपत्र में यह दर्शाना अपेक्षित होगा कि वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग अथवा सामान्य श्रेणी में से किस श्रेणी से संबंद्ध है।

21. **आयु सीमा में छूटः**–

(i) निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट इस प्रकार होगी (क) समूह 'ग' और समूह 'घ' पदों पर सीधी भर्ती के मामलों में 10 वर्ष (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए 15 वर्ष और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए 13 वर्ष) (ख) समूह " क " और समूह "ख " के ऐसे पदों के मामले में जिन पर सीधी भर्ती खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से नहीं की जाती 5 वर्ष (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए 10 वर्ष और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए 8 वर्ष) और " क " और समूह " ख " पदों पर खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती के मामले में 10 वर्ष (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए 15 वर्ष और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए 13 वर्ष) होगी।

(ii) आयु सीमा में उक्त छूट लागू रहेगी भले ही पद आरक्षित हो अथवा नहीं बशर्ते कि पद, निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त माना गया हो।

22. **उपयुक्तता मानदंडों में छूटः**– यदि निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिए सामान्य मानदंडो के आधार पर इस श्रेणी के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते तो इनके लिए आरक्षित शेष रिक्तियों को भरने के लिए मानदंडों में ढील देकर इस श्रेणी के उम्मीदवारों का चयन किया जाए बशर्ते कि वे ऐसे पद अथवा पदों के लिए अनुपयुक्त न हों। इस प्रकार, यदि निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को सामान्य मानदंडों के आधार पर नहीं भरा जा सकें तो आरक्षित कोटा में कमी को पूरा करने के लिए इन श्रेणियों के उम्मीदवारों का मानदंडों को शिथिल करके चयन कर लिया जाए बशर्ते कि विचाराधीन पद/पदों पर नियुक्ति हेतु ये उम्मीदवार उपयुक्त पाए जाएं।

23. **स्वास्थ्य परीक्षाः**– मूल नियमावली के नियम 10 के अनुसार, सरकारी सेवा में प्रवेश करने वाले प्रत्येक नए व्यक्ति को अपनी प्रांरभिक नियुक्ति के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया स्वस्थता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति की, एक विशिष्ट प्रकार की निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति द्वारा धारित किए जाने हेतु उपयुक्त समझे गए पद पर नियुक्ति हेतु स्वास्थ्य परीक्षण के मामले में संबंधित चिकित्सा अधिकारी अथवा बोर्ड को इस संबंध में यह पूर्व सूचित किया जाएगा कि यह पद, संगत श्रेणी की निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति द्वारा धारित किए जाने के लिए उपयुक्त पाया गया है और तब उम्मीदवार का स्वास्थ्य परीक्षण इस तथ्य को ध्यान में रख कर किया जाएगा।

24. **परीक्षा शुल्क और आवेदन शुल्क के भुगतान से छूटः**– निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों को विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु कर्मचारी चयन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग आदि द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में विहित आवेदन शुल्क और परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त

-

होगी। यह छूट केवल उन्हीं व्यक्तियों को उपलब्ध होगी जो अन्यथा इस पद के लिए निर्धारित स्वास्थ्य उपयुक्तता के मानदण्ड के आधार पर नियुक्ति के पात्र होते (निःशक्त व्यक्तियों को दी गई किन्हीं विशिष्ट छूटों सहित) और जो अपनी निःशक्तता की दावेदारी की पुष्टि के लिए किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अपेक्षित/आवश्यक प्रमाणपत्र अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न करते हैं।

25. **रिक्तियों हेतु नोटिसः**– किसी पहचान किये गये पद पर निःशक्त व्यक्तियों को नियुक्ति हेतु उचित अवसर प्रदान किये जाने को सुनिश्चित करने के क्रम में, रोजगार केंद्रों, कर्मचारी चयन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग आदि को मांग पत्र भेजते समय तथा ऐसी रिक्तियों की विज्ञप्ति करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखी जाएगीः–

(i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/पूर्व सैनिक/दृष्टिहीनता अथवा कम दृष्टि की निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों/कम सुनाई देने की निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों/चलने–फिरने की निःशक्तता अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉलिज) से ग्रस्त व्यक्तियों हेतु आरक्षित रिक्तियो की संख्या स्पष्टतः इंगित की जानी चाहिए।

(ii) निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त चुने गए पदों की रिक्तियों के मामले में यह दर्शाया जाए कि संबधित पद दृष्टि विहीनता अथवा कम दृष्टि से ग्रस्त निःशक्तता, कम सुनाई देने की निःशक्तता तथा/अथवा चलने–फिरने की निःशक्तता अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से ग्रस्त व्यक्तियों, जैसा भी मामला हो, के लिए उपयुक्त पहचाना जाता है और उपर्युक्त श्रेणियों से संबंधित निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति जिनके लिए पद उपयुक्त पहचाना गया हो, को आवेदन करने की अनुमति है भले ही उनके लिए कोई रिक्ति आरक्षित हो या न हो। ऐसे उम्मीदवारों को योग्यता के सामान्य मानकों द्वारा ऐसे पदों पर नियुक्ति हेतु चुने जाने के लिए विचार किया जाएगा।

(iii) ऐसे पदों में रिक्तियों के मामले में जिन्हें निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पहचाना गया हो, चाहे रिक्तियाँ आरक्षित हों या न हों, यह उल्लेख किया जाए कि संबद्ध पद संबद्ध निःशक्तता की श्रेणियों यथा नेत्रहीनता अथवा कम दृष्टि, कम सुनाई देने की निःशक्तता और चलने–फिरने की निःशक्तता अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के लिए उपयुक्त पहचाना गया है। पद के कार्यात्मक वर्गीकरण तथा ऐसे पद के संबंध में कार्य निष्पादन हेतु शारीरिक अपेक्षाओं को भी स्पष्टतः दर्शाया जाए।

(iv) यह भी दर्शाया जाए कि संगत निःशक्तता के कम से कम 40 प्रतिशत रूप से ग्रस्त व्यक्ति ही आरक्षण के लाभ हेतु पात्र होगें।

26. **मांगकर्त्ता प्राधिकारी द्वारा प्रमाणपत्रः**– निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों हेतु आरक्षण के प्रावधानों का सही–सही कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के क्रम में मांगकर्ता प्राधिकारी, संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग आदि के पदों को भरने हेतु भर्ती एजेंसी को मांग पत्र भेजते समय निम्नलिखित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगाः–

" यह प्रमाणित किया जाता है कि यह मांगपत्र भेजते समय निःशक्तता (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 तथा निःश्क्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के आरक्षण से संबंधित नीति का ध्यान रखा गया है। इस मांग पत्र में सूचित उपर्युक्त रिक्तियाँ 100 सूत्रीय आरक्षण रोस्टर के चक्र संख्या .....के बिन्दु सं. .....पर में आती है और उनमें से ..... रिक्तियाँ निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं।

-

27. <u>निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के अभ्यावेदनों से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदनः</u>–

(i) प्रत्येक वर्ष की प्रथम जनवरी के तत्काल पश्चात प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी अपने प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को निम्नलिखित रिपोर्ट भेजेंगेः–
(क) **अनुलग्नक–III** में दिए गए निर्धारित प्रोफार्मा में पी.डब्ल्यू.डी. रिपोर्ट–1 जिसमें वर्ष की प्रथम जनवरी को कर्मचारियों की कुल संख्या, ऐसे पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या जिन्हें निःशक्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पहचाना गया है, तथा दृष्टिहीन अथवा कम दृष्टि, कम सुनाई देने की निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों, चलने फिरने की निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों तथा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या को प्रदर्शित किया जाएगा।

(ख) निर्धारित प्रोफार्मा (**अनुलग्नक–IV**) में पी.डब्ल्यू.डी. रिपोर्ट–2 जिसमे पिछलें कैलेण्डर वर्ष में दृष्टिहीनता अथवा कम दृष्टि, कम सुनाई देने की निःशक्तता तथा चलने फिरने की निःशक्तता तथा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से ग्रस्त व्यक्तियों हेतु संख्या को दर्शाया जाएगा।

(ii) प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग, उनके अंतर्गत आने वाले सभी नियुक्ति प्राधिकारियों से मिलने वाली जानकारी की जांच करेगें तथा उनके अधीन सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों की जानकारी सहित संबंधित मंत्रालय/विभाग के संबंध में पी.डब्ल्यू.डी. रिपोर्ट–I तथा पी.डब्ल्यू.डी. रिपोर्ट–II को निर्धारित प्रोफार्मा में प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भिजवाऐंगें।

iii) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को उपर्युक्त रिपोर्ट भेजते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखी जाएं–
(क) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सांविधिक, अर्द्ध–सरकारी तथा स्वायत्त निकायों के संबंध में रिपोर्ट नहीं भेजी जानी चाहिए। सांविधिक, अर्द्ध–सरकारी तथा स्वायत्त निकाय निर्धारित प्रोफोर्मा में भरकर समेकित जानकारी अपने प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को भेजेंगें जो अपने स्तर पर उनकी जाँच, मॉनीटरिंग तथा अनुरक्षण करेंगे। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों कें संबंध में ऐसी जानकारी सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा एकत्रित की जानी चाहिए ।

(ख) संबंद्ध/अधीनस्थ कार्यालय केवल अपने प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को अपनी जानकारी भेजेंगे तथा वे इसे इस विभाग को सीधे नहीं भेजेंगे।

(ग) निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों से संबंधित आकंड़ो में आरक्षण के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों के साथ अन्यथा नियुक्त व्यक्ति भी शामिल होंगें।

(घ) पी.डब्ल्यू.डी. रिपोर्ट–I का संबंध व्यक्तियों से है न कि पदों से। अतः इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करते समय रिक्त पदों आदि को ध्यान में नही रखा जाना चाहिए। इस रिपोर्ट में प्रतिनियुक्ति पर गए व्यक्तियों को उस मंत्रालय/विभाग/कार्यालय की स्थापना में शामिल करना चाहिए जहाँ उन्हें लिया गया हो न कि मूल स्थापना में। किसी एक ग्रेड में स्थायी किन्तु स्थानापन्न अथवा उच्च ग्रेड में अस्थायी रूप से नियुक्त व्यक्तियों को संबंधित सेवा की उच्च ग्रेड से संबंधित श्रेणी के आंकड़ो में शामिल किया जाएगा।

28. **<u>निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए सम्पर्क अधिकारी</u>**:–

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के मामलों को देखने के लिए नियुक्त सम्पर्क अधिकारी निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों से संबंधित आरक्षण के मामलों के लिए सम्पर्क अधिकारियों के रूप में भी कार्य करेंगें और इन अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करवाऐंगे।

(प्राधिकार :–क्रमांक 36035/3/2004–स्था. (Res.) पी.पी.जी.एवं पी. मंत्रालय, का. एवं प्रशि. विभाग दिनांक 29.12.2005)

-

अनुलग्नक–I

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र सं............................ तारीख.............................

निःशक्तता प्रमाणपत्र

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो जो उम्मीदवार की निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी......................................
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री.........................आयु.........................लिंग.............
पहचान चिन्ह................................निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निः शक्तता से ग्रस्त है –

(क) गति विषयक (लोकमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉलिज)

(i) दोनों टांगे (बी एल) – दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

(ii) दोनों बांहे (बी एल) – दोनों बांहे प्रभावित (क) दुर्बल पहुँच

(iii) दोनों टांगे और बांहे (बी एल) – दोनों टांगे और दोनों बाहे प्रभावित

(iv) एक टांग (ओ एल) – एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)
(क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(v) एक बांह (ओ ए) – एक बांह प्रभावित
(क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(vi) पीठ और नितम्ब (बी एच) – पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

-

(vii) कमजोर मांस पेशियां (एम डब्ल्यू) – मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि –

(i) बी – अंधता

(ii) पी बी – आंशिक रूप से अंधता

(ग) कम सुनाई देना

(i) डी – बधिर

(ii) पी डी – आंशिक रूप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/सुधार होने की संभावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती।.....वर्षो .....महीनों की अवधि के पश्चात पुनर्निधारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

3. उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशत..... है।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी..... अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक आवश्यकताओं/अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हैं:–

(i) एफ – अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/ सकती हैं। (हाँ/नहीं)

(ii) पी पी – धकेलने और खीचनें के जरिए कार्य कर सकते/सकती है (हाँ/नहीं)

(iii) एल – उठाने के जरिए कार्य कर सकते /सकती हैं। (हाँ/नहीं)

(iv) के सी – घुटनों के बल झुकनें और दबक कर कार्य कर सकते /सकती हैं। (हाँ/नहीं)

(v) बी – झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। (हाँ/नहीं)

(vi) एस – बैठकर कार्य कर सकते/सकती हैं। (हाँ/नहीं)

(vii) एस टी – खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं। (हाँ/नहीं)

(vii) डब्ल्यू – चलते हुए कार्य कर सकते/सकती हैं। (हाँ/नहीं)
(ix) एस ई – देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं। (हाँ/नहीं)

-

(x) एच – सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। (हाँ/नहीं)

(xi) आर डब्ल्यू – पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती है। (हाँ/नहीं)

(डॉ.....) (डॉ.....) (डॉ.....)

सदस्य चिकित्सा बोर्ड सदस्य चिकित्सा बोर्ड अध्यक्ष चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित
(मुहर सहित)

* जो लागू न हो काट दें।

-

अनुलग्नक–II

निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण रोस्टर

भर्ती का वर्ष	चक्र कमांक और बिंदु कमांक	पद का नाम	क्या निःशक्ता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए पद उपयुक्त पाया गया हैं।			अनारक्षित अथवा आरक्षित*	नियुक्त व्यक्ति का नाम और नियुक्ति की तारीख	क्या नियुक्त किया गया व्यक्ति दृ. वि./ब. /शा.वि. है अथवा इनमें से कोई नहीं**	अभ्युक्तियाँ यदि कोई हों
			दृ. वि. (वी. एच.)	ब. (एच एच)	शा. वि. (ओ. एच)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

* यदि आरक्षित पहचाने गए हों तो लिखे दृ.वि./ब./शा. वि. (वी.एच./एच एच/ओ.एच) जैसा भी मामला हो, अन्यथा लिखें अनारक्षित।

* लिखें दृ.वि./ब./शा.वि. (वी.एच./एच एच/ओ.एच) अथवा इनमें से कोई नहीं, जैसा भी मामला हों।

* दृ.वि./ब./शा.वि. का आशय दृष्टि विकलांग, बधिर और शारीरिक विकलांग से हैं।

-

अनुलग्नक–III

पी.डब्ल्यू.डी. प्रतिवेदन–I

निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों का सेवाओं में प्रतिनिधित्व दर्शाने वाला वार्षिक विवरण

(वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार)

मंत्रालय / विभाग
संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालय

समूह	कर्मचारियों की संख्या				
	कुल	पहचान किये गए पदों में	दृष्टि विकलांग (वी.एच.)	बधिर (एच.एच.)	शारीरिक विकलांग (ओ.एच.)
1	2	3	4	5	6
समूह "क"					
समूह "ख"					
समूह "ग"					
समूह " घ "					
कुल					

टिप्पणी –

(i) दृष्टि विकलांग (वी.एच.) का आशय, दृष्टिहीनता अथवा कम दृष्टि वाले व्यक्तियों से हैं।

(ii) बधिर (एच.एच.) का आशय, उन व्यक्तियों से है जिन्हें कम सुनाई देता हैं।

(iii) शारीरिक – विकलांग (ओ.एच.) का आशय, चलने – फिरने में निःशक्तता अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फालिज़) से ग्रस्त व्यक्तियों से हैं।

-

अनुलग्नक–IV

पी.डब्ल्यू.डी. प्रतिवेदन–II

वर्ष के दौरान नियुक्त किए गए निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण (वर्ष .....के संबंध में)

मंत्रालय/विभाग
संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय

समूह	सीधी भर्ती								पदोन्नति							
	आरक्षित रिक्तियों की संख्या			की गई नियुक्तियों की संख्या					आरक्षित रिक्तियों की संख्या			की गई नियुक्तियों की संख्या				
	दृ. वि.	ब.	शा. वि.	कुल	उपयुक्त चुने गए पदों में	दृ. वि.	ब.	शा. वि.	दृ. वि.	बृ.	शा. वि.	कुल	उपयुक्त चुने गए पदो में	दृ. वि.	ब.	शा. वि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
समूह "क"									शून्य	शून्य	शून्य					
समूह "ख"									शून्य	शून्य	शून्य					
समूह "ग"																
समूह "घ"																

टिप्पणी –

(i) दृष्टि विकलांग का आशय, दृष्टि –विहीनता अथवा कम दृष्टि वाले व्यक्तियों से हैं।

(ii) बधिर का आशय, बधिर अथवा कम सुनने वाले व्यक्तियों से हैं।

(iii) शारीरिक – विकलांग का आशय, चलने–फिरने में निःशक्तता अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फालिज़) से ग्रस्त व्यक्तियों से हैं।

(iv) समूह " क " और समूह " ख " के पदों पर पदोन्नति के मामले में, निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए कोई भी आरक्षण नहीं हैं। फिर भी, निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों को ऐसे पदों पर पदोन्नत किया जा सकता है बशर्ते कि संबंधित पद, निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पद के रूप में चुना गया हो।

7.6.1. सक्षम अधिकारी द्वारा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन एवं जारी किया जानाः–

-

इस नियम पुस्तक (खण्ड–I) की कंडिका 6.1.5 देखें।

7.6.2. अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संबंधित प्रत्याशियों के दावों का सत्यापनः–

इस नियम पुस्तक (खण्ड–I) की कंडिका 6.1.5 देखें।

7.6.3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्रों का जारी करनाः–

इस नियम पुस्तक (खण्ड–I) की कंडिका 6.1.5 देखें।

7.7.1. शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का सरकारी सेवा में नियोजनः–

कृपया इस नियम पुस्तक की कंडिका 7.5.5. में देखें।

7.7.2. विकलांग व्यक्तियों की नियुक्ति – नेत्रहीनों के लिये नौकरियों का अभिज्ञापन –

कृपया इस नियम पुस्तक की कंडिका 7.5.5. में देखें।

7.7.3. सीधे भर्ती होने वालों की सापेक्ष वरिष्ठता एवं अराजपत्रित संवर्गों में पदोन्नतिः–

(1) सीधे भर्ती होने वालों और पदोन्नति की परस्पर वरिष्ठता का निर्धारण के लिए कोटे के चक्रानुक्रम के सिद्धांत यानि कि नामावली (रोस्टर) बिन्दुओं के अनुसार किया जाना जारी रहेगा।

(2) बाद के वर्षों में भरे जाने के लिये सीधी भर्ती के लिये कोई पद खाली नहीं होना चाहिए। इस प्रकार सुनिश्चित परिणाम तक यदि सीधी भर्ती वाले उपलब्ध न हो जहाँ तक चक्रानुसार द्वारा वरिष्ठता निर्धारित करना संभव हो, वहाँ तक वरिष्ठता सूची के अंतिम स्थिति के नीचे पदोन्नत होने वाले को परस्पर संकलित कर दिया जायेगा।

(3) सीधी भर्ती के इरादे से रखी गई इन रिक्तियों सहित न भरी गई रिक्तियाँ, जिनके लिये अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण चयन नहीं किया जा सका, आगामी वर्ष में नवीन रिक्तियों के साथ जोड़ दी जानी चाहिए और इस प्रकार प्राप्त कुल रिक्तियों को अगले वर्ष की प्रथम जनवरी को प्रारम्भ होने वाली नामावली (रोस्टर) के अनुसार सीधी भर्ती वालों और पदोन्नत होने वालों के बीच विभाजित कर दी जानी चाहिए। यदि सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति में कोई कमी हो तो यह अगले वर्ष के लिये न बढ़ायी जाये।

(4) यदि किसी सीधी भर्ती वाले की वरिष्ठता की गणना उसकी उपस्थिति के दिनांक से की जानी हो तो उसे तदनुसार स्थान पर रखा जायेगा न कि नामावली (रोस्टर) बिन्दु के अनुसार।

(प्राधिकारः– नि.म.ले.प. का परिपत्र क्रमांक 1336 – एन. –2/45 – 86 दिनांक 12–12–1986)

-

अनुलग्नक

20–सूत्रीय नामावली (रोस्टर) की प्रभावशीलता और सीधे भर्ती होने वालो के सामने पदोन्नतों की वरिष्ठता

भर्ती की पद्धति **भर्ती वर्ष 1987**

(i) पदोन्नतिः रिक्तियों का 25% (20–सूत्रीय नामावली (रोस्टर) के बिंदु 1, 2, 6, 11 एवं 16)

(ii) सीधी भर्ती – रिक्तियों का 75% (20–सूत्रीय नामावली (रोस्टर) के शेष रहे बिंदु)

रिक्तियाँ : 20 सीधी भर्तीः 15 जिसके विरूद्ध केवल 9 उपलब्ध थे।

रोस्टर	बिंदु क्रमांक
1	पदोन्नति – 1
2	पदोन्नति – 2
3	सीधी भर्ती – 1
4	सीधी भर्ती – 2
5	सीधी भर्ती – 3
6	पदोन्नति – 3
7	सीधी भर्ती – 4
8	सीधी भर्ती – 5
9	सीधी भर्ती – 6
10	सीधी भर्ती – 7
11	पदोन्नति – 4
12	सीधी भर्ती – 8
13	सीधी भर्ती – 9
14	कोई नहीं –
15	कोई नहीं –
16	पदोन्नति – 5
17	कोई नहीं –
18	कोई नहीं –
19	कोई नहीं –
20	कोई नहीं –

टिप्पणी – पदोन्नत पं – 5 सीधी भर्ती 9 के ठीक नीचे स्थान ले लेगा क्योंकि रोस्टर बिंदु 14 एवं 15 के विरूद्ध कोई भर्ती नहीं की जा सकी।

-

भर्ती वर्ष 1988
(रोस्टर बिंदु 1 से प्रारम्भ)

भर्ती वर्ष 1987 के अंत में रिक्तियॉ जिनके लिये

किसी का चयन नहीं किया गया	06
नवीन रिक्तियॉ	1
कुल	07

रोस्टर	बिंदु क्रमांक
1	पदोन्नति – 1
2	पदोन्नति – 2
3	सीधी भर्ती – 1
4	सीधी भर्ती – 2
5	सीधी भर्ती – 3
6	पदोन्नति – 3
7	सीधी भर्ती – 4

7.7.4 कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भर्ती के लिये बनाया गया रोस्टर –

संधारित रोस्टर का प्रकार	सूची का नाम जिससे कर्मचारी चयन आयोग को अभ्यर्थी मनोनीत करने को कहा जा सकता है
सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण पर पुस्तिका छठवां अध्याय के परिशिष्ट–I के 40 सूत्रीय रोस्टर के अनुसार	अखिल भारतीय सूची

इस प्रकार बनायी गई ऐसी किसी सूची से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी प्रदान करने में कर्मचारी चयन आयोग के असक्षम होने की स्थिति में, कर्मचारी चयन आयोग से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात अनारक्षण प्रस्ताव मुख्यालय कार्यालय को भेजा जा सकता हैं, जहाँ तक ऐसा कार्यालय जिसके सामान्य क्रिया कलाप एकाधिक राज्य अथवा संघ शासित राज्य क्षेत्र में फैला हुआ है, परिपत्र क्र. 951/अ.स.ज. कर्मचारी–II/70– 73, दिनांक 3 मई 1973 में वर्णित निर्देशों के अनुसार 1971 की जनगणना पर आधारित विशेष 100 सूत्रीय रोस्टर ही लगातार प्रचलन में रखा जा सकता हैं।

(प्राधिकार :–नि.म.ले.प. का परिपत्र क्र. 1248–एन–III/3– 83/1 दिनांक 30 अप्रैल 1983)

-

7.8. भृत्यों के पद पर भर्ती – हटा दिया गया है क्योंकि इन पदों को अब एम.टी.एस. में विलय कर दिया गया है।

7.8.1. हटा दिया गया है क्योंकि इन पदों को अब एम.टी.एस. में विलय कर दिया गया है।

7.8.2. हटा दिया गया है क्योंकि इन पदों को अब एम.टी.एस. में विलय कर दिया गया है

7.8.3. समूह 'घ' पदों में झाड़ूवालों के पद धारण करने वाले व्यक्तियों की नियुक्तिः–

हटा दिया गया है क्योंकि इन पदों को अब एम.टी.एस. में विलय कर दिया गया है

7.8.4. मुख्यालय कार्यालय द्वारा जारी स्पष्टीकरणः–

हटा दिया गया है क्योंकि इन पदों को अब एम.टी.एस. में विलय कर दिया गया है।

7.8.5. प्राथमिक साक्षरता रखने वाले सफाई कर्मचारियों हेतु आरक्षणः–

हटा दिया गया है क्योंकि इन पदों को अब एम.टी.एस. में विलय कर दिया गया है

7.8.6. हटा दिया गया है क्योंकि इन पदों को अब एम.टी.एस. में विलय कर दिया गया है।

7.9. भर्ती प्रकिया की शिथिलता करते हुएं समूह 'ग' एवं समूह 'घ' पदों हेतु मेधावी खिलाड़ियों की नियुक्तिः–

7.9.1. क्षेत्रीय कार्यालयों में सभी विभागाध्यक्षों द्वारा कड़ाई से अनुपालन किये जाने हेतु सभी पूर्व आदेशों का अधिक्रमण करते हुए निम्न लिखित अनुदेश जारी किये जाते हैः–

योग्यताः–

(क) इन आदेशों के अंतर्गत निम्न लिखित मानदण्डों के सहित प्रवीण समझे गये किसी खिलाड़ी की नियुक्ति की जा सकती है–

(i) जो खिलाड़ी, **अनुलग्नक–'क'** पर सूची में उल्लिखित खेलों/खेल कूद में से किसी में राज्य अथवा देश में किसी राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व कर चुकें है।

(ii) जो खिलाड़ी, **अनुलग्नक–'क'** पर सूची में दर्शायें गये खेलों/खेल कूद में से किसी में अर्न्तविश्वविद्यालयीन क्रीड़ा मण्डल द्वारा संचालित अर्न्तविश्वविद्यालयीन क्रीड़ा प्रतियोगिता में अपने विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व कर चुके हो।

(iii) जो खिलाड़ी, **अनुलग्नक–'क'** की सूची में दर्शाये खेलों/खेल कूद में से किसी में, अखिल भारतीय विद्यालय क्रीड़ा संघ द्वारा संचालित विद्यालयों के लिये राष्ट्रीय खेलों/खेल कूद में राज्य स्कूल दल का प्रतिनिधित्व कर चुकें है।

-

(iv) जो खिलाड़ी, राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता संचालन के अंतर्गत शारीरिक दक्षता में राष्ट्रीय पुरस्कारों से पुरस्कृत हुए हो।

(ख) ऐसी कोई नियुक्तियाँ तब तक नहीं की जा सकती जब तक प्रत्याशी आवेदित पद की नियुक्ति हेतु हर प्रकार से योग्य न हो। शैक्षिक योग्यता या अनुभव को पद के लिये लागू होने वाले भर्ती नियमों के तहत होना चाहिए, इसके अलावा आवेदक के वर्ग/श्रेणी के संबंध में अनुमत्य छूट के अनुसार होना चाहिये।

(ग) मुख्यालय कार्यालय के अनुमोदन के साथ समूह 'ग' एवं 'घ' संवर्ग में नियुक्ति के उद्देश्य हेतु ऊपर दिये गये कंडिका 1 (क) में निर्दिष्ट खिलाडियों की श्रेणियों की आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मामले में 10 वर्ष) तक की छूट की अनुमति दी जा सकती है। यह छूट केवल उन खिलाडियों के लिये मान्य है जो शैक्षणिक योग्यता आदि से संबंधित अन्य सभी योग्याताओं को संतुष्ट करते हों।

(घ) यह आवश्यक नहीं है कि खिलाड़ी लिपिक के पद हेतु नियुक्ति से पहले टंकण परीक्षा की अर्हता प्राप्त करें। लेकिन नियुक्ति के बाद विभाग द्वारा संचालित टंकण परीक्षा में उन्हें अर्हता प्राप्त करनी चाहिए। निर्धारित टंकण परीक्षा में अर्हता प्राप्त न करने की स्थिति में प्रतिकूल नतीजों को भुगतना होगा जैसा कि परिपत्र क्र. 301–अराज. कर्म–II/46–87 दिनांक 1.4.1987 में उल्लिखित है।

7.9.2. उपयुक्त पदः–

(क) सीधी भर्ती रिक्तियों के विरूद्व प्रवीण खिलाडियों की समुह 'ग' (अनुभाग अधिकारी, विभागीय लेखापाल से अन्य) अथवा समूह 'घ' में किसी पद जिसको, उसको प्रयोज्य भर्ती नियमावली के अंतर्गत भरा जाना अनुमत हो, पर नियुक्ति की जा सकती है।

(ख) किन्ही प्रवीण खिलाड़ियों की नियुक्तियों पर उपरोक्त उप कंडिका (क) के अंतर्गत भले ही वह पूर्व से ही शासन की सेवा में हो, विचार किया जा सकता है।

(ग) ऐसी कोई नियुक्ति लेखापरीक्षा कार्यालय में समूह 'ग' अथवा समूह 'घ' संवर्ग में किसी पद पर जहाँ लेखा एवं हकदारी कार्यालय में एक प्रतीक्षा सूची मौजूद है, नहीं की जायेगी।

7.9.3. भर्ती की सीमाः–

(क) यह निर्धारित किया गया है कि जिन कार्यालयों में स्वीकृत पदों की संख्या 1000 या अधिक है, खेल कोटे के विरूद्ध नियुक्ति हेतु समूह 'ग' एवं 'घ' मे किसी एक या अधिक संवर्ग में एक कैलेंडर वर्ष में पॉच (5) से अधिक नियुक्ति नहीं की जायेगी। अन्य कार्यालयों के मामलों में, एक कैलेंडर वर्ष में दो (2) से अधिक नियुक्ति नही होगी।

टिप्पणी: कार्यालयों के संयुक्त संवर्ग के मामलों में, समूह 'ग' एवं 'घ' पदों के संबंध में, भर्ती इन आदेशों के अंतर्गत संवर्ग नियंत्रक अधिकारी द्वारा की जा सकती है एवं समूह 'ग' एवं 'घ' में कोई एक या अधिक संवर्गों में एक वर्ष में की गई नियुक्तियों की अधिकतम संख्या कार्यालय में उक्त संयुक्त संवर्ग की संयुक्त क्षमता के सापेक्ष में निर्धारित की जायेगी।

(ख) उन मामलों में जहॉ पदों की सीधी भर्ती कमीशन (आयोग) को सौपी जा चुकी है, इन आदेशों के अंतर्गत प्रवीण खिलाडियों की नियुक्ति करने हेतु रिक्तियों की संख्या ऊपर (क) में दर्शायी गयी सीमा से कम की जानी चाहिए और नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा केवल परिणामी संख्या को ही कर्मचारी चयन आयोग को अधिसूचित किया जाना चाहिए।

7.9.4. वरिष्ठता

जहाँ पदों की सीधी भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा चयन प्रक्रिया के द्वारा जाती है जैसे लिपिक, लेखापरीक्षक आदि, इन आदेशों के अंतर्गत भर्ती होने वाले खिलाड़ी उनसे कनिष्ठ पद पर भर्ती किये जायेंगें जिनकी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पूर्व में ही अनुशंसा की जा चुकी है, पदोन्नति के प्रतिकूल अंतर–वरिष्ठता 20 सूत्रीय पदोन्नति रोस्टर के अनुसार होगी। खिलाड़ियों की अंतर–वरिष्ठता उनके चयन के अनुक्रम के आधार पर होगी।

7.9.5. प्रक्रियाः–

(क) योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन प्रमुख अखबारों एवं रोजगार समाचारों में विज्ञापन दिया जाकर मंगाया जा सकता है।

(ख) ऊपर लिखित श्रेणियों में किसी से संबंधित किसी खिलाडी से प्राप्त किसी प्रार्थना पत्र पर नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी अथवा उच्चतर प्राधिकारी द्वारा, संबंधित प्राधिकारी द्वारा प्रेस विज्ञप्ति को मान्य किया जाकर उन साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में जिन्हें पूर्व की कंडिकाओं में उल्लिखित प्रतियोगिता में से किसी में अपना प्रतिनिधित्व किये जाने को प्रस्तुत करता है और उस पद/सेवा जिस के लिये वह एक प्रत्याशी है, के लिये नियमावली में यथा निर्धारित शिक्षा, आयु आदि से संबधित आवश्यक योग्यताएँ पूर्ण करने वाले प्रार्थी पर विभाग द्वारा विचार किया जा सकता है। उपरोक्त कंडिकाओं के परिपालन में किसी अभ्यर्थी की पात्रता पर जब विचार किया जा रहा है तो **अनुलग्नक–'ख'** में वर्णित, प्राधिकारियों द्वारा, पुरस्कृत प्रमाणपत्रों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

(ग) ये निर्देश, तथापि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षण से संबंधित आदेशों को प्रभावित नहीं करेगें जो कि समय – समय पर प्रभावशील हो सकते है। अन्य शब्दों में किसी वर्ष में इन आदेशों के अनुसार भरी गई रिक्तियाँ आरक्षण के निर्धारित प्रतिशतता की गणना की प्रयोजनार्थ, उस वर्ष के दौरान पदों/सेवा में आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या की गणना करने में ध्यान में रखी जायेगी।

(घ) अभ्यर्थी की क्षमता के उचित मूल्यांकन हेतु, राज्य खेल संघ/राष्ट्रीय खेल निकाय जैसे एन. आई. एस. (NIS) इत्यादि से संबंधित खेलों के प्रख्यात/विशेषज्ञों को, जैसा कि विभागाध्यक्ष निर्णय लेता है, आमंत्रित किया जाना चाहिए एवं मैदानी ट्रायल के दौरान साथ रखा जाना चाहिए। उसके पश्चात अभ्यर्थी का साक्षात्कार चयन समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें निम्न शामिल हो –

(i) प्रशासन का प्रभारी समूह अधिकारी।

(ii) उस कार्यालय जहाँ पर नियुक्ति विचारणीय है से अन्य कार्यालय का दूसरा समूह अधिकारी।

(iii) कल्याण अधिकारी।

-

(iv) मुख्यालय कार्यालय द्वारा नामित एक प्रतिनिधि।

नाभिकायन (Empanelment) क्षेत्र परीक्षण एंव साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर होना चाहिए।

(ड़) जहाँ नियुक्ति प्राधिकारी विभागाध्यक्ष के अधीनस्थ है, उक्त प्राधिकारी इस संबंध में अभ्यर्थी की प्रस्तावित नियुक्ति में अपनी सहमति प्राप्त करने हेतु आवश्यक विवरण के साथ विभागाध्यक्ष को इस संबंध में संस्तुति प्रदान कर सकता हैं। तत्पश्चात पैनल केवल विभागाध्यक्ष की संतुति के बाद प्रवर्त्तनशीन होगा जो मुख्यालय से कंडिका 1 (क) के अंतर्गत अनुमति प्राप्त करेगा जहाँ कही भी उक्त संस्तुति की आवश्यकता होगी।

7.9.6. उन मामलों में जहाँ किसी स्थान पर कार्यालयों की संख्या एक से अधिक है, साक्षात्कार की दिनांक/दिनांकों को उन स्थान पर मुख्यालय से प्रतिनिधि के साथ परामर्श कर विभागाध्यक्ष द्वारा आपसी सहमति ली जायेगी। साक्षात्कार का संचालन मुख्यालय प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में किया जा सकता है।

7.9.7. वर्ष के लिये खेल कोटा नियुक्तियों पर वार्षिक प्रतिवदेन इस कार्यालय को आगामी वर्ष में 15 जनवरी तक भेजे जाने चाहिए। (**अनुलग्नक–ग**)

7.9.8. खेल कोटा के लिये चिन्हित रिक्तियाँ उसी तिथिपत्र वर्ष के दौरान भरी जानी है। किसी विशेष तिथिपत्र वर्ष के दौरान योग्य प्रत्याशी के अभाव में रह गई रिक्तियाँ आगामी तिथिपत्र को नही बढ़ायी जानी है। खेल कोटा के विरूद्ध प्रवीण खिलाड़ियों की नियुक्ति को सुनिश्चित करने के संबंध में, महालेखाकार इत्यादि द्वारा समयोचित कार्यवाही की जानी चाहिए। पैनल को अगले वर्ष हेतु विस्तार के लिये कोई मांग किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नही की जायेगी।

(कंडिका 7.9.1. से 7.9.8. हेतु प्राधिकार–नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का परिपत्र क्र. अराज. कर्मचारी 21/1989 क्र. 1019–अराज. कर्मचारी–III/36–86 –खण्ड–V दिनांक 31.03.1989)

-

-

अनुलग्नक–'क'
(कंडिका 7.9.1. से संदर्भित)
फार्म–क

नया पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ चिपकाएँ

1. नाम (बड़े अक्षरों में) –

2. पिता का नाम –

3. जन्म तिथि –

4. लिंग (पुरूष/महिला) –

5. शैक्षणिक योग्यता –

6. अनुसूचित जाति –
/अनुसूचित जनजाति
/अन्य पिछड़ा वर्ग

7. डाक पता –

8. स्थायी पता –

9. टेलीफोन क्रमांक –

10. सबसे हाल के से शुरू करते हुए सबसे 5 हाल के सहभागिता की सूची–

स. क्र.		दिनांक		

स्थानः–

हस्ताक्षर

दिनांकः–

टिप्पणी – कोई स्थान खाली न छोड़े।

-

अनुलग्नक–'ख'
(कंडिका 7.9.5. (ख) में संदर्भित)

फार्म–ख

राष्ट्रीय महासंघ / राष्ट्रीय संघ या .....राज्य संघ/ .....विश्वविद्यालय..... / लोक शिक्षण संचालनालय / ..... राज्य शिक्षण/ भारत सरकार/ शिक्षा एवं..... .....सामाजिक कल्याण मंत्रालय केंद्र सरकार के अंतर्गत समूह 'ग' में रोजगार हेतु प्रवीण खिलाडियों को प्रमाणपत्र।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमति/ कुमारी.....पुत्र/ पत्नि/ पुत्री श्री ....निवासी ..... (पूरा पता) ने..... से ..... तक देश/ राज्य / विश्वविद्यालय/ राज्य स्कूल टीम में खेल प्रतिस्पर्धा में प्रतिनिधित्व किया है। उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेंट में व्यक्तिगत/ टीम द्वारा प्राप्त किया गया स्थान..... था।

यह प्रमाण पत्र.....ऑ राष्ट्रीय महासंघ / राष्ट्रीय संघ/.....राज्य संघ/विश्वविद्यालय में खेल पूर्ण प्रभारी या खेल अध्यक्ष.....शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण मंत्रालय के कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर दिया जा रहा है।

स्थानः–

दिनांकः–

हस्ताक्षर –
नाम –
पदनाम –
पता –
मुहर –

जो लागू ना हो, हटा दें।

टिप्पणी– प्राधिकारी द्वारा व्यक्तिगत हस्ताक्षरित पृथक प्रमाण पत्र, जैसा नीचे दिया गया है, टूर्नामेंट के विभिन्न स्तरों पर निर्दिष्ट खेलों में प्रतिभागिता के संबंध में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

अतंर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता	संबंधित खेल का राष्ट्रीय महासंघ सचिव
राष्ट्रीय प्रतियोगिता	संबंधित खेल का राष्ट्रीय महासंघ सचिव अथवा राज्य संघ सचिव
अंतर – विश्वविद्यालय टूर्नामेंट	संबंधित विश्वविद्यालय का खेल पूर्ण प्रभारी अथवा खेल अध्यक्ष।
स्कूल हेतु राष्ट्रीय खेल/ खेलकूद	राज्य के लोक शिक्षण संचालनालय/शिक्षा में स्कूल हेतु संचालनालय या अतिरिक्त/संयुक्त या उप निदेशक पूर्ण खेल प्रभारी।

-

अनुलग्नक–'ग'
(कंडिका 7.9.7. में संदर्भित)

फार्म–ग

दिनांक 31 दिसम्बर 201..... को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान समूह 'ग' एवं एम.टी.एस. में नियुक्त खिलाडियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण पत्र –

क्र.	कार्यालय का नाम	समूह 'ग' नियुक्त खिलाड़ियों की संख्या योग	समूह 'घ' नियुक्त खिलाड़ियों की संख्या योग	वर्ष के दौरान की गयी कुल नियुक्तियाँ	खेल का नाम एवं उसके विरूद्ध की गयी नियुक्तियों की संख्या	टिप्पणी
1						
2						

-

7.9.9. स्वास्थ्य के आधार पर सेवानिवृत्त हुए समूह 'ग' एवं 'घ' पदों में शासकीय कर्मचारियों के पुत्रों/पुत्रियों/निकट संबंधियों की नियुक्तियाँ –

कृपया इस नियम पुस्तक की कंडिका 7.9.10 (i) देखें।

7.9.10.(i) अनुकंपा नियुक्तियों पर समेकित अनुदेश–

अनुकंपा नियुक्ति हेतु योजना

1. लक्ष्य

योजना का लक्ष्य शासकीय सेवा के दौरान मृत सेवक अथवा स्वास्थ्य के आधार पर सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी जिससे परिवार में दरिद्रता एवं आजीविका के साधन की कमी दूर करने के लिए परिवार के आश्रित सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान कराना है, जिससे शासकीय कर्मचारी के परिवार को वित्तीय अभाव से मुक्त किया जा सकें और यह आपातकाल से समाप्ति में सहायता कर सकें।

2. जिस पर लागू हो

परिवार के आश्रित सदस्य को–

(क) सरकारी (शासकीय) कर्मचारी का जो–

(अ) सेवा के दौरान मर जाता है (आत्महत्या द्वारा मृत्यु सम्मिलित) अथवा

(ब) केंद्रीय सिविल सेवा (स्वास्थ परीक्षा) नियम 1957 के नियम 2 अथवा 55 वर्ष (भूतपूर्व समूह 'घ' शासकीय कर्मचारी हेतु 57 वर्ष) की आयु प्राप्त करने से पहले केंद्रीय सिविल सेवा अधिनियम में संबंधित प्रावधान के अंतर्गत स्वास्थ्य आधार पर सेवानिवृत्त व्यक्ति।

(स) केंद्रीय सिविल सेवा (स्वास्थ परीक्ष) नियम 1972 के नियम 38 अथवा 55 वर्ष (भूतपूर्व समूह 'घ' शासकीय कर्मचारी हेतु 57 वर्ष) की आयु प्राप्त करने से पहले केंद्रीय सिविल सेवा अधिनियम में संबंधित प्रावधान के अंतर्गत स्वास्थ्य आधार पर सेवानिवृत्त व्यक्ति।

(ख) सशस्त्र सेना का सदस्य जो –

(अ) सेवा के दौरान मृत्यु प्राप्त करता हैं ; अथवा

(ब) कार्यवाही में मारा गया हो ; अथवा

(स) चिकित्सकीय रूप से असक्षम हो और सिविल रोजगार हेतु अयोग्य हो।

टिप्पणी I.– " आश्रित परिवार का सदस्य " अर्थातः–

(अ) पति या पत्नी ; अथवा

-

(ब) पुत्र (दत्तक पुत्र सहित) ; अथवा

(स) पुत्री (दत्तक पुत्री सहित) ; अथवा

(द) अविवाहित शासकीय कर्मचारी के मामले में भाई या बहन अथवा

(ई) इस कंडिका के (क) या (ख) में सदंर्भित सशस्त्र सेना का सदस्य – जो सशस्त्र सेना के शासकीय कर्मचारी/सदस्य जो मृत्यु के समय सेवा में था अथवा स्वास्थ्य आधार पर सेवा निवृत्त हुआ, पर पूर्णतः आश्रित था।

टिप्पणी II– इन अनुदेशों के उद्देश्य हेतु " शासकीय कर्मचारी " से तात्पर्य नियमित आधार पर नियुक्त शासकीय कर्मचारी से हैं और न कि वह दैनिक वेतन अथवा आकस्मिक अथवा प्रशिक्षु अथवा तदर्थ अथवा अनुंबध अथवा पुनः रोजगार आधार पर कार्यरत हो।

टिप्पणी III – उक्त टिप्पणी 2 में उल्लिखित " शासकीय कर्मचारी " शब्द के अंतर्गत " स्थायी कार्य – प्रभारी कर्मचारी " अंतर्निहित होगा।

टिप्पणी IV – " सेवा " में सिविल पद में सेवानिवृत्त की सामान्य आयु को प्राप्त करने के बाद सेवा में विस्तार (लेकिन पुनः रोजगार नहीं) शामिल हैं।

टिप्पणी V – " पुनः रोजगार " सिविल पद में सेवानिवृत्ति की सामान्य आयु से पूर्व भूत पूर्व सैनिक के रोजगार को शामिल नही करता हैं।

3. अनुकंपा नियुक्ति करने हेतु सक्षम प्राधिकारी

(क) संबंधित मंत्रालय/विभाग में प्रशासन का संयुक्त सचिव प्रभारी।

(ख) संलग्न एवं अधीनस्थ कार्यालय के मामले में पूरक नियम 2 (10) के अंतर्गत विभागाध्यक्ष।

(ग) विशेष प्रकार के मामलो में संबंधित मंत्रालय/विभाग में सचिव।

4. पद जिनमें उक्त नियुक्तियाँ की जा सकती है

सीधी भर्ती कोटा के विरूद्व समूह 'ग' पद।

5. योग्यता

(क) परिवार निर्धन हो एवं वित्तीय अभाव से राहत हेतु तुंरत सहायता पाने लायक हो और

(ख) अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदक प्रांसगिक भर्ती नियम के प्रावधानों के अंतर्गत सभी पदों के संबंध में योग्य एवं उपयुक्त हों।

-

6. **क. छूट**

अनुकंपा नियुक्तियों को निम्नलिखित आवश्यकताओं के पालन से छूट प्रदान की गयी है–

(क) भर्ती प्रक्रिया यानि कि कर्मचारी चयन आयोग अथवा रोजगार विनियम की एजेंसी के बिना।

(ख) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग/रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशनालय के अधिशेष सेल से अनुमति।

(ग) वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा जारी पदों के भरे जाने पर प्रतिबंध के आदेश।

ख. छूट

(क) जहाँ आवश्यक हो ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जा सकती है। निम्नतम आयु सीमा में, तथापि, किसी भी मामले में 18 वर्ष से नीचे की छूट नहीं दी जा सकती।

टिप्पणी I आयु योग्यता आवेदन की दिनांक से संदर्भ में निर्धारित की जायेगी न कि नियुक्ति की दिनांक से।

टिप्पणी II किसी मामले में अनुकंपा नियुक्ति करने हेतु अंतिम निर्णय लेने के लिये सक्षम प्राधिकारी उक्त नियुक्ति करने हेतु ऊपरी आयु सीमा की भी छूट कीी अनुमति देने में सक्षम होगा।

(ख) अपवादात्मक परिस्थितियों में शासन उस व्यक्ति की भर्ती पर विचार कर सकता है जो तत्काल में न्यूनतम शैक्षणिक मानकों को पूर्ण नही करता है। शासन उन्हें प्रशिक्षु के रूप में लगा सकता है, जिन्हें नियमित वेतनमान एवं ग्रेड पे केवल भर्ती नियमों में निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने के बाद ही दिया जायेगा। इनके प्रशिक्षण के दौरान एवं शासन में इनके कर्मचारी के रूप में समाहित होने से पहले, इन प्रशिक्षुओं का मेहनताना बिना किसी ग्रेड पें के न्यूनतम 1 एस पे बैड 4440–7440 द्वारा शासित होगा। इसके साथ, इन्हें सभी उपयुक्त भत्ते जैसे मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता एवं परिवहन भत्ता स्वीकार्य दरों पर प्रदान किये जायेगें। उक्त की गणना न्यूनतम 1 एस वेतन मान (पे बैडं) पर बिना किसी ग्रेड पे के की जायेगी। भविष्य में रंगरूटों द्वारा 1 एस वेतनमान में व्यतीत किये गये समय को किसी उद्देश्य हेतु सेवा के रूप में गणना नही की जायेगी क्योंकि उनकी नियमित सेवा केवल तभी प्रारंभ होगी जब वे रू. 1800 ग्रेड पे के साथ वेतनमान पी. बी. 1 रू. 5200– 20200 में रखें जायेंगे। **(कार्यालय ज्ञापन क्र. 14014/2/2009 – स्था. (डी) दिनांक 11 दिसम्बर 2009 की कंडिका 1)**

टिप्पणी संबंद्ध/अधीनस्थ कार्यालय के मामले में संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग का सचिव इस उद्देश्य हेतु सक्षम प्राधिकारी होगा।

(ग) निम्न श्रेणी लिपिक के पद में अनुकंपा आधार पर उनकी नियुक्ति जो टंकण परीक्षा पास करने की आवश्यकता से छूट प्राप्त करते है, को इस संबंध में जारी सामान्य आदेशों द्वारा शासित किया जायेगा।

(i) यदि पद केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा में शामिल हो, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की सी. एस. विभाग द्वारा।

-

(ii) यदि पद केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा में शामिल नहीं है, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की स्थापना विभाग द्वारा।

(घ) विधवाओं के नियुक्ति के संबंध में यदि विविध कार्य कर्मचारी (एम.टी.एस) के पद के विरूद्ध शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकताओं की पूर्ण न करती हो, उसे सीधे शैक्षणिक योग्यता शर्तो के पूर्ण किये जाने पर जोर दिये बिना समूह 'ग' पी.बी. 1 (रू. 5200–20200)+ ग्रेड पे रू. 1800 में रखा जायेगा, बशर्ते कि नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी इस पर संतुष्ट है कि उस पद, जिसके विरूद्व उसकी नियुक्ति की जा रही है, के कर्तव्यों का निष्पादन अंतर कार्यालयीन प्रशिक्षण की सहायता से किया जा सकता है। यह व्यवस्था केवल एम.टी.एस. के पद के विरुद्ध अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हेतु अनुमत की जानी है **(कार्याल ज्ञापन क्र. 14014/2/2009 स्था.(डी)दिनांक 03.04.2012 की कंडिका 2)**

7. रिक्तियों का निर्धारण/उपलब्धता

(क) अनुकंपा आधार पर नियुक्ति केवल नियमित आधार पर की जानी चाहिए एवं वह भी केवल अगर उस उद्देश्य के लिये बनी नियमित रिक्तियाँ उपलब्ध है।

(ख) अनुकंपा नियुक्तियाँ किसी समूह 'ग' पद में सीधी भर्ती कोटा के अंतर्गत रिक्तियों की अधिकतम 5% तक की जा सकती है। नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी पूर्वकथित श्रेणी में 5% रिक्तियों को रख सकता है जो कि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती द्वारा भरी जाती है अथवा अनुकंपा आधार पर नियुक्ति द्वारा उक्त रिक्तियों को भरा जाता हैं। अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हेतु चयनित व्यक्ति उपयुक्त श्रेणी यानि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडे वर्ग/सामान्य श्रेणी के जिनसे वह संबंधित हैं, के विरूद्ध भर्ती रोस्टर में समायोजित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिये, यदि वह अनुसूचित जाति श्रेणी के अंतर्गत आता है तो उसे अनुसूचित जाति आरक्षण बिंदु के विरूद्व समायोजित किया जायेगा, यदि वह अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडे वर्ग है तो उसे अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडे वर्ग बिन्दु के विरूद्व समायोजित किया जायेगा और यदि वह सामान्य श्रेणी के अंतर्गत आता है तो उसे सामान्य श्रेणी के लिये बने रिक्ति बिन्दु के विरूद्ध समायोजित किया जायेगा।

(ग) नियमित रिक्तियों के विरूद्ध अनुकंपा नियुक्ति करने हेतु 5% की अधिकतम सीमा, नियमित रिक्तियों के विरुद्ध आकस्मिक/दैनिक वेतन/तदर्थ/अनुबंध आधार पर शासकीय कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्य की नियुक्ति करने के द्वारा दरकिनार नहीं की जायेगी, तो उक्त नियुक्ति हेतु उसके विचार करने हेतु कोई बंधन नहीं है, यदि वह उक्त नियुक्तियों की शासित करने वाले सामान्य नियमों/आदेशों के अनुसार योग्य है।

(घ) अनुकंपा नियुक्ति करने हेतु सीधी भर्ती रिक्तियों का 5% की अधिकतम सीमा कोई अन्य रिक्ति जैसे खेल कोटा रिक्ति के उपयोग द्वारा पार नहीं की जानी चाहिए।

(ड़) अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हेतु निवेदन पर विचार करने के लिये गठित की गई समिति को केवल अनुकंपा आधार पर नियुक्ति से संबंधित वास्तविक योग्य मामले में अपनी अनुशंसा की सीमा तय करनी चाहिए और केवल यदि अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हेतु बनाई गयी रिक्ति संबंधित मंत्रालय/विभाग/कार्यालय में वर्ष के अंदर उपलब्ध हो, वह भी समूह 'ग' पदों में सीधी भर्ती कोटा

-

के अंतर्गत आने वाली रिक्तियों के 5% की अधिकतम सीमा के अंतर्गत हों। (**कार्यालय (ज्ञापन क्र. 14014/18/2000 स्था (डी) दिनांक 22.06.2001**)

(च) छोटे कार्यालयों/संवर्गो हेतु पदों के समूहन द्वारा रिक्तियों की गणनाः–

अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हेतु रिक्तियों की गणना के उद्देश्य हेतु छोटे कार्यालयों/संवर्गो में पदों का समूहीकरण अनुमत्य है। इसके फलस्वरूप समूह 'ग' पदों में जहाँ किसी भर्ती वर्ष में 20 सीधी भर्ती रिक्तियों से कम है उन्हें एक साथ समूहबद्व किया जा सकता है और कुल रिक्तियों में से 5% अनुकंपा आधार पर भरी जा सकती है इस शर्त पर कि इसमें कोई उक्त पद में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति एक से अधिक न हो। अनुकंपा नियुक्ति हेतु रिक्तियों की गणना के उद्देश्य से, रिक्ति का अंश या आधा या आधे से अधिक लेकिन एक से कम को एक रिक्ति माना जा सकता हैं। **(कार्यालय ज्ञापन क्र. 14014/24/1999 स्था. (डी) दिनांक 28.12.1999 की कंडिका 2 एवं 3)**

(छ) छोटे मंत्रालयों/विभागों हेतु रिक्तियों की गणना की उदार पद्धतिः–

अनुकंपा नियुक्ति हेतु 5% कोटा के अंतर्गत छोटे मंत्रालय/विभाग रिक्तियों की गणना के लिये एक अधिक उदार पद्धति को लागू कर सकते हैं। छोटे मंत्रालय/विभाग, इन अनुदेशों के उद्देश्य हेतु, को संस्था के रूप में परिभाषित किये गये हैं जहाँ अनुकंपा नियुक्ति हेतु अंतिम तीन वर्षो से 5% कोटा के अंतर्गत कोई भी रिक्ति नही दर्शायी गयी है। उक्त छोटे मंत्रालय/विभाग सीधी भर्ती रिक्तियों के कुल को समूह 'ग' और 3 या अधिक पूर्ववर्ती वर्षो के लिये प्रत्येक वर्ष में आने वाली भूतपूर्व समूह 'घ' पद (तकनीकी पदों को छोड़कर) में जोड़ सकते हैं और रिक्तियों के 5% की गणना उक्त वर्ष की कुल रिक्तियों के संदर्भ में अनुकंपा नियुक्ति हेतु एक रिक्ति को दर्शाने के लिये करते है। यह इस शर्त के अधीन है कि कोई अनुकंपा नियुक्ति तीन वर्षो के दौरान या लिये गये वर्षो की संख्या और 3 वर्ष से अधिक मंत्रालय/विभाग द्वारा 5% कोटा के अंतर्गत एक रिक्ति को भरने हेतु नहीं की गयी थी/हैं। **(कार्यालय ज्ञापन क्र. 14014/3/2005 – स्था. (डी) दिनांक 09.10.2006 की कंडिका 4)**

(ज) अनुकंपा नियुक्ति समूह 'ग' एवं भूतपूर्व समूह 'घ' स्तर पर तकनीकि पदों के विरूद्ध भी की जा सकती हैं। रिक्तियों के 5% कोटा की गणना तकनीकि पदों में वर्ष में आने वाली कुल सीधी भर्ती रिक्तियों के आधार पर की जायेगी। **(कार्यालय ज्ञापन क्र. 14014/3/2005 – स्था. (डी) दिनांक 19.1.2007 की कंडिका 2)**

8. अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन पर विचार करने की समय सीमा

अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन पर विचार करने की निर्धारित समय सीमा इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन क्र. 14014/3/2011–स्था.(डी) दिनांक 26.07.2012 से संदर्भ में समीक्षा की जा चुकी है। इस विभाग द्वारा जारी रिक्ति की उपलब्धता एवं अनुदेश के विषय पर एवं समय–समय पर किये गये संसोधनों के विषय में, अनुकंपा नियुक्ति हेतु कोई आवेदन का विचार **बिना किसी समय सीमा** में किया जाना है एवं प्रत्येक मामले में निर्णय योग्यता के आधार पर लिया जाना है।

9. अनुकंपा नियुक्ति हेतु देर से किये गये अनुरोध

(क) मंत्रालय/विभाग अनुंकपा नियुक्ति हेतु इन आवेदनों पर भी विचार कर सकता है जहाँ शासकीय सेवक की मृत्यु या स्वास्थ्य आधार पर सेवा निवृत्ति बहुत समय पहले, 5 वर्ष या अधिक, हुई हो। जब इन देर से किये गये अनुरोधों पर विचार किया जाये, यह, तथापि, ध्यान रखा जाये कि अनुकंपा नियुक्ति की संकल्पना शासकीय कर्मचारी के परिवार को त्वरित सहायता के उद्देश्य से उन्हें आर्थिक संकट से मुक्ति के क्रम में व्यापक रूप से संबंधित हैं। बहुत तथ्य यह है कि परिवार किसी प्रकार इन सभी वर्षो में व्यवस्था करने में सक्षम हो चुका है, जो सामान्यतः पर्याप्त सबूत के तौर पर लिया जाये कि परिवार के पास निर्वाह के भरोसेमंद साधन है। इसलिये उक्त मामलों की परीक्षा बड़ी एहतियात के साथ करनी चाहिए। इसलिए इन मामलों में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के निर्णय संबंधित विभाग/मंत्रालय के सचिव के स्तर पर ही लिये जाने चाहिए।

(ख) क्या अनुकंपा नियुक्ति के लिये अनुरोध देर से किया गया है अथवा नहीं, यह निर्णय विचार के समय पर शासकीय कर्मचारी की मृत्यु की दिनांक अथवा स्वास्थ्य स्तर पर सेवानिवृत्ति के संदर्भ में किया जाना चाहिए ना कि आवेदक की आयु के आधार पर।

(ग) आश्रित परिवार की निर्धन हालत की जॉच की जिम्मेदारी अनुकंपा नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी को होगी। **(कार्यालय ज्ञापन क्र. 14014/3/2011 स्था. (डी) दिनांक 26.07.2012 की कंडिका 4)**

10. अनुकंपा आधार पर नियुक्त विधवा का पुर्नविवाह

अनुकंपा आधार पर नियुक्त विधवा को पुनर्विवाह के बाद भी सेवा में निरंतर रहने की अनुमति दी जायेगी।

11. जहाँ एक कमाऊ सदस्य है

(क) योग्य मामलो मे जहाँ परिवार में पहले से एक कमाऊ सदस्य है, आश्रित परिवार का सदस्य को संबंधित मंत्रालय/विभाग के सचिव के पूर्व अनुमोदन के साथ अनुकंपा नियुक्ति हेतु विचार किया जा सकता है, जो उक्त नियुक्ति के अनुमोदन के पूर्व, स्वंय को संतुष्ट करेगा कि अनुंकपा नियुक्ति की स्वीकृति, शासकीय कर्मचारी द्वारा छोड़ी गयी संपत्ति एंव देनदारियाँ, आश्रितों की संख्या, कमाऊ सदस्य की आय एवं उसकी देनदारिया इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कमाऊ सदस्य शासकीय कर्मचारी के परिवार के साथ रहता है एवं क्या वह परिवार के अन्य सदस्यों के लिये सहारे का माध्यम नहीं होना चाहिए, के संबंध में उचित सिद्ध की गयी है।

(ख) उन मामलो में जहाँ मृत या चिकित्सकीय आधार पर सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी के परिवार का कोई सदस्य पहले से ही रोजगार में है एवं शासकीय कर्मचारी के परिवार के अन्य सदस्यो का समर्थन/सहारा नही करता है तो शासकीय कर्मचारी के परिवार के सदस्यों के आर्थिक सकंट को अत्यधिक सावधानी के साथ देखा जाये जिससे की अनुकंपा आधार पर नियुक्ति की सुविधा दिखावा न हो और उस आधार पर व्यर्थ न हो कि परिवार का पूर्व से ही रोजगार प्राप्त सदस्य परिवार का समर्थन नहीं कर रहा है।

-

12. लापता शासकीय कर्मचारी के संबध में

निम्नलिखित शर्तो के आधार पर लापता शासकीय कर्मचारियों के मामलों को भी अनुकंपा नियुक्ति हेतु योजना के अंतर्गत रखा जाता है–

(क) अनुकंपा नियुक्ति के लाभ की स्वीकृति की याचिका पर जिस दिनांक से शासकीय कर्मचारी लापता है उसके कम से कम दो वर्ष के बाद विचार किया जा सकता है, बशर्ते किः–

(i) इस संबंध में पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज है,

(ii) लापता व्यक्ति मिल नही पा रहा हो, और

(iii) सक्षम अधिकारी यह मानता है कि मामला वास्तविक है,

(ख) शासकीय सेवक (कर्मचारी) के उन मामलों में यह लाभ मान्य नहीं है

(i) जिस के सेवानिवृत्ति के 2 वर्ष से कम बचे हो जिस दिनांक से वह लापता हो।

(ii) जिस पर धोखाधड़ी करने का शक हो या कि किसी आतंकी संगठन में शामिल होने अथवा विदेश जाने का शक हो।

(ग) लापता शासकीय कर्मचारी के मामले में अनुंकपा नियुक्ति अधिकार का मामला नहीं होगा जैसा कि अन्य मामले में है और यह सभी शर्तो के परिपूर्ण होने का विषय होगा, जिसमें रिक्ति की उपलब्धता सम्मिलित हो, योजना के अंतर्गत उक्त नियुक्ति हेतु निर्धारित की जायेगी।

(घ) उक्त निवेदनों पर विचार करते समय पुलिस छानबीन के परिणामों को भी ध्यान में रखा जाये और

(ड़) अनुकंपा नियुक्ति हेतु इन निवेदनों पर निर्णय केवल संबंधित मंत्रालय/विभाग के सचिव स्तर पर ही लिया जायेगा।

13. प्रक्रिया

(क) प्रपत्र, जैसा अनुलग्नक में है, का प्रयोग मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के मामलो की आवश्यक जानकारी एवं कार्यवाही का पता लगाने हेतु किया जा सकता है।

(ख) प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय में कल्याण अधिकारी को शासकीय कर्मचारी की मृत्यु के तुरंत बाद परिवार के सदस्यों से मिलना चाहिए एवं उन्हें अनुकंपा आधार पर नियुक्ति की सलाह एवं सहायता करनी चाहिए। आवेदक को प्रथम चरण में व्यक्तिगत तौर पर बुलाना चाहिए एवं उसके द्वारा पूर्ण की जाने वाली आवश्यकताओं एवं औपचारिकताओं की व्यक्तिगत सलाह दी जानी चाहिए।

(ग) अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदक को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (स्थापना अनुभाग) द्वारा किसी विषय पर समय–समय पर जारी अनुदेशों के मुख्य बिंदुओं पर विचार करना चाहिये

-

जोकि अधिकारियों कि समिति जिसमें तीन आधिकारी शामिल हो द्वारा बनाये जाते है– एक अध्यक्ष और दो सदस्य – जो कि मंत्रालय/विभाग में उप सचिव/निदेशक की रैंक के हो और संबंद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों के मामलों में समकक्ष रैंक के अधिकारी सम्मिलित हो। कल्याण अधिकारी को भी उसकी रैंक के आधार पर उनमें से एक सदस्य/अध्यक्ष बनाया जा सकता है। समिति प्रत्येक माह के दूसरे सप्ताह में पूर्व माह के दौरान प्राप्त किये गये मामलो पर विचार करने के लिये बैठक कर सकती है। यदि आवश्यक हो, मामले के तथ्यों की बेहतर सराहना हेतु आवेदक को समिति द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई की अनुमति भी प्रदान की जा सकती हैं।

(घ) समिति की अनुशंसाओं को सक्षम अधिकारी के समक्ष निर्णय हेतु रखा जाना चाहिए। यदि सक्षम अधिकारी समिति की अनुशंसा से असहमत होता है तो मामले को निर्णय हेतु अगले उच्च अधिकारी के समक्ष प्रेषित किया जा सकता है।

14. मृत कर्मचारी के परिवार के सरंक्षण हेतु शपथपत्र

योजना के अंतर्गत अनुकंपा आधार पर नियुक्त व्यक्ति को लिखित में यह परिवचन (जैसा अनुलग्नक में हैं) देना होगा कि परिवार के अन्य सदस्यों, जो कि शासकीय कर्मचारी/सशस्त्र बल के सदस्य पर आश्रित थे, को पूर्ण रूप से सरंक्षण देगा और यदि आगे (किसी भी समय) यह सिद्व होता है कि परिवार के सदस्यों की उपेक्षा की जा रही है या यथोचित संरक्षण नही प्रदान किया जा रहा है, तो उसकी नियुक्ति को तत्काल समाप्त किया जा सकता है। इसके विधिक प्रवर्तनीयता के प्रश्न को कानून मंत्रालय (विधिक मामलों का विभाग) के साथ परामर्श कर जाँच की जा चुकी है और यह निर्णय लिया गया है कि इसे अतिरिक्त शर्त के रूप में नियुक्ति के प्रस्ताव में सम्मिलित किया जाना चाहिए जो कि केवल अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के मामलों में लागू होगा। **(कार्यालय ज्ञापन क्र. 14014/16/1999 – स्था (डी) दिनांक 20.12.1999)**

15. पद/व्यक्ति के परिवर्तन हेतु अनुरोध

जब किसी व्यक्ति की नियुक्ति किसी पद विशेष पर अनुकंपा आधार पर होती है, परिस्थितियों के समूह, जो इस प्रकार की नियुक्ति हेतु नेतृत्व करती है, अस्तित्व समाप्त हो गया है समझा जाना चाहिए। इसलिये,–

(क) भविष्य में उन्नति हेतु उसे अपने पेशे मे अपने साथियों की तरह प्रयास करने चाहिए और अनुकंपा को विचार करते हुए किसी उच्च पद पर नियुक्ति हेतु अनुरोध को निरपवाद रूप से खारिज कर दिया जायेगा।

(ख) अनुकंपा आधार पर की गयी नियुक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता एवं उक्त के लिये कोई अनुकंपा के आधार पर विचार किया गया कोई अनुरोध निरपवाद रूप से खारिज कर दिया जायेगा।

16. वरिष्ठता

किसी विशेष वर्ष में अनुकंपा आधार पर नियुक्त किये गये व्यक्ति को उस वर्ष में सीधी भर्ती द्वारा भर्ती/नियुक्ति किये गये, पदोन्नति आदि सभी अभ्यार्थियों से नीचे रखा जायेगा, ना कि अनुकंपा आधार पर नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति के आधार पर। **(कार्यालय ज्ञापन क्र. 20011/1/2008 – स्था (डी) दिनांक 11.11.2010 की कंडिका 4.8.)**

-

17. सेवा की समाप्ति

अनुकंपा नियुक्तियों को नियुक्ति प्रस्ताव में प्रस्तावित अनुपालन की अवज्ञा के आधार पर है अनुकंपा नियुक्त कर्मचारी को कारण बताओं नोटिस, जिसमें उसे यह स्पष्ट करना होगा कि नियुक्ति प्रस्ताव में शर्त/शर्तो की अवज्ञा हेतु उसकी सेवा क्यों न समाप्त किया जायें, का मौका दिया जाने के बाद समाप्त किया जा सकता है और इस उद्देश्य हेतु अनुशासनात्मक नियमों/आस्थायी सेवा नियमो में सदंर्भित प्रकिया के अनुपालन की आवश्यकता नहीं है। इसके दुर्पयोग की जाँच करने के क्रम में, यह निर्णय लिया गया है कि अनुकंपा नियुक्ति के प्रस्ताव में शर्तो की अवज्ञा के लिये सेवाओं की समाप्ति की शक्ति केवल संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग में सचिव, न केवल उस मंत्रालय/विभाग मे कार्यरत व्यक्ति के संबंध में बल्कि उस मंत्रालय/विभाग के अंतर्गत आने वाले जुड़े हुए/अधीनस्थ कार्यालयों के संबंध में भी, निहित होगी। **(कार्यालय ज्ञापन क्र. 14014/19/2000 – स्था (डी) दिनांक 24.11.2000)**

18. सामान्य

(क) अनुकंपा आधार पर की गई नियुक्ति इस प्रकार होनी चाहिए कि व्यक्ति जो पद पर नियुक्त किया गया है, के पास आवश्यक शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता और प्रशासन की कार्यकुशलता के संरक्षण की आवश्यकता के लिये सुसंगत पद के लिये आवश्यक अनुभव हो।

(ख) मृत या स्वास्थ्य आधार पर सेवानिवृत्त (भूतपूर्व) समूह 'घ' शासकीय कर्मचारी के परिवार के सदस्य को रोजगार के भूतपूर्व समूह 'घ' पद तक ही रोकने का ध्येय नही है। इस प्रकार उक्त भूतपूर्व समूह 'घ' शासकीय कर्मचारी के परिवार के सदस्य को समूह 'ग' जिसके लिये वह शैक्षणिक योग्यता रखता हो, पर नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते की इस उद्देश्य हेतु समूह 'ग' पद में रिक्ति उपलब्ध हो।

(ग) अनुकंपा नियुक्तियों की योजना की कल्पना 1958 से की जा रही थी। तब से अनेक कल्याण मानकों को शासन द्वारा शुरू किया जा चुका है जिससे कि सेवा के दौरान मृत/स्वास्थ्य आधार पर सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय परिवर्तन आये हैं। तथापि, अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन इस आधार पर अस्वीकृत नही किये जाने चाहिए कि शासकीय कर्मचारी के परिवार के सदस्य विभिन्न प्रकार की कल्याण योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर चुकें है। जब अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन के अनुरोध का विचार किया जाये परिवार की आर्थिक स्थिति का संतुलित एवं वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन उनकी सम्पत्ति और देनदारियों (ऊपर उल्लिखित विभिन्न प्रकार की कल्याण योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त किये गये लाभ को सम्मिलित करते हुए) किया जाना चाहिए एवं अन्य सभी संबंधित कारकों जैसे कि कमाऊ सदस्य की उपस्थिति, परिवार का आकार, बच्चे की आयु एवं परिवार की आवश्यकताओं आदि का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

(घ) अनुकंपा नियुक्ति इस आधार पर मना या लंबित नही की जानी चाहिए कि मंत्रालय/विभाग/कार्यालय में पुनर्गठन होता है। यह संबंधित व्यक्ति को उपलब्ध कराई जानी चाहिए यदि वह रिक्ति अनुकंपा नियुक्ति हेतु संबद्व है और वह योग्य पाया गया है एवं योजना के अंतर्गत उपयुक्त है।

-

(ड) भूतपूर्व समूह 'घ' कर्मचारी की मृत्यु या स्वास्थ्य आधार पर सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप अनुकंपा नियुक्ति हेतु अनुरोधों को अधिक सहानुभूति के साथ मामले की परिस्थितियों एवं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए छूट मानकों को लागू करके विचार किया जा सकता है।

(च) अनुकंपा नियुक्ति की अधिक रोजगारों के अवशोषण एवं दैनिक वेतन/अस्थाई स्थिति के साथ/के बिना आकस्मिक कर्मचारी के नियमितीकरण से अधिक वरीयता होगी।

(छ) समूह 'क'/'ख'/'ग' शासकीय कर्मचारियों के संबंध में कंडिका 2 (क)(ब) एवं (स) में संदर्भित स्वास्थ्य आधार पर सेवानिवृत्ति हेतु 55 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा को बढाने का कोई अनुरोध एवं भूतपूर्व समूह 'घ' शासकीय कर्मचारियों के लिए यहां संदर्भित 57 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा के साथ इसे लाने इस आधार पर कि सेवानिवृत्ति की आयु हाल ही में (मई, 1998) 58 वर्ष से 60 वर्ष बढ़ा दी गई है समूह 'क'/'ख'/'ग' शासकीय कर्मचारियों हेतु (जो कि भूतपूर्व शासकीय कर्मचारी के लिये मान्य/लागू 60 वर्ष की सेंवा निवृत्ति की आयु के बराबर है) या अन्य किसी आधार पर को निरपवाद अस्वीकृत किया जायेगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजनांतर्गत अनुकंपा नियुक्ति के लाभ का एक कैरियर के अंत में स्वास्थ्य आधार पर सेवानिवृत्ति द्वारा दुर्पयोग नही किया जा रहा है एवं यह भी ध्यान रखा जाये कि भूतपूर्व समूह 'घ' कर्मचारियों हेतु 57 वर्ष की उच्चतर ऊपरी आयु सीमा उनके लिये निर्धारित की जा चुकी है इस कारण से कि वे कम वेतन प्रदत्त शासकीय कर्मचारी है जो अन्य की तुलना में अल्प अवैधानिक पेंशन प्राप्त करते है।

19. <u>महत्वपूर्ण न्यायालय आदेश</u>

अनुकंपा नियुक्ति के मामलों पर विचार करते समय निम्नलिखि निर्णयों में निहित नियमों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए –

(क) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक एवं अन्य बनाम जी.अनन्त राजेश्वर राव ((1994) 1 एस. सी.सी. 192) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 8 अप्रैल,1993 में यह कहा है कि वंश के आधार पर नियुक्ति स्पष्टतः संविधान के अनुच्छेद 16(2) का उल्लंधन करता है, लेकिन यदि नियुक्ति शासकीय कर्मचारी, जिसकी मृत्यु सेवा के दौरान हुई हो, के पुत्र अथवा पुत्री अथवा विधवा तक ही सीमित है और जिसे परिवार के सदस्यों को आर्थिक अभाव से उभारने के लिये कमाऊ से होने वाली आय की हानि के पूरक के लिये परिवार में कोई अन्य क्रमांक सदस्य न होने की स्थिति में तत्काल सहायता की आवश्यकता के आधार पर तत्काल नियुक्ति की आवश्कता है, यह निरपवाद है।

(ख) उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य (जे.टी. 1994 (3) एस.सी. 525) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय निर्णय दिनांक 4 मई 1994 द्वारा इस संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण सिद्वांत निर्धारित किये गये हैं–

(i) सेवा के दौरान मृत कर्मचारी जिसके बाद उसका परिवार गरीबी से ग्रसित है एंव आजीविका का कोई साधन नही है, के आश्रितों को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति प्रदान की जा सकती है।

(ii) समूह 'ग' व 'घ' (पूर्ववत्त iii एवं iv श्रेणी) के पद गैर मैनुअल एवं मैनुअल श्रेणी में निम्नतम पद है और इसलिये अनुकंपा आधार पर केवल इन्हें ही पेश की जा सकती है और कोई अन्य पद जैसे समूह 'क' एवं 'ख' श्रेणी को इस उद्देश्य हेतु दिये जाने की अपेक्षा अथवा आवश्यकता नहीं है क्योंकि वैधानिक तौर पर यह गैर अनुमत्य है।

-

(iii) अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने का पूर्ण उद्देश्य परिवार को अचानक संकट से निपटने हेतु समर्थ करना है और मृतक के परिवार को वित्तीय अभाव से मुक्त करना एवं उन्हें इस आपातकाल से मुक्त कराना है।

(iv) मृतक या स्वास्थ्य आधार पर सेवानिवृत्त कर्मचारी के परिवार की वित्तीय स्थिति को देखे बगैर अनिवार्यतः अनुकंपा नियुक्ति प्रस्तावित/पेश किया जाना वैधानिक रूप से गैर अनुमत्य हैं।

(v) ना तो आवेदक (परिवार का आश्रित सदस्य) की योग्यता ना ही मृतक अथवा स्वास्थ्य आधार पर सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी द्वारा रखा गया पद प्रासंगिक है। यदि आवेदन उसे प्रस्तुत किये गये पद को अपनी प्रतिष्ठा से नीचे ऑकता है, वह इसे ना करने के लिये स्वतंत्र है। पद उसके हैसियत को पूरा करने के लिये प्रस्तावित नही किया गया है वरन् परिवार के अर्थिक संकट को देखते हुए दिया गया है।

(vi) अनुकंपा नियुक्ति उचित समय के समाप्त होने के बाद नहीं दी जायेगी और यह निहित अधिकार नहीं है जिसे भविष्य में किसी भी समय प्रयोग किया जा सकें।

(vii) अनुकंपा नियुक्ति व्यक्तिगत पदाधिकारी द्वारा तदर्थ आधार पर प्रस्तावित नहीं की जा सकती है।

(ग) भारत की जीवन बीमा निगम बनाम श्रीमती आशा रामचद्र अंबेडकर एवं अन्य (जे.टी. 1994 (2) एस.सी. 183) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 28 फरवरी 1995 में कहा है कि उच्च न्यायालय एवं प्रशासनिक न्यायाधिकरण व्यक्ति को अनुंकपा आधार पर नियुक्ति हेतु निर्देश नहीं दे सकते लेकिन ऐसी नियुक्ति हेतु दावे के विचार पर महज निर्देश दे सकते है।

(घ) हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन बनाम दिनेश कुमार (जे.टी. 1996 (5) एस.सी. 319), 7 मई 1996 और हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाम श्रीमती ए. राधिका थिरूमलाई (जे.टी. 1996 (9) एस.सी. 197) 9 अक्टूबर 1996 के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय यह निर्णय दे चुका है कि अनुकंपा आधार पर नियुक्ति केवल तभी दी जा सकती है जब इस उद्देश्य हेतु कोई रिक्ति उपलब्ध हो।

(ड़) हरियाणा राज्य एवं अन्य बनाम रानी देवी एवं अन्य (जे.टी. 1996 (6) एस.सी. 646) 15 जुलाई 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कहा है कि अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के संबंध में कोई योजना सभी प्रकार के आकस्मिक, तदर्थ कर्मचारियों, जिसमें वे भी सम्मिलित है जो प्रशिक्षुओं के रूप मे कार्यरत है, के लिये आगे बढ़ाया जाता है, तो उक्त योजना को संवैधानिक आधार पर न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है।

-

(च) स्थानीय प्रशासन विभाग बनाम एम.सेल्वानयागम एवं कुमारावेलू द्वारा दायर 2006 की सिविल अपील क्र. 2206 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 05.04.2011 में यह अवलोकन किया है कि " कर्मचारी की मृत्यु के कई वर्षो बाद की गयी नियुक्ति अथवा उनके अश्रितों हेतु उपलब्ध वित्तीय साधनों के पूर्व विचार किये बिना एवं उसकी मृत्यु के परिणाम स्वरूप आश्रितों को हुआ वित्तीय अभाव, सामान्यतः क्योकि दावेदार मृतक कर्मचारी के आश्रितो में से एक है, संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 के साथ सीधे तौर पर टकराव में हो सकता है और इसलिये, काफी खराब एवं अवैध है। अनुकंपा नियुक्ति के मामलों के संबंध में इस महत्वपूर्ण पहलू को ध्यान में रखना जरूरी है "। (**कार्यालय ज्ञापन क्र. 14014/3/2011–स्था.(डी) दिनांक 26.07.2012**)

(प्राधिकार :–भारत शासन पी.पी.जी. एवं पी मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्यालय ज्ञापन क्र. 14014/02/2012 स्था (डी) दिनांक 16.01.13 संदर्भ नि.म.ले.प. आदेश क्र. 178–स्टाफ (एप–II)/87–2011/खण्ड–I , दिनाक 30.01.2013)

-

अनुलग्नक
(कंडिका 7.9.10 से संदर्भित)

सेवा के दौरान मृत/अवैध पैंशन पर सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों के आश्रितो के रोजगार से संबंधित प्रोफार्मा–

भाग – क

I.

(क) शासकीय कर्मचारी का नाम –
(मृत/स्वास्थ्य आधार पर सेवानिवृत्त)

(ख) शासकीय कर्मचारी का पदनाम –

(ग) क्या वह एम.टी.एस. –
(भूतपूर्व समूह 'घ') है अथवा नही

(घ) शासकीय कर्मचारी की जन्म तिथि –

(ड़) मृत्यु की दिनांक/स्वास्थ आधार पर सेवानिवृत्त –

(च) प्रदान की गई सेवा की कुल अवधि –

(छ) क्या स्थायी अथवा अस्थायी है –

(ज) क्या अनुसूचित जाति / –
अनुसूचित जनजाति / –
अन्य पिछडा वर्ग से संबंधित है –

II.

(क) नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी का नाम –

(ख) शासकीय कर्मचारी के साथ उसका संबंध –

(ग) जन्म तिथि –

(घ) शैक्षणिक योग्यता –

(ड़) क्या कोई अन्य आश्रित परिवार के सदस्य की नियुक्ति –
अनुकंपा आधार पर की जा चुकी है

III. छोड़ी हुई कुल सम्पत्ति का विवरण जिसमें राशि –
(क) परिवार पेंशन –

-

(ख) डी.सी.आर. उपादान –

(ग) जी.पी.एफ बैलेंस –

(घ) जीवन – बीमा नीतियाँ –
(डाक जीवन बीमा सम्मिलित है)

(ड़) चल–अचल सम्पत्तियां एवं परिवार द्वारा –
वहाँ से अर्जित वार्षिक आय

(च) सी.जी.ई. बीमा रकम –

(छ) छुट्टी का नकदीकरण –

(ज) कोई अन्य सम्पत्ति –

कुल

IV. देनदारियों का संक्षिप्त विवरण यदि कोई हो –

V. शासकीय कर्मचारी के परिवार के सभी आश्रित सदस्यों का विवरण (यदि कुछ रोजगार प्राप्त है, तो उनकी आय एवं क्या वे अलग अथवा साथ रहते है)

व्र.	**नाम**	**शासकीय कर्मचारी के साथ संबंध**	**आयु**	**पता**	**रोजगार है अथवा नही यदि रोजगार है तो रोजगार एवं मेहनताने का विवरण**
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					

-

VI. **घोषणा पत्र/शपथ पत्र**

1. मैं एतद् यह घोषणा करता हू कि मेरे द्वारा ऊपर दी गये तथ्य, मेरी जानकारी के मुताबिक, सत्य है। यदि भविष्य में एतद् में दिये गये कोई भी तथ्य गलत या असत्य पाये जाते है तो मेरी सेवा को समाप्त किया जा सकता है।

2. मैं एतद् द्वारा यह भी घोषणा करता हूँ कि इस फार्म के भाग – " क " के 1 (क) के विरूद्ध निर्दिष्ट अन्य परिवार के सदस्य जो कि शासकीय कर्मचारी/सशस्त्र सेना के सदस्य पर आश्रित थे उनकी मैं अच्छी तरह से देखभाल करूँगा और यदि किसी भी समय यह सिद्ध हो जाता है कि मेरे द्वारा उक्त परिवार के सदस्यों की उपेक्षा की जा रही है अथवा अच्छी तरह से देखभाल नहीं की जा रही है तो मेरी नियुक्ति को समाप्त किया जा सकता है।

दिनांक अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

नामः–
पताः–

श्री/श्रीमती/कु..... को मैं जानता हुँ एवं उनके द्वारा उल्लिखित तथ्य पूर्णतः सत्य है।

दिनांकः– स्थायी शासकीय कर्मचारी के हस्ताक्षर

नामः–
पताः–

मैं यह सत्यापित करता हूँ कि अभ्यर्थी द्वारा ऊपर उल्लिखित तथ्य पूर्णतः सत्य है।

दिनांकः– स्थायी शासकीय कर्मचारी के हस्ताक्षर

नामः–
पताः–

टिप्पणी– दो स्थायी शासकीय कर्मचार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित घोषणा पत्र/ शपथ पत्र को प्राप्त करने के उक्त प्रावधान को इस नियम पुस्तक की कंडिका 7.9.10(ii) में दिये गये निर्देश के आधार पर हटा दिया गया है।

-

भाग–ख

(उस कार्यालय द्वारा भरा जाये जहाँ पर रोजगार प्रस्तावित है।)

I. (क) नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी का नाम –

(ख) शासकीय कर्मचारी के साथ उसके संबंध –

(ग) आयु (जन्म तिथि), शैक्षणिक योगयता और अनुभव, यदि कोई हो –

(घ) पद (समूह " ग ") जिसके लिये रोजगार प्रस्तावित है। –

(ड़) क्या अनुकंपा नियुक्ति की योजनांतर्गत उस पद में 5% निर्धारित की गयी अधिकतम सीमा में कोई रिक्ति है। –

(च) क्या भरा जाने वाला पद केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा में सम्मिलित है अथवा नहीं। –

(छ) क्या सीधी भर्ती हेतु संबद्ध भर्ती नियम प्रदान किये गये है। –

(ज) क्या अभ्यर्थी पद हेतु भर्ती नियमों की आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। –

(झ) रोजगार विनिमय/कर्मचारी चयन आयोग प्रक्रिया में छूट के अलावा कौन–कौन सी अन्य छूट प्रदान की जा सकती है। –

II. क्या भाग – (क) में उल्लिखित तथ्यों की कार्यालय द्वारा जाँच की जा चुकी है, यदि हाँ, तो अभिलेखों को दर्शायें। –

III. यदि शासकीय कर्मचारी की मृत्यु/स्वास्थ आधार पर सेवा निवृत्त 5 वर्ष या अधिक से पहले हुई थी तो मामले को पहले क्यों प्रायोजित नहीं किया गया। –

IV. मंत्रालय/विभाग/कार्यालय के अध्यक्ष की व्यक्तिगत अनुशंसा (उसके हस्ताक्षर एवं कार्यालय के स्टांप/सील के साथ) –

-

7.9.10.(ii) **दो स्थायी शासकीय कर्मचारियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित घोषणा पत्र/शपथ पत्र की लेने की आवश्यकता नहीं:–**
पूर्वोक्त समेकित निर्देश के अनुलग्नक भाग–क(VI) में आवेदक द्वारा दिया गया घोषणापत्र/शपथपत्र पर्याप्त है एवं इसको दो स्थायी शासकीय कर्मचारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दो शासकीय कर्मचारियों द्वारा इसे प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने को अब समाप्त कर दिया गया है।

(प्राधिकार:– भा.शा., पी.पी.जी. एवं पी. मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्यालय ज्ञापन क्र. एफ क्र. 14014/02/2012 स्था (डी) दिनांक 7 अक्टूबर 2014)

7.9.11. कृपया इस नियम पुस्तक की कंडिका 7.9.10(i) देखें।

7.9.12. **मृत शासकीय कर्मचारी की विधवाओं के लिये अनुकंपा आधारों पर चपरासी के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकताओं से छूट:–**

कृपया इस नियम पुस्तक की कंडिका 7.9.10 (i) देखें।

7.9.13. **शक्तियों का प्रत्यायोजन:–**

कृपया इस नियम पुस्तक की कंडिका 7.9.10 (i) देखें।

7.10.1. **निम्नांकित के लिये प्रारूप प्रत्येक के सामने उल्लिखित अनुलग्नक में दिया गया है–**
(i) नियुक्ति का प्रस्ताव (अनुलग्नक 'क')

(ii) नियुक्ति के प्रस्ताव की स्वीकृति (अनुलग्नक 'ख')

(iii) नियुक्ति आदेश (अनुलग्नक 'ग')

(प्राधिकार:–भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का परिपत्र क्र. 706–अराज. कर्मचारी–II/51–77–5–II/ दिनांक 15.4.1978)

7.10.2. **शैक्षणिक प्रमाण पत्रों/उपाधियों/डिप्लोमा की जाँच:–**

शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिये नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी को स्वयं को ही उत्तरदायी समझना चाहिए और संदेह के प्रकरणों में, परिणामों के कार्यालयीन गजट प्रकाशन को अविलंब सूचित किया जाना चाहिए।

(प्राधिकार:– नि.म.ले.प. का पत्र क्र. 1825–अराज कर्म.–II/259–62 दिनांक 3 अगस्त 1978)

7.10.3. **चरित्र का सत्यापन और पुनर्सत्यापन तथा नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी का पूर्व–वृत्त:–**

(क) केंद्रीय शासन के अंतर्गत नियुक्तियों के लिये चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन दो तरह से किया जाना चाहिए:–

-

(i) ऐसे प्रकरण जहाँ विस्तृत सत्यापन अनिवार्य/आवश्यक है और

(ii) ऐसे प्रकरण जहाँ विस्तृत सत्यापन अनिवार्य/आवश्यक नहीं है बल्कि केवल वैकल्पिक है।

समय–समय पर जारी निर्देशों का ध्यान रखा जाए।

चरित्र एवं पूर्ववृत्तो के सत्यापन पर पुस्तिका के अलावा निम्नांकित गोपनीय सूचनाएं भी नियुक्ति हेतु किसी अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्व–वृत्तों के सत्यापन के लिये निर्दिष्ट की जानी चाहिए।

(1) भारत सरकार गृह मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन क्र. 18011/3 (एस)/80–स्था. (बी) दिनांक 20.6.1980.

(2) भारत सरकार डाक + संचार मंत्रालय ए.आर. + पी.जी.+ पी (डी.ओ.पी.+ टी) कार्यालय ज्ञापन क्र. 16011/20/5/85/स्था (बी) दिनांक 10.7.1985 प्राप्त अंतर्गत–नि.म.ले.प. का पृष्ठांकन व्रमांक 3245 – एन–3/25–85 खण्ड – 3, दिनांक 25.9.1985.

(3) नि.म.ले.प. लेखापरीक्षा के पृष्ठांकन क्र. 1915 – एन–3/25–85 दिनांक 3.6.1985 के अंतर्गत प्राप्त भारत सरकार डाक + संचार मंत्रालय ए.आर.+ पी.जी.+ पी(डी.ओ.पी.+ टी) कार्यालय ज्ञापन क्र. 18011/10 (एस)/84–स्था. (बी) दिनांक 13.5.1985.

(4) भारत सरकार डाक + संचार मंत्रालय ए.आर. + पी.जी.+ पी (डी.ओ.पी.+ टी) कार्यालय ज्ञापन क्र. 18011/2(5)/85 –स्था. (बी) दिनांक 7.2.1985 प्राप्त अंतर्गत नि.म.ले.प. का परिपत्र क्र. 538 – एन–3/25–85 दिनांक 16.02.1985।

(5) भा. शा. गृह मंत्रालय (डी.ओ.पी. + ए. आर) कार्यालय ज्ञापन क्र. 18014/1(5)/81 –स्था. (बी) दिनांक 23.3.1981.

7.10.4.(i) **समूह 'ग' एवं 'घ' के कर्मचारियों का सत्यापनः–**

समूह 'ग' एवं 'घ' सेवाओं की नियुक्तियों के संबंध में अभ्यर्थियों के चरित्र एवं पूर्ववृत्तों का सरल सत्यापन किया जाना चाहिए तथापि नियुक्ति कर्ता प्राधिकारी इस बात के लिये स्वतंत्र है कि चौकीदार आदि की वास्तविक नियुक्ति से पहले सुरक्षा आदि का विचार कर चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन विस्तृत में करें।

(प्राधिकारः– नि.म.ले.प. का पत्र क्रमांक 2310– अराज कर्म. II/327–35, दिनांक 12.6.1956 एवं पत्र क्र. 2136 अराज कर्म. 2/56–57, दिनांक 19.6.1957)

(ii) **आशुलिपिकः**–आशुलिपिकों की नियुक्तियों के संबंध में एक विस्तृत सत्यापन किया जाना चाहिए।

(प्राधिकारः– भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का पत्र क्रमांक 532– अराज कर्म. II/70–69 दिनांक 3.1.1971)

-

7.10.5. **विस्तृत सत्यापन हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रियाः**

1. ऐसे प्रकरण जिनमें विस्तृत सत्यापन आवश्यक है, नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी को चाहिए कि वह अभ्यर्थी द्वारा भरा हुआ तथा निम्नांकित अधिकारियों में से किसी एक द्वारा सत्यापित किया गया अभिप्रमाणित प्रारूप रखे –

(i) केंद्र/राज्य सरकारों के राजपत्रित अधिकारी।

(ii) उस निर्वाचन क्षेत्र के विधायक अथवा सांसद, जहाँ अभ्यर्थी अथवा उसके माता–पिता/संरक्षक सामान्यतः रहते हों।

(iii) उप संभागीय दंडाधिकारी/अधिकारी

(iv) दण्डाधिकारी शक्तियॉ प्रयोग करने को अधिकृत तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार ।

(v) उस मान्यता प्राप्त विद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान का प्राचार्य/प्रधानाध्यापक जहाँ अभ्यर्थी ने अंतिम अध्ययन किया,

(vi) विकास खण्ड अधिकारी,

(vii) पोस्ट मास्टर तथा

(viii) पंचायत निरीक्षक।

(प्राधिकारः– नि.म.ले.प. का पत्र क्र. 910–अराज कर्म–II/70–69 दिनांक 24.4.1971)

2. जहाँ कुछ सत्यापन फिर भी आवश्यक हो तो अभ्यर्थी द्वारा भर गये अभिप्रमाणीकरण प्रारूप को उन स्थानों के, जहाँ अभ्यर्थी जाँच के दिनांक के अंतिम 5 वर्षो के दौरान किसी एक वर्ष से अधिक समय तक के लिये रहा हो, जिलाधीश अथवा अन्य प्राधिकारियों को जैसा प्रकरण हो भेज दिया जायेगा। (गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन क्र एफ – 3/5/63 स्था – की दिनांक 14.4.1964 का अवलोकन करें।)

(प्राधिकारः– नि.म.ले.प. का पत्र क्र. 1623 – अराज .कर्म. II/385– 58 दिनांक 7.6.1960)

7.10.6 **सरल सत्यापन हेतु प्रक्रियाः–**

(i) समूह 'ग' पदों की नियुक्तियों के संबंध में जहाँ विस्तृत सत्यापन आवश्यक नहीं है, वहाँ अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे शैक्षणिक संस्थान के प्रधान से उसके द्वारा सत्यापित तथा अपने नियोजकों से, यदि कोई हो मूल चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। जहाँ अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अंतिम रूप से अनुमोदित कर दिया गया हो, वहाँ अभ्यर्थी से, किसी वृतिकाग्राही प्रथम श्रेणी कार्यपालन दण्डाधिकारी, जिला दण्डाधिकारी, अथवा किसी उप–संभागीय दण्डाधिकारी द्वारा पूर्व सत्यापित करके उसके द्वारा प्रस्तुत चरित्र प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने को कहा जाना चाहिए। सत्यापित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पश्चात नियुक्ति प्रस्ताव दिया जाये। किसी प्रमाण पत्र का सत्यापन करने से

पूर्व यह स्पष्ट है कि सत्यापन कर्ता अधिकारी अभ्यर्थियों/उम्मीदवारों के चरित्र एवं पूर्व वृत्तों के संबंध में स्वयं को संतुष्ट कर लें।

(ii) यदि कोई अभ्यर्थी शैक्षणिक संस्थान के प्रधान से चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है तो यह आवश्यक है कि वह किसी दण्डाधिकारी द्वारा सत्यापित किसी राजपत्रित अधिकारी से चरित्र का केवल एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें । जब कभी कोई अभ्यर्थी चरित्र प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ हो तो विस्तृत सत्यापन किया जाना चाहिए।

(प्राधिकारः– नि.म.ले.प. का पृष्ठांकन क्रमांक 2136–अराज कर्मचारी–II/56–57, दिनांक 19.6.1958 एवं पत्र क्र. 2924 अराज कर्म. II/236–60 दिनांक 31.10.1960)

(iii) समूह 'ग' पदों की नियुक्तियों के संबंध में अभ्यर्थियों को सत्यापन प्रारूप भर कर देना आवश्यक होना चाहिए। इसके अतिरक्ति उन्हें किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा किसी दण्डाधिकारी से जिला दण्डाधिकारी अथवा उप संभागीय दण्डाधिकारी द्वारा सत्यापित एक चरित्र प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए, तथापि, जहाँ अभ्यर्थी चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ हो तो एक विस्तृत सत्यापन किया जाना चाहिए।

(प्राधिकारः– भा.शा. गृह मंत्रालय क्र 20–59–45 स्था. (बी) दिनांक 7.2.1947 नि.म.ले.प. का पत्र क्र. 2286 – अराज कर्म. II/118–52 दिनांक 3.7.1953 एवं 2136 अराज.कर्म. III/56–57 दिनांक 19–6–1958)

(iv) जैसे ही किसी कर्मचारी के पूर्व वृत्तों एवं चरित्र का सत्यापन पूर्ण हो जाता है वैसे ही ऐसे सत्यापन संबंधी प्रविष्टि उसके गोपनीय प्रतिवेदनों के संकल्प में एक पृथक पृष्ठ पर की जानी चाहिए जिसे सबसे ऊपर रखा जायेगा, ताकि नियुक्ति समय पर ही किये जा चुके ऐसे सत्यापन के तथ्य को आसानी से जाँचा जा सके। 20 सितंबर 1963 को अथवा उसके बाद में नियुक्त समस्त ''ग'' श्रेणी एवं ''घ'' समूह के कर्मचारियों के मामले में एक प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में भी की जानी चाहिए।

(प्राधिकारः– नि.म.ले.प. का पत्र क्र. 5750 – अराज. कर्मचारी II/385–58, दिनांक 7.10.1958, क्रमांक 1146 – अराज कर्मचारी II/96–63 दिनांक 1.10.1963 एवं क्र. 1389 अराज. कर्मचारी II/96–63 दिनांक 30.11.1963)

7.10.7. आयु, योग्यता, जाति एवं पहिचान का प्रमाणीकरणः–

नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शैक्षणिक एवं अन्य विशेष योग्यताओं और आयु संबंधी दावे नियुक्ति के समय सतर्कता से जाँच लिए गए है।

(प्राधिकारः– भा.शा. एम.ए. कार्यालय ज्ञापन सं. 2/2/54 एन.एस. दिनांक 19.11.1954)

नियुक्ति के समय किसी अभ्यर्थी की पहचान उसके मूल प्रार्थना–पत्र पर हस्ताक्षर एवं अन्य अभिलेख यथा–सत्यापन प्रारूप आदि तथा पदग्रहण प्रतिवेदन पर हस्ताक्षरों के मिलान के द्वारा सत्यापित की जाये।

(नि.म.ले.प. का पत्र क्र. अराज कर्मचारी II/61–66/ दिनांक 1.12.1977)

-

7.10.8. **विज्ञापित पदों पर नियुक्ति हेतु साक्षात्कार के लिये बुलाये गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को यात्रा भत्ताः–**

समूह 'ग' एवं 'घ' के विज्ञापित पदों जिनकी भर्ती विभागीय होना है, को नियुक्ति हेतु साक्षात्कार के लिये बुलाए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को मेल/ एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा प्रभारित एक तरफ का द्वितीय श्रेणी का रेल किराया स्वीकृत किया जा सकता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता की मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) कार्यालय ज्ञापन क्र. एफ – 5/ 25/ई –4(बी)/ 60, दिनांक 6 मई 1960 में निर्दिष्ट, यथा समय – समय पर संशोधित अन्य शर्ते अपरिवर्तित रहती हैं।

(प्राधिकारः– भा. शा. (डी.ई) कार्यालय ज्ञापन क्र. 19014/3/80– ई–IV–दिनांक 28 अक्टूबर 1980 एवं नि.म.ले.प. का पृष्ठां क्र. 914 – ए/एफ ,105–80/1–80 (79) दिनांक 17 नवंबर 1980)

7.10.9. **विभिन्न शासकीय विभागों में नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा (शारीरिक परीक्षण)** :–

(i) अभ्यर्थी जिसका चिकित्सा परीक्षण हो जाता है और स्वस्थ प्रमाणित हो जाते हैं, उन्हें कार्य पर उपस्थित होने को अनुमति है।

(प्राधिकारः– नि.म.ले.प. का पत्र क्र. 1726 अराज कर्म.–I/106–72, दिनांक 4 जुलाई 1972)

(ii) समूह 'घ' के अलावा अराजपत्रित शासकीय कर्मचारियों के मामलों में ऐसे प्रामणपत्र किसी सिविल सर्जन अथवा किसी जिला चिकित्सा अधिकारी अथवा समान स्तर के किसी चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे। महिला अभ्यर्थी के मामले में चिकित्सा प्रमाणपत्र किसी महिला सिविल सहायक सर्जन द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा।

(iii) समूह 'घ' संवर्ग में नियुक्ति किये जाने वाले अभ्यर्थियों का चिकित्सा संबंधी परीक्षण केवल 1 अथवा 2 श्रेणी के सहायक सर्जन अथवा समान स्तर के किसी चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाना है।

(प्राधिकारः– नि.म.ले.प. का पत्र क्र. 853–अराज कर्म. II/51– 74–2/दिनांक 19 अप्रैल 1976)

(iv) अभ्यर्थी का विवरण एवं घोषणा के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप में एक पत्र चिकित्सा अधिकारी को जारी किया जाता है।

(v) समस्त अभ्यर्थियों (समूह 'घ' सहित) के संबंध में उनकी प्रथम नियुक्ति पर चिकित्सा संबंधी परीक्षण हेतु शुल्क का अभ्यर्थी द्वारा चिकित्सा अधिकारी को सीधा भुगतान किया जाना चाहिए और चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी रसीद को प्रस्तुत करने पर धनराशि की प्रतिपूर्ति की जाती है। चिकित्सा संबंधी परीक्षण में उपुयक्त न पाये जाने वाले अभ्यर्थियों के मामले में शुल्क प्रतिपूर्ति योग्य नहीं है।

7.10.10. **शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का चिकित्सा परीक्षणः–**

कृपया इस नियम पुस्तक की कंडिका 7.5.5. को देखें।

-

7.10.11. **शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के प्रकरणों पर चिकित्सा परीक्षण के लिये अत्यन्त सहानुभूति के साथ विचार किया जाना है–**

कृपया इस नियम पुस्तक की कंडिका 7.5.5. को देखें।

7.11.1. **चिकित्सा परीक्षा पश्चात पदग्रहण प्रतिवेदन :–**

चिकित्सा परीक्षा के पश्चात नियुक्ति के लिये चुने गये कर्मचारी स्थापना अनुभाग में कार्य/कर्तव्य हेतु प्रतिवेदन देंगे और निम्नांकित विवरण प्रस्तुत करना चाहिएः–

(i) गृह नगर घोषणा।

(ii) नवीन परिवार पेंशन योजना, 1964 के अंतर्गत परिवार के सदस्यों के विवरण।

(iii) यात्रा छूट्टी रियायत (भारत दर्शन) स्थानांतरण यात्रा भत्ता/चिकित्सा दावे आदि के प्रयोजनार्थ परिवार के सदस्यों के विवरण।

(iv) नवीन बीमा योजना 1980 के अंतर्गत नामांकन।

इस प्रकार कर्मचारी की सेवा पुस्तिका खोली जाये और नियुक्ति पंजी में प्रविष्टि अंकित की जाये। उसी समय पद विशेष पर नियुक्ति के संबंध में एक कार्यालय आदेश भी जारी किया जाना है। कार्यालयीन पत्राचार में घटनात्मक संदर्भ हेतु अभ्यर्थी को एक स्थायी क्रमांक भी आबंटित किया जाना है।

प्रमाणपत्रों की प्रतिलिपियों एवं नियुक्ति आदेश आदि के साथ ही कर्मचारी चयन आयोग से प्राप्त कागजातों को उसकी व्यक्तिगत फाइल में स्थान दिया जाना है।

7.11.2. **समयावधि को बढ़ानाः–**

ऐसे प्रकरणों में जहाँ विलम्ब मुख्यतः स्वंय अभ्यर्थी के संबध में चिकित्सा औपचारिकताओं की अपूर्णता के कारण हो, महालेखाकार बिना किसी समय सीमा के प्रथम नियुक्ति में पद ग्रहण के समय को बढाना मंजूर कर सकता है। इन प्रकरणों में अभ्यार्थी की वरिष्ठता क्रम सूची यथावत रहेगी।
(प्राधिकारः– नि.म.ले.प. का पत्र व्र. 3173 अराज कर्म. III/98–79–II, दिनांक 18.10.1979)

7.11.3. उपस्थिति हेतु नियुक्ति के प्रस्ताव में निर्दिष्ट तिथि से परे, दो माह तक की अधिकतम अवधि के लिये, चिकित्सा औपचारिकताओं की अपूर्णता के अलावा अन्य कारणों हेतु अभ्यर्थी के निवेदन पर महालेखाकार समय को बढ़ाना मंजूर कर सकता है। वर्तमान की तरह, उनकी वरिष्ठता, पदग्रहण की तारीख से नियमित की जायेगी। इस अवधि से परे वृद्धि हेतु मुख्यालय कार्यालय का अनुमोदन अपेक्षित है नियुक्ति के प्रस्ताव के जारी होने के दिनांक से 30 दिन की स्पष्ट अवधि अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण हेतु उपस्थिति के लिये अनुमत की जानी चाहिए और इस प्रकार जो तिथि आती है प्रस्ताव में दर्शित होनी चाहिए।
(प्राधिकारः– नि.म.ले.प. का पत्र क्र. 3453 –एन– 2/2982 दिनांक 28.10.1983)

7.11.4. **गर्भवती महिलायें :–**

-

कोई महिला अभ्यर्थी जो जाँच के परिणाम स्वरूप 12 सप्ताह अथवा अधिक समय से गर्भवती हुई पायी जाती है, जब तक प्रसूति पूर्ण नहीं हो जाती तब तक उसे अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाना चाहिए। पंजीकृत चिकित्सा अधिकारी से उपयुक्तता प्रमाणपत्र की प्रस्तुति के अधीन प्रसूति के दिनांक से छः सप्ताह पश्चात उपयुक्तता प्रमाणपत्र हेतु उसका पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

टिप्पणीः— ऐसी महिला अभ्यर्थी के मामले में समय की आवश्यक वृद्धि स्वीकृति का अधिकार महालेखाकार को प्रत्यायोजित किया गया है, तथापि, ऐसे अभ्यर्थियों की वरिष्ठता, जो किसी पंजीयत चिकित्सा अभ्यर्थी द्वारा पुनः परीक्षण पश्चात कार्यभार ग्रहण को उपयुक्त पाये गये हो, उनके कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तारीख से नियत की जायेगी।

(प्राधिकार :—नि.म.ले.प. का पृष्ठाकंन क्र. 6—लेखापरीक्षा/208/68 दिनांक 2 जनवरी 1969, एवं क्र. 970 अराज कर्म. III/17—23, दिनांक 27 मई 1974)

7.12 अन्य पदों को नियुक्ति के विनियमनः—

7.12.1. कृपया इस नियम पुस्तक की कंडिका 7.1.1. को देखें।

7.12.2. महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालयों में टंकण और चक्रमुदण शाखा (निकाय) प्रबंधक के पद का सृजन :—

ऊपर दिये गये विषय को उदधृत करने के संदर्भ में, आशुलिपिक, निजी सहायक एवं प्रबंधक (टंकण शाखा) के संवर्ग को नि.म.ले.प. के परिपत्र दिनॉक 06.01.2000 के अनुसार पुनर्गठित किया गया एवं पुनः इस नियम पुस्तक की कण्डिका 7.1.1 (8) में दिये गये विवरण के अनुसार पुनर्गठन किया गया था।

(प्राधिकारः— नि.म.ले.प. के परिपत्र क्र. अराज कर्म. (स्था.)/51/1999 व्र. 1282 अराज क्रम. — स्था. (एप)/75—99, दिनांक 6.01.2000 एवं नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का परिपत्र क्र. 36/स्टाफ (एप)/16— 2010 क्र. 980— स्टाफ (एप—1)/16—2010 दिनांक 07.12.2011)

7.12.3. हटा दिया गया है।

(प्राधिकारः— इस नियम पुस्तक की कंडिका 7.1.1.(viii))

7.12.4. हटा दिया गया है।

(प्राधिकारः— इस नियम पुस्तक की कंडिका 7.1.1.(viii))

7.12.5. कृपया इस नियम पुस्तक की कंडिका 7.1.1.(iv) को देखें।

7.12.6. गेस्टेटनर चालक के पदों को भरनाः—

इन नियम पुस्तक की कडिका 7.1.1.(i) के संदर्भ में हटा दिया गया है।

7.12.7. हिंदी भाषी क्षेत्रों में आशुलिपिक संवर्ग में रिक्तियों का भरा जाना :–

उन कार्यालयो में जहाँ आशुलिपिकों के पदों की संख्या 5 से अधिक है, भविष्य में रिक्तियॉ इस प्रकार भरी जानी चाहिए कि आशुलिपिकों के पदों का कम से कम 25 प्रतिशत हिंदी आशुलिपि करने वाले/जानने वाले व्यक्तियों से भरा जाये बाद में स्थिति की समीक्षा के पश्चात यह प्रतिशत बढ़ाया जाये।
(प्राधिकार :–नि.म.ले.प. का परिपत्र क्र. 3124–अराज कर्म. III/51–79, खण्ड–IV/भाग–II, दिनांक 22.7.1981 एवं पत्र क्र. 894 – एन – 2/40–84, दिनांक 11.9.1984)

7.12.8. सुरक्षा कर्मचारी हेतु भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती :–

जहाँ तक संभव हो देखभाल करने वाले/सुरक्षा कर्मचारियों की भर्ती भूतपूर्व सैनिकों से की जानी चाहिए। ऐसी रिक्तियॉ भरने के लिये मांगपत्र प्रस्तुत करते समय रोजगार कार्यालय साथ ही साथ स्थानीय भूतपूर्व सैनिक संगठनो/कल्याण मंडलों से इन पदों के लिए केवल अनुभवी व्यक्तियों को प्रायोजित करने का निवेदन किया जाये।
(प्राधिकार :–नि.म.ले.प. का परिपत्र क्र. 1901/अराज.कर्म. III/93–82 दिनांक 3.7.1982)

7.12.9. अभीक्षक/सहायक अभीक्षक की भर्ती–

01.9.2008 से अभीक्षक/सहायक अभीक्षक की भर्ती हेतु शर्ते निम्न लिखित होगीं –

(i) समूह 'घ' (अब एम.टी.एस.) एवं समूह 'ग' कर्मचारी जो नियमित स्थापना द्वारा हुए है और अभीक्षक कार्यो में लगाये गये है, जिसे कि पूर्व कैडर पद से प्रतिनियुक्ति के रूप में नही माना गया है, का वेतनमान एवं ग्रेड वेतन के संयुक्त का 10% अभीक्षक भत्ते के रूप में अदा किया जा सकता है। भत्ते के हकदार व्यक्तियों की संख्या, तथापि, इन समूहों में अभीक्षक कर्मियों की मौजूदा संख्या से अधिक नही होनी चाहिए।

(ii) इस कार्य के लिये लगाये गये कर्मियों को प्रतिनियुक्ति भत्ता या विशेष देय के रूप में कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक मान्य नहीं होगा।

(iii) स्थापना में जो अभीक्षकों के पदों को अलग से निरंतर बनाये रखता है, इन पदों के संबंधित वेतनमान में सामान्य मंत्रालयीन संवर्ग में सम्मिलित किया जायेगा। इस सवंर्ग में पदों का संबंधित वेतनमान मे सामान्य मंत्रालयी संवर्ग में सम्मिलितिकरण प्रत्येक संगठन में किया जायेगा जहाँ अभी तक लागू नही किया गया है। अन्य शब्दों में सरकार में कही भी अभीक्षकों के लिये अलग से संवर्ग नही होगा।

(iv) जहाँ संवर्ग से कोई भी व्यक्ति अभिक्षक के रूप में सेवा नही करना चाहता है, तो पद को अन्य संवर्ग से प्रतिनियुक्ति आधार के बजाय ऋण के आधार पर भरे जाने की अनुमति होनी चाहिए। ऋण आधार पर पदों को भरनें हेतु, कर्मचारी, जो समान वेतनमान प्राप्त करता है जैसा कि पद के लिये लागू है या तीन वर्ष की सेवा के साथ अगले से नीचे का वेतन लेता है, को नियुक्ति के लिये योग्य बनाया जा सकता है। ऋण आधार पर नियुक्ति पर कर्मचारी को अभीक्षक भत्ते के साथ पद के साथ सम्मिलित वेतनमान (अभीक्षक का पद) प्रदान किया जा सकता है।

(v) पद के स्तर को निश्चित करने के लिये निर्धारित मानक **अनुलग्नक** में दिये गये हैं जो कि इस प्रकार है–

-

अनुलग्नक

पद के स्तर को निश्चित करने के लिए निर्धारित मानक

	भवन का फ्लोर ऐरिया	वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	पदो की संख्या
क)	2000 वर्ग मी.तक	.....	कोई पद स्वीकृत नही किया जायेगा, समूह ''ग'' अथवा एम.टी.एस. के कर्मचारी अंशकालिक आधार पर तैनात किये जाये एवं देखभाल भत्ता देने की अनुमति दी जायें
ख)	2000 वर्ग मी. से अधिक एवं 7000 वर्ग मी. तक	वेतनमान 5200–20200 ग्रेड पे 1900 (छठे वेतन आयोग अनुसार)	एक पद (सहायक अभीक्षक)
ग)	7000 वर्ग मी. से अधिक एवं 14000 वर्ग मी.तक	वेतनमान 5200–20200 ग्रेड पे 2400 (छठे वेतन आयोग अनुसार)	एक पद (अभीक्षक)
घ)	14000 वर्ग मी. से अधिक एवं 20,000 वर्ग मी. तक	वेतनमान 9300–34800 ग्रेड पे 4200 (छठे वेतन आयोग अनुसार)	एक पद, वेतनमान का निर्धारण कार्य की जटिलता के आधार पर निर्भर करेगा।
ड)	20,000 वर्ग मी. से अधिक	वेतनमान 9300–34800 ग्रेड पे 4200 (छठे वेतन आयोग अनुसार)	एक पद + इन मानकों के अनुसार इस ग्रेड में एक अन्य अतिरिक्त पद

(प्राधिकारः–भारत सरकार वित्त मंत्रालय का ज्ञापन फाइल स. 7(46/स्थापना. III(ए) दिनांक 30/06/1999, नियंत्रक महालेखापरीक्षक का आदेश सं–475 ले.प. (नियम)/77–98/4–99(91) दिनांक 05/10/99 एवं कार्यालय ज्ञापन सं. फाईल सं. 7(21)/2008–स्थापना–III (ए) दिनांक 22/09/2008, नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय आदेश सं–414 ले.प. (नियम)/36–2008 दिनांक 24/09/2008 देखिए)

7.13. नैमित्तिक मजदूरों को नियमित स्थापना में संविलयन के लिये अपनायी जाने वाली पद्धतिः–

7.13.1. नियमित स्थापना में नियुक्ति के लिये ऊपरी आयु सीमा में छूटः–

(i) ऐसे नैमित्तिक अस्थायी कर्मचारियों को अपनी वास्तविक आयु में उनके द्वारा नैमित्तिक मजदूर के रूप में व्यतीत की गई अवधि को घटाने की अनुमति दी जानी चाहिए और ऐसी अवधि घटाने के बाद यदि वे नियमित स्थापना की सेवा के किसी पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के भीतर आते हैं तो उन्हें उसके लिये योग्य समझा जाना चाहिए।

(प्राधिकारः– भारत सरकार गृह मंत्रालय का पत्र क्र. 4/9/71– स्था(डी) दिनांक 9 अगस्त 1961)

-

(ii) ऐसे नैमित्तिक मजदूरों को जो प्रारंभ में रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती किये गये थे और जिन्हें इस रोजगार में काफी अनुभव प्राप्त हो चुका है, उन्हें नियमित स्थापना की नियुक्ति के लिये अन्य लोगों से अधिमान्यता दी जानी चाहिए। इस उद्देश्य के लिये नैमित्तिक मजदूर के रूप में कम से कम दो वर्षो की निरंतर सेवा को दीर्घ अनुभव समझा जाना चाहिए। इस प्रकार नैमित्तिक मजदूरों की नियमित स्थापना के अंतर्गत होने वाली चतुर्थ श्रेणी पदों की नियुक्ति के लिए, जो कि सीधी भर्ती द्वारा पूरी की जानी है, निम्नलिखित शर्तों के अनुसार की जायेगी।

(क) नियमित स्थापना में निर्मित पदों के लिये नैमित्तिक मजदूरों को जो रोजगार कार्यालय में पंजीबद्ध नहीं है, नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।

(ख) रोजगार कार्यालय के माध्यम में नियुक्त किये गये नैमित्तिक मजदूर जो कार्यालय/स्थापना जिनमें उनकी नियुक्ति की गयी है नैमित्तिक मजदूर के रूप में कम से कम दो वर्षो की निरंतर सेवा का अनुभव रखते हैं को उस कार्यालय स्थापना में नियमित स्थापना के पदों की नियुक्ति के योग्य होंगे।

(ग) रोजगार कार्यालय के संदर्भ बिना किसी कार्यालय/स्थापना में सीधी भर्ती किए गए नैमित्तिक मजदूरों की नियमित स्थापना की नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि वे अपने आप को रोजगार कार्यालय से पंजीबद्ध नहीं करा लेते और ऐसे पंजीयन कराने के दिनांक से नैमित्तिक मजदूर के रूप में कम से कम दो वर्षो की निरंतर सेवा नहीं कर लेते; और बाद में रोजगार कार्यालय द्वारा कार्यालय की पंजी में स्थिति के अनुसार उनको प्रायोजित नहीं किया जाता।

(प्राधिकारः— भारत सरकार गृह मंत्रालय का कार्यालयीन ज्ञापन क्र. 16/10/66 — स्था. (ओ) दिनांक 2 दिसंबर 1966 एवं नि.म.ले.प. का पृष्ठांकन क्रमांक 1972—एन.जी.ई. II/52—74—II दिनांक 14—8—1974)

7.13.2. किसी नैमित्तिक मजदूर को उपरोक्त प्रावधानों का लाभ दिया जा सकता है यदि उसने नैमित्तिक मजूदर के रूप में सेवा के दो वर्षो में से प्रत्येक में कम से कम 240 दिनों की सेवा (सेवा की टूटी अवधियों को शामिल करके) कर ली हो।

(प्राधिकारः— भारत सरकार, गृह मंत्रालय का कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक 14/1/68 स्था. (सी) दिनांक 12, फरवरी 1969)

7.13.3. **नैमित्तिक मजदूरों को काम में लगानाः—**

(i) नैमित्तिक मजदूरों को चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के नियमित पदों के विरूद्व नहीं लगाना चाहिए। नैमित्तिक मजदूरों को काम पर लगाने का क्षेत्र केवल बढ़े हुए कार्य तक ही सीमित है।

(ii) निम्नलिखित शर्तो को पूरा करने वाले नैमित्तिक मजदूर चतुर्थ श्रेणी के नियमित पदों की नियुक्ति के लिये विचार करने योग्य है और उन्हें अन्य लोगों से प्रमुखता दी जानी चाहिए, यदि वे कम से कम दो वर्षो की लगातार सेवा का अनुभव रखते है,

(क) वे रोजगार कार्यालय में पंजीबद्ध होने चाहिए।

-

(ख) उनमें पद के लिये निर्धारित वांछित शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए।

(ग) ऐसे नैमित्तिक मजदूरों को जिन्हें रोजगार कार्यालय से संदर्भ बिना सीधे भर्ती कर लिया गया था उनकी नियमित स्थापना में नियुक्ति के लिये विचार नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वे अपने आपको रोजगार कार्यालय में पंजीबद्ध नहीं करा लेते।

(प्राधिकारः— नि.म.ले.प. का पत्र क्र 1219 — अराज कर्म. 2/52—73—II दिनांक 16 मई 1974 एवं पत्र क्र. 1975 अराज कर्म. II/52—73—II/दिनांक 24.8.1974)

7.13.4. नैमित्तिक मजदूरों की नियुक्ति और उनका नियमितीकरणः—

हटा दिया गया हैं।

7.13.5. भृत्यों के पदों की पूर्ति पर लगे प्रतिबंध में शिथिलता दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्यरत नैमित्तिक कर्मचारियों का नियमितीकरण —

हटा दिया गया है।

7.13.6. नैमित्तिक कामगारों का नियमितीकरण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आदि के आरक्षण हेतु सांविधिक आवश्यकता का अनुपालनः—

नियमित पदों के विरूद्ध कामगारों की नियुक्ति सीधी भर्ती का मामला होगा। अतः जब नैमित्तिक कामगारों का विद्यमान रिक्तियों के विरूद्ध अथवा भविष्य में निर्मित होने वाले पदों के विरूद्ध नियमितीकरण किया जाना हो तब सीधी भर्ती द्वारा पदों की पूर्ति करने के संबंध में समस्त सांविधिक आवश्यकताओं का पालन किया जाना चाहिए। नैमित्तिक कामगारों के नियमितीकरण के मामलों के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, शारीरिक अपंग आदि श्रेणी के व्यक्तियों के लिए रिक्तियों के आरक्षण के संबध में सामान्य आदेष भी लागू होंगे। इन श्रेणी के व्यक्तियों के लिए निर्मित की गई रिक्तियों की पूर्ति जहॉ तक संभव हो संबंधित आरक्षित श्रेणियों के नैमित्तिक कामगारों से पूरी की जानी चाहिए और कोई शेष पद हो तो उन्हें इन श्रेणियों से संबंधित बाहरी व्यक्तियों से, जो नैमित्तिक कामगार नहीं है, भरे जा सकते हैं, नैमित्तिक कामगार, जो आरक्षित श्रेणियों में नहीं आते हैं, केवल अनारक्षित रिक्तियों के विरूद्ध ही नियुक्त किए जा सकते हैं। (नि.म. ले.प. का पत्र क्र. 3021— एन.जी.ई. 3/16—67/2, दिनांक 27.9.1988)

7.14. रोजगार विनियम अधिनियम, 1959 और उसके अधीन निर्मित नियमों में निर्धारित प्रपत्रों ई.आर.—I, ई.आर. II एवं एस.वी.—प्रविवरण की प्रस्तुतिः—

त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष में 31 मार्च, 30 जून, 30 सितम्बर और 31 दिसंबर को प्रपत्र—I में प्रस्तुत किया जाना है और उसके साथ प्रपत्र एस—V में वसूलियों का विवरण पत्र रोजगार विनियम (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 और उसके अधीन नियमो में निर्धारित किए अनुसार संबंधित रोजगार कार्यालय जिसके क्षेत्र में पदस्थापना है, को तिमाही के बाद वाले माह की 30 तारीख तक पहुँच जाना चाहिए। प्रत्येक स्थापना में कर्मचारियों को व्यावसायिक विभाजन का ब्योरा देते हुए प्रविवरण प्रपत्र—II में दो वर्षो में एक बार देना आवश्यक है। उपर्युक्त त्रैमासिक प्रविवरणों विभिन्न प्रपत्रों की प्रतियाँ मुख्यालय कार्यालय को उनके प्रपत्र क्रमांक 3168—बी. आर. 3/258—79 दिनांक 23 जुलाई 1981 के अनुसार पृष्ठांकित करने की आवश्यकता नहीं है।

रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशक ने यह स्पष्ट किया है कि समूह ''ग'' कर्मचारियों के पदों की भर्ती की पद्धति में परिवर्तन होने से निर्धारित विवरणों के रखने की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है अतः इन विवरणों को पहले की तरह भेजना जारी रखा जाये।

(प्राधिकार :–नि.म.ले.प. का पत्र क्र. 2507/बी.आर.एस.– 258–70, दिनांक 22 अगस्त 1980)

7.15. **सामान्यः–**

पदोन्नतियों के लिये सभी प्रस्ताव, चाहे वे मौलिक अथवा स्थानापन्न हो, नियुक्ति प्राधिकारी को भेजे जाने चाहिए।

7.15.1. **लेखापरीक्षा अधिकारी सवंर्ग में पदोन्नतिः–**

कृपया इस नियम पुस्तक की कण्डिका 7.1.1.(xii) में देखें।

7.15.2. **सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी की श्रेणी (ग्रेड) में पदोन्नतिः–**

कृपया इस नियम पुस्तक की कण्डिका 7.1.1.(xi) में देखें।

7.15.3. **अनुभाग अधिकारी का सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में प्रति – पदनामः–**

वित्त मंत्रालय अपने अधिसूचना जी.एस.आर 622(ई) दिनांक 29.08.2008 के अंतर्गत अनुभाग अधिकारी एवं सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी/सहायक लेखाधिकारी के पूर्व संशोधित वेतनमान को उन्नत कर चुका है एवं उन्हें रू 4800/– ग्रेड पे के साथ समान वेतनमान (पी.बी. 2 9300–34800) में करके अनुभाग अधिकारी एंव सहायक लेखाधिकारी/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी का विलयन।

अनुभाग अधिकारी एवं सहायक लेखा/लेखापरीक्षा अधिकारी के संवर्ग को पुनः सहायक लेखा अधिकारी/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में पुनः पदनामित किया जायेगा एवं समूह 'ख' राजपत्रित में वर्गीकृत किया जायेगा।

यह 27.05.2009 से लागु होगा।
(प्राधिकार :–नि.म.ले.प. का पत्र क्र. 697 – 6पी.सी./जी.ई.-II /22–2009, दिनांक 27.05.2009)

7.15.4. **पदोन्नति हेतु पैनल की वैधताः–**

पदोन्नति हेतु पैनल की तैयारी वित्तीय वर्ष के आधार पर होगी। तदनुसार, पदोन्नति हेतु अधिकारियों की योग्यता निर्धारित करने के लिये महत्वपूर्ण तिथि 4/2001 होगी जैसे कि यह रिक्ति वर्ष 2015–16 (वित्तीय वर्ष) जो 1 अप्रैल, 2015 से शुरू होगा, के संबंध में लागू होगा एवं **तदनुसार आगामी सभी रिक्ति वर्षो में लागू होगा।**

इसलिए, दो अलग पैनल तैयार करने की आवश्यकता है पहला 01.01.2015 से 31.3.2015 तक होने वाली रिक्तियों के लिये जिसकी महत्वपूर्ण तिथि 01 जनवरी 2015 है एवं दूसरा 01.04. 2015 से 31.3.2016 तक जिसके लिये महत्वपूर्ण तिथि 01 अप्रैल 2015 है।

-

(प्राधिकारः– नि.म.ले.प. पत्र क्र. 27/2014, पत्र क्र. 619 – स्टाफ (एप)/195–2014, दिनांक 10.7. 2014 एवं नि.म.ले.प. परिपत्र क्र. 27/2014, पत्र क्र. 621– स्टाफ (एप)/195–2014 दिनांक 10.7. 2014, नि.म.ले.प. के ई.मेल दिनांक 7.11.2014 के अंतर्गत)

7.15.5 (क) (i) **कल्याण सहायक के पदों का भरा जानाः–**

संविधान के अनुच्छेद 148 की धारा (5) द्वारा एवं भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के अंतर्गत एवं भारत का राजपत्र में भाग–II, अनुभाग–3, उप अनुभाग (i) संदर्भ जी.एस.आर क्र. 661, दिनांक 4 अगस्त 1988 में प्रकशित भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग (समूह ''ग'' पूर्व – संवर्ग पद) भर्ती नियम,1988 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में कल्याण सहायक के पद की भर्ती की पद्धति की विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाये गये है नामतः–

1. लघु शीर्षक एवं प्रारंभः– (i) इन नियमों को भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग (कल्याण सहायक) भर्ती नियम 2002 कहा जा सकता है।

(ii) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमानः– पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतनमान एवं ग्रेड पे या अलग से संलग्न वेतनमान को इन नियमों की अनुसूची में अनुलग्न कॉलम (2) से (4) में उल्लेखित किया जायेगा।

3. भर्ती का तरीका, आयु सीमा एवं योग्यताः– भर्ती का तरीका, आयु सीमा योग्यता एवं अन्य मामले जो अलग से संबंधित है उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (14) में उल्लेखित किया जायेगा।

4. अयोग्यता – कोई व्यक्ति

(क) जिसने, उस व्यक्ति के साथ विवाह संबंध बनाये है जिसके पति/पत्नी जीवित है या,

(ख) जिसने किसी व्यक्ति के साथ विवाह संबंध बनाये है, जिसका पति/पत्नी जीवित है, उक्त पद के लिये नियुक्ति के लिये योग्य नहीं होगा।

बशर्ते कि केंद्र सरकार, इस को संतुष्ट करती है कि इस प्रकार के विवाह इस व्यक्ति के लिये लागू एवं अन्य पार्टी के लिये विवाह व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत मान्य है एवं यह कि इस कृत्य के लिये अन्य आधार है, इस नियम के प्रवर्तन से किसी भी व्यक्ति को छूट मिलती है।

5. **शिथिलता की शक्तिः–** जहाँ भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक इस मत में है कि ऐसा करना आवश्यक है या फायदेमंद है, तो वह, आदेश द्वारा, एवं लिखित में टीप किये हुए कारण के साथ, व्यक्ति के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के प्रावधानों में शिथिलता प्रदान कर सकता है।

6. बचत :– भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों पर लागू होने वाले भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेश भी इन नियमों में से कोई भी अनुसूचित

-

जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडे वर्ग/भूतपूर्व सैनिक या कोई अन्य विशेष श्रेणियों को दिये जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य आवश्यक छूटों को प्रभावित नही करता है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	यदि चयनित या अचयनित पद है	सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा	क्या सेवा के जोड़े गये वर्षो के लाभ के.सि.से. (पेंशन) नियम,1972 के नियम 30 के अंतर्गत स्वीकार्य है
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
कल्याण सहायक	83* (2002) *कार्यभार के आधार पर परिर्वतनशील	सामान्य केंद्रीय सेवाएँ समूह 'ख' अराजपत्रित मंत्रालयीन	वेतनमान–2 (9300–34800) ग्रेड पे –4800	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नही है

सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक एवं अन्य योग्यता	क्या पदोन्नति मामलों में सीधी भर्ती के लिये निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यता लागू होगी	भर्ती का तरीका	यदि सीधी भर्ती द्वारा , पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा समावेशन एवं रिक्तियों का प्रतिशत जो विभिन्न तरीको द्वारा भरी जानी है
8	9	10	11
लागू नही है	लागू नही है	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अवशोषण ग्रेड द्वारा भर्ती के मामलों में जहाँ पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आवशोषण किया जाना है	लागू नही है

	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी रचना/संयोजन क्या है	परिस्थितियॉ जहॉ पर संघ लोक सेवा आयोग को भर्ती हेतु विचार किया जा सकता है।
12	**13**	**14**
प्रतिनियुक्तिः केंद्र सरकार में अधिकारी– (क)(i) मूल कॉडर (संवर्ग) या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पदों को धारण करना; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में नियुक्ति के बाद प्रदान	लागू नही है	लागू नही है

-

किये गये ग्रेड में तीन वर्ष की सेवाओं के साथ रू. 5500–9000 या उसके समकक्ष वेतन मान में नियमित आधार पर। (ख) कल्याण या सामुदायिक कार्यो, रखरखाव, खेल एवं सांस्कृतिक कार्यो, कार्मिक प्रशासन जिसमें कि व्यक्तिगत दावों के निपटान आदि सम्मिलित है आदि के क्षेत्र में तीन वर्षो का अनुभव। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें की केंद्र सरकार के इस या कोई अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के पूर्ववर्ती धारण किये गये किसी भूतपूर्व पद में सम्मिलित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन (3) वर्ष से अधिक न हो। प्रतिनियुक्ति या समावेशन द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम दिनांक को 56 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए)		

(प्राधिकारः– जी.एस.आर. 416 वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली 26 सितम्बर, 2002 भारत का राजपत्र अक्टूबर 12, 2002/आश्विन 20, 1924 (भाग–II, अनुभाग–3(i) शुद्धि पत्र जी.एस.आर. 302 वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली 18 अगस्त, 2003 भारत का राजपत्र अगस्त 30/2003/भाद्र 8, 1925 (भाग–II अनुभाग 3(i)) संदर्भ नि.म.ले.प. परिपत्र क्र. अराज.कर्म./30/2003 क्र. 219–अराज कर्म. (एप)/82–99 दिनांक 25.6.2004 एवं नि.म.ले.प. परिपत्र क्र. 36/अराज कर्म. 2003 क्र. 829–अराज कर्म. (एप)/44–2003 दिनांक 8 अक्टूबर 2003 एवं क्र. 1359–6 पी.सी/जी. ई.–II/135–2008 दिनांक 1 अक्टूबर 2008 (बिंदु क्र. 23 अनुलग्नक–क संदर्भित क्षेत्र अधिकारी द्वारा मॉगे गये स्पष्टीकरण का जवाब) सदंर्भ फैक्स–315 दिनांक 6.10.2008)

(ii) चयन समिति द्वारा कल्याण सहायक के भूतपूर्ण पद के चयन की मौजूदा व्यवस्था जारी रखी जा सकती है। तथापि, चयन समिति की अब की रचना निम्न लिखित है–

(क) प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार के रैंक में संवर्ग नियंत्रक अधिकारी – अध्यक्ष

(ख) प्रशासन समूह के प्रभारी वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार रेंक के अधिकारी–सदस्य

(ग) वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार के रैंक के कोई अन्य अधिकारी (उस कार्यालय से पृथक कार्यालय से जिसमें नियुक्ति विचारणीय है।)

(प्राधिकार :–नि.म.ले.प. का परिपत्र क्र. 36/अराज कर्म./2003 क्र. 829– अराज कर्म (एप)/44–2003 दिनांक 8 अक्टूबर 2003)

-

(iii) कल्याण सहायक का पूर्व–सवंर्ग पद से कर्मियों के प्रतिनियुक्ति अवधि का विस्तार अधिकतम 5 वर्षो तक सीमित किया जा सकता है एवं इस प्रतिनियुक्ति के 5 वर्ष के बाद के समय से आगे विस्तार किसी भी परिस्थिति में मान्य नही होगा।

(प्राधिकारः– नि.म.ले.प. का परिपत्र क्र. 27 अराज कर्म. (डिस्क)/2007 क्र. 562 अराज कर्म (डिस्क)/22–2007, दिनांक 11.09.2007)

(iv) **कल्याण सहायक द्वारा किये जाने वाले कार्य :–**

(क) कर्मचारी कल्याण के अंतर्गत, उन शासकीय कर्मचारियों के परिवारों को सहायता जिनकी मृत्यु सेवा के दौरान हुई हो।

(ख) उन मामलो में जब सेवा के दौरान मृत कर्मचारी के अदायगी के निपटान हेतु प्रायः उचित कार्यवाही न की गई हो, कल्याण सहायक उस कल्याण अधिकारी की मदद करेगा जो एक हाथ पर/ओर आहरण संवितरणकर्ता अधिकारी एवं अन्य पर पी.ए.ओ. के मध्य संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करता है। वह यह भी सुनिश्चित करेगा की समूह बीमा योजना, सामान्य भविष्य निधि, पेंशन, डी.सी.आर.जी. आदि के अंतर्गत बकाया का भुगतान विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा जल्दी से जल्दी किये जायें।

(ग) परिवार द्वारा भरे जाने वाले विभिन्न प्रकार के फार्म को भरने के लिये उनकी सहायता करेगा।

(घ) अन्य कर्तव्य जो कल्याण अधिकारी उसे प्रदान करेगा।

-

अनुलग्नक–I

कल्याण अधिकारी के कर्तव्यः–

कृपया इस नियम पुस्तिका की कंण्डिका 1.1.13 देखें।

7.15.5 (ख) **लेखापरीक्षा कार्यालय में पर्यवेक्षक की नियुक्तिः–**

कृपया इस नियम पुस्तिका की कंण्डिका 7.1.1.(ix) देखें।

7.15.6. **(क) अनुभाग अधिकारी, (ख) वरिष्ठ लेखापरीक्षक (ग) लेखापरीक्षक (घ) लिपिक + अन्य पदों में पदोन्नतिः–**

कृपया इस नियम पुस्तिका की कंण्डिका 7.1.1. देखें।

7.15.7. **कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित आशुलिपि गति परीक्षा में बैठने के लिये उन अभ्यर्थियों के पक्ष में अनुमति, जिन्होंने प्रोत्साहन योजना के अधीन दो/तीन अवसर लेकर पूरे कर लिए है–**

मुख्यालय कार्यालय के परिपत्र क्रमांक 2566– अराज कर्म. I/112–67 दिनांक 29.11.1968 में निहित अनुदेशों के अनुसार, श्रेणी ग्रेड (रू. 1400–2600) में पदोन्नति के लिये योग्यता की आवश्यकता शर्तो में से एक शर्त यह भी है कि अभ्यर्थी आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट की गति रखता हो। प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत अग्रिम वेतन वृद्धियाँ प्रदान करने के लिए प्रवीणता जॉच परीक्षा में जो कर्मचारी अर्हता प्राप्त कर चुके हैं, वे पदोन्नति हेतु उपरिलिखित योग्यता के लिये अर्ह समझे जायेंगे और इस उद्देश्य के लिय उनकी अलग से जॉच/परीक्षा आवश्यक नहीं है। यह सिद्धांत उन अभ्यर्थियों के मामले में लागू करना संभव नहीं होगा जो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित प्रवीणता जाँच परीक्षा में मिलने वाले सभी तीन अवसर पहले ही समाप्त कर चुके हैं तथापि, पदोन्नति के योग्य बनने के लिए गति जाँच परीक्षा में सम्मलित होने की सुविधा से ऐसे अभ्यर्थियों को मना नहीं किया जा सकता। इस प्रकार ऐसे अभ्यर्थियों के नाम जब कर्मचारी चयन आयोग को प्रवर्तन किये जाये, इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया जाए कि उन्हें जाँच परीक्षा में सम्मलित होने की अनुमति उनकी इस वचनबद्धता पर दी गई है कि यदि वे अर्हता प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अग्रिम वेतन वृद्वियाँ नहीं दी जायेंगी किन्तु वे केवल अगले उच्च श्रेणी की पदोन्नति के उद्देश्य के अर्हताधारी समझे जायेंगे। तीन अवसरों के बाद अतिरिक्त जाँच परीक्षाओं के लिए और उच्च श्रेणी की पदोन्नति की अर्हता के उद्देश्य से ऐसे अभ्यर्थियों के नाम प्रवर्तन करने से पूर्व संबंधित कर्मचारियों से इस आशय की विशेष वचनबद्धता सदैव प्राप्त की जाये।

7.15.8. **आशुलिपिक – टंकण कार्य के लिये कोई आपत्ति नहीं–**

आशुलिपिकों को अत्यावश्यक या गोपनीय/गुप्त प्रकृति के टंकण कार्य सौंपे जाने में कोई आपत्ति नहीं है। वही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उनकी सेवाऐं अधिकाधिक रूप से नियमित आधार पर टंकण कार्य के लिये उपयोग नहीं ली जा रही हैं।

(प्राधिकार :–नि.म.ले.प. का पत्र क्र. 627 – एन. 4/4–82–III, दिनांक 4.10.1982)

-

7.15.9. **लिपिकों की लेखापरीक्षक के रूप में पदोन्नति की निर्णायक तिथिः–**

कृपया इस नियम पुस्तिका की कंण्डिका 7.15.4 देखें।

7.15.10. **लेखापरीक्षक के पद पर पदोन्नत लिपिकों की वरिष्ठता की तुलना में वे कर्मचारी गण जो लेखा एवं हकदारी कार्यालय से प्रतीक्षा सूची द्वारा स्थानांतरित हुएः–**

संख्यात्मक गिनती के उद्देश्य से लेखापरीक्षा कार्यालयों में लिपिकों की पदोन्नति की निर्धारित संख्या (कोटा) प्रवर्तन में लाने के लिये और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय से प्रतीक्षा सूची के कर्मचारी गणों के स्थानांतरण का सीधी भर्ती की निर्धारित संख्या के लिये 20 सूत्री रोस्टर रखा जायेगा। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि प्रतीक्षा सूचीबद्ध कर्मचारी जो स्थानान्तरित होकर आये हैं उनकी रोस्टर सूत्र के अनुसार पदस्थिति बनेगी। पुनर्गठन के अनुदेशों की नियम पुस्तक (एम.आई.आर) की कंडिका 3.9.1. के अधीन लेखापरीक्षा कार्यालय में पदोन्नति की निर्धारित संख्या के विरूद्ध लेखापरीक्षक के पद पर पदोन्नत लिपिको की पदस्थिति उन कर्मचारियों से जो लेखा कार्यालय से लेखापरीक्षा कार्यालय में प्रतीक्षा सूचीबद्ध होकर आये हैं, एक समूह में कनिष्ठ स्थिति पर होगी।
(प्राधिकार :–नि.म.ले.प. का पत्र क्र. 220– एन. 2 / 39–84 दिनांक 20.3.1984)

7.15.11 **समूह 'घ' से पदोन्नत लिपिकों को टंकण जाँच परीक्षा (टेस्ट) में विशेष अवसर प्रदान करना।**

कृपया इस नियम पुस्तक की कण्डिका 7.1.1 देखें।

7.15.12 **पदावनत समूह 'घ' कर्मचारियों की पुनः पदोन्नति :–**

कृपया इस नियम पुस्तक की कण्डिका 7.1.1 देखें।

7.15.13 **समूह 'घ' से पदोन्नत कर्मचारियों को टंकण जाँच परीक्षा (टेस्ट) उत्तीर्ण करने से छूटः–**

कृपया इस नियम पुस्तक की कण्डिका 7.1.1 देखें।

7.15.14 **समूह 'घ' कर्मचारियों को पदोन्नति जाँच परीक्षाओं के लिये यात्रा भत्ताः–**

कृपया इस नियम पुस्तक की कण्डिका 7.1.1 देखें।

7.15.15 **लिपिकों / टंककों की पदोन्नति प्रत्याशाओं में सुधार संवर्ग की पुनरीक्षण :–**

कृपया इस नियम पुस्तक की कण्डिका 7.1.1 देखें।

-

7.15.16 **समूह 'घ' कर्मचारियों–अभिलेख पृथ्क्करक (रिकार्ड सोर्टर) संवर्ग (जो अब 10.10.1984 से अभिलेखापाल के नाम से पदांकित किया गया) के पदोन्नति संबंधी प्रत्याशाः–**

कृपया इस नियम पुस्तक की कण्डिका 7.1.1(i) देखें।

7.15.17 **अभिलेखापाल पद के कार्यों संबंधी विषय सूची–**

कृपया इस नियम पुस्तक की कण्डिका 7.1.1(i) देखें।

7.15.18 **प्रवरण श्रेणी अभिलेखापालः–**

कृपया इस नियम पुस्तक की कण्डिका 7.1.1(i) देखें।

7.15.19 **समूह 'घ' कर्मचारियों की समूह 'ग' संवर्ग में पदोन्नतिः–**

कृपया इस नियम पुस्तक की कण्डिका 7.1.1(i) देखें।

7.15.20 **समूह 'घ' संवर्ग कें भीतर पदोन्नति :–**

कृपया इस नियम पुस्तक की कण्डिका 7.1.1(i) देखें।

7.16.1 **कम अवधि की रिक्तियों में स्थानापन्न पदोन्नतियाँ :–**

कृपया इस नियम पुस्तक की कण्डिका 7.4.1 एवं 7.5.1. देखें।

7.16.2 **पदोन्नति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण :–**

कृपया इस नियम पुस्तक की कण्डिका 7.5.1 देखें।

7.17.1 **तदर्थ पदोन्नतियां :–**

सिवाय कम अवधि की रिक्तियों के, तदर्थ नियुक्तियाँ कभी भी नहीं की जानी चाहिए। यह देखा जाना चाहिए कि दीर्धकालिक रिक्तयों के विरूद्ध भर्ती नियमों के अनुसार केवल नियमित पदोन्नतियाँ ही की जायें, विशेषतः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के संबंध में की गयी पदोन्नतियों के क्षेत्र में, जहाँ तदर्थ पदोन्नतियों से बचाव करना मुशिकल हो, वहाँ यह सुनिश्चित करने के विशेष कदम उठाने चाहिए कि ऐसी पदोन्नतियाँ कम से कम संभव संख्या में की गई है और लंबी अवधि तक चलने की संभावना नहीं है।

(प्राधिकार :–भारत सरकार, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार कार्यालय ज्ञापन. सं. 36021/8/76 स्था. (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) दिनांक 20.4.1978 एवं नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का पृष्ठांकन क्र. 211– एन.3/8–82/II दिनांक 16.2.1982)

-

7.17.2 तदर्थ पदोन्नत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों पर विचार :–

जहाँ तदर्थ पदोन्नतियाँ लोकहित में आवश्यक हो जाए, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ऐसे अधिकारियों, जो योग्य हैं के दावे भी उस क्षेत्र में अन्य सामान्य श्रेणी के योग्य अधिकारियों के साथ विधिवत विचार किये जाने चाहिए यद्यपि तदर्थ पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए कोई औपचारिक आरक्षण न हो।

(प्राधिकार :–भारत सरकार, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ज्ञापन संख्या 2602/7/78–स्था. (अनुसूचित जाति/जनजाति) दिनांक 16.4.1979 एवं नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का पत्र क्र. 211 एन. 3/8–82–II, दिनांक 16.2.1982)

7.18 चयन से संबंधित विभिन्न समितियों/मण्डलों में महिला सदस्यों का प्रतिनिधित्वः–

मंत्रालय/विभाग आदि का यह प्रयत्न होना चाहिए कि जहाँ तक संभव हो, किसी महिला अधिकारी को उनके अधीन विभिन्न पदों/सेवाओं में अभ्यर्थियों के चयन के लिये गाठित चयन समिति के लिए नामंकित करें। जहाँ किसी सेवा/पद के लिये काफी संख्या में महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने की संभावना हो, चयन मण्डल/चयन समिति में किसी महिला अधिकारी को सम्मिलित करने के लिए कोई कसर नहीं उठा रखनी चाहिए यदि मंत्रालय/विभाग में ही, ऐसी महिला अधिकारी उपलब्ध न हो, तो उसी स्थान पर किसी अन्य कार्यालय की किसी महिला अधिकारी को नामांकित करने में कोई आपत्ति नहीं है।

(प्राधिकारः– भारत सरकार. एम.ओ.पी. एण्ड टी. एण्ड ए.आर. तथा पी.जी. एण्ड पी. (डी.ओ.पी. एण्ड टी.) कार्यालय ज्ञापन संख्या 35021/1/85 स्था. (सी) दिनांक 8.11.1985 एवं नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का पृ.क्र. 333–एन. 3/18–85–खण्ड –II, दिनांक 10.3.1986)

7.19.1 उन व्यक्तियों के मामले में क्रम सूची की विधि मान्यता जो लंबे अवकाश पर हैं और पदोन्नत नहीं किये जा सकेः–

एक व्यक्ति जो अवकाश पर हैं और पदोन्नत नहीं किया जा सका और उसकी जगह उसी क्रम सूची में उससे कनिष्ठ व्यक्ति केवल क्रम सूची को दूर करने के उद्देश्य से नियमित तौर पर, इस शर्त पर पदोन्नत किया जा सकता है कि वास्तविक प्रभाव उस कर्मचारी की छुटटी से लौटने पर दिया जायेगा। यह लाभ उन मामलों में देय नहीं है जहाँ कर्मचारियो ने क्रम सूची के आधार पर पदोन्नति से इंकार कर दिया है अथवा उन व्यक्तियों को जिन्होंने अन्य स्थानों पर स्थानान्तरण को टालने के प्रयोजन के अवकाश गृहण किया है अथवा जो उचित स्वीकृति के बिना लंबी अवधि से अवकाश पर हैं। इसका लाभ उन व्यक्तियों को दिया जायेगा जो प्रमाणित शारीरिक अयोग्यता के कारण लंबी अवधि से अवकाश पर है।

(प्राधिकारः– भारत सरकार, गृह मंत्रालय कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ज्ञापन संख्या 22013/8/80 स्था (डी) दिनांकः 28.9.1981 एवं नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का पृष्ठांकन क्र. 6553–एन–2/11–एन–3/80–II, दिनांक 18.12.1981)

7.19.2 उच्च श्रेणी में पदोन्नति के लिए इन्कार करने वाले व्यक्तियों के मामले में अपनाई जाने वाली नीतिः–

किसी अधिकारी द्वारा पदोन्नति के लिए इन्कार करना उसके लिये एक वर्ष की अवधि तक पदोन्नति का कोई नया आदेश जारी न करने के अंतर्गत आयेगा। ऐसे प्रकरणों में, जहाँ अधिकारी द्वारा पदोन्नति से इन्कार के संबंध में प्रस्तुत कारण नियोक्त अधिकारी को स्वीकार्य नहीं हो, तब अधिकारी पर पदोन्नति के लिए जोर दिया जाना चाहिए और ऐसे प्रकरण में यदि अधिकारी तब भी पदोन्नति के लिये मना कर दे तो उसके विरूद्ध आदेशों का पालन न करने के लिये अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।

(प्राधिकार :–भारत सरकार, गृह मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) कार्यालय ज्ञापन क्र. 22034/3–81 स्था (डी) दिनांक 01.10.1981 एवं नि.म.ले.प. का पृष्ठांकन क्र. 765–लेखापरीक्षा/ 80–81/1–81 (90) दिनांक 29.10.1981)

7.20 समूह 'घ' पदों में नियुक्ति श्रेणी।

हटा दिया गया है।

(प्राधिकारः–नि.म.ले.प. का परिपत्र क्र. 18 एन.जी.ई./2010 क्र. 717–एन.जी.ई. (ए.पी.पी)/25–2010 दिनांक 28 जून 2010)

7.21 आरक्षण के आधार पर पदोन्नति अस्वीकार करनाः–

जैसा कि भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय के आरक्षण के संबंध में जारी किए गए आदेशों में उनके विरूद्ध आरक्षित रिक्तियों पर अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय के किसी सदस्य की पदोन्नति पर ऐसे अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित रिक्ति, के विरूद्ध अपने दावे को छोड़ने के सम्बन्ध मे घोषणा के आधार पर विचार न किए जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः अनुसूचित जाति/जनजाति के संबंध में अभ्यर्थी को आरक्षित रिक्ति के विरूद्ध पदोन्नति पर विचार किए बिना नहीं छोड़ा जा सकता, भले ही उसने आरक्षित रिक्ति के विरूद्ध पदोन्नति पाने से इन्कार की घोषणा कर दी हो।

(प्राधिकार :–नि.म.ले.प. का पत्र क्र. 2607–एन.जी.ई. II/56–74–3 दिनांक 26.अक्टूबर 1974)

7.22 कर्मचारियों की पदोन्नति जिन पर शास्ति आरोपित की गईः–

(क) सील बंद पद्धति–

ऐसे कर्मचारी जो निलंबित है अथवा जिनके आचरण पर छानबीन चल रही है अथवा जिनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की जानी है, तो ऐसे अभ्यर्थियों की पदोन्नति के लिये उपयुक्तता पर निर्धारण उचित समय पर विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा किया जाना चाहिए। यह निष्कर्ष भी प्राप्त किया जाना चाहिए कि यदि अधिकारी निलंबित न किया गया होता अथवा उसके आचरण की छानबीन न चल रही होती तो वह पदोन्नति के लिये अनुशंसित/चयन कर लिया गया होता। जहाँ चयन सूची तैयार की जाती है, वहाँ सक्षम अधिकारी को यह विचार भी रखना चाहिए कि कर्मचारी का यदि निलंबन न होता तो सूची में उसकी कार्यालयीन स्थिति क्या होती। उपयुक्तता और चयन सूची में उसके स्थान के संबंध मे निष्कर्ष अलग से लेखनबद्ध किया जाना

चाहिए और निष्कर्षो के साथ उसे संलग्न करते हुए एक लिफाफे में सील बंद कर देना चाहिए। सील बंद लिफाफे के ऊपर लिखा जाना चाहिए "श्री ..... के संबंध में (सेवा/श्रेणी/पद में) पदोन्नति/पुष्टिकरण के लिये योग्यता और उपयुक्तता के बावत निष्कर्ष श्री.. .....के विरूद्ध चल रहे निलंबन अथवा अनुशासनात्मक कार्यवाही के समाप्त होने तक न खोला जाए" विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाहियों आदि के केवल टिप्पणियॉ समाहित की जायें – " निष्कर्ष संलग्न सील बंद लिफाफे में सम्मिलित है " रिक्ति की पूर्ति करने वाले सक्षम प्राधिकारी को अलग से सलाह दी जानी चाहिएः–

(i) जहाँ निष्कर्ष अधिकारी की पदोन्नति के लिए उपयुक्तता के संबंध में हो, वहाँ रिक्ति की पूर्ति केवल स्थानापन्न रूप में की जाए और

(ii) जहाँ ऐसे निष्कर्ष उसके स्थायीकरण के लिए हों वहाँ ऐसी रिक्ति को स्थायी रूप से आरक्षित करना।

(ख) यदि अधिकारी का निलंबन अथवा उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही न हुई होती, तो उसे मिलने वाली जगह की रिक्तता केवल स्थानापन्न आधार पर अनुमोदित सूची में से अगले व्यक्ति द्वारा भरी जानी चाहिए। यदि संबंद्ध अधिकारी पूर्णतः दोषमुक्त हो जाता है और यह सुनिश्चित हो जाता है कि निलंबन पूरी न्याय संगत नहीं था तो उसे उसके बाद प्रथम रिक्तता पर पदोन्नत किया जाना चाहिए जो उस उद्धेश्य के लिये उपलब्ध करायी जा सके। उच्च श्रेणी में उसकी वरिष्ठता यह मान कर तय की जायेगी कि वह चयन सूची में अपनी स्थिति के अनुसार पदोन्नत हुआ था जैसा कि सील बंद लिफाफे में दिया गया है।

(प्राधिकारः– नि.म.ले.प. का पृष्ठांकन क्र. 716–ए II/56–74–3, दिनांक 26 अक्टूबर 1974)

(ग) जहाँ विभागीय कार्यवाही का समापन अल्प शास्ति आरोपित करके यथा, परिनिन्दा, शासन की आर्थिक हानि की वसूली करके, वेतन वृद्धि रोककर एवं पदोन्नति रोककर किया गया हो, तो विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा कर्मचारी के पक्ष में की गई अनुशंसाओं को, जो सीलबंद्ध लिफाफे में रखी गई हैं लागू नहीं किया जाएगा। परंतु कर्मचारी की पदोन्नति/स्थायीकरण के प्रकरण में विभागीय कार्यवाही समाप्त होने के बाद आयोजित आगामी विभागीय पदोन्नति समिति (डी.पी.सी) की बैठक में इस पर विचार किया जाएगा। यदि वि.प.स. के निष्कर्ष नियोक्ता के पक्ष में हैं, तो कर्मचारी अपनी बारी आने पर पदोन्नत किया जा सकता है, यदि शास्ति ''परिनिंदा'' अथवा ''अवहेलना'' या आदेशों के उल्लघंन द्वारा ''शासन को हुई आर्थिक हानि की वसूली'' करके पूरी की गई हो, ऐसे कर्मचारियों के मामले में जिन्हें ''वेतन वृद्धियाँ रोककर'' अथवा ''पदोन्नति रोककर'' अल्प शास्ति से आरोपित किया गया हो, ऐसे कर्मचारियों की पदोन्नति केवल शास्ति के समाप्त होने के बाद ही की जा सकती है।

(प्राधिकार :–नि.म.ले.प. का पृष्ठांकन क्र. 162–ए/एफ. 40–78/1–79 (15) दिनांक 8 मई 1979)

7.23 लेखापरीक्षा कार्यालयों में अनुभाग अधिकारी ग्रेड परीक्षा भाग–I उत्तीर्ण लिपिकों की लेखापरीक्षक के रूप में पदोन्नतिः–

कृपया इस नियम पुस्तक की कण्डिका 7.1.1(iii) (ख) देखें।

-

7.24 **मैट्रिकुलेट समूह 'घ' कर्मचारियों की वरिष्ठता के आधार पर लिपिकों में पदोन्नतिः—**

कृपया इस नियम पुस्तक की कण्डिका 7.1.1 देखें।

7.25 **समूह 'घ' में पदोन्नति शैक्षिक अर्हता में छूट/रियायतः—**

कृपया इस नियम पुस्तक की कण्डिका 7.1.1 देखें।

7.26 **समूह 'घ' कर्मचारियों से लिपिकों/टंककों पर पदोन्नति प्रत्याशाएं टंकण लेखन में प्रवीणताः—**

कृपया इस नियम पुस्तक की कण्डिका 7.1.1 देखें।

-

अध्याय–VIII

पदस्थापना, स्थानांतरण, पुष्टिकरण, वरीयता, प्रतिनियुक्ति, स्थायी संविलयन एवं बाह्य सेवा समनुदेशन

8.1 पदस्थापना एवं स्थानांतरणः–

8.1.1.(क) इस कार्यालय के पुनर्गठन के बाद, समूहों, पदों एवं अनुभागों के संचालन में संशोधन निम्नानुसार है–

क्र.	समूह	पदनाम	अनुभाग
1	महालेखाकार	महालेखाकार के सचिव	म.ले. के सचिव आ.ले.प. म.ले. का सचिवालय
		म.ले. का निजी सचिव	
		वरि.ले.प. अधिकारी / दक्षता सह. निष्पा. ले.प.	दक्षता सह. निष्पा. ले.प.
		वरि.ले.प.अधिकारी / रिपोर्ट	रिपोर्ट रिपोर्ट (लोक लेखा समिति)
2	वरि. उ.म.ले. / प्रशासन	वरि.ले.प.अधिकारी / प्रशासन	प्रशासन – 11
			प्रशासन – 12
			भर्ती प्रकोष्ठ / कक्ष
		वरि. ले.प. अधिकारी / रोकड़	प्रशासन – 13
			प्रशासन – 14
			रोकड शाखा
		वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी / कार्यपालन शाखा	कार्यपालन शाखा सामान्य अनुभाग – 1
			आई.एस.विंग
		वरि. ले.प.अधिकारी / विधि कक्ष	विधि कक्ष
			गोपनीय कक्ष
			वेतन निर्धारण कक्ष
		वरि.ले.प.अधिकारी / बाहय ले. प. विभाग (एफ))	केंद्रीय समन्वय
			FAAAT
			मैनुअल सैल
			ओ.ए.डी (वित्त) मुख्यालय
		वरि. ले.प.अधिकारी रिपोर्ट (एफ)	रिपोर्ट (राज्य वित्त)
			फास (एम)
		वरि. ले.प. अधिकारी / फास	फास – 1
			फास – 2
			फास – 3

-

		वरि. ले.प. अधिकारी / फाप समूह 1 & 2	फाप समूह–1 (11–14, 12–16)
			फाप समूह–2 (13–15, 17–18)
		वरि. ले.प. अधिकारी / फाप–3	फाप समूह–3 (22–23, 24–25)
3	उ.म.ले. / सामान्य क्षेत्र लेखापरीक्षा		सचिवालय / सामान्य क्षेत्र
		वरि. ले.प. अधिकारी / सा. क्षे.ले.प. (मुख्या.) वरि.ले.प. अधिकारी / सा.क्षे. ले. प. (संपादन)	बाहय ले.प. वि. – 21 बाहय ले.प. वि. – 22
4	उ.म.ले. / सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा–I		सचिवालय / सा. क्षे. –1
		वरि. ले.प. अधिकारी / सा. क्षे.–1 (मुख्यालय / TGS)	मुख्यालय
			तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण (TGS)
		वरि. ले.प. अधिकारी / सा. क्षे. 1(संपादन)	संपादन–1 (नगरीय स्थानीय निकाय)
			संपादन – 2 (P.R.I.)
		वरि. ले.प. अधिकारी / सा. क्षे.–1(प्रारूप कंडिका कक्ष एवं रिपोर्ट कार्य)	प्रारूप कंडिका कक्ष (DP Cell)
			रिपोर्ट,ATIR , एवं समीक्षा कार्य
5	उ.म.ले. / सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा –II		सचिवालय / सा. क्षे.–II
		वरि.ले.प.अधिकारी / सा.क्षे. –।। (मुख्या.)	OAD-M
			FAAM CELL
		वरि. ले.प. अधिकारी / सा.क्षे. – ।। (संपादन)	बाहय ले.प. विभाग –2
			बाहय ले.प. विभाग –3
		वरि. ले.प.अधिकारी / प्रारूप कंडिका कक्ष	प्रारूप कंडिका कक्ष / सा.क्षे. प्रारूप कंडिका कक्ष
6	उ.म.ले. / सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा –III		सचिवालय / सा. क्षे.–III
		वरि.ले.प.अधिकारी / सा.क्षे. – ।।। (मुख्या.)	बाहय ले.प. विभाग 11
		वरि.ले.प.अधिकारी / सा.क्षे. – ।।। (संपादन)	बाहय ले.प. विभाग 13
			बाहय ले.प. विभाग 14
			प्रारूप कंडिका कक्ष / सा. क्षे. –III
7	कल्याण अधिकारी	कल्याण अधिकारी	कल्याण शाखा
			हिन्दी कक्ष

-

(प्राधिकारः–प्रशासन–11/समूह–4/विविध दिनांक 20.11.2012 एवं
प्रशासन–11/समूह–1/पुनर्गठन/कार्या.आदेश/419 दिनांक 03.03.2015)

(ख) **समूह 'ख' एवं 'ग' के स्थानान्तरण एवं पदस्थापना की मार्गदर्शिका एवं कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उसका प्रकटीकरणः–**

स्थानांतरण एवं पदस्थापना बोर्ड, न्युनतम 3 सदस्यों द्वारा गठित का गठन सभी भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा कार्यालयों में होगा जो कि सभी 'ख' एवं 'ग' कर्मचारी समूह के स्थानांतरण एवं पदस्थापना की अनुशांसा करेगा। इस प्रकार गठित किये गये बोर्ड का विवरण, स्थानांतरण एवं पदस्थापना की मार्गदर्शिका एवं पदस्थापना आदेशों को त्वरित प्रभाव के साथ संबधित कार्यालयों की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाना है। स्थानांतरण एवं पदस्थापना की विस्तृत मार्गदर्शिका को संवर्ग रचना के स्थानीय परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए निर्मित किया जाना है एवं बोर्ड की मार्गदर्शिका/निर्देश निम्नानुसार है–

(i) समूह 'ख' एवं 'ग' कर्मचारी के अंतर कार्यालयीन स्थानांतरण एवं पदस्थापना के उदेदश्य से, समान संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी के अंतर्गत, एक स्थानांतरण एवं पदस्थापना बोर्ड होगा जिसमें कि संबंधित कार्यालयों के समूह प्रभारी अधिकारी होगें एवं उनमें से वरिष्ठतम अधिकारी अध्यक्ष होगा। जहाँ 3 से कम प्रतिभागी अधिकारी है, तृतीय समूह अधिकारी को संवर्ग नियंत्रक अधिकारी अर्थात स्वीकृत प्राधिकारी द्वारा नामांकित किया जा सकता है।

(ii) समूह 'ख' (अराजपत्रित) एवं समूह 'ग' कर्मचारी वर्ग के अंदर (इंट्रा) कार्यालय पदस्थापना हेतु, स्थानांतरण एवं पदस्थापना बोर्ड 3 शाखा अधिकारियों से गठित होगा। प्रशासन का प्रभारी शाखा अधिकारी पदेन सदस्य होगा एवं अन्य दो शाखा अधिकारी विभागाध्यक्ष द्वारा नांमित होगें एवं उनमें से वरिष्ठतम अध्यक्ष होगा। प्रशासन का प्रभारी समूह अधिकारी स्वीकृत प्राधिकारी होगा।

(iii) समूह 'ख' (राजपत्रित) कर्मचारी वर्ग के इंट्रा कार्यालय स्थानांतरण एवं पदस्थापना हेतु, बोर्ड प्रशासन के समूह अधिकारी एवं प्रशासन के प्रभारी शाखा अधिकारी एवं एक और समूह अधिकारी, जो कि विभागाध्यक्ष द्वारा नामित किया जायेगा से गठित होगा, दोनों समूह अधिकारियों में से वरिष्ठ, अध्यक्ष होगा। विभागाघ्यक्ष स्वीकृत प्राधिकारी होगा। तथापि, जहाँ किसी कार्यालय में केवल एक अकेला समूह अधिकारी है, एक शाखा अधिकारी को विभागाध्यक्ष द्वारा तीसरे सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है।

(iv) समूह 'ख' एवं 'ग' कर्मचारी वर्ग का स्थानांतरण किसी विशेष पद से दो वर्ष की न्यूनतम अवधि के समाप्ति से पहले नही किया जा सकेगा।

(v) इन निर्देशों को तत्काल प्रभाव के साथ लागू किया जाना है। (06.01.2014 से)

(प्राधिकार :–नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का परिपत्र क्र. 1–स्टाफ विंग/2014 vide क्रमांक 10–स्टाफ (एप –2) 63– 2013 दिनांक 06.01.2014)

-

8.1.2 भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा संवर्ग–

(i) प्रत्येक कार्यालय में भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा के पदों की संख्या मुख्यालय द्वारा निश्चित की जाती है और महालेखाकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की छानबीन करने के बाद प्रत्येक कार्यालय के लिये स्वीकार की गई अंतिम संख्या मुख्यालय द्वारा सूचित कर दी जाती है भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा के विभिन्न अस्थाई पदों को जारी रखने की स्वीकृति भी मुख्यालय द्वारा ही दी जाती है। अस्थाई पदों को स्थाई करने के प्रस्ताव मुख्यालय को प्रस्तुत नही किये जाते है भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा के अधिकारियों की (उप नियंत्रक एंव महालेखापरीक्षक की श्रेणी से नीचे के सभी अधिकारियों की) पदस्थापना एवं एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरण, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा किये जाते है। महालेखाकार, अपने संबंधित कार्यालयों के अंतर्गत सहायक महालेखाकार इत्यादि के स्वीकृत प्रभारों की पदस्थापना कर सकते है।

(प्राधिकार :–नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के स्था.आ.नि.पु. (प्रशा.) खण्ड–I की कंडिका 129)

(ii) भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा के सदस्यों की, पदोन्नति, पदस्थापना इत्यादि के मामले में विशेष विचार हेतु व्यक्तिगत निवेदन करने की अनुमति नही है, किंतु नि.म.ले.प., किसी विशिष्ट स्थान के लिये अथवा भा.ले.प. एवं ले. विभाग के कार्य की किसी विशिष्ट शाखा के लिये किसी अधिकारी की प्राथमिकता की अर्द्व शासकीय सूचना प्राप्त करने की इच्छा कर सकता है। जहाँ तक संभव हो अधिकारी इच्छा पूर्ति की जाती है, किंतु अधिकारियों की प्राथमिकता, स्वाभाविक रूप से, विभाग की आवश्यकताओं के अधीन रहती है। इस प्रकार की सूचना भेजने वाले अधिकारी को चाहिए कि वह अपने महालेखाकार को पत्र की विषयवस्तु से अवगत कराए जिनको मुख्यालय द्वारा उत्तर की प्रतिलिपियां भेजी जायेगी।

(प्राधिकार :–नि.म.ले.प. के स्था. आ. नि.पु.(प्रशा.) खण्ड–I की कंडिका 130)

(iii) कार्यभार ग्रहण करने और हस्तांतरित करने के सभी प्रतिवेदन, जिस दिन कार्यभार का हस्तांतरण हो, उसी दिन भारत के नि. एवं म.ले.प. के कार्यालय को दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(प्राधिकार :–नि.म.ले.प. के स्था. आ.नि.पु. (प्रशा.) खण्ड–I की कंडिका 131)

8.1.3 भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा के अधिकारियों के पर्यवेक्षण कार्यभार सौपना – महालेखाकार स्तर के अधिकारियों की शक्तियों का प्रत्यायोजनः–

नि.म.ले.प. के स्था.आ.नि.पु. (प्रशा.) खण्ड–I की कंडिका 17 के अनुसार प्रशासन का प्रभार, वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार को तथा अन्य शाखाओं के प्रभार भी कनिष्ठ प्रशासनिक वर्ग अथवा वरिष्ठ समय–मान अधिकारियों में निहित है। वरिष्ठ समय–मान अधिकारियों तथा कनिष्ठ प्रशासनिक वर्ग के अधिकारियों से संबंधित पदस्थापना आदेश, भारत के नि.म.ले.प. द्वारा उस विशिष्ट प्रभार का उल्लेख करते हुए जारी किये जाते है। जहॉ उनकी पदस्थापना की जानी है। नि.म.ले.प. द्वारा किसी शाखा के प्रभार का उल्लेख न किये जाने की स्थिति मे, उस विशिष्ट शाखा का प्रभार अपने अधीन पदस्थ किसी भी भा.ले.प. एवं ले.सेवा के अधिकारी को सौंपने की शक्ति महालेखाकार को दी गयी हैं इस प्रकार निर्दिष्ट किया गया प्रभार, भारत के नि.म. ले.प. द्वारा पहले अनुमोदित किये गये प्रभार के अतिरिक्त होगा।

उपरोक्त निर्देशों में आंशिक संशोधन करते हुए महालेखाकार को निम्नांकित शर्तो के साथ शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है।

(1) वरिष्ठ उ.म.ले./उ.म.ले. के प्रभार में आंतरिक परिवर्तन तथा इसके विपरीत प्रभार, मुख्यालय के पूर्व अनुमोदन के बिना नही किया जाना चाहिए।

(2) वर्तमान प्रभारों के अंतर्गत कोई परिवर्तन नही किया जाना चाहिए।

(3) वर्तमान प्रभारों में परिवर्तन केवल तभी किया जाये जब इसके लिये पर्याप्त कारण हो तथा मुख्यालय को इसकी सूचना दी जायें।

(4) मुख्यालय के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई ऐसा परिवर्तन न किया जाये जो उस वर्ग को प्रभावित करता हो जिससे कि विशेष वेतन जुडा हो।

(प्राधिकार :–नि.म.ले.प. का पत्र क्रमांक 1471–जी.ई.आई./226–78 (के.डब्लू.) दिनांक 20 अप्रैल 1979 तथा पत्र क्रमांक 1030–जी.ई.आई./226– 78 (के.डब्लू) दिनांक 25 फरवरी 1981)

8.1.4 अल्पकालिक रिक्तियाँ (31 दिन या अधिक) के दौरान लेखापरीक्षा अधिकारियों को उप महालेखाकार स्तर के पदों का प्रभार सौपनाः–

उप महालेखाकार के 31 दिन या उससे अधिक एक वर्ष तक रिक्त पदों के विरूद्व, महालेखाकार की विशेष अनुशंसा पर, योग्य लेखापरीक्षा अधिकारी को छः माह की प्रारंभिक अवधि के लिए उप महालेखाकार के रूप में कार्य करने के लिए स्वीकृति दी जा सकती है। इस प्रकार की व्यवस्था के लिए अनुशंसा करते समय, अधिकारी की वरीयता के साथ–साथ उसकी प्रवीणता के लिए तर्कसंगत जानकारी दी जानी चाहिए। तथापि, यह व्यवस्था पूरी तरह अस्थाई प्रकार की एवं तदर्थ रूप में होगी और महालेखाकार द्वारा (मुख्यालय के पूर्व अनुमोदन के साथ) किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

मुख्यालय कार्यालय को प्रस्ताव/अनुशेसा प्रेषित करते समय निम्नांकित प्रलेख/सूचनाएँ भेजी जानी चाहिए :–

(क) अनुशंसित अधिकारियों की गोपनीय प्रतिवेदन नस्तियां।

(ख) अनुशंसित कनिष्ठतम अधिकारी से वरिष्ठ सभी अधिकारियों की गोपनीय प्रतिवेदन नस्तियां।

(ग) लेखापरीक्षा अधिकारियों की एक सूची, जिसमें उनकी जन्म तिथि, लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में पदोन्नति की तारीख, अधिवार्षिकी की तारीख क्या वे विभाग में अथवा प्रतिनियुक्ति/बाह्य विभाग सेवा में है, तथा यदि वे उ.म.ले. के रूप मे कार्य कर चुकें है तो उसकी अवधि हो।

(घ) उस पद (पदों) का विवरण जिसके विरूद्ध व्यवस्था किये जाने की अनुशंसा की गई है।

(ड) क्या वह उपमहालेखाकार के रूप में कार्य करने के इच्छुक है।

(च) छः माह के ऊपर अवधि बढाने के लिये निवेदन पत्रों के साथ उप महालेखाकार के रूप में पहले छः माह के दौरान अधिकारी के कार्य निष्पादन पर एक विशेष प्रतिवेदन संलग्न किया जाना चाहिए।

भारत सरकार द्वारा जारी किये गए निर्देशों के अनुसार वरिष्ठ उप महालेखाकार तथा भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के अन्य कनिष्ठ प्रशासनिक वर्ग के स्तर के रिक्त पदों के विरुद्ध स्थानापन्न व्यवस्था नही की जायेगी। तथापि, जब कभी उसे रिक्त रखना संभव न हो और यह समझा जाए कि कोई लेखापरीक्षा अधिकारी इस कार्य को करने में सक्षम होगा, तो अस्थाई तौर पर इसका दर्जा घटाने के लिए मुख्यालय को आवश्यक प्रस्ताव भेजे जा सकते है।

नीचे दिये गये कार्यालय आदेश के मानक प्रपत्र का उपयोग किया जाना चाहिए।

-

कार्यालय आदेश का प्रपत्र

श्री ..... लेखापरीक्षा अधिकारी को, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) पत्र क्रमांक 11014/1/76 ई.जी.आई. दिनांक 31 अगस्त 1976 (तत्सम पत्र क्रमांक दिनांक 5 अगस्त 1962 द्वारा अंशतः संशोधित रूप में।) के उपबन्धों के अनुसार इस कार्यालय में उ.म.ले. के रिक्त पद का प्रभार पूर्णतः तदर्थ व्यवस्था के रूप में दिनांक ..... से निम्नलिखित शर्तों के आधार पर सौपा जाता है :–

(1) इस व्यवस्था से भा.ले.प. एवं ले. विभाग में अथवा किसी उच्चतर वेतनमान के पद पर पदोन्नति अथवा नियुक्ति नही होती है।

(2) कथित पद के प्रभार कें कार्य करते समय, श्री .....

(क) को उनके अपने वेतनमान..... रूपयें, में वेतन के अतिरिक्त समय– समय पर..... ..... रूपये प्रतिमाह का विशेष वेतन दिया जायेगा परंतु इसकी अवधि 31 दिन या इससे अधिक होगी किंतु किसी भी मामले में छः माह से अधिक नही होगी,

(ख) के.सि.से. (सी.सी.ए.) नियम, 1965 के अंतर्गत कथित पद में निहित सांविधिक शक्तियों का प्रयोग नही करेंगे, और–

(ग) उपरिलिखित विशेष वेतन.....रूपये प्रतिमाह के अतिरिक्त कोई और विशेष वेतन पाने के हकदार नही होगें.

(3) इस तदर्थ व्यवस्था को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

(प्राधिकारः– नि.म.ले.प. का पत्र क्र. .....दिनांक .....
.....

महालेखाकार.....

क्रमांक .....

प्रतिलिपि अग्रेषित –

(1) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कार्यालय, नई दिल्ली को मुख्यालय के पत्र क्रमांक ....दिनांक ..... के संदर्भ में।

(2) श्री ..... लेखापरीक्षा अधिकारी।

(3) अधिकारी की निजी फाइल हेतु।

(4) वेतन एवं लेखा अधिकारी (लेखापरीक्षा) स्थाई कार्यालय .....

(5) .....

(6) .....

लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)

-

8.1.5 क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुखों को हस्तांतरण टिप्पणियाँ सौंपनाः–

नि.म.ले.प. के स्थाई आदेशों की नियम पुस्तक (प्रशा.) खण्ड–I, की कण्डिका 43 के अनुसार, जब कोई महालेखाकार अपने कार्यालय के प्रभार से स्थाई रूप से अथवा अस्थाई रूप से कार्यभार मुक्त होते है, तो वह अपने उत्तराधिकारी की जानकारी के लिए, अपनी विशिष्ट जानकारियाँ तथा कार्यालय के अनुभवों को संक्षेप् में उल्लिखित करते हुए एक ज्ञापन तैयार करेगें। यह ज्ञापन वह भारग्राही अधिकारी को देगें तथा साथ ही साथ उसकी एक प्रति भारत के नि.म.ले.प. को भेजेंगें।

हस्तांतरण ज्ञापन के विभिन्न अंशो पर मुख्यालय में शीध्र कार्यवाही सुगम बनाने के लिए यह निश्चित किया गया है कि महालेखाकार को निम्नांकित दस भागों में ज्ञापन तैयार करना चाहिए –

(i) भा.ले.प. एवं ले.सेवा के अधिकारियों से संबंधित सामग्री।

(ii) लेखापरीक्षा अधिकारियों से संबंधित सामग्री।

(iii) गोपनीय मुद्दों से संबंधित स्थापना सामग्री।

(iv) स्थापना सामग्री, जो गोपनीय प्रवृत्ति की नही है, और

(v) केंद्रीय तथा स्थानीय लेखापरीक्षा और वाणिज्येतर स्वायत्त निकायो इत्यादि की लेखापरीक्षा,

(vi) वाणिज्यिक लेखापरीक्षा

(vii) राजस्व लेखापरीक्षा

(viii) लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

(ix) कार्यालय एवं विविध प्रशिक्षण

(x) निरीक्षण निदेशक के प्रतिवेदन की महत्वपूर्ण बकाया कंण्डिकाएं।

महालेखाकार को अ.शा. पत्र के साथ ये अंश निम्नानुसार संबंधित अधिकारियों को अलग से भेजना चाहिएः–

भाग – I	भारत के सहायक नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (पी)
भाग – II	उप निदेशक (जी.ई.II)
भाग – III & IV	भारत के सहायक नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (एन)
भाग – V	संयुक्त निदेशक (टी.ए.II)

(प्राधिकारः– नि.म.ले.प. का गोपनीय पत्र क्रमांक 2024 –I–ए.ओ. (टी.ए. II) /75, दिनांक 16 जून 1975)

-

8.1.6 लेखापरीक्षा कार्यालय संवर्गः–

पदों की संस्वीकृति नि.म.ले.प. द्वारा उन निर्धारित मानक के आधार पर की जाती है, जो कि कर्मचारियों की सख्या के प्रस्तावों में परिलक्षित है। वार्षिक आधार पर अस्थाई पदों को जारी रखने के लिए प्रस्ताव प्रतिवर्ष फरवरी के प्रथम सप्ताह तक मुख्यालय को स्वीकृति क्रमांक एवं सृजन की दिनांक उद्धत करते हुए भेजे जाते है। दैनिक कार्य के लिए स्वीकृत संख्या हेतु पंजी तथा रिक्तियों की पंजी रखी जाती है। लेखापरीक्षा अधिकारियों की एक शाखा से दूसरी शाखा में स्थानांतरण के लिए महालेखाकार (लेखापरीक्षा–प्रथम) के आदेश प्राप्त किये जाते है। नि.म.ले.प. के स्थाई आदेश की नियम पुस्तक (प्रशासन) खण्ड–I की कंण्डिका 289 के अनुसार लेखापरीक्षा अधिकारियों से संबंधित छुट्टी आरक्षित संख्या, लेखापरीक्षकों के संवर्ग में उपलब्ध करायी जाती है। पदों के स्थान पर पद संचालित रखनें के लिए तत्संबंधी नियम पुस्तक की कण्डिका 162 में दिए गये निर्देशों को देखा जाना चाहिए।

8.1.7 सहायक लेखापरीक्षा अधिकारीः–

संवर्ग संख्या पर संस्वीकृत संख्या पंजी एवं रिक्तियों पंजी के संदर्भानुसार निगरानी रखी जाती है। भा.ले.प. एवं लेखा विभाग के संवर्गों के पुनर्गठन हेतु निर्देशों की नियमावली में सन्निहित प्रावधानों के अनुसार अनुभाग अधिकारी के पद उन्नत किये गये और इस नियमावली की कंडिका 7.1.1(xi) में दर्शाये गये वेतनमान के अनुसार पदोन्नत हुए लोगों को सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (समूह 'ख' राजपत्रित) के रूप में पदनामित किया गया। नि.म.ले.प. के स्थायी आदेशों की नियम पुस्तक (प्रशासन) खण्ड–I की कंण्डिका 289 के अनुसार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी से संबंधित छुट्टी रिजर्व लेखापरीक्षक के संवर्ग में उपलब्ध करायी जाती है। दिन–प्रति–दिन की पदस्थापनाए, संस्वीकृत संख्या की पंजी तथा रिक्त स्थापनों की पंजी की सहायता से की जाती है। इनको समूह अधिकारी (प्रशासन) के आदेशार्थ प्रस्तुत किया जाता है।

8.1.8 आशुलिपिक/निजी सहायकः–

संवर्ग संख्या पर संस्वीकृति संख्या की पंजी एवं रिक्तियों की पंजी के आधार पर निगरानी रखी जाती है। दिन–प्रतिदिन की पदस्थापनाए, वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन) के आदेश हेतु प्रस्तुत की जाती है। छुट्टी रिजर्व की गणना उपरोक्त वेतनमानों में संस्वीकृत पदों के आधार पर की जाती है।

8.1.9 वरिष्ठ लेखापरीक्षक/लेखापरीक्षकः–

संवर्ग संख्या पर संस्वीकृत संख्या पंजी एवं रिक्तियों की पंजी के आधार पर निगरानी रखी जाती है। दिन–प्रतिदिन की पदस्थापनाएँ, उ.म.ले. (प्रशासन) के आदेश हेतु प्रस्तुत की जाती है। क्षेत्रीय ऑचलिक (जोनल) दलों के कर्मचारियों का प्रतिस्थापन, समूह अधिकारियों की एक समिति द्वारा किया जाता है और तब सम्बन्धित प्रशासन अनुभाग द्वारा आदेश जारी किये जाते है। आसानी से कार्य संचालन हेतु लेखापरीक्षकों के संवर्ग में छुट्टी रिजर्व को विकेन्द्रित किया गया है और विभिन्न समूहों में संस्वीकृत पदो से अधिक अतिरिक्त सहायता के रूप में आनुपातिक आधार पर दिया गया है।

-

8.1.10 **लिपिक/टंककः–**

संवर्ग संख्या पर, संस्वीकृत संख्या पंजी एवं रिक्तियों की पंजी के आधार पर निगरानी रखी जाती है। दिन–प्रतिदिन की पदस्थापनाएँ, वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन) के आदेशों के अंतर्गत की जाती है। छुट्टी रिजर्व भी विभिन्न समूहों के साथ विकेन्द्रित की जाती है और विभिन्न समूहों में संस्वीकृत पदों से अधिक अतिरिक्त सहायता के रूप में दी जाती है।

8.1.11 **समूह 'घ' कर्मचारी (अब एम.टी.एस.) :–**

स्मूह 'घ' कर्मचारियों के संवर्ग संख्या पर, संस्वीकृत संख्या पंजी एवं रिक्त स्थान पंजी के आधार पर निगरानी रखी जाती है। इन कर्मचारियों की पदस्थापना, सामान्य अनुभाग/प्रशासन अनुभाग के प्रभारी लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा निश्चित की जाती है।

8.1.12 **सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों तथा लेखापरीक्षकों को उसी अनुभाग में रोका जानाः–**

जहाँ तक संभव हो, कर्मचारी वर्ग के किसी सदस्य को उसी शाखा में, केंद्रीय कार्यालय अथवा क्षेत्रीय लेखापरीक्षा दलों में, पॉच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए सामान्यतः नही रखा जाना चाहिए। अन्य समूह को आवर्तन करना अथवा किसी समूह में पाँच वर्ष से अधिक समय तक रोका जाना, केवल आसाधारण परिस्थितिें में तथा संबंधित महालेखाकार के विशेष आदेशों के द्वारा ही हो सकता है। ये निर्देश लेखापरीक्षा अधिकारी के लिये भी लागू होगें। जहाँ, सिविल शाखा के सहा.ले.प.अ./ले.प.अ., वाणिज्यिक शाखा में कार्य कर रहे हो, वे भी उपरोक्तानुसार क्रमागत रूप से ही होगें।

इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए, महालेखाकार स्थिति की समीक्षा करेंगे और जैसा आवश्यक समक्षा जाये, अग्रिम योजना बनायेंगे।

(प्राधिकारः– मुख्यालय का परिपत्र क्रमांक एन.जी.ई. 92/87 क्रमांक 215 पी.सी. (समन्वय) 3–87 दिनांक 17.11.1987)

8.2.1 **प्रवरण श्रेणी लेखापालो/प्रवरण श्रेणी अनुभाग अधिकारियों का लेखापरीक्षा कार्यालय में स्थानांतरण –**

जिन लेखापालों तथा अनुभाग अधिकारियों को 1 मार्च 1984 को अथवा उसके बाद प्रवरण श्रेणी प्रदान की गई है उनका क्रम आने पर लेखापरीक्षा कार्यालय में स्थानान्तरण करने में कोई आपत्ति नही है। तथापि, वे लेखापरीक्षा कार्यालय में प्रवरण श्रेणी बनाए रखने के हकदार नही होगें। उनके वेतन केवल लेखापरीक्षक/अनुभाग अधिकारी के वेतनमान में ही निर्धारित एवं स्वीकृत किये जायेगें, जैसे कि उन्हें लेखा कार्यालय में प्रवरण श्रेणी प्रदान नही की गई हो। निर्धारित किये गये वेतन तथा लेखा कार्यालय में प्रवरण श्रेणी को स्थानांतरण की तारीख में अंतिम आहरण किये गये वेतन के बीच का अन्तर कर्मचारी को व्यक्तिगत वेतन के रूप में स्वीकार किया जावेगा जो कि भविष्य में यदि लेखापरीक्षा कार्यालय के पदों में कोई वेतन वृद्वियॉ हो तो उनमें समाहित हो जाएगा। लेखापरीक्षा कार्यालय में उच्च श्रेणी में उनकी पदोन्नति होने पर, उनको निम्न पद में स्वीकार किये गये व्यक्तिगत वेतन को लेखे में लिए बिना उनका वेतन सामान्य नियमों के अंतर्गत ही निर्धारित किया जायेगा। यदि इसके परिणाम स्वरूप कोई हानि हो तो सामान्य नियमों के अंतर्गत उच्च पदों में निर्धारित किये गये वेतन तथा निम्न पद अंतिम आहरण किये गये कुल वेतन तथा व्यक्तिगत

वेतन के योग के बीच के अंतर को, संबंधित कर्मचारी के लिये व्यक्तिगत वेतन के रूप में स्वीकार किया जायेगा। जो कि भविष्य में उच्चतर पदों पर होने वाली वेतन वृद्धि मे समाहित किया जाना चाहिए। कनिष्ठ कर्मचारियों को दिये गये व्यक्तिगत वेतन के कारण वरिष्ठ कर्मचारियों के वेतन को बढाया जाना स्वीकृत नही होगा।

(प्राधिकार :–नि.म.ले.प. का परिपत्र क्रमांक 221–एन.जी.ई. II/126–84 दिनांक 28 फरवरी 1986)

8.2.2 अकार्यात्मक चयन श्रेणी की समाप्तिः–

13 सितंबर 1986 से, अकार्यात्मक चयन श्रेणी जैसे कि आशुलिपिक, वरिष्ठ लेखापाल, प्रवरण श्रेणी अनुभाग अधिकारी की नियुक्ति नही हो सकती। तथापि इस दिनांक से पहले अकार्यात्मक प्रवरण श्रेणी में वेतन आहरण करने वाले कर्मचारियों के मामले नियमों की प्रथम अनुसूची के भाग (क) के नीचे दी गई टिप्पणी द्वारा शासित होगें।

(प्राधिकार :–नि.म.ले.प. का परिपत्र क्रमांक 990–991–एन–2/117–86 दिनांक 30 सितम्बर 1986)

कंण्डिका 8.2.3. में संदर्भित टिप्पणी निम्नानुसार हैः–

अन्यथा किये गये उपबंधों को छोड़कर, इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से पहले प्रवर श्रेणी में वेतन आहरण करने वाले कर्मचारी के मामले में, उसका वेतन इस प्रकार श्रेणी के अनुरूप पुनरीक्षित वेतनमान में निर्धारित किया जायेगा और ऐसा वेतन उस कर्मचारी का व्यक्तिगत वेतन होगा।
(प्राधिकार :–के.सि.से. (आर. पी.) नियम, 1986 की प्रथम अनुसूची के भाग 'क' की पाद–टिप्पणी)

8.2.3 चयन श्रेणी लेखापालों/चयन श्रेणी अनुभाग अधिकारियों के प्रकरणों का लेखापरीक्षा कार्यालय में विनियमन :–

जिन लेखापालो/अनुभाग अधिकारियों को 1 मार्च 1984 तथा उसके बाद गैर कार्यात्मक प्रवरण श्रेणी प्रदान की गयी है और जो भा.ले.प. एवं ले. विभाग में संवर्गों के पुनर्गठन हेतु निर्देशों की नियमावली अनुलग्नक 3.1.2–ए. एवं ई. की कण्डिका 11 के अनुसार प्रतीक्षा सूची से लेखापरीक्षा कार्यालय को स्थानांतरित हुए है, उनके संबंध में, लेखापरीक्षा कार्यालय में स्थानांतरण हेतु प्रतीक्षा सूची में कर्मचारियों के नामों के संधारण के लिये गैर कार्यात्मक प्रवरण श्रेणी में उनकी नियुक्ति निर्योग्यता नही होगी। इसीलिये जिन लेखपालों तथा अनुभाग अधिकारियों को 1 मार्च 1984 को अथवा उसके बाद प्रवरण श्रेणी प्रदान की गई है उनका क्रम आने पर लेखापरीक्षा कार्यालय में उनके स्थानांतरण के लिये कोई आपत्ति नही है। तथापि, वे लेखापरीक्षा कार्यालय में प्रवर श्रेणी का वेतनमान जारी रखने के हकदार नही होगें। उनका वेतन, केवल लेखापरीक्षक/अनुभाग अधिकारी के वेतनमानों मे ही निर्धारित किया जायेगा और स्वीकार किया जायेगा, जैसा कि उनको लेखा कार्यालय में प्रवर श्रेणी प्रदान नही गई हो। वेतन की मात्रा में हानि के कारण होने वाली किसी कठिनाई से बचने के लिये, लेखापरीक्षक/अनुभाग अधिकारी के वेतनमान में निर्धारित किये गये वेतन तथा लेखा कार्यालय में प्रवरण श्रेणी में स्थानांतरण की तारीख को अंतिम आहरण किये गये वेतन के बीच का अन्तर, संबंधित कर्मचारी को व्यक्तिगत वेतन के रूप में स्वीकार किया जायेगा। जो कि लेखापरीक्षा कार्यालय के पदों में भविष्य में, यदि कोई वेतन वृद्वियों हो तो उनमें समाहित हो जाएगा। लेखापरीक्षा कार्यालय में उच्चतर श्रेणी में उनकी पदोन्नति होने पर, निम्न पद पर स्वीकार किये गये व्यक्तिगत वेतन को लेखे में लिये बिना उनका वेतन सामान्य नियमों के अंतर्गत ही किया

-

जाएगा। यदि इसके परिणाम स्वरूप कोई हानि होती है तो सामान्य नियमों के अंतर्गत उच्चतर पद में निर्धारित किये गये वेतन तथा निम्न पद में अंतिम आहरण किये गये कुल वेतन और व्यक्तिगत वेतन के योग के बीच का अन्तर, संबंधित कर्मचारी के लिये व्यक्तिगत वेतन के रूप में स्वीकार किया जायेगा, जो कि उच्चतर पद पर भविष्य में होने वाली वेतनवृद्धियों में समाहित हो जायेगा। कनिष्ठ लोगो को प्रदान किये गये व्यक्तिगत वेतन के कारण, वरिष्ठ लोगो के वेतन को बढायें जाने की अनुमति नही होगी।

जिन कर्मचारियों का लेखापरीक्षा कार्यालय में स्थानांतरण, आवंटन में परिवर्तन हेतु आवेदन के आधार पर तथा आवंटन ना होने के विरूद्ध, परिपत्र क्रमांक 833–एन.2/83–84 दिनांक 16 अगस्त 1984 (कंडिका 8.2.1 देखें) के अनुसार किया गया है, उनके प्रकरण उस पत्र में वर्णित निबंधन एवं शर्तो के अनुसार विनियमित किये जाने चाहिए और तदनुसार यदि उनको संवर्गो के पुनर्गठन के बाद लेखा कार्यालय में प्रवरण श्रेणी प्रदान की गई हो तो उसकी शर्त I(2) के अनुसार लेखापरीक्षा कार्यालय में स्थानांतरित किया गया हो, तो वे व्यक्तिगत वेतन के हकदार नही होगे। उनका वेतन बिना किसी व्यक्तिगत वेतन के निम्नतर वेतनमान में ही निर्धारित किया जायेगा।

(प्राधिकार :–नि.म.ले.प. का परिपत्र क्रमांक 221–एन.जी.ई.–II/126–86 दिनांक 28 फरवरी 1986)

8.3 कर्मचारियों का एक पक्षीय/पारस्परिक स्थानांतरण :–

8.3.1 (क) भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में समूह 'ख' एवं 'ग' संवर्ग में पारस्परिक स्थानांतरणः–

व्यापक दिशानिर्देशो का निम्नलिखित सेट, विषय पर सभी मौजूदा दिशा निर्देशों/अनुदेशों का अधिक्रमण करेगाः–

(i) सभी नियमित समूह 'ख' एवं 'ग' के संबंध में, वरि. ले.प.अ./ले.प.अ. के पदों को छोड़कर, विभाग में पारस्परिक स्थानांतरण को इस शर्त पर अनुमति प्रदान की जा सकती है कि संबंधित अधिकारी दो अलग–अलग स्टेशनों पर स्थित दो अलग–अलग संवर्ग नियंत्रक अधिकारियों के अंतर्गत एक ही पद को रखेगें। लेखापरीक्षक एवं वरि. लेखापरीक्षक एवं लेखापाल एवं वरि. लेखापाल के मध्य पारस्परिक स्थानांतरण की अनुमति भी इस शर्त पर प्रदान की जा सकती है कि संबंधित वरि. लेखापरीक्षक/वरि. लेखापाल को लेखापरीक्षक/लेखापाल के निचले पद पर पदावनति स्वीकार करनी होगी। ऐसे वरि. लेखापरीक्षक/वरि. लेखापाल जो नये कार्यालय में लेखापरीक्षक/लेखापाल जो निचले पद में पदावनत होंगे उनका वेतनमान का. एवं प्रशि. विभाग कार्या. ज्ञा. व्रमांक/16.4.2012 वेतनमान–1 दिनांक 05.11.12 के शर्त पर निर्धारित किया जायेगा। तथापि, ऐसे मामलो में नया कार्यालय में वरि. लेखापरीक्षक/वरि. लेखापालों की पदोन्नति के समय, एफ. आर–22(I) (क)(1) के संबंध में वेतन निर्धारण का लाभ स्वीकार्य नही होगा।

(ii) पारस्परिक स्थानांतरण की अनुमति जनहित में नही होगी एवं अधिकारी जिनका पारस्परिक स्थानांतरण हुआ है वे नये कार्यालय में उनकी नियुक्ति की दिनांक पर संबंधित संवर्ग में कनिष्ठतम पद पर होगें।

(iii) पारस्परिक स्थानांतरण के लिए इच्छुक अधिकारी श्रेणियों से संबंधित हैं तो यह संबंधित विभागाध्यक्ष का उत्तरदायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करें कि उस अपेक्षित श्रेणी का रिक्त पद

-

बतायें गये पद के लिये आरक्षित रोस्टर उपलब्ध है जो कि विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों को समायोजित करने हेतु उनके कार्यालय द्वारा असुरक्षित रखा जाता है।

(iv) सहा. ले.प. अधिकारी के संबंध में, पारस्परिक स्थानांतरण उसी संवर्ग में अनुज्ञात होगा।

(v) खेल कोटे के अंतर्गत भर्ती अधिकारियों के संबंध में पारस्परिक स्थानांतरण, उनकी सेवा के प्रथम 10 वर्षो के दौरान खेल के समान शाखा के मध्य स्वीकार्य होगा।

(vi) परिवीक्षा अवधि के दौरान भी पारस्परिक स्थानांतरण पर विचार किया जा सकता है। तथापि ऐसे मामलों में जहॉ पारस्परिक स्थानांतरण की अनुमति परिवीक्षा अवधि के दौरान दी जाती है, संबधित अधिकारी को नये कार्यालय में अपेक्षित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। विगत कार्यालय में परीक्षा को उत्तीर्ण करने हेतु प्रयोग किये गये मौको की संख्या, छूट के साथ यदि कोई हो तो नये कार्यालय में अग्रेषित की जायेगी।

(vii) अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति हेतु सेवा की अपेक्षित अवधि नये कार्यालय में आवश्यक होगी। तथापि, एम.ए.सी.पी. के उददेश्य के लिए, पुराने कार्यालय में प्रदान की गयी सेवा को ध्यान में रखा जा सकता है।

(viii) अधिकारी के संपूर्ण सेवाकरण में पारस्परिक स्थानांतरण केवल एक बार मान्य हो सकता है। तथापि, इसकी अनुमति नही दी जायेगी यदि संबंधित अधिकारी ने अपने संवर्ग नियंत्रक अधिकारी को दिये गये आवेदन की दिनांक पर 56 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है।

(ix) दोनों अधिकारियों को इस प्रभाव में एक शपथ पत्र देना होगा कि पारस्परिक स्थानांतरण का आवेदन जमा करने की दिनांक पर एस.एस.सी./यू.पी.एस.सी./राज्य पी.एस.सी./बैंकिग सेवा भर्ती बोड/रेलवे भर्ती बोर्ड या कोई अन्य भर्ती बोर्ड द्वारा संचालित कोई अन्य प्रतियोगी परीक्षा उनके द्वारा उत्तीर्ण नही की गयी है एवं वे नये कार्यालय में नियुक्ति की दिनांक से एक वर्ष के भीतर त्यागपत्र नहीं देगें। तथापि, यदि उनमें से कोई 1 वर्ष के भीतर त्यागपत्र देता है, तो पारस्परिक स्थानांतरण को निरंक माना जायेगा।

(x) संबंधित विभागाध्यक्ष को आवेदन प्राप्त होने की दिनांक के 10 दिन के अंदर कार्यवाही शुरू करनी होगी एवं मामले का निपटान 60 दिनो के अंदर करना होगा।

(xi) अराजपत्रित समूह 'ख' एवं 'ग' के संबध में पारस्परिक स्थानांतरण के मामले स्थानीय विभागाध्यक्ष द्वारा अपने स्तर पर पूरे किये जायेगें एवं सूचना के लिये विवरण मुख्यालय को सूचित किया जायेगा। तथापि, राजपत्रित समूह 'ख' अधिकारी के पारस्परिक स्थानांतरण के मामलो को विभागाध्यक्ष की सहमति के साथ पूर्व अनुमोदन हेतु मुख्यालय को अग्रेषित किया जाना है।

(xii) ये निर्देश 06.6.2013 से लागू होगें। तथापि, पहले से पूर्ण किये गये पारस्परिक स्थानांतरण के मामले को फिर से खोले जाने की आवश्यकता नही है।

(प्राधिकार :–नि. म. ले. प. परिपत्र क्र. 16 स्टाफ विंग/2013 सदर्भ क्रमांक 885 स्टाफ (एप–2)/64–2012/खंड–4 दिनांक 06.06.2013)

-

(ख) भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग एवं अन्य मंत्रालयों/विभागों से भा.ले.प. एवं लेखा .वि. में एकपक्षीय स्थानांतरण की योजना को हटा दिया जा चुका है।

(प्राधिकारः– नि.म.ले.प. परिपत्र क्र. 24 एन.जी.ई./97 No 1005 एन(एप)/24–97 दिनांक 27.08. 1997)

8.3.2 लेखा एवं हक. कार्यालयों से लेखापरीक्षा कार्यालयों में एकपक्षीय स्थानांतरणः–

कृपया इस नियमावली की कण्डिका 8.3.1.(ख) को देखें।

8.3.3 अनुभाग अधिकारियों तथा अनु. अधि. स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण लेखापरीक्षकों का अन्य कार्यालयों में स्थानांतरण संबधी दायित्वः–

अनुभाग अधिकारियों/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों तथा अनुभाग अधिकारी स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण लेखापरीक्षाकों को एक कार्यालय से दूसरे में स्थानांतरण सामान्यतः नही किये जाते है। तथापि, केंद्र सरकार के अन्य सभी कर्मचारियों की तरह वे भी एफ.आर. 15 के प्रावधानों की शर्त पर एक कार्यालय से दूसरे में स्थानांतरण किये जाने के भागी है। मुख्यालय ऐसे व्यक्तियों का स्थानांतरण, भा.ले.प. एवं लेखा विभाग के अंतर्गत किसी भी कार्यालय में अथवा केंद्र सरकार के अंतर्गत किसी कार्यालय में उन शर्तो एवं उपबंधों के आधार पर कर सकता है, जो उसके द्वारा प्रत्येक मामले में निर्धारित किये जाए।

(प्राधिकार :–नि.म.ले.प. के स्थायी आदेशों की नियम पुस्तक (प्रशासन) खण्ड–I की कंडिका 190)

8.3.4 स्वैच्छिक स्थानांतरणः–

(i) अनुभाग अधिकारियों तथा अनु.अधि. स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण लेखापरीक्षकों का एक लेखापरीक्षा कार्यालय से दूसरे में स्थानांतरण भारत के नि.म.ले.प. के स्थायी आदेशों की नियम पुस्तक (प्रशासन) खण्ड–I की कंडिका 190 में निहित प्रावधानों के द्वारा विनियमित किया जाता है।

(ii) लेखापरीक्षकों, लिपिको एवं अन्यों के संबंध में, एक कार्यालय से दूसरें में स्थानांतरण हेतु प्रार्थना सहित आवेदन पत्रों पर पहले महालेखाकार द्वारा विचार किया जाना चाहिए, और यदि वह स्थानांतरण के लिये सहमत हो सकें तो जिन कार्यालयों के लिए स्थानांतरण चाहा गया है, उन कार्यालयों में कर्मचारियों को लेने की इच्छा तथा वे शर्ते जिन पर वे उन्हें लेने को तैयार है, जानने के संबंध में (उन्हें) उन कार्यालय के प्रमुखों के साथ परामर्श करना चाहिए1

8.4 पुष्टिकरणः–

8.4.1 पुष्टिकरण प्रकिया–स्थायी पद की उपलब्धता से पुष्टिकरण की असम्बद्धताः–

(i) पुष्टिकरण, स्थानापन्न पदों का संधारण इत्यादि के लिए पहली अप्रेल 1988 से लागू होने वाली पुनरीक्षित प्रक्रिया निम्नानुसार है-

-

(क) **सामान्यः–**

(i) पुष्टिकरण, किसी कर्मचारी के सेवाकाल में ही किया जाएगा और वह प्रवेश श्रेणी में होगा।

(ii) पुष्टिकरण, उस श्रेणी में स्थाई रिक्त पद की उपलब्धता से असम्बद्ध है दूसरों शब्दों में, जो अधिकारी परिवीक्षा काल सफलता पूर्वक समाप्त कर चुका है अथवा पुष्टिकरण हेतु आवश्यक विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है। उसके पुष्टिकरण पर विचार किया जा सकता है। उन मामलों में, जहाँ परिवीक्षा अथ्वा पुष्टिकरण हेतु विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रावधान निर्धारित नही है, वहाँ विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पुष्टिकरण हेतु विचार करने से पूर्व कर्मचारी को प्रवेश श्रेणी मे कम से कम दो वर्ष का सेवाकाल पूरा कर लेना चाहिए।

(ख) **प्रारम्भिक भर्ती की श्रेणी में पुष्टिकरणः–**

ये प्रकरण पुष्टीकरण हेतु वि.प.स. के समक्ष रखे जायेगें। जब वि.प.स. द्वारा प्रकरण का निपटारा कर दिया जाए तो पुष्टीकरण का एक विशेष आदेश जारी किया जायेगा।

(ग) **पदोन्नति होने परः–**

(i) यदि भर्ती के नियमों में कोई परिवीक्षा अवधि निर्धारित नही की गई है तो नियमित आधार पर (वि.प.स. इत्यादि के निर्धारित प्रावधानों का पालन करने के बाद) पदोन्नत हुए अधिकारी को वे सभी लाभ प्राप्त होगें जो उस श्रेणी में पुष्टिकरण किये गये किसी व्यक्ति को होते।

(ii) जहाँ परिवीक्षा निर्धारित है, वहाँ निर्धारित परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति अधिकारी स्वयं उस अधिकारी के कार्य तथा व्यवहार का मूल्याकंन करेगा और यदि इसका परिणाम यह हो कि वह अधिकारी उच्चतर श्रेणी प्राप्त करने के योग्य हो तो उसे सफलतापूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण किया हुआ घोषित कर दिया जायेगा। यदि नियुक्ति अधिकारी का यह विचार हो कि अधिकारी का कार्य संतोषजनक नही है अथवा कुछ और समय तक उस पर निगाह रखने की आवश्यकता है तो वह उसे उस पद अथवा श्रेणी में पदावनत कर सकता है जिस पद से वह पदोन्नत हुआ था, अथवा परिवीक्षा की अवधि बढा सकता है जैसी भी स्थिति हो।

चुकि जब तक कोई अधिकारी परिवीक्षा अवधि को संतोषजनक रूप से पूर्ण किया हुआ घोषित नही किया जाता, तब तक पदोन्नति पर पुष्टीकरण नही होगा। अतः उसके कार्य निष्पादन की कठोर छानबीन की जानी चाहिए और यदि परिवीक्षा अवधि के दौरान अधिकारी का कार्य संतोषजनक नही हुआ हो तो किसी व्यक्ति को उस पद अथवा श्रेणी पर पदावनत करने में कोई संकोच नही होना चाहिए, जिस पद से वह पदोन्नत किया गया था।

चूंकि अन्यथा योग्य किसी भी अधिकारी को स्थाई रिक्ति की लंबित उपलब्धता के पुष्टिकरण के लिए प्रतिक्षा करनी होगी; अतः किसी व्यक्ति को स्थायीवत घोषित करने की आवश्यकता समाप्त हो गई है। फिर भी कुछ ऐसी स्थितियाँ हो सकती है, जहाँ उन पदों के विरूद्ध नियुक्तियाँ की गई हो जो सीमित एवं विशुद्व अस्थाई अवधि के लिए निर्मित किये गये हो, अतः के.सि.से. (अस्थाई सेवा) नियमों के प्रावधान प्रभावी बने रहेगें।

पुष्टीकरण की उपरोक्त रूपरेखा से संबंधित प्रकिया आकस्मिक अस्थायी पदो पर तदर्थ आधार पर की गई नियुक्तियों के मामले में लागू नही होगी।

(प्राधिकार :–नि.म.ले.प. का पत्र क्र. 2536–एन.जी.ई.– III/43–88, दिनांक 20 जुलाई 1988)

-

(ii) प्रवेश श्रेणी में पुष्टिकरण के प्रकरणों पर संबंधित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वार्षिक रूप से विचार किया जाना चाहिए।

(iii) विभागीय पदोन्नति समिति को लोगों के आपेक्षिक गुणदोष का निरूपण नही करना चाहिए, बल्कि उनका क्रम आने पर, उनके सेवा अभिलेख में प्रर्दशित कार्य निष्पादन के आधार पर उन्हे पुष्टिकरण हेतु "योग्य" अथवा "योग्य नही" आंकना/समझना चाहिए।

(iv) जो व्यक्ति, विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा योग्य नही मान्य किये गये, उन्हें उस वर्ष के दौरान पुष्टिकरण के लिये अलग कर दिया जाएगा, किंतु आगामी वर्ष के दौरान पुष्टिकरण हेतु पुनः विचार किया जायेगा।

(v) निलंबित कर्मचारी अथवा जिनका चरित्र (जॉच पडताल) अन्वेषण के अंतर्गत है अथवा जिनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित है, आरम्भ कर दी गई अथवा प्रारम्भ होने वाला है अथवा प्रतिकूल परिस्थितियों के विरूद्व जिनके आवेदन लम्बित है, उनके प्रकरणों पर विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विचार किया जा सकता है। तथा इसके निष्कर्ष एक मुहरबंद लिफाफे में रख दिये जाते है। इसके बाद यदि वे बिना किसी दण्ड के बहाल कर दिये जाते है अथवा प्रतिकूल अभियुक्तियों को निकाल दिया जाता है, तो विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसाएँ, यदि उन्हे पुष्टीकरण हेतु योग्य पाती है, तो उन्हें कार्यान्वित किया जाना चाहिए और उनके द्वारा आरक्षित पद के विरूद्ध उन व्यक्तियों का पुष्टिकरण किया जाना चाहिए।

(vi) विभागीय पदोन्नति समिति की अनुंशसा परामर्श के रूप में होगी तथा कार्यान्वयन से पूर्व उपयुक्त नियुक्ति अधिकारी द्वारा पूर्ण रूपेण अनुमोदित होना चाहिए।

(प्राधिकार :–नि.म.ले.प. का पत्र क्र. 675–एन.जी.ई. III/68– एन.जी.ई. II/78 भाग–I (ख) दिनांक 7/12 मार्च 1980)

(vii) समूह 'ग' कर्मचारियों के पुष्टिकरण हेतु विभागीय पदोन्नति समिति को निम्नानुसार संशोधित किया गया है–

(क) वरिष्ठ उ.म.ले./उ.म.ले. अथवा समकक्ष प्रशासन समूह का प्रभारी अधिकारी

(ख) कोई अन्य वरिष्ठ उ.म.ले./उ.म.ले. अथवा समकक्ष अधिकारी (जिस कार्यालय में पदोन्नतियाँ विचाराधीन है, उससे भिन्न किसी कार्यालय का)

(ग) एक लेखापरीक्षा अधिकारी

उपरोक्त (क) एवं (ख) में वरिष्ठतम अध्यक्ष होगा। दूसरा सदस्य किसी अन्य कार्यालय से लिया जा सकता है, जो कि उसी नगर में स्थित हो अथवा निकट के स्थान पर हो। यदि म.ले. (लेखापरीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय के बीच संवर्ग समान हो तो दूसरा सदस्य म.ले. (लेखापरीक्षा) प्रथम तथा द्वितीय के अतिरिक्त किसी अन्य कार्यालय से होना चाहिए।

(प्राधिकार :–नि.म.ले.प. का पत्र क्रमांक 632–एन. 2/109– 88/दिनांक 15 जुलाई 1988)

-

8.4.2 **महालेखाकार के आदेश से पदोन्नति/पुष्टिकरण के लिये विभागीय पदोन्नति समिति का गठनः–**

1	सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के पद हेतु–	सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के संवर्ग में पदोन्नति के प्रकरणों पर विचार के लिए वि.प.स. संरचना, मुख्यालय द्वारा संगठित तीन महालेखाकारों की समिति करती है।
2	म.ले. के निजी सहायक	(i) वरिष्ठ उ.म.ले./उ.म.ले. अथवा समकक्ष प्रशासन के प्रभारी अधिकारी (ii) कोई अन्य वरिष्ठ उ.म.ले./उ.म.ले. अथवा जिस कार्यालय मे पदोन्नतियाँ विचाराधीन है, उससे भिन्न किसी कार्यालय का समकक्ष अधिकारी. (iii) एक लेखापरीक्षा अधिकारी

टिप्पणी – उपरोक्त (i) एवं (ii) में से वरिष्ठतम अध्यक्ष होगा।

3	प्रबंधक (चक्रमुद्रण एंव टंकण समुच्चय)	(i) म.ले. – प्रथम – अध्यक्ष (ii) समूह के वरिष्ठ उ.म.ले. – (सदस्य) (iii) समकक्ष वरिष्ठ उ.म.ले./उ.म.ले. (सदस्य)
4	समूह 'ग' के अंतर्गत वरिष्ठ लेखापरीक्षक तक	(i) म.ले. I के वरिष्ठ उ.म.ले. (प्रशासन) (ii) म.ले. II के वरिष्ठ उ.म.ले. (प्रशासन/उ.म.ले.(प्रशासन) (iii) म.ले. I के एक वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (iv) म.ले. II के एक वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

टिप्पणी– यदि उपलब्ध हो तो कम से कम एक सदस्य अनु. जाति/अनु. जन जाति का होना चाहिए और सदस्यों में से वरिष्ठतम व.उ.म.ले./उ.म.ले. अध्यक्ष होगें।

5	समूह 'घ' के अंतर्गत	(i) म.ले. I के वरिष्ठ उ.म.ले. (प्रशासन) – अध्यक्ष (ii) म.ले. I का एक वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (iii) म.ले. II का एक वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

टिप्पणी–यदि उपलब्ध हो तो कम से कम एक सदस्य अनु.जाति/अनु. जन जाति से होना चाहिए।

II	पुष्टिकरणः–	
	समूह 'घ' से अनुभाग अधिकारी तक	पुष्टिकरण के लिए वि.प.स. वही होगी, जो पदोन्नति के लिए है।
III	दक्षता अवरोध पार करने हेतु	
1	समूह 'ग'	(i) म.ले. I के वरिष्ठ उ.म.ले. (प्रशासन)/उ.म.ले. (प्रशासन)

-

		(ii) म.ले. II के वरिष्ठ उ.म.ले. (प्रशासन/ उ.म.ले.(प्रशासन) (iii) म.ले. I अथवा II के कोई अन्य वरिष्ठ उ.म.ले. अथवा उप महालेखाकार

टिप्पणी–यदि उपलब्ध हो तो, कम से कम एक सदस्य अनु. जाति/अनु. जन जाति का होना चाहिए।

2	समूह 'घ'	(i) म.ले. I का लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशा.) (ii) म.ले. II का लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशा.) (iii) म.ले. I का लेखापरीक्षा अधिकारी

टिप्पणी–यदि उपलब्ध हो तो कम से कम एक सदस्य अनु, जाति/अनु. जन जाति का होना चाहिए।

(प्राधिकारः–(i) नि.म.ले.प. का परिपत्र क्रमांक 1796–एन–2/101–82 दिनांक 1 जून 1983)

(ii) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (डी.ई.) अधिसूचना जी.एस.आर. क्रमांक 444, दिनांक 27 मई 1987 तथा नि.म.ले.प. का पृष्ठांकन क्रमांक 851– 855/एन–2/84–83 दिनांक 1 सितंबर 1987

(iii) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (डी.ई) अधिसूचना जी.एस.आर. कं. 172 तथा 173, दिनांक 12 दिसंबर 1988, जो नि.म.ले.प. के परिपत्र क्रमांक 586–589–एन–2/137–86 दिनांक 1 जुलाई 1988 के अंतर्गत प्राप्त हुए).

8.4.3 **सरकारी कर्मचारियों का गलत पुष्टीकरणः–**

(i) सरकारी कर्मचारियों के पुष्टीकरण से संबंधित जो आदेश बाद में गलत पाये गये हो, उन्हें निरस्त करते समय निम्नांकित प्रकिया अपनायी जानी चाहिए।

(क) यदि पुष्टीकरण का आदेश स्पष्ट रूप से सार्वजनिक नियम के प्रतिकूल हुआ हो और नियमों को शिथिल करने का कोई अधिकार अथवा कोई रास्ता ना हो पुष्टिकरण निरस्त किया जा सकता है।

(ख) यदि पुष्टिकरण का आदेश उस समय किया गया हो जब कोई वास्तविक रिक्त स्थान नही था, और पुष्टिकरण अधिकारी को ऐसा पद निर्मित करने का अधिकार नही रहा हो जिस पद पर अधिकारी का पुष्टिकरण हुआ था।

(ग) यदि पुष्टिकरण का आदेश गलती से, अर्थात् पहचान में गलती होने से गलत व्यक्ति का नामोल्लेख करते हुए, किया गया हो।

-

(ii) उपरिलिखित प्रकरणों में पुष्टिकरण के आदेश आरम्भ से ही प्रभावहीन हो जाते है ओर वह अधिकारी उस पद को धारण करने का कोई अधिकार प्राप्त नही करता है, जिस पद पर उसे पुष्टिकरण से अभिप्राय से आदेश जारी किया गया था। इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के प्रावधान लागू नही होते है और पुष्टिकरण का आदेश निरस्त करने से पहले कारण बताओ नोटिस की प्रक्रिया अपनाया जाना आवश्यक नही होता है।

(iii) यदि पुष्टिकरण का आदेश, कार्यकारी अथवा प्रशासनिक निर्देशों के प्रतिकूल किया गया हो, तो इसे निरस्त नही किया जा सकता है। ऐसे मामले में पुष्टिकरण का निरस्तीकरण, सम्बन्धित अधिकारी की ओर से कोई त्रुटि हुए बिना उसके पदस्थिति को कम करेगा।

(प्राधिकार :–भारत सरकार, गृह मंत्रालय, ओ.एम.क्रमांक–12/2/67 स्था. (डी.)दिनांक 21 मार्च 1968, जो नि.म.ले.प. के पत्र क्रमांक 1386–एन.जी.ई. III/25–67 दिनांक 24 जुलाई 1970 के अंतर्गत प्राप्त हुआ)

8.4.4 कार्यकारी अथवा प्रशासनिक निर्देशों के उल्लंघन के कारण जो अधिकारी वास्तविक पुष्टिकरण से इसलिए वंचित किया गया हो कि उसके कनिष्ठ अधिकारी के संबंध में गलती से पुष्टिकरण आदेश जारी कर दिया गया था, उसके मामले में निम्नानुसार कार्यवाही की जानी चाहिए:–

(क) क्योंकि ऐसे कनिष्ठ अधिकारी का पुष्टिकरण निरस्त नही किया जा सकता अतः प्रशासनिक विभाग, वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन की नियमावली के नियम 9 के नीचे भारत सरकार के निर्णय क्रमांक 7 में सम्मिलित आदेशों के अनुसार सहचारी वित्त व्यवस्था से परामर्श करके पूर्वापेक्षी प्रभाव से अर्थात् कनिष्ठ का गलत पुष्टिकरण होने की तारीख से एक स्थायी पद निर्मित कर सकतें है। इस प्रकार का स्थायी पद निर्मित होने के बाद, संदर्भित वरिष्ठ अधिकारी, यदि अन्य प्रकार से पुष्टिकरण हेतु योग्य समझा जाए, तो इस निर्मित पद के विरूद्ध, इस पद के निर्मित होने की तारीख से उसका पुष्टिकरण किया जा सकता है।

(ख) यदि किसी कनिष्ठ अधिकारी का अपने वरिष्ठ के पुष्टिकरण की तारीख के पहले की तारीख से त्रुटिवश पुष्टिकरण कर दिया गया हो, तो वरिष्ठ अधिकारी के पुष्टीकरण को पूर्व दिनांकित करने के उद्देश्य से, उपरोक्त कंडिका में दर्शाये गये तरीकें से एक स्थायी पद निर्मित किया जा सकता है।

(प्राधिकार :–भारत सरकार, गृह मंत्रालय, ओ.एम. क्र. 12/3/69–स्था. (डी) दिनांक 18 जुलाई 1970 तथा नि.म.ले.प. का पृष्ठांकन क्र. 1386– सी/एन जी..ई.–III/125–67 दिनांक 24 जुलाई 1970)

8.4.5 संख्योत्तर पद का सृजनः–

जब कोई सरकारी कर्मचारी एफ. आर. 15 (क) के अंतर्गत निम्न श्रेणी के पद पर स्थानान्तरित किया जाए, तब ऐसी निम्न श्रेणी की सेवा/वर्ग/समयमान में यदि कोई रिक्त स्थान उपलब्ध न हो, तो संबंधित सरकारी कर्मचारी को उसके नये पद पर उसके बदले में पद उपलब्ध कराने के लिए निम्न श्रेणी की सेवा/वर्ग/समयमान में एक संख्योत्तर पद का सृजन किया जाना चाहिए। जितने समय तक कथित सरकारी कर्मचारी को निम्न श्रेणी की सेवा/वर्ग/समयमान में

-

संख्योत्तर पद के स्थान पर पद उपलब्ध कराना आवश्यक हो, तब तक उसके द्वारा रिक्त किये गये उच्च पद को मौलिक रूप से अथवा अन्य प्रकार से नही भरा जाना चाहिए तथा उस उच्च पद के विरूद्व नियुक्ति/पदोन्नति केवल तभी की जाए जब सरकारी कर्मचारी को उस निम्न श्रेणी में उपलब्ध मौलिक रिक्त स्थान के विरूद्ध समायोजित कर दिया जाए, जिसके लिए वह न्यून पद/पदावनत किया गया है।

(प्राधिकार :–भारत सरकार, गृह मंत्रालय, ओ.एम.क्र. एफ– 9(3)ई. IV/क/60 दिनांक 29 अगस्त 1960)

8.5 **वरीयताः–**

8.5.1 **सामान्यः–**

(i) स.ले.प.अ./अनु.अधि. के वर्ग में नियुक्त किये गये व्यक्तियों की वरीयता का भा.ले.प. एवं ले. विभाग (एस ए एस/एस ई ए एस) सेवा नियम, 1974 द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नि.म.ले.प. के स्थायी आदेशों की नियम पुस्तक (प्रशा.) खण्ड–I की कंडिका 185 का संदर्भ दिया जाना चाहिए।

(ii) (क) 27 जुलाई 1956 के पहले सेवा में नियुक्त किये गये व्यक्तियों की पारस्परिक वरीयता, मुख्यालय द्वारा जारी किये गये उन आदेशों अथवा निर्देशों द्वारा विनियमित की जाएगी, जो कि इस दिनांक से पहले संबंधित अवधि में लागू थे।

(ख) 27 जुलाई 1956 को अथवा उसके बाद सेवा में नियुक्त किये गये व्यक्तियों की पारस्परिक वरीयता, उसी क्रम में होगी जिसमें कि उनकी सेवा में नियुक्ति हुई है, परंतु सेवा की श्रेणी में नियुक्त होने पर सीधी भर्ती वाला व्यक्ति उसी विभागीय परीक्षा अथवा अनुवर्ती विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सेवारत अन्य सभी स्थानापन्न व्यक्तियों (सीधी भर्ती वालों को छोउकर) से वरिष्ठ होगा।

परंतु यह भी कि, जो व्यक्ति सेवा में नियुक्ति अस्वीकार कर चुका है, उसकी वरीयता उस तारीख के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी, जिस तारीख को उसने संवर्ग में पद का प्रभार ग्रहण किया था।

(प्राधिकार :–भा.ले.प. एवं ले. विभाग/अधी.ले.से./अ.रे.ले.से.) सेवा नियम, 1974 का नियम 7)

(iii) विभिन्न वर्गो (जैसे कि सीधी भर्ती किये गये लेखापरीक्षक, लेखापरीक्षक के रूप में पदोन्नत किये गये लिपिक, आशुलिपिक, इत्यादि) के उसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले व्यक्तियों की वरीयता का विनियमन करने वाले सिद्वांत नि.म.ले.प. के स्थायी आदेशों की नियम पुस्तक (प्रशा.) खण्ड–I की कंडिका 185 में दिये गये है।

8.5.2 **अनुभाग अधिकारी के संवर्ग में पदोन्नति हेतु अनुभाग अधिकारी स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण लिपिकों/लेखापरीक्षकों की वरीयता :–**

(i) अनुभाग अधिकारी के संवर्ग में नियुक्ति हेतु विभागीय पुष्टीकरण परीक्षा उत्तीर्ण करने में लेखापरीक्षकों ,द्वारा लिए गए अवसरों की संख्या पर ध्यान दिये बिना, केवल उनके द्वारा की गई सेवा की कुल अवधि ही निर्णायक माध्यम होगी।

-

(प्राधिकार :–नि.म.ले.प. का पत्र क्रमांक 2941–एन.जी.ई. III/193–65 दिनांक 29 दिसंबर 1965)

(ii) ऐसे मामलों में, जहाँ स्वयं प्रार्थना करने पर किसी व्यक्ति का स्थानांतरण एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में हो जाने, के परिणाम स्वरूप वरीयता की हानि होती हैं वहॉ अनुभाग अधिकारी के संवर्ग पर पदोन्नति के लिए पदक्रम सूची के अनुसार वरीयता का आधार होना चाहिए।

(प्राधिकार :–नि.म.ले.प. का पत्र क्रमांक 995–एन.जी.ई.–III/193– 65 दिनांक 21 मई 1966)

(iii) अनुभाग अधिकारी स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, उसी नामिका (पैनल) में भर्ती किये गये अन्य लेखापरीक्षकों की तुलना में लेखापरीक्षक की वरीयता निर्धारण करने के लिए नामिका (पैनल) में उसकी स्थिति के आधार पर प्रदान की गई वरीयता ही मापदण्ड होगी, परंतु लेखापरीक्षक संवर्ग में वरीयता की उस हानि को छोड़कर, जो कि तब सम्भावित है, जब कोई प्रत्याशी, निर्धारित समय सीमा (15 दिन की अधिकतम अवधि) में कार्य ग्रहण नही करता है।

(प्राधिकार :–नि.म.ले.प. का पत्र क्रमांक 1778–एन.जी.ई. III/193–65 दिनांक 24 अगस्त 1967)

(iv) जो लिपिक संवर्ग से पदोन्नत हुए है, उनके मामले में अनुभाग अधिकारी के रूप में पदोन्नति हेतु, अनु.अधिकारी स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण अन्य लिपिकों की तुलना में उनकी पारस्परिक वरीयता निर्धारित करने के उददेश्य से लिपिक संवर्ग में उनके छः वर्ष के अतिरिक्त सेंवाकाल की गणना, लेखापरीक्षक की तरह किया जाना जारी रहेगा।

(प्राधिकार :–नि.म.ले.प. का पत्र क्र. 1110–एन.जी.ई.–III/30– 68 दिनांक 27 मई 1968)

(v) मुख्यालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि जहाँ तक अनु.जाति/अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों का संबंध है, अनुसुचित जाति/अनुसूचित जनजाति के योग्य प्रत्याशियों को प्रतीक्षा सूची में सामान्य प्रत्याशियों से अधिमान्यता में, आरक्षित पदों के विरूद्व पदोन्नति का अधिकार होगा। तथापि, अनुभाग अधिकारी के संवर्ग में उनकी वरीयता पदोन्नति की तारीख को प्रतीक्षा सूची में उनकी स्थिति के अनुसार ही अंततः निर्धारित होगी। दूसरे शब्दों में, वे अनुभाग अधिकारी के संवर्ग में तब तक कनिष्ठतम दर्जे में रहेंगें, जब तक कि प्रतीक्षा सूची के अनुसार उनसे वरिष्ठ सभी अधी. ले.से. उत्तीर्ण लिपिक पदोन्नति नही पा लेते। तथापि, यदि किसी स्थानापन्न अनु.अधिकारी के पदावनत होने का प्रश्न उठता है, तो उस कर्मचारी को पदावनत किया जाना चाहिए, जो पिछली पदोन्नति न होने की स्थिति में पदोन्नत न किया जाता।

जहाँ तक पदोन्नत संवर्ग में पुष्टीकरण का संबंध हैं, पुष्टीकरण में अनु.जाति/अनु.जनजाति के लिए कोई आरक्षण नही है। निश्चित की गई– वरीयता ही पुष्टिकरण का आधार होगी।

(प्राधिकार :–नि.म.ले.प. का पत्र क्रमांक 815–ए.जी. ई. II/56–72–III दिनांक 25 अप्रैल 1973)

(vi) सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अनुभाग अधिकारी स्तर परीक्षा (1980–1985) में सम्मिलित एवं उत्तीर्ण घोषित हुए उम्मीदवारों की वरीयता :–

(क) 1980 से 1985 तक आयोजित परीक्षाओं में जो उत्तीर्ण घोषित किये गये थे, उन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियो को, वरीयता सूची में उन सभी के बाद रखा जाये, जो

-

निर्णय की तारीख तक आयोजित हुई परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो चुके थे।(अर्थात पदोन्नत हुए हो अथवा नही)

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन प्रत्याशियों के संबंध में, जो सामान्य रूप से किसी विशिष्ट वर्ष में (1980 से 1985 तक) पहले ही परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके है और अब उन्हें पूर्ववर्ती वर्ष में उत्तीर्ण घोषित किया गया है, ऐसे व्यक्तियों की वरीयता की गणना उस तारीख से स्वीकार होगी, जिस तारीख से पूर्व में ही पदोन्नत है, क्योंकि यह उनके लिये अधिक लाभप्रद और अधिकृत उपार्जन है।

(प्राधिकार :–नि.म.ले.प. का पत्र क्रमांक 2873–एन.जी.ई.–III/90–86, दिनांक 11.08.1986)

8.5.3 सीधी भर्ती किए गए लेखापरीक्षको, लिपिकों तथा आशुलिपिकों इत्यादि की वरीयताः–

लेखापरीक्षकों, लिपिकों तथा आशुलिपिकों के संवर्ग में सीधी भर्ती की वरीयता, नामिका (पैनल) में उनकी स्थिति के अनुसार निश्चित की जाएगी, बशर्ते चयन किये गये प्रत्याशियों के स्वीकार्य अवधि के अंदर ही कार्य ग्रहण कर लिया हो।

8.5.4 लिपिकीय संवर्ग से पदोन्नत हुए लेखापरीक्षकों की वरीयताः–

(i) लेखापरीक्षक के संवर्ग में पदोन्नत लिपिकों (सीमित प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों सहित) की वरीयता पदोन्नति की तारीख के अनुसार होगी।

(प्राधिकार :–नि.म.ले.प. का पत्र क्रमांक एफ–3 ओ.एस.डी. (पी)/73 दिनांक 5 मार्च 1973)

(ii) जहाँ तक लेखापरीक्षक के संवर्ग में विभागीय रूप से पदोन्नत अग्रिम पदोन्नति का संबंध है, ये विभागीय पदोन्नत व्यक्ति उनके लिए आरक्षित स्थानों के विरूद्ध समायोजित किए जाएँगें और तदनुसार उनकी वरीयता निर्धारित की जाएगी अर्थात् उन मामलों में वरीयता उन रोस्टर बिंदुओं के अनुसार होगी, जिनके विरूद्ध वे समायोजित किये गयें है।

(प्राधिकार :–नि.म.ले.प. का पत्र क्रमांक एफ. 3– ओ.एस.डी.(पी)/73 दिनांक 26 जून 1973)

(iii) जो लेखापरीक्षक, स्वीकृत अवसरों की संख्या के अंदर विभागीय पुष्टिकारी परीक्षा उत्तीर्ण नही कर पाते है, उनकी सेवाओं को सूचना देकर, के.सि.से. (टी.एस.) नियमावली 1965 के नियम 5(1) के अंतर्गत समाप्त कर दिया जाता है और स्था. आ.नि.पु. (प्रशा.) खण्ड–I की कंडिका 288 का सम्यक ध्यान रखते हुए लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु स्वतंत्र रूप से अलग से प्रस्ताव किया जाता है। जो व्यक्ति लिपिक पद पर नियुक्ति के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, उसे कार्यालय में कार्यरत कनिष्ठतम लिपिक से एकदम नीचे रखा जाएगा। इस प्रकार उसके द्वारा लेखापरीक्षक के रूप में की गई सेवा समाप्त हो जाती है एवं लिपिकों में वरीयता हेतु उनके द्वारा लेखापरीक्षक के संवर्ग में की गयी सेवा की गणना करने का प्रश्न नही उठता है।

(प्राधिकार :–नि.म.ले.प. का पत्र क्रमांक 1462–एन.जी.ई.–III/34–72–III, दिनांक 19 जून 1972)

-

8.5.5 वरीयता सह–योग्यता के आधार पर, पदोन्नति द्वारा भरे गये पदों में अनु. जातियों तथा अनु. जनजातियों के लिये आरक्षण :–

(i) मुख्यालय के परिपत्र क्रमांक 1989–एन.जी.ई.–II/89–68 दिनांक 3 अक्टूबर 1968 में उल्लिखित अनुदेशों में निहित है कि योग्यता की शर्त के साथ वरीयता के आधार पर पदोन्नति द्वारा की गई नियुक्ति में अनु. जाति/अनु. जनजातियों के लिए कोई आरक्षण नही था, यद्यपि, श्रेणी–II की नियुक्ति में अनु. जाति/अनु. जनजातियो के अधिक्रमण वाले मामले, मुख्यालय के पूर्व अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित थे। जिन संवर्गो के लिये नियोजन अधिकारी स्वयं ही विभागाध्यक्ष है, केवल उन्ही से संबंधित अधिक्रमण के मामले मुख्यालय को भेजे जाने चाहिए। जहाँ अनु.जाति/अनु. जनजातियो के प्रत्याशियों का अधिक्रमण होने से आरक्षित वर्ग के प्रत्याशियों की अनुपलब्धता होने के कारण आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित करने का अनुमोदन कराना आवश्यक हो, उन मामलों में, मुख्यालय को भेजे जाने वाले अनारक्षण के प्रस्ताव के अग्रेषण पत्र में इस आशय का एक विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए, कि संवर्ग नियंत्रण अधिकारी द्वारा अधिक्रमण का अनुमोदन कर दिया गया है।

(ii) वरिष्ठता सह–योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे गये पदो में अनु. जाति/अनु. जनजाति के अधिकारियों के लिए आरक्षण के संबंध में नीति की समीक्षा, भारत सरकार द्वारा नि. एवं म.ले.प. से परामर्श के साथ की गयी और पूर्व कें आदेशों के अधिक्रमण में यह निर्णय किया गया कि जिन सेवा संवर्गों में सीधी भर्ती का हिस्सा, यदि कोई हो तो, 50% से अधिक नही हो, उनमें श्रेणी I, II, III तथा समूह 'घ' के सभी पदों पर नियुक्ति में योग्यता की शर्त के साथ वरिष्ठता के आधार पर की गई पदोन्नति में अनु. जाति के लिए 15% तथा अनु. जनजाति के लिये $7^{1}/_{2}$ % का आरक्षण होगा।

(iii) उपरोक्त आदेशों से भा.ले.प. एंव ले. विभाग में निम्नांकित श्रेणियों में योग्यता की शर्त के साथ वरिष्ठता के आधार पर की गयी पदोन्नतियों में अनु. जाति/अनु. जनजाति के लिए आरक्षण आवश्यक हो जाता है।

(क) **श्रेणी III से श्रेणी II के संवर्ग में पदोन्नतिः–**

जहाँ तक चयन के द्वारा पदों को भरने का संबंध है, लेखापरीक्षा अधिकारी के संवर्ग में पदोन्नति की वर्तमान प्रकिया में कोई परिवर्तन नही होगा। तथापि, योग्यता की शर्त पर वरीयता के आधार पर एक वर्ष में भरे गये लेखापरीक्षा अधिकारीयों के पदों की संख्या के संदर्भ में अनु.जाति. के लिये 15% तथा अनु.जन.जाति के लिये $7^{1}/_{2}$ % तक का आरक्षण किया जाना चाहिए, और इस उद्देश्य के लिए ऐसी पदोन्नति के संबंध में एक नामावली रखी जानी चाहिए।

(ख) **अनुभाग अधिकारी संवर्ग की श्रेणी पर पदोन्नतिः–**

अधी.ले.से./अनुभाग अधिकारी स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण लिपिकों/लेखापरीक्षकों की, अनुभाग अधिकारी की श्रेणी में पदोन्नति में अनु.जाति. तथा अनु.जन.जाति. के अधिकारियों के लिए क्रमशः 15 % तथा $7\ ^{1}/_{2}$ % तक का आरक्षण किया जाना चाहिए।

(ग) **चतुर्थ श्रेणी की पदोन्नतिः–**

निम्नांकित पदों से पदोन्नति के लिए भी अनु.जाति. तथा अनु.जन.जाति. के लिए क्रमशः 15 प्रतिषत तथा $7\ ^{1}/_{2}$ % तक का आरक्षण किया जाना अपेक्षित है–

(i) चतुर्थ श्रेणी से दफ्तरी की श्रेणी में

(ii) दफ्तरी की श्रेणी से कनिष्ठ गेस्टेटनर चालक की श्रेणी तथा वरिष्ठ श्रेणी दफ्तरी की श्रेणी में, और

(iii) चपरासी से जमादार की श्रेणी में

निम्नांकित प्रक्रिया अपनाई जाएं–

(i) एक वर्ष में आरक्षित रिक्तियों की संख्या निकालने के लिए, गृह मंत्रालय, ओ.एम. क्रमांक 1/11/69 – स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 22 अप्रैल 1970 के अनुलग्नक–I में निर्धारित नामावली रोस्टर के अनुसार एक अलग 40 सूत्रीय रोस्टर रखा जाना चाहिए, जिसमें कि बिंदू क्रमांक 1,8,14,22,28, तथा 36 अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है, एवं बिंदु क्रमांक 4,17 एवं 31 अनुसूचित जन जातियों के लिये आरक्षित है।

(ii) जब कभी रोस्टर में बिंदु के अनुसार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियॉ हो, तो मुख्य सूची में पारस्परिक वरीयता के क्रम में व्यवस्थित कर, अनु.जाति/अनु. जनजाति. के पात्र अधिकारियों जैसी भी स्थिति हो, की एक अलग सूची तैयार की जानी चाहिए।

(iii) अनु. जाति/अनु. जनजाति के अधिकारियों का समायोजन उनकी योग्यता के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अलग से किया जाना चाहिए।

(iv) जब सामान्य श्रेणी तथा अनु. जाति/अनु. जनजाति से संबंधित श्रेणी में अधिकारियों की चयन सूची, विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा तैयार कर ली जाए, तो उन्हें, एक संयुक्त चयन सूची में समाहित कर दिया जाना चाहिए, जिसमें कि सामान्य वर्ग तथा अनु. जाति/अनु. जनजाति से संबंधित सभी चयनित अधिकारियों के नाम, जिस वर्ग या श्रेणी से पदोन्नति की जा रही है, उसकी मूल वरीयता सूची में उनके पारस्परिक वरीयता क्रम में व्यवस्थित कर लिये जाते है। उसके बाद वर्ष भर में जब कभी रिक्तियां उत्पन्न हो तो उनमें पदोन्नति के लिये इसी संयुक्त सूची का अनुगमन करना चाहिए।

(v) इस प्रकार तैयार की गयी चयन सूचियाँ, सामान्यतः एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावशील रहना चाहिए किन्तु भारत के नि.म.ले.प. के विशिष्ट अनुमोदन से यह अवधि छः माह तक बढायी जा सकती है, जिससे की सूची में सम्मिलित वे कर्मचारी/अधिकारी जो एक वर्ष की सामान्य अवधि के दौरान उच्च पदों पर नियुक्त नही हो सकें, इस बढायी गई अवधि में नियुक्त किये जा सकें।

(vi) यदि पदोन्नति हेतु योग्य पाये गये अनु.जाति/अनु. जनजाति से संबंधित योग्य प्रत्याशियों की संख्या, उस वर्ष में, उनमें से किसी के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या से कम हो जाए, तो जिन रिक्तियों के संबंध मे कमी उत्पन्न हुई हो उनके अनारक्षण हेतु प्रस्ताव यदि हो, के सहित, इन कमियों की सख्या मुख्यालय को सूचित की जानी चाहिए। अनारक्षण स्वीकार हो जाने के बाद, इस प्रकार अनारक्षित की गयी रिक्तियो को, भर्ती के आगामी तीन वर्षों हेतु इन आरक्षित रिक्तियों को आगें ले जाये जाने के संबंध में निर्देशों के अधीन, तथा जिस वर्ष के लिए आरक्षित रिक्तियाँ आगें ले जायी गयी है, पिछले वर्ष में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बीच रिक्तियों के विनियम के आधार पर, संयुक्त चयन सूची के किसी अन्य प्रत्याशी द्वारा भर दिया जाना चाहिए।

-

(प्राधिकार :– नि.म.ले.प. का पत्र क्रमांक 172–एन.जी.ई–II/56–72–I दिनांक 25 जुलाई 1973)

(vii) योग्यता की शर्त पर वरीयता के आधार पर पदोन्नति के सभी मामलों में, जिनमें कि परीक्षा के द्वारा योग्यता निरूपित की जाती है, और जहाँ अनु. जाति/अनु. जनजाति के लिए आरक्षण अनिवार्य है, वहाँ एक रोस्टर बनाया जाना चाहिए और जहाँ आवश्यक हो, आरक्षण स्वीकार किया जाना चाहिए, तथा पहले से ही उत्पन्न आरक्षित स्थानों की संख्या तक अगली उपलब्ध रिक्तता के विरूद्ध, अनु. जाति/अनु. जनजाति के योग्य प्रत्याशी को पदोन्नत किया जाना चाहिए।

(प्राधिकार :–नि.म.ले.प. का पत्र क्रमांक 384–एन.जी.ई. II/56–72–I दिनांक 7 मार्च 1973)

8.5.6 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों की वरीयता :–

वरीयता के सामान्य सिद्धांत के अनुसार, प्रत्येक श्रेणी के सभी स्थायी अधिकारियों को उस श्रेणी में स्थानापन्न व्यक्तियों से वरिष्ठ दर्जा दिया जाना चाहिए। मंत्रालय के ओ.एम. क्रमांक 9/45/60 स्था. (सी) दिनांक 20 अप्रैल 1961 में यह स्पष्ट किया गया है ,कि पुष्टिकरण के बाद अनु. जाति/अनु. जनजाति के अधिकारियों को उस श्रेणी के अस्थायी/स्थानापन्न अधिकारियों से वरिष्ठ दर्जा दिया जाएगा। उस श्रेणी के स्थायी अधिकारियों के बीच उनकी वरीयता, उनके पुष्टिकरण के क्रमानुसार होगी।

(प्राधिकार :–भारत सरकार, गृह मंत्रालय, ओ.एम. क्र. 10/28/68–68 स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक मार्च 1968)

8.5.7 आरक्षित रिक्तियों का अनारक्षणः–

इस बात पर बल दिया गया है कि आरक्षित पदों को केवल आरक्षित वर्ग के प्रत्याशियों के द्वारा ही भरा जाना चाहिए। इस नीति निर्धारण के अनुसार, अनुभाग अधिकारी के स्तर से नीचे के पदोन्नत संवर्ग में अनारक्षण के प्रस्ताव, आगामी आदेश तक मुख्यालय को नही भेजे जाने चाहिए।

(प्राधिकार :–नि.म.ले.प. का परिपत्र क्रमांक एन./44/1988, क्रमांक 2150–एन.जी.ई. III/11–87/IX–के.वी. दिनांक निरंक)

8.6 प्रतिनियुक्तिः–

8.6.1 प्रतिनियुक्ति के लिए बाहय पदों हेतु कर्मचारियो के आवेदन पत्रों का अग्रेषणः–

(i) प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी तथा कर्मचारी भेजने के लिए बाह्य कार्यालयों के प्रार्थनापत्रों पर विचार करने से पहले, कार्यालय में कर्मचारियो को सामान्य स्थिति को लेखे में लिया जाना चाहिए। अच्छा सेवा अभिलेख रखने वाले तथा निष्ठा के कॉलम में स्वच्छ प्रविष्टि वाले कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति दिये जाने हेतु अनुशंसित किया जाना चाहिए।

(प्राधिकार :–नि.म.ले.प. का पत्र क्रमांक. 882–एन.जी.ई.–III/11–71 दिनांक 22 अप्रैल 1971)

-

(ii) विशेष योग्यता, उपयुक्तता इत्यादि के उद्देश्य से, कुछ प्रतिनियुक्तियों, जैसे कि विश्वविद्यालय, इत्यादि के लिए जहाँ कि सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से अधिक है, कुछ ऐसे अधिकारियों को प्रमुखता दी जानी चाहिए जिनका सेवाकाल एक वर्ष से भी कम शेष रहा है। यदि ऐसे किसी अधिकारी की विशेष अनुशंसा की गई हो तो अग्रेषण पत्र में उस अधिकारी की सेवानिवृत्ति का दिनांक दर्शाया जाना चाहिए। किसी अधिकारी को वहाँ से प्रत्यावर्तन के तुरंत बाद उस संगठन का लेखापरीक्षा अधिकारी नियुक्त नही किया जाना चाहिए, जिसमें कि वह प्रतिनियुक्ति पर था। यह नीति विवेकपूर्वक व्यवस्थित की जानी चाहिए तथा सेवानिवृत्ति के निकट पहुँचे हुए व्यक्तियों का हितरक्षण एक अपवादस्वरूप होना चाहिए न कि उस नियम मान लिया जाए और यह गुण और ख्याति की स्पष्ट पहचान के आधार पर होनी चाहिए।

(प्राधिकार :–नि.म.ले.प. का पत्र क्रमांक 3519–एन.जी.ई.–II/90– 79 दिनांक 8 जनवरी 1980 एवं क्र. 2301–एन.जी.ई. II/106– 82 दिनांक 21 अक्टूबर 1982)

8.6.2 अधिक संख्या में उपलब्ध अनुभाग अधिकारियों/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों तथा अनुभाग अधिकारी स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण लेखापरीक्षकों का अन्य कार्यालयो में स्थानांतरण :–

महालेखाकार भा.ले.प. एवं ले. विभाग के अंदर अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत एक दूसरे से परामर्श करने के बाद अपने कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजने के लिए अधिकृत है। प्रतिनियुक्ति पर जाने वालों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नही है।

वाणिज्य संवर्गो के लेखापरीक्षा अधिकारियों/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों तथा अनुभाग अधिकारियों (वाणिज्यिक) के सम्बन्ध में, बाह्य कार्यालयों से प्रतिनियुक्ति पर वाणिज्येतर कर्मचारियों की सेवाएँ प्राप्त करके वाणिज्यिक पदों का प्रवर्तन करने हेतु प्रस्ताव भेजने से पहले, अतिरिक्त उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (वाणिज्यिक), जो कि संवर्ग नियंत्रक अधिकारी है, से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। इस नियम का एक मात्र अपवाद होगा– सिविल तथा वाणिज्यिक लेखापरीक्षा शाखाएँ रखने वाले संयुक्त लेखापरीक्षा कार्यालय में वाणिज्यिक योग्यता रहित व्यक्तियों का परिनियोजनं, रिक्त वाणिज्यिक पदों के विरूद्व, वाणिज्यिक योग्यता रहित आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों का उपयोग आंतरिक व्यवस्था के रूप मे तब तक किया जाता है, जब तक कि वाणिज्यिक योग्यता प्राप्त व्यक्ति उपलब्ध नही होते, और जिनके मामलों में प्रतिनियुक्ति/विशेष वेतन भुगतान नही किया जाता।

(प्राधिकार :–नि.म.ले.प. का पत्र क्रमांक 427/सी.ए. I/15–84 दिनांक 25 फरवरी 1987)

8.6.3 भा.ले.प. एवं ले. विभाग में, कमी वाले कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर अनुभाग अधिकारी स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण कर्मचरियों के सम्बन्ध में मूलभूत नियम 22–ग के उपबन्ध 1 (iii) के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो में छूट/रियायतः–

(i) अनुभाग अधिकारी स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण जो कर्मचारी भा.ले.प. एवं ले. विभाग में कमी वाले कार्यालयों में अनुभाग अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति पर रहे है, के संबंध में भारत सरकार के मूलभूत नियम 22–ग के उपबंध 1(iii) के अंतर्गत निर्धारित शर्तो को 1–4–1985 से 31–3–1987 तक की अवधि के लिए शिथिल करना स्वीकार कर दिया है।

(प्राधिकार :–नि.म.ले.प. का पत्र क्रमांक 1685–एन.I/30–86 दिनांक 31 जुलाई 1987)

-

(ii) ऐसे प्रतिनियुक्त व्यक्तियों को अनुभाग अधिकारी की श्रेणी के वेतनमान में वेतन स्वीकार किया जाएगा और वे अपने मूल कार्यालय में औपचारिक पदोन्नति होने के बाद भी वही वेतन आहरित करते रहेगें। अपने मूल कार्यालय में औपचारिक पदोन्नति प्राप्त करने पर, प्रतिनियुक्ति पर अनुभाग अधिकारी स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण लेखापरीक्षक, अपने मूल कार्यालय में अनुभाग अधिकारी की श्रेणी में निर्धारित किये गये वेतन से अतिरिक्त प्रतिनियुक्ति विशेष वेतन प्राप्त करेंगें।

(प्राधिकार :–नि.म.ले.प. का पत्र क्रमांक 1028–एन.जी.ई. III/19–75 दिनांक 6 मई 1976)

8.6.4 भा.ले.प. एवं ले. विभाग के अन्तर्गत, कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति के कार्यकाल में वृद्धिः–

जब प्रतिनियुक्तियों को चार वर्षो से अधिक की अवधि के लिए बढाया जाना हो तो मुख्यालय कार्यालय का अनुमोदन आवश्यक होता है।

(प्राधिकार :–नि.म.ले.प. का पत्र क्र. 6944–एन.2/102–80–II/दिनांक 18 अक्टूबर 1981)

8.6.5 भा.ले.प. एवं लेखा विभाग के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति पर भा.ले.प. एवं ले. विभाग के समूह 'ख' एवं 'ग' अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति विशेष वेतन प्रदान करनाः–

उपरोक्त मामलो में प्रतिनियुक्ति (कार्य) भत्ता प्रदान करने के लिये मुख्यालय द्वारा निम्नलिखित निर्देशक सिद्वांत निर्धारित किये गये है–

(i) प्रतिनियुक्ति विशेष वेतन, प्रतिनियुक्ति की तारीख से स्वीकार्य है।

(ii) जहाँ प्रतिनियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से विशेष वेतन नही दिया गया हो, तो ऐसे प्रकरणों को इस बात पर ध्यान दिये बिना पुनः खोला जाए, कि प्रभावित कर्मचारी अभी तक प्रतिनियुक्ति पर है अथवा नही।

(प्राधिकार :–नि.म.ले.प. का पत्र क्रमांक 4039–10–एन–III/84, दिनांक 23 नवंबर 1986)

8.6.6 केंद्र सरकार के कर्मचारियों का केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/स्वायत निकायों के विश्वविधालयों/संघ शासित प्रशासन, स्थानीय निकायों आदि में तथा उक्त निकायों से केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा पर स्थानांतरण–वेतन का विनियमन, प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता, प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा की अवधि तथा अन्य निबंधन एवं शर्तो के सम्बन्ध में।

1. **उपयुक्त संशोधनों के साथ पूर्व आदेशों के अतिक्रमण में प्रावधानों को जहां कही आवश्यक हो नीचे दिया गया हैः–**

2. **<u>लागू होना</u>**

2.1 ये आदेश केंद्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों पर लागू होगें, जिनकी उसी या केंद्र सरकार या राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासन/स्थानीय निकाय या केंद्रीय/राज्य द्वारा गठित या नियंत्रित

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/स्वायत्त निकायों आदि के किंही अन्य विभागों में ऐसी विदेश सेवा को तत्काल आमेलन शर्तों पर नियुक्ति के लिए छूट दी गई है बशर्ते कि संवर्ग बाह्य पद की भर्ती नियमावली के अनुरूप प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा में नियमित रूप से नियुक्ति की गई हो। इन आदेशों में राज्य सरकार/केंद्र/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/स्वायत निकायों, स्थानीय निकायों आदि के कर्मचारियों के केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर भर्ती नियमों के अनुरूप की जाने वाली नियमित नियुक्तियों के मामले भी शामिल होगें।

2.2 तथापि, निम्नलिखित मामले इन आदेशों में शामिल नही होगें, जिनके लिए पृथक आदेश रहता है।

(क) अखिल भारतीय सेवा के सदस्य तथा इन पदों पर तैनात अधिकारी जिनकी शर्तें विशिष्ट वैधानिक नियमों या आदेशों के तहत विनियमित होती है;

(ख) केंद्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत पदों पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी, जिनके लिए समय–समय पर जारी पृथक आदेश लागू होते रहेंगें;

(ग) भारत के बाहर पदों पर प्रतिनियुक्ति;

(घ) विशिष्ट श्रेणी के कर्मचारियों की विशिष्ट श्रेणी के पदों पर नियुक्ति, जैसे कि मंत्री आदि के निजी स्टाफ में जहाँ विशेष आदेश पहले ही विद्यमान हैं, तथापि, इस कार्यालय आदेश में दिए गए नियम एवं शर्तें उस सीमा तक लागू होंगे जो ऐसे विशेष आदेश के अंतर्गत विशिष्ट रूप से नही लिए गएं हैं।

(ड) विशिष्ट शर्त कि सेवा की अनिवार्यता पर संवर्ग बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या स्थानांतरण पर कोई प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता देय नहीं होगा जैसे– (i) किसी सरकारी कार्यालय/सगंठन या उसके एक भाग का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/स्वायत निकाय या इसके उलट रूप में परिवर्तित होना; तथा (ii) अन्य संवर्ग में उसी पद पर नियुक्तियाँ।

3. <u>'प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा' शब्द का क्षेत्र–प्रतिनियुक्त्/विदेश सेवा को नियुक्ति के रूप में मानने पर प्रतिबंध</u>।

3.1 प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा शब्दों में केवल वे नियुक्तियाँ शामिल होंगी, जो स्थानांतरण द्वारा अस्थाई आधार पर की जाती है, बशर्ते कि उक्त स्थानांतरण तैनाती के सामान्य क्षेत्र से बाहर का तथा जनहित मे हो। क्या स्थानांतरण तैनाती के सामान्य से बाहर का है या नही, इसका निर्णय उस सेवा या पद, जिससे कर्मचारी का स्थानांतरण होता है, के नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

3.2 इन आदेशों के प्रयोजन हेतु निम्नलिखित नियुक्तियॉ प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा के श्रेणी में नहीं माना जाएगा।

(क) कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा या खुले बाजार के अभ्यर्थियों, चाहे वे स्थायी हो या अस्थायी आधार पर की गई नियुक्ति।

(ख) स्थानांतरण द्वारा की गई स्थाई नियुक्ति।

-

(ग) कर्मचारी के व्यक्तिगत अनुरोध के आधार पर की गई अस्थाई नियुक्ति।

(घ) उसी या अलग स्टेशन पर कार्यालयों के पुनर्गठन के कारण उत्पन्न हुई स्टाफ असमानता को दूर करने के प्रबंधों हेतु की गयी नियुक्तियों के मामले/परिस्थिति में कोई प्रतिनियुक्ति भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।

3.3 केंद्रीय सरकार से केंद्रीय सरकार में प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा पर नियुक्तियों के मामलों में उच्चतर वेतन/वेतनमान के व्यक्ति की निम्नतर/वेतनमान में पद पर तथा उन मामलों में जहाँ मूल संवर्ग पद तथा संवर्ग बाह्य पद पर वेतनमानों तथा महंगाई भत्ता समान है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति नहीं की जाएगी।

3.4 केंद्र सरकार से ऐसें सगंठन में प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा के मामले में जहाँ मूल सवंर्ग पद तथा संवर्ग बाह्य पद पर वेतनमान एवं महंगाई भत्ता एक समान नहीं है, प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा में नियुक्ति नहीं की जाएगी, जहाँ पर मूल संवर्ग में मूल वेतन एक वेतनवृद्धि तथा महंगाई भत्तों सहित जिसमें अन्तरिम राहत शामिल हैं, बढ जाती है, जिसमें आंतरिक राहत शामिल है, यदि कोई है, जो मूल संवर्ग में व्यक्ति को देय है, मूल वेतन तथा महंगाई भत्तों, यदि संवर्ग बाह्य पद के अधिकतम से अधिक हो जाती हैं। संशोधित वेतन ढांचे में वेतनमान के अधिकतम का तात्पर्य सवंर्ग बाह्य पद के ग्रेड वेतन तथा बैंड पी.बी.4 का अधिकतम अर्थात **67,000** रूपये का योग है। उदाहरणार्थ, यदि संवर्ग बाह्य पद 4200 रूपये के ग्रेड वेतन के अंतर्गत है, जो अधिकतम 71200 रूपये होगा, अर्थात 4200 रूपये + 67,000 रूपये (वेतन बैड–4 का अधिकतम होगा)

4. विकल्प का प्रयोगः–

4.1 प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा में नियुक्ति कोई कर्मचारी या तो अपनी प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा पद के वेतनमान का वेतन अथवा मूल संवर्ग के अपने मूल वेतन + उस पर प्रतिनियुक्ति (डयूटी) भत्ता + वैयक्तिक वेतन, यदि कोई है, आहरित करने का विकल्प चुन सकता है। तथापि, किसी केन्द्रीय लोक क्षेत्रीय उधमों की प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा में नियुक्ति के मामले में इस विकल्प की अनुमति नहीं दी जाएगी और उनका वेतन लोक उद्यम विभाग द्वारा 26.11.08 को जारी किए गए आदेशों और उसके पश्चात् स्पष्टीकरण जारी किये जायेंगे।

4.2 सेवाएं उधार लेने वाले प्राधिकारी को संवर्ग बाह्य पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक माह के भीतर कर्मचारी से विकल्प प्राप्त कर लेना होगा, यदि कर्मचारी ने स्वयं अपना विकल्प प्रस्तुत नहीं किया हो।

4.3 एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा।

4.4 तथापि, कर्मचारी निम्नलिखित परिस्थितियों में अपने विकल्प में संशोधन कर सकता है, जो कि इन परिस्थितियों के उत्पन्न होने की तारीख से लागू होगा।

(क) जब उसे मूल संवर्ग में प्रोफार्मा पदोन्नति प्राप्त हो अथवा गैर–कार्यात्मक चयन ग्रेड में नियुक्त हो अथवा वेतनमान का अपग्रेड होने पर ;

(ख) जब वह उसे अपने मूल संवर्ग में किसी निम्नतर ग्रेड में प्रत्यावर्तित (रिवर्ट) किया गया हो ;

-

(ग) उसके मूल पद का वेतनमान, जिसके आधार पर उसकी परिलब्धियाँ प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा पर अधिकारी द्वारा धारित संवर्ग–बाह्य पद का वेतनमान या तो भावी प्रभाव से अथवा प्रतिकूल प्रभाव से संशोधित होने पर।

(घ) प्रोफार्मा पदोन्नति/गैर–कार्यात्मक चयन ग्रेड में नियुक्ति/मूल संवर्ग में वेतनमान मे संशोधन/अपग्रेडेशन की स्थिति होने पर कर्मचारी के संशाधित/उसी विकल्प के आधार पर प्रतिनियुक्ति वाले अधिकारी का वेतन मूल संवर्ग में वेतन की संशोधित पात्रता के संदर्भ में पुनः निर्धारित किया जाएगा। तथापि, यदि आरंभिक विकल्प प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान के लिए किया गया था और पहले दिए गए विकल्प में कोई परिवर्तन न होने पर, प्रतिनियुक्ति पद में पहले ही विचारित आहरित किया जाने वाला वेतन का सरंक्षित किया जाएगा, यदि पुनः निर्धारित वेतन कम है।

टिप्पणी– मूल अथवा सेवाएं उधार लेने वाले संगठन मे किसी में भी महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता या किसी अन्य भत्ते की दरों में संशोधन होने पर पूर्व के विकल्प में संशोधन का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा।

4.5 यदि किसी कर्मचारी का वेतन अपने संदर्भ पद में संशोधन के परिणाममस्वरूप अवनत हो जाता है, तो संवर्ग बाह्य पद में उसका वेतन, संशोधित वेतन के आधार पर और संशोधित विकल्प अथवा मौजूदा विकल्प यदि कर्मचारी अपना विकल्प संशोधित नहीं करता, के अनुसार पुनः निर्धारित किया जाएगा।

5. <u>वेतन निर्धारणः–</u>

5.1 जब प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा पर कोई कर्मचारी संवर्ग– बाह्य पद से संबद्व वेतनमान में वेतन आहरित करने का विकल्प चुनता है, तो उसका वेतन निम्नानुसार निर्धारित किया जाएः–

(i) <u>केंद्रीय सरकार से केंद्रीय सरकार में प्रतिनियुक्ति</u>

यदि संवर्ग–बाह्य पद का वेतनमान/ग्रेड वेतन उच्चतर है, तो मूल संवर्ग पद के वेतन बैंड में मौजूदा वेतन में एक वेतनवृद्धि जोड़ने के बाद नियत किया जाएगा। इसके बाद वेतन बैंड में इस वेतन के अतिरिक्त प्रदान किया जाएगा। तथापि, यदि संवर्ग–बाह्य पद में वेतन निर्धारण में वेतन बैंड में परिवर्तन भी शामिल है, यदि वेतन बैंड में वेतनवृद्धि जोडनें के बाद संवर्ग– बाह्य वेतन के ग्रेड वेतन के तदनुरूप न्यूनतम वेतन बैंड से कम होता है, तो वेतन बैंड में वेतन बैंड के न्यूनतम पर निर्धारित किया जाएगा।

यदि कर्मचारी के संवर्ग पद का ग्रेड वेतन/वेतनमान और संवर्ग बाह्य पद का वेतन समान है, तो कर्मचारी अपना वर्तमान मूल वेतन आहरित करता रहेगा/रहेगी।

यदि संवर्ग बाह्य पद का ग्रेड वेतन 10,000 रू. तक है, तो मूल वेतन समय–समय पर वेतन निर्धारण के बाद वेतन बैंड पी.बी.4 (67000 रू.) के अधिकतम + प्रतिनियुक्ति पर धारित पद के ग्रेड वेतन से अधिक नही होना चाहिए। यदि संवर्ग बाह्य पद एच ए जी अथवा एच ए जी + वेतनमान में है तो मूल वेतन समय–समय पर वेतन निर्धारण के बाद क्रमशः 79,000 रू. अथवा 80000 रू. से अधिक नहीं होना चाहिए।

-

(ii) विदेश सेवा/विपरीत विदेश सेवा में

(क) यदि मूल संवर्ग में पद वेतनमान और संवर्ग बाह्य पद का वेतनमान समान सूचक स्तर पर आधरित हो और महंगाई भत्ते का पैटर्न भी समान हो, तो वेतन उपर्युक्त (i) के अंतर्गत निर्धारित किया जाए।

(ख) यदि किसी ऐसे पद पर नियुक्ति की जाती है, जिसकी वेतन संरचना/अथवा मंहगाई भत्ता पैटर्न मूल संगठन की वेतन–संरचना महंगाई भत्ता पैटर्न के समरूप नहीं है, तो उसके वेतन का निर्धारण उसके नियमित मूल पद के वेतनमान में मूल संवर्ग पद में वेतन में एक वेतनवृद्वि जोडकर (और यदि वह वेतनमान का अधिकतम वेतन आहरित कर रहा है, तो पिछले आहरित वेतन में वेतनवृद्वि जोडकर) और इस प्रकार बढाए गए वेतन को बराबर मानकर + मंहगाई भत्ता (और अतिरिक्त अथवा तदर्थ मंहगाई भत्ता, अंतरिम राहत, यदि कोई हो) वेतन + महंगाई भत्ता, तदर्थ महंगाई, अंतरिम राहत इत्यादि यदि कोई अनुमत्य हो, परिलब्धियों के साथ आदाता संगठन में निर्धारित किया जाए और वेतन का निर्धारण संवर्ग–बाह्य पद के वेतनमान में उस चरण में किया जाए जिसमें उपयुक्त के अनुसार संवर्ग–बाह्य पद में अनुमत्य कुल परिलब्धियाँ संवर्ग में आहरित परिलब्धियों के बराबर हो।

5.2 एक संवर्ग बाह्य पद से दूसरे सवंर्ग बाह्य पद में नियुक्ति के मामलों में जहाँ कर्मचारी संवर्ग बाह्य पद के वेतनमान में वेतन आहरण करने का विकल्प देता है, तो दूसरे अथवा बाद के संवर्ग बाह्य पद में वेतन का निर्धारण केवल संवर्ग पद में वेतन के संदर्भ में सामान्य नियमों के अंतर्गत किया जाना चाहिए। तथापि, पूर्व के अवसरों पर धारित संवर्ग बाह्य पदों के समान ग्रेड वेतन संवर्ग पदों में नियुक्तियों के संबंध में यह सुनिश्चित किया जाए कि नियुक्ति में आहरित वेतन पहले आहरित किए गए वेतन से कम नही होना चाहिए।

5.3 पिछले संवर्ग बाह्य पद के वेतनमान से किसी उच्चतर वेतन में द्वितीय अथवा बाद में संवर्ग बाह्रा पदों पर नियुक्तियों के मामलों में वेतन का निर्धारण, संवर्ग पद में आहरित वेतन के संदर्भ में किया जाए और यदि इस प्रकार निर्धारित वेतन पिछले संवर्ग बाह्य पद में आहरित वेतन से कम होता है, तो इस अंतर को भविष्य मे वेतन में वृद्धि में वैयक्तिक वेतन के रूप में आयोजित करने की अनुमति दी जाए। यह इस शर्त के अधीन है कि दोनों ही स्थितियाँ में कर्मचारी को संवर्ग बाह्य पदों से संलग्न वेतनमान/ग्रेड वेतन में वेतन आहरण करने का विकल्प देना चाहिए।

टिप्पणी 1 – मूल पद और मूल वेतन का अर्थ क्रमशः मूल संगठन में नियमित आधार पद धारित पद और ऐसे पद में आहरित/अनुमत्य वेतन है–

टिप्पणी 2 – कोई अधिकारी, जो प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा पर जाते समय संवर्ग में तदर्थ आधार पर उच्चतर पद धारण किया हुआ हो, यह माना जाएगा कि उसने तदर्थ आधार पर धारित पद को खाली कर दिया है और वह अपने नियमित पद से प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा पर चला गया है। प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा की अवधि के दौरान वह मूल संवर्ग पद में कल्पित वेतनवृद्धि अर्जित करेगा। प्रत्यावर्तन पर, यदि उसे उच्चतर पद पर नियमित अथवा तदर्थ आधार पर पुनर्नियुक्त किया जाता है तो उसका वेतन, पदोन्नति की तारीख को निम्नतर पद में अनुमत्य वेतन के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा। ऐसे मामलों में, यदि उसका वेतन, संवर्ग में सेवा जारी रखने वाले उससे कनिष्ठ अधिकारियों के चरण से निम्नतर चरण में निर्धारित होता है तो जहाँ तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों का संबंध है, वर्तमान नियमों के अनुसार कोई बढ़ोतरी अनुमत्य नहीं होगी। तथापि, यदि

-

इस प्रकार निर्धारित वेतन, पूर्व में तदर्थ आधार पर पद धारण करते हुए आहरित वेतन से कम है, तो पूर्व में आहरित वेतन का रक्षण किया जाएगा। अतः वे केंद्र सरकार के कर्मचारी जो पहले ही तदर्थ आधार पर उच्चतर पद धारण किए हुए या जिसकी शीघ्र ही मूल संवर्ग में हो जाने की उम्मीद है, प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा का विकल्प लेने से पहले सभी संगत विचारों की तुलना कर सकते हैं नोट ऑफ कॉशन अन्य संगठनों के उन कर्मचारियों पर लागू होगा, जो केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर आवेदन के इच्छुक हैं, यदि मूल संवर्ग में समान नियमों से शासित थें।

टिप्पणी 3 – नियमित पदाधिकारी के तदर्थ आधार पर लंबित चयन पर प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा पर नियुक्त अधिकारी का वेतन इस कार्यालय ज्ञापन के पैरा 5.1. और 6.1 के प्रावधानों के अनुसार भी नियमित किया जाए।

टिप्पणी 4 – इस नियम के प्रावधान और नियम 6 भी मंत्रियों के वैयक्तिक स्टाफ की नियुक्तियों पर लागू नहीं होगें। ऐसी नियुक्तियाँ सरकार द्वारा उसकी और से जारी किए गए अलग विनिर्दिष्ट आदेशों द्वारा विनियमित की जाएगी।

6. <u>प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता</u>:–

6.1 स्वीकार्य प्रतिनियुक्ति (डयूटी) भत्ता निम्नलिखित दर से होगाः–

(क) उसी स्टेशन के भीतर प्रतिनियुक्ति के मामले में, अधिकतम 2000/– रू. प्रति माह के अधीन कर्मचारी के मूल वेतन के 5% की दर से भत्ता दिया जाएगा।

(ख) अन्य मामलों में, प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता अधिकतम 4000/– प्रतिमाह के अध्यधीन कर्मचारी के मूल वेतन के 10% की दर से देय होगा।

(ग) उपर्युक्त प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता निम्नलिखित के अनुसार प्रतिबन्धित होगाः– समय–समय पर मूल वेतन + प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता वेतन बैंड – 4 के अधिकतम (67,000/– रू.) + प्रतिनियुक्ति पर धारित पद के ग्रेड वेतन यदि प्रतिनियुक्ति पर धारित पद का ग्रेड वेतन 10000/– रू. तक है, से अधिक नहीं होगा। यदि प्रतिनियुक्ति पर धारित पद एच ए जी या एच ए जी + वेतनमान में है, तो समय–समय पर, मूल वेतन + प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता क्रमशः 79,000/– या 80,000/– रू. से अधिक नहीं होना चाहिए।

टिप्पणी– संशोंधित वेतन ढांचे में मूल वेतन का अभिप्राय निर्धारित वेतन बैंड + लागू ग्रेड वेतन से लिया गया वेतन से है, परन्तु इसमें कोई अन्य प्रकार का वेतन जैसें विशेष वेतन/भत्ता आदि नहीं शामिल है।

उपर्युक्त प्रतिनियुक्ति (डयूटी) भत्ते की दरें **01.09.2008** से लागू होगी।

टिप्पणी 1– इस उद्देश्य के लिए शब्द 'उसी स्टेशन' का निर्धारण उस स्टेशन के संदर्भ में होगा, जहाँ प्रतिनियुक्ति पर जाने से पहले वह व्यक्ति डयूटी पर था।

टिप्पणी 2 – जब अंतिम धारित पद के संदर्भ में मुख्यालय मे कोई बदलाब नहीं है, तो स्थानांतरण को उसी स्टेशन के भीतर के रूप में माना जाना चाहिए तथा जब मुख्यालय में बदलाब होता है, तो इसे उसी स्टेंशन के भीतर नहीं के रूप में माना जाएगा। जहाँ तक पुराने मुख्यालय के उसी शहरी

-

समूह के भीतर के स्थानों का संबंध है, तो उन्हें उसी स्टेशन के भीतर स्थानांतरण के रूप में माना जाएगा।

6.2 विशेष प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ते की दरें, विशेषकर श्रमसाध्य या विकर्षित होने पर वहाँ रहने की शर्तों के कारण किसी विशेष क्षेत्र में अलग आदेश के अंतर्गत स्वीकार्य किया जाए। जहाँ विशेष दर उपर्युक्त पैरा 6.1. में दी गई दर से अधिक अनुकूल है तो उस क्षेत्र में नियुक्त कर्मचारियों को विशेष दर का लाभ दिया जाएगा।

6.3.1 यदि सक्षम अधिकारी की अनुमति से कोई कर्मचारी बिना अपने मूल संवर्ग में लौटे उसी अथवा किसी दूसरे संगठन मे किसी एक संवर्ग बाह्य पद से प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा पर जाना है और यदि दूसरे बाह्य संवर्ग पद, पहले वाले की तरह समान स्टेशन/केंद्र पर था, तो प्रतिनियुक्ति (डयूटी) भत्ते की दर में परिवर्तन नहीं होगा।

6.3.2 ऐसे मामलों में जहाँ प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा पर कार्यरत व्यक्ति को उधारकर्ता प्राधिकरण द्वारा एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर बिना पद में परिवर्तन किए स्थानांतरित किया जाता है, तो 6.1 (ख) के अनुसार प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ते की दर को पुनः नियत किया जाएगा।

7. <u>प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा के दौरान वेतन, भत्ते और लाभों की स्वीकार्यता</u>:—

7.1 उधारकर्ता प्राधिकरण में परियोजना क्षेत्र में स्वीकार्य कोई परियोजना भत्ता, प्रतिनियुक्ति भत्ते के अतिरिक्त आहरित की जा सकती हैं।

7.2. एफ.आर. 9(25) के अंतर्गत किसी भी कर्मचारी को मूल विभाग में दिये जाने वाला किसी भी प्रकार का विशेष भत्ता या मूल संगठन के तदनुरूप नियम द्वारा, प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ते के अलावा अनुमेय नहीं होना चाहिए। तदापि, उधारकर्ता विभाग किन्हीं विशेष परिस्थितियों में, उपयुक्त रूप से प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ते को रोकते हुए कर्मचारी को उसके मूल विभाग में जुडा हुआ कोई भी विशेष भत्ता प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ते के अलावा प्रदान कर सकता है। इसमें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के विशेष और पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता पड़ेगी।

7.3 ऐसे मामले में, जहाँ विशेष भत्ता संवर्ग (बाह्य) के वेतनमान से जुडा हुआ है और कर्मचारी ने उस वेतनमान में वेतन लेने के लिए विकल्प दिया हो, तब उस वेतनमान के अतिरिक्त, वह उक्त विशेष भत्ते को पाने के भी योग्य होगा। तदापि, अगर उसने मूल संवर्ग वेतनमान/ग्रेड वेतन+प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ते लेने को चुना है, तो उक्त विशेष भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।

7.4 किसी कर्मचारी द्वारा अपने मूल विभाग मे लिये जाने वाला व्यक्तिगत वेतन यदि कोई है, तो भी प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा में यदि वह मूल संवर्ग का वेतनमान/ग्रेड वेतन प्रतिनियुक्ति भत्ते सहित चुनता है, तो वह अनवरत रूप से स्वीकार्य रहेगा। तदापि, इस व्यक्तिगत वेतन में प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।

7.5 वेतनवृद्धि – कर्मचारी मूल संवर्ग में वेतनवृद्धि प्राप्त करेगा या प्रतिनियुक्ति पद से जुडे वेतनमान/ग्रेड वेतन में, जैसा भी मामला हो, इस बात पर निर्भर करता है कि वह मूल संवर्ग में प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता, वेतन सहित चुनता है या प्रतिनियुक्ति पद का वेतनमान/ग्रेड वेतन चुनता है, कल्पित वेतनवृद्धि भी मूल संवर्ग/संगठन में वेतन के नियमितीकरण के उद्देश्य से मूल

-

पद पर, कार्यकाल की समाप्ति पर, वापिस आने पर नियमित पद पर लगातार उपार्जित होती रहेगी।

7.6 प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा के दौरान भत्ते और लाभों की स्वीकार्यता।

(क) उधारकर्ता संगठनों में समवती – स्थिति रखने वाले नियमित कर्मचारियों को ऐसे भत्ते जो स्वीकार्य नहीं है, वो प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा के अधिकारियों को किये जाना स्वीकार्य नहीं होगा। भले ही वे मूल संगठन में स्वीकार्य हैं।

(ख) देने वाले और उधारकर्ता संगठनों की आपसी सहमति से निम्नलिखित भत्तों को नियमित किया जाएगाः–
(i) गृह किराया भत्ता/परिवहन भत्ता

(ii) ज्वाइन करने का समय/ज्वाइन करने के समय का वेतन

(iii) यात्रा भत्ता और स्थानांतरण यात्रा भत्ता

(iv) बाल शिक्षण भत्ता

(v) छुट्टी यात्रा रियायत

(ग) नियमों के अनुरूप निम्नलिखित भत्ते/सुविधाओं को प्रत्येक के विरुद्ध स्पष्ट किए गए अनुसार नियमित किया जाएगाः–

(i) महंगाई भत्ता :–कर्मचारी लेने वाले संगठन में अथवा देने वाले संगठन में प्रचलित दरों पर मंहगाई भत्ते के हकदार होंगे, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या कर्मचारी ने पूर्व संवर्ग बाहय पद के वेतनमान/ग्रेड वेतन अथवा मूल ग्रेड + प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता में वेतन आहरित करने का विकल्प चुना है।

(ii) चिकित्सा सुविधाएं – इसे लेने वाले संगठन के नियमों के अनुसरण में विनियमित किया जाएगा।

(iii) छुट्टी – प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा में गए अधिकारी मूल संगठन के छुट्टी नियमों द्वारा विनियमित होगा। तथापि, यदि अवकाश विभाग से गैर–अवकाश विभाग अथवा विपरीत क्रम में कोई कर्मचारी जाता है, वह लेने वाले संगठन के छुट्टी नियमों द्वारा शासित होगा। प्रतिनियुक्ति पद से मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तन के समय, लेने वाला संगठन उसे (पुरूष/महिला) छुट्टी अनुमत कर सकता है, जो दो माह से अधिक न हो। कर्मचारी द्वारा और आगे छुट्टी के लिए अपने संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी को आवेदन किया जाना चाहिए।

7.7 छुट्टी वेतन/पेंशन/नवीन पेंशन योजना अंशदानः–

(i) जैसा कि इस समय केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के मध्य और केंद्र और राज्य सरकार के मध्य छुट्टी वेतन तथा पेंशन अंशदान का आवंटन छोड दिया गया है। केंद्र सरकार से राज्य सरकार को और इसके विपरीत प्रतिनियुक्ति के ऐसे मामलों में, उस विभाग में छुट्टी वेतन

-

वहन हेतु दायित्व विहित हैं जिससे अधिकारी छुट्टी पर गया हो, अथवा जिसने छुट्टी स्वीकृत की और कोई अंशदान, देने वाले संगठन को देय नहीं है। सी.पी.एफ. में पैशन/कर्मचारी के अंशदान हेतु दायित्व मूल विभाग द्वारा वहन किया जाएगा, जिसमें अधिकारी सेवानिवृति के समय स्थायी रूप से होगा और कोई समानुपातिक अंशदान वसूल नहीं होगा।

(ii) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायो/इत्यादि की शर्तों के आधार पर विदेश सेवा पर केंद्रीय सरकारी कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति के मामले में छुट्टी वेतन अंशदान (विदेश सेवा पर भोगी गई छुट्टी की अवधि के सिवाय) और पैंशन अंशदान/सी.पी.एफ. (कर्मचारी का हिस्सा) अंशदान चाहे स्वयं कर्मचारी द्वारा अथवा केंद्रीय सरकार के उधार लेने वाले संगठन द्वारा अदा किए जाने अपेक्षित है।

(iii) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत निकायों/स्थानीय निकायों से केंद्रीय सरकार को विपरित प्रतिनियुक्ति के मामलों में, छुट्टी वेतन और पैंशन अंशदान संबंधी प्रश्न आपसी सहमति से हल किया जाएगा।

(iv) नई पेंशन योजना (एन.पी.एस.) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के मामले में, उधार लेने वाले विभाग को कर्मचारी के एन.पी.एस. खाते में समरूप अंशदान करना होगा।

8. <u>प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा की अवधिः</u>–

8.1 प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा की अवधि यदि संवर्ग बाह्य पद हेतु कोई सेवाकाल विनियमन विद्यमान न हो, तो संवर्ग बाहय पद के भर्ती नियमों के अनुसार अथवा 3 वर्ष होगा।

8.2 यदि संवर्ग बाहय पद के भर्ती नियमों मे विहित प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा की अवधि, जहाँ 3 वर्ष अथवा कम हो, प्रशासनिक मंत्रालयों/लेने वाले संगठन को उनके सचिव (केंद्र सरकार में)/मुख्य सचिव (राज्य सरकार में)/समकक्ष अधिकारी (अन्य मामलो के संबंध में) से आदेश प्राप्त करके चार वर्ष तक और लेने वाले मंत्रालय/विभाग के मंत्री के अनुमोदन से पांचवे वर्ष के लिए तथा अन्य संस्थानों के संबंध में उधार लेने वाले मंत्रालय/विभाग, जिसके साथ वे प्रशासनिक रूप से संबद्व है, से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् विस्तार मंजूर किया जा सकता है।

8.3.1 लेने वाले **मंत्रालय/विभाग/संगठन**, जहाँ निम्नलिखित परिस्थितियों के अध्य लोक हित में पूर्णतः आवश्यक हो, पांचवे वर्ष तक प्रतिनियुक्ति की अवधि बढ़ा सकते हैं।

(i) विस्तार देने वाले संगठन, के पूर्व अनुमोदन संबधित कर्मचारी की सहमति और जहाँ कहीं आवश्यक हो, संघ लोक सेवा आयोग/राज्य लोक सेवा आयोग और मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति (ए.सी.सी.) के अनुमोदन के अध्यधीन होगा।

(ii) यदि उधार लेने वाला संगठन एक अधिकारी को नियत समय से अधिक रखना चाहता है, तो कार्यकाल की समाप्ति की तिथि से छः माह पहले यह उधार देने वाले संगठन, संबधित व्यक्ति इत्यादि से सहमति लेने के लिए कार्यवाही आरंभ करेगा। इसे ऐसे किसी भी मामले में एक पदाधिकारी को मंजूर की गई अवधि के आगे तब तक नही रखना चाहिए, जब तक सक्षम प्राधिकारी से अगले विस्तार का अग्रिम अनुमोदन नहीं मिल गया है।

(iii) पांचवे वर्ष से आगे विस्तार पर विचार नहीं किया जाएगा।

-

8.3.2 जहाँ पाँच वर्ष तक विस्तार प्रदान कर दिया गया है, संबंधित अधिकारी को यदि उसने प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ते विकल्प दिया है, प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ते को जारी रखने की अनुमति होगी।

8.4 प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा की प्रत्येक अवधि के पश्चात संयुक्त सचिव स्तर तक के पदों के लिए तीन वर्ष तथा अपर सचिव स्तर के पदों के लिए 1 वर्ष की अनिवार्य ''कूलिंग ऑफ'' अवधि होगी।

8.5 एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, राज्य सरकार/राज्य सरकार संगठन/संघ शासित क्षेत्र/संघ शासित क्षेत्र की सरकारों के संगठन/स्वायत्त निकायों, समितियों, केंद्रीय सरकार द्वारा अनियंत्रित पी.एस.यू. इत्यादि में प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा के लिए पात्र होगें जिन्होनें 9 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो एवं सतर्कता के दृष्टि से अनापत्ति प्राप्त हो।

8.6 प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा की अवधि के दौरान यदि मूल कैडर में प्रोफार्मा पदोन्नति पर संबंधित पदाधिकारी, संवर्ग बाह्य पद की तुलना में मूल कैडर में उच्च वेतनमान/वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन के लिए पात्र हो जाता है, तो पदाधिकारी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन लेकर सामान्य/विस्तारित प्रतिनियुक्ति कार्यकाल को पूरा करेगा। वेतन का निम्नानुसार विनियमन होगा।

(क) प्रोफार्मा पदोन्नति प्राप्त करने के बाद यदि अधिकारी मूल कैंडर में प्रतिनियुक्ति पद से उच्च ग्रेड वेतन हो जाता है, तो यदि वह विकल्प देता है तो उसकी पहले से ही स्वीकृत प्रतिनियुक्ति की सामान्य/विस्तार अवधि पूरी होने तक, उसकी पदोन्नति होने वाले पद में वेतन बैंड + ग्रेड वेतन में वेतन की अनुमति होगी। प्रतिनियुक्ति की स्वीकृत अवधि पूरी होने के बाद प्रतिनियुक्ति की अवधि में किसी विस्तार की अनुमति नहीं होगी।

(ख) यदि वह प्रतिनियुक्ति पद से संबंध वेतन बैंड + ग्रेड वेतन में वेतन लेता है, तो उसके मूल कैडर में प्रत्यावर्तन पर, उसके मूल विभाग में उसके नियमित पद पर कल्पित वेतनवृद्वि + इससे संबद्ध ग्रेड वेतन देकर उसे वेतन निर्धारण की अनुमति होगी।

(ग) ए.सी.पी/एम.ए.सी.पी. योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन प्राप्त करने के बाद, यदि अधिकारी का मूल कैडर में ग्रेड वेतन प्रतिनियुक्ति पद से अधिक हो जाता है तो अधिकारी को यदि उसने कार्मिक एवं पशिक्षण विभाग के का. ज्ञा. सं. 350341312008 – स्था. (डी) दिनांक 19 मई 2009 के अनुलग्नक–1 के पैरा 27 के अनुसार विकल्प दिया है तो ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी.एस. के अन्तर्गत, वेतन बैंड + ग्रेड वेतन जिसका वह पात्र है, लेने की अनुमति दी जा सकती है।

9. <u>प्रतिनियुक्ति का मूल कैडर में समयपूर्व प्रत्यावर्तन</u>।

सामान्यतः जब एक कर्मचारी प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा पर नियुक्त किया जाता है, तब कार्यकाल समाप्त होने पर उसकी सेवाएं उसके मूल मंत्रालय/विभाग के निवर्तन पर होंगी। यद्यपि, ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर जब प्रतिनियुक्ति को समयपूर्व उसके मूल कैडर में प्रत्यावर्तन किया जाए, तब उधार देने वाले मंत्रालय/विभाग एवं संबंधित कर्मचारी को तीन माह की अग्रिम सूचना देकर, उसकी सेवाएं वापस की जा सकती है।

-

10. शर्तो में छूट।

इन निबंधन एवं शर्तों में किसी छूट के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की पहले से सहमति लेनी होगी।

11. प्रभावी तिथिः—

ये आदेश **01.01.2006** से प्रभावी होंगे एवं उन सभी अधिकारियों पर, जो **1.1.2006** को प्रतिनियुक्ति पर थे या उसके बाद नियुक्त हुए हैं, इस कार्यालय ज्ञापन के निम्नलिखित पैरा 6.1. में दिनांक **1.9.2008** से लागू, संशोधित दर के प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ते को छोड़कर, लागू होंगे।

(प्राधिकारः— भारत सरकार, पी.पी.जी. एवं पी., कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का कार्यालय ज्ञापन क्र. 6/8/2009 स्था. (वेतन—II) दिनांक 17 जून 2010)

8.6.7 **प्रतिनियुक्ति (कार्य) भत्ताः—**

कृपया इस नियम पुस्तिका की कंडिका 8.6.6. को देखें।

8.6.8 **प्रतिनियुक्ति की पंजी संधारित करनाः—**

(क) निम्नांकित जानकारी दर्शाने वाली एक पंजी रखी जानी चाहिए और उसे बंद किया जाना चाहिए, तथा प्रत्येक प्रकरण में की गई कार्यवाही दर्शाते हुए प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)/उप महालेखाकार (प्रशासन) को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

क्र.स	विभाग का नाम एवं पदनाम	कार्यालय जिसमें प्रतिनियुक्ति किया गया	प्रतिनियुक्ति की अवधि	कार्यभार से मुक्त करने का दिनांक
1	2	3	4	5
कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक	नि.म.ले.प. के. आदेश के संदर्भ की दिनांक एवं क्रमांक	नि.म.ले.प. के कार्यालय के उत्तर का क्रमांक एवं दिनांक	प्रतिनियुक्ति में समयवृद्धि, यदि प्रदान की गई हो	अभियुक्तियां
6	7	8	9	10

(ख) **अर्ध वार्षिकी विवरण पत्रः—**

भा.ले.प. एवं लेखा विभाग के भीतर एवं बाहर प्रतिनियुक्ति पर, लेखापरीक्षा अधिकारियों सहित कर्मचारियों का अर्धवार्षिकी विवरण, पहली अप्रैल तथा पहली अक्टूबर की स्थिति दर्शाते हुए प्रतिवर्ष 15 मई तथा 15 नवंबर को अथवा उससे पहले मुख्यालय को भेजा जाना चाहिए।

(प्राधिकार :—नि.म.ले.प. का पत्र क्रमांक 16—16— बी.आर.एस/186—61 दिनांक 17 जनवरी 1962)

-

8.6.9 प्रतिनियुक्ति के समय आहरण किये गये वेतन पर निगरानी रखना :–

अन्य सरकारी विभागों अथवा सांविधिक निगमों इत्यादि में प्रतिनियुक्ति पर गये लोगों द्वारा समय–समय पर आहरण किये गये वेतन पर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए। प्रतिनियुक्त लोगो को जल्दी–जल्दी पदोन्नतियाँ नहीं दी जानी चाहिए। ग्रहीता विभागों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्रतिवर्ष प्रत्येक तिमाही में पहली मार्च, पहली जून, पहली सितंबर और पहली दिसंबर को वेतन एवं भत्ते के मासिक आहरण को दर्शातें हुए एक विवरण पत्र भेजे। यह विवरण पत्र प्राप्त होने पर एक समीक्षा की जायेगी तथा यदि कोई विशेष बात सामने आयी हो तो वह महालेखाकार की जानकारी में लायी जायेगी।

(प्राधिकार :–नि.म.ले.प. का पत्र क्रमांक 2085–एन.जी.ई.–III/85 – 59 दिनांक 16 अगस्त 1960)

8.6.10 प्रतिनियुक्ति पर सरकारी कर्मचारियों को बोनसः–

जिन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के अंतर्गत बोनस भुगतान करने की वैधानिक रूप से अपेक्षा की जाती है, उनमें प्रतिनियुक्ति पर सरकारी कर्मचारियों को, उन उपक्रमों द्वारा घोषित बोनस स्वीकार करने की अनुमति दी जा सकती है, और जो उपक्रम इन मामलों में बोनस भुगतान का कोई वैधानिक बन्धन न होते हुए भी बोनस अथवा अनुग्रह राशि देने की घोषणा करते है, उनमें प्रतिनियुक्त लोग इस अनुग्रह राशि को प्राप्त करने के पात्र केवल उसी स्थिति में होगें, जबकि वे उपक्रम में पद के लिए निर्धारित वेतनमान में वेतन आहरण कर रहे हो (उनकी श्रेणी का वेतन तथा प्रतिनियुक्ति भत्ते का योग नही)

(प्राधिकार :–नि.म.ले.प. का पत्र क्रमांक 492–लेखापरीक्षा/145–65 (II)दिनांक 23 जून 1973 एवं क्रमांक 898–लेखापरीक्षा/15–74 दिनांक 31 मई 1975)

8.6.11 'तत्निम्नवर्ती नियम' के अंतर्गत औपचारिक पदोन्नतिः–

'तत्निम्नवर्ती नियम' पदोन्नतियाँ, निर्धारित शर्तो के अनुसार की जाती है। यदि कोई बाह्य नियोजक, उच्चतर श्रेणी में भुगतान करने का इच्छुक नही है, तो वह प्रतिनियुक्त व्यक्ति को वापस करने के लिए स्वतंत्र है। यदि बाह्य नियोजक ऐसा नही कर पाता है, तो वह तब तक उच्चतर दर से वेतन का भुगतान करने को बाध्य होगा जब तक कि वह प्रतिनियुक्त व्यक्ति को वास्तविक रूप से वापस नही कर देता।

(प्राधिकार :–नि.म.ले.प. का पत्र क्रमांक 3411–जी.ई. II/204–84, दिनांक 25 नवंबर 1985)

8.6.12 जिन कर्मचारियों ने पिछली प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद विभाग में कम से कम दो वर्ष का सेवाकाल पूरा नही किया है, उनके नामों की अनुंशसा तब तक नही की जानी चाहिए जब तक की कोई अपवादात्मक परिस्थितियाँ न हों।

(प्राधिकार :–नि.म.ले.प. का पत्र क्रमांक 2100–जी.ई.–II/204–84 (II) दिनांक 24 सितम्बर 1975) (अपवाद के लिए कंडिका 8.7.6.(2) भी देखें)

8.6.13 जो कर्मचारी पहले तो प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा पर भेजे जाने हेतु विचार किये जाने के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते है किंतु बाद में प्रतिनियुक्ति के पद हेतु उनका चयन हो जाने पर

किसी कारण से इन्कार कर देते है, उन पर तीन वर्ष की अवधि तक किसी अन्य प्रतिनियुक्ति हेतु विचार नहीं किया जाना चाहिए।

(प्राधिकार :–नि.म.ले.प. का पत्र क्रमांक 2991–जी.ई. I/81–76 दिनांक 6 अगस्त 1979)

8.7 स्थायी संविलयनः–

8.7.1. विभिन्न निकायों/निगमों इत्यादि में स्थायी संविलयन के प्रकरण तैयार करनाः–

लेखापरीक्षा अधिकारियों के स्थायी संविलयन हेतु प्रस्ताव मुख्यालय को भेजते समय, निम्नलिखित दस्तावेज की दो प्रतियों में भेजे जाना आपेक्षित है :–

(i) लोक हित में संविलयन हेतु कारण दर्शाते हुए, अधिकारी के संविलयन के लिए ग्रहीता अधिकरण के प्रस्ताव की प्रतिलिपि,

(ii) अधिकारी की प्रारम्भिक प्रतिनियुक्ति, ग्रहीता अधिकारी द्वारा की गई मांग, प्रदाता अधिकरण की अनुशंसा चयन आदेश, अधिकारी को कार्यभार मुक्त करने का आदेश, उसकी नियुक्ति का आदेश, उसकी बाह्य सेवा की निबंधों एवं शर्तो से संबंधित दस्तावेज की प्रतियाँ,

(iii) समय–समय पर की गई समयवृद्धि के आदेश,

(iv) अधिकारी द्वारा संविलयन का प्रस्ताव स्वीकार करने का पत्र, और

(v) संविलयन होने पर उसका बिना शर्त त्यागपत्र,

इनके अलावा निम्नलिखित जानकारियाँ भी भेजी जानी चाहिएः–

(क) क्या वह अधिकारी, पहली मार्च 1969 से वर्तमान में सौंपी गयी प्रतिनियुक्ति पर जाने की तारीख तक की अवधि के बीच किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में प्रतिनियुक्ति पर रहा है, यदि हाँ तो वह अवधि एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम का उल्लेख किया जाए, और

(ख) जन्मतिथि, उसके द्वारा धारण किये गये मूलभूत पद का नाम तथा सरकारी सेवा मे उसके प्रवेश की तारीख।

(प्राधिकारः– नि.म.ले.प. का पत्र क्रमांक 34–7–जी.ई.–II/3–74–1 दिनांक 2 नवंबर 1974)

टिप्पणी–संविलयन के प्रकरणों पर कार्यवाही करते समय मूलभूत नियम के परिशिष्ट 5 से 7 तक में समाहित निर्देशों को भी देखे जाएँ।

-

8.7.2 राज्य सरकर के अंतर्गत, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा स्वशासी निकायों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों का स्थायी संविलयन होने पर आनुपालिक सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करनाः–

(i) केंद्र सरकार के वे स्थायी कर्मचारी, जो विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा पूरी तरह अथवा सार रूप में अंगीकृत अथवा नियंत्रित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं स्वशासी निकायों में प्रतिनियुक्ति है तथा जो बाद में केंद्र सरकार के वर्तमान विभाग की पूर्व अनुमति से इन संगठनों में स्थायी संविलीन हो जाते है, उनकों आनुपातिक सेवानिवृत्ति लाभ (अग्रनीत छुट्टी के लाभों को छोड़कर) उसी तरह स्वीकार किये जा सकते है, जिस तरह कि केंद्र सरकार द्वारा पूरी अथवा सार रूप में नियंत्रित अथवा वित्तपोषित स्वायत्त निकायों में स्थायी रूप से संविलीन केंद्र सरकार के स्थायी कर्मचारियों के लिये स्वीकार्य है।

(2) आनुपातिक लाभों को संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों तक बढाया जाना केवल उन्ही मामलों में हो सकता है, जहाँ यह पूरी तरह केंद्र/राज्य सरकारों के संयुक्त नियंत्रण में हो और विदेशी निकायों के अंतर्गत न हों।

(प्राधिकार :–नि.म.ले.प. का पत्र क्रमांक 97–लेखापरीक्षा/115–83/1–84 (क) दिनांक 3 फरवरी 1984 एवं नि.म.ले.प. का परिपत्र क्रमांक एन.जी.ई./3725 एन.3/10–84/के. डब्ल्यू दिनांक 13 नवम्बर 1984)

8.7.3 स्थायी रूप से संविलयन किये गये, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को आनुपातिक सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान के प्रकरण में समतुल्यता :–

(i) केंद्रीय स्वशासी निकायों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संविलयन के नियम एवं शर्ते उनके लिये लागू होगी, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थायी रूप से संविलयन किये गये है।

(ii) जिन स्वशासी निकायों में पेंशन योजना है, उनमें संविलयन किये गये लोगों को आनुपातिक सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करने अथवा स्वशासी निकाय में सरकार के अन्तर्गत संयुक्त सेवा के लाभ लेते रहने का विकल्प होगा। इस विकल्प का प्रयोग स्थायी संविलयन की तारीख से छः माह के अंदर किया जाना चाहिए। अनुबंधित अवधि के अंदर विकल्प का प्रयोग न किये जाने की स्थिति में, वह संयुक्त सेवा पर आधारित पेंशन के लिये योग्य होगा।

(iii) अर्जित अवकाश का नकदीकरण, अधिकतम 240 दिन की सीमा के लिए स्वीकार्य होगा। अर्द्धवेतन अवकाश का अधिकार समाप्त हो जायेगा।

(iv) कोई सरकारी कर्मचारी यदि स्वीकृत प्रतिनियुक्ति अवधि के दौरान अथवा बाद में अपने मूल विभाग में वापस नही लौटता है तो वह प्रतिनियुक्त् अवधि के समाप्त होने की तारीख को स्वशासी निकाय में स्थाई रूप से संविलीन हुआ समझा जायेगा। जो सरकारी कर्मचारी, त्वरित संविलयन आधार पर केंद्रीय स्वशासी निकायों में नियुक्त है, उनको पेंशन से संबंधित लाभ इत्यादि प्रदान करने के सभी प्रकरणों पर, सरकारी कर्मचारी का त्यागपत्र स्वीकार करने हेतु संवर्ग नियंत्रण अधिकारी/अधिकारियों द्वारा निर्णय किया जायेगा।

(प्राधिकार :–नि.म.ले.प. का पत्र क्रमांक 752–लेखापरीक्षा–I/139–85/11– 87 दिनांक 11 अगस्त 1987)

-

8.8 विदेश नियुक्तिः–

8.8.1 एशिया, अफ्रिका तथा लेटिन अमेरिका में सेवा के लिए नामिका (पैनल) तैयार करनाः–

(i) भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, उन विशेषज्ञों को पंजीबद्ध करता है, जो दो से तीन वर्षो तक की अवधि के लिये एशिया, अफ्रिका तथा लेटिन अमेरिका के विकासशील देशों में सेवा करने के इच्छुक है। जब कभी विदेशी सरकारों से उनकी योग्यता तथा अनुभवों के अनुकूल मांग प्राप्त होती है, तब इन पंजीबद्ध प्रत्याशियों को पैनल में उनके क्रम के अनुसार प्रायोजित किया जाता है। तथापि, विशेषज्ञों की नामावली में क्रमांकन से आवेदक को यह अधिकार नही मिल जाता कि वह विदेश सेवा के लिए प्रायोजित किया जाए, क्योंकि प्रायोजित किया जाना, संबंधित क्षेत्रों में उपयुक्त मांग की पर्याप्त संख्या प्राप्त होने पर निर्भर होगा।

(ii) अन्य लोगों में से, कम से कम स्नातक डिग्री के समकक्ष योग्यता तथा विशेष योग्यता के क्षेत्र मे संबंधित व्यावसायिक अनुभव रखने वाले चार्टड अकाउन्टेंट, लागत लेखापाल, एस.ए.एस. लेखापालों से पंजीयन हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते है। विशेष प्रकार के अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को पंजीकृत नही किया जाएगा। लिपिकीय स्तर पर कार्य करने वाले व्यक्ति पंजीयन के योग्य नही है।

(iii) जो व्यक्ति वांछित योग्यता प्राप्त करने के बाद तीन वर्ष से कम का व्यावसायिक अनुभव रखते है, वे आवेदन न करें।

(iv) आवेदन, उचित माध्यम द्वारा प्रस्तुत किये जाये। पंजीयन के लिए आवेदन पत्रों को अग्रेषित करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों को अग्रेषण पत्र पर ही इस आशय का एक विवरण अंकित करना चाहिए, कि सम्बन्धित व्यक्ति विदेश नियुक्ति पर रह चुका/नहीं रह चुका है, और उसकी अवधि का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में, जब कि आवेदन कर्ता पाँच या पाँच से अधिक वर्षो तक विदेश सेवा पर पहले ही रह चुका हो, उसका आवेदनपत्र पंजीयन हेतु कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को तब तक अग्रेषित नही किया जाना चाहिए, जब तक कि उसने विदेश सेवा नियुक्ति के लिये चयन हो जाने की स्थिति में सेवा त्याग/सेवानिवृत्ति हेतु लिखित वचन न दिया हो, यदि वह ऐसा करने के योग्य हो। यह तथ्य, अग्रेषण पत्र में भी उल्लेखित किया जाना चाहिए। आई.टी.ई.सी. कार्यक्रम के अन्तर्गत अथवा भूटान इत्यादि जैसे देश, जहाँ कि उसी आधार पर पारिश्रमिक दिया जाता है जैसे कि आई.टी.ई.सी कार्यक्रमों के अन्तर्गत दिया जाता है, उनमें पूर्व में की गई विदेश नियुक्ति को 5 वर्षो की गणना में से निकाल दिया जाना चाहिए। यदि कोई विशेषज्ञ भी एक वर्ष से अधिक समय तक विदेश सेवा में रह चुका है, तो तीन वर्षो की उपशमन अवधि लागू होगी।

(v) पंजीयन की तारीख से केवल तीन वर्ष की अवधि तक के लिए ही पंजीयन वैध है।

(प्राधिकार :–भारत सरकार, मंत्रालय पी.पी.जी. एवं पी. डा. एवं ता. विभाग, कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 25/14/85–एफ.ए.एस. दिनांक 17 फरवरी 1986, एवं नि.म.ले.प. का पत्र क्रमांक 1056–एन.ई I/29–86 पैनल/ए. ए. एवं एल.ए. खण्ड–I, दिनांक 3 मार्च 1986)

-

(vi) अधिकारी को कार्यभार मुक्त करने के लिये सक्षम अधिकारी को यह प्रमाणित करना चाहिए कि यदि अधिकारी का चयन होता है, तो आवश्यक होने पर उसे एक माह के भीतर कार्यभार मुक्त कर दिया जाएगा, तथा उसका धारण अधिकार सुरक्षित रखते हुए एंव उनकी वरीयता का सरंक्षण करते हुए, उस पर लागू होने वाली विदेश सेवा शर्तो के आधार पर, उसे प्रतिनियुक्त कर दिया जाएगा।

(प्राधिकार :–भारत सरकार, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशासन सुधार विभाग, कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 7/66/81–एफ.ए.एस., दिनांक 20 सितंबर 1982, एवं नि.म.ले.प. का पृष्ठांकन क्रमांक 6622–एन.जी.ई.–II/68– 82, दिनांक 15 जनवरी 1983)

(vii) विभागाध्यक्ष, अपने कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के आवेदनपत्र, मुख्यालय के माध्यम से भेजने की बजाय, स्वयं ही कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को अग्रेषित कर सकतें है।

(प्राधिकार :–नि.म.ले.प. का पत्र क्रमांक 3050–एन.जी.ई.–II/140–एन.जी.ई. III/80, दिनांक 27 जून 1981 एवं क्रमांक 4182 एन.जी.ई. II/140–एन.जी.ई. III/80, दिनांक 26 अगस्त 1981)

****